TO THE READER.

KINDLY use this book very carefully. If the book is disfigured or marked or written on while in your possession the book will have to be replaced by a new copy or paid for. In case the book be a volume of set of which single volumes are not available the price of the whole set will be realized

SRI PRATAP COLLEGE

LIBRARY

Class No. 891.435

Book No. R 16 C

Acc. No. 12358

कांग्रेस
का
सरल इतिहास

लेखक
ठाकुर राजबहादुर सिंह

राजहंस प्रकाशन
दिल्ली

प्रकाशक :
सुबुद्धिनाथ, मंत्री
राजहंस-प्रकाशन,
दिल्ली ।

१८३५४

प्रथम संस्करण १६४६
मूल्य
तीन रुपये

मुद्रक :
अमरचन्द्र
राजहंस प्रेस,
४६ दिल्ली ।

विषयानुक्रम

१. पूर्वापर १
२. कांग्रेस का जन्म ६
३. पहला अधिवेशन १०
१. कार्यवाही; २. प्रतिनिधि-दल, ३. उद्देश्य, ४. प्रस्ताव, ५. दादाभाई-युग।
४. दादाभाई के बाद गोखले और तिलक २०
१. लोकमान्य तिलक, २. अन्यमोर्चे, ३. प्रथम महायुद्ध।
५. गांधीजी का उदय : असहयोग-आंदोलन ३१
१. बारडोली-सत्याग्रह, २. गांधीजी की गिरफ्तारी।
६. असहयोग के बाद ४२
१. स्वाधीनता की घोषणा।
७. सविनय अवज्ञा-आंदोलन ५०
१. कांग्रेसी-मंत्रिमंडल, २. दूसरा महायुद्ध।
८. फिर सत्याग्रह ६०
१. 'भारत-छोड़ो' आन्दोलन, २. महात्माजी का भाषण।
९. नेताओं की गिरफ्तारियाँ ८६
१. चिमूर और आष्टी-काण्ड, २. सोशलिस्ट पार्टी का सहयोग, ३. सतारा की पंत्री सरकार, ४. मिदनापुर-काण्ड, ५. बलिया की वीरता।
१०. महात्माजी का उपवास ९५
१. निर्वाचन-घोषणा, २. अन्तरिम सरकार की स्थापना।
११. मेरठ-कांग्रेस का ५४ वाँ अधिवेशन ११८
१. लॉ० माउण्टबेटन की योजना, २. विधान-परिषद्, ३. उद्देश्यों

की घोषणा, ४. भारतीय-स्वतंत्रता, ५. शपथ, ६. गांधीजी नोआखाली में, ७. जयपुर-अधिवेशन।

१२. आजादी के बाद १४०

१. केन्द्रीय सरकार, २. स्वास्थ्य-विभाग, ३. शिक्षा-विभाग, ४. उद्योग-धन्धे, ५. श्रम-विभाग, ६. व्यापार, ७. सम्पर्क, ८. यातायात, रेल प्रथा, ९. सड़कें, १०. कानून, ११. गृह, १२. रक्षा-विभाग, १३. शरणार्थी-समस्या, १४. अर्थ-विभाग।

१३. कांग्रेस का नव-विधान और भविष्य १९३

१. उद्देश्य, २. अङ्ग, ३. क्षेत्रिय अधिकार, ४. सदस्यता, ५. कर्मठ सदस्य, ६. कां० क० का कार्य-काल, ७. सदस्यों की सूची, ८. मत-दाताओं और उम्मीदवारों की योग्यताएँ ९. आरम्भिक कांग्रेस पंचायत, १०. डेलीगेटों का चुनाव, ११. अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी का चुनाव, १२. प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, १३. अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी, १४. विषय-समिति, १५. कांग्रेस-अधिवेशन, १६. विशेष-अधिवेशन, १७. अध्यक्ष का चुनाव, १८. कांग्रेस-कार्य-समिति, १९. कोष, २०. प्रधान मंत्री, २१. प्रमाण-समिति, २२. अदालतें, २३. एतराज, २४. चुनाव-विषयक झगड़े, २५. रिक्त स्थान, २६. जन-गणना और भिन्नांक, २७. झंडा, २८ पार्लमेन्टरी बोर्ड, २९. विधान में परिवर्तन।

१४. कांग्रेस के पदाधिकारी २२०

अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के सदस्यों के नाम व पते :—

१. अजमेर के सदस्य, २. आन्ध्र के सदस्य, ३. आसाम के सदस्य, ४. बंगाल के सदस्य, ५. बिहार के सदस्य, ६. बम्बई के सदस्य, ७. दिल्ली के सदस्य, ८. गुजरात के

सदस्य, ९. केरल के सदस्य, १०. कर्नाटक के सदस्य, ११. महाकोशल के सदस्य, १२. महाराष्ट्र के सदस्य, १३. नागपुर के सदस्य, १४. पूर्वीय पंजाब के सदस्य, १५. तामिलनाड के सदस्य, १६. युक्त-प्रान्त के सदस्य, १७. उत्कल के सदस्य, १८. विदर्भ के सदस्य, १९. कांग्रेस-केबिनेट—हिमाचल-प्रदेश, राजपूताना, मध्यभारत, विन्ध्य-प्रदेश, केरल, २०. प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटियों के पूरे पते तथा सदस्यों और पदाधिकारियों की सूची।

दो शब्द

इतिहास तो होता है किसी देश का या कौम का। देशों के इतिहास में तो होते हैं वहां के राजा-महाराजाओं के वर्णन तथा उनके वंशों की वृद्धि और क्षय इत्यादियों कि कथायें।

परन्तु यहां पर लिखा गया है इतिहास एक बड़ी संस्था का, संघटन का, एक प्रधान तथा राजनैतिक महासभा का। वह राष्ट्रसभा कहलाती है कारण कि वह राष्ट्र की है, राष्ट्र-व्यापी है, अखिल हिंद देश की है। पिछले ६०—६२ बरस का इस संस्था का इतिहास, इस राष्ट्र का वृत्तांत, और हमारे स्वातंत्र्य-संग्राम की कथा ये तीनों इतने मिले-जुले और एक जीव हैं कि हम कह सकते हैं कि इनमें प्राण एक है, रूप या शरीर तीन हैं।

इस इतिहास में हमें आम जनता का एक बड़ा आंदोलन, अजादी के लिये एक बड़ा प्रयत्न दीख पड़ेगा। स्वातंत्र्य-प्राप्ती के पश्चात् भी वह प्रयत्न रुक नहीं गया और रुक नहीं जा सकता; क्योंकि उस प्रयत्न का उद्देश केवल राजकीय अधिकार ग्रहण नहीं था। भारत की परिपूर्ण उन्नति, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, यही कांग्रेस का ध्येय हो सकता है।

ऐसी संस्था का इतिहास बड़े से बड़ा भी लिखा गया है। लेकिन छोटे-छोटे इतिहासों की भी आवश्यकता है। ऐसे छोटे इतिहासों में यह एक है। आजकल यहां पर जो सरकार है, वह भी कांग्रेस-पक्ष की होने के कारण कांग्रेस का एक हिस्सा देश की हुकूमत में लगा है और उसका भी इतिहास कांग्रेस के इतिहास में शामिल हो सकता है। कुछ भी हो, यह एक स्तुत्य प्रयत्न है और बहुत उपयुक्त भी। मेरे ख्याल से यह छोटी किताब बहुत लोकप्रिय होने की क्षमता रखती है।

२६—२—४९
नई दिल्ली

—रंगनाथ दिवाकर
इन्फार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग सचिव

दो शब्द

इतिहास तो होता है किसी देशका या कौमका। देशोंके इतिहासमें तो होते हैं वहांके राजामहाराजाओंके वर्णन तथा उनके वंशोंकी वृद्धि और क्षय इत्यादियोंकी कथायें।

परंतु यहांपर लिखा गया है इतिहास एक बडी संस्थाका, संघटनका, एवं प्रधानतया राजनैतिक महासभाका। वह राष्ट्रसभा कहलाती है कारण कि वह राष्ट्रकी है, राष्ट्रव्यापी है, अखिल हिंद देशकी है। पिछले ६०-६२ बरसोंका इस संस्थाका इतिहास, इस राष्ट्रका वृत्तांत, और हमारे स्वातंत्र्यसंग्रामोंकी कथा ये तीनों इतने मिलेजुले और एकजीव हैं कि हम कह सकते हैं कि इनमें प्राण एक है, सिर्फ शरीर तीन हैं।

इस इतिहासमें हमें आज जनताका एक बडा आंदोलन, आजादीके लिये एक बडा प्रयत्न दीख पडेगा। स्वातंत्र्यप्राप्तीके पश्चात् भी वह प्रयत्न खतम नहीं गया और खतम नहीं हो सकता। क्योंकि इस प्रयत्नका उद्देश केवल राजकीय आजादीका स्वरूप नहीं था। भारतकी परिपूर्ण उन्नति, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, यही कांग्रेसका ध्येय हो सकता है।

ऐसी संस्थाका इतिहास बडे पैमाने पर भी लिखा गया है। लेकिन छोटे छोटे इतिहासोंकी भी आवश्यकता है। ऐसे छोटे इतिहासोंमें यह एक है। आजकल यहांपर जो सरकार है वह भी कांग्रेस पक्षकी होनेके कारण कांग्रेसका एक हिस्सा देशकी हुकूमतमें आता है और इसका भी इतिहास कांग्रेसके इतिहासमें शामिल हो सकता है।

उपयोगी है, यह एक सुन्दर प्रयत्न है और बहुत उपयुक्त भी। मेरे ख्यालसे यह दोनों किताबें बहुत लोकप्रिय होनेकी क्षमता रखती हैं।

२५-२-५६ }
नई दिल्ली }

रंगनाथ दिवाकर

पूर्वापर

संसार के इतिहास में हिन्दुस्तान का एक खास स्थान है। अँग्रेज इतिहासकारों ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि हिन्दुस्तान की संस्कृति और सभ्यता उतनी पुरानी नहीं है, जितनी कि मिश्र या चीन की; पर हमारे वेद, उपनिषद् और दर्शन पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि आर्यावर्त्त का यह भरत-खंड संसार की सब से पुरानी संस्कृति, सभ्यता, विद्या, कला और जीवन-दर्शन के उच्चतम स्रोतों का केन्द्र रहा है। धीरे-धीरे पुरातत्त्व-विभाग के खोज करनेवाले भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि आदि-काल से ही यह देश सब विषयों में आगे रहा है। इसने संसार को दो महानतम धर्म—हिन्दू और बौद्ध—प्रदान किये हैं। इसकी विचार-धाराओं ने संसार का कल्याण करने में बहुत दूर तक काम किया है। इस देश ने ही अपनी मंगलमयी वाणी द्वारा संसार को सर्वप्रथम 'जियो और जीने दो' का पाठ पढ़ाया है। इसलिए एक ऐसे देश को, जिस ने संसार को ज्ञान देनेवाले प्राचीन ऋषि-मुनियों से लेकर बुद्ध और गान्धी तक को पैदा किया, किसी भी शक्ति-द्वारा मिटाया नहीं जा सकता। संसार की बड़ी-बड़ी सभ्यताएँ नष्ट हो चुकी हैं। आज उनके अस्तित्व का पता केवल टूटे-फूटे खण्डहर और इतिहास के पन्ने ही दे रहे हैं; परन्तु भारत अपने समस्त वेद-वेदांगों, दर्शन-उपनिषदों, विज्ञान और कलाओं तथा जीवन के सभी रसों सहित अब भी जीता-जागता है—यही नहीं, वह जवाहरलाल-जैसी अन्तर्राष्ट्रीय विभूति को जन्म देकर सारे संसार को जीवित रखने के लिए कोशिश कर रहा है।

इस अनन्त जगत् में राष्ट्रों का जीवन वैसा ही है, जैसा शतायु मनुष्य की जिन्दगी में एक निमिष। ऐसी दशा में हिन्दुस्तान-जैसे बूढ़े राष्ट्र की जिन्दगी में अँग्रेजों की डेढ़ सौ साल की गुलामी कोई बहुत लम्बी नहीं कही जा सकती। पर आइन्सटाइन के सापेक्षवाद के अनुसार

यह अल्प काल हिन्दुस्तान के लिए हज़ारों युगों के समान लम्बा और न गुज़रने वाला बन गया। इस अवधि में सम्पत्ति की लूट, संस्कृति का ह्रास, कपट-नीति का प्रसार और इस देश के ज्ञान-विज्ञान, कला-विद्या तथा हस्त-कौशल का ऐसा भीषण विनाश और पतन हुआ; इस उर्वरा भूमि के निवासियों को दाने-दाने का मुहताज बनाकर और हमारी माताओं, बहनों को तन ढकने के वस्त्र से विहीन करके दरिद्रता का ऐसा दानवीय दृश्य उपस्थित किया गया; मानवता की ऐसी घोर उपेक्षा की गई; विषमता का ऐसा विष व्याप्त कर दिया गया कि उससे हमारा राष्ट्रीय जीवन शून्य के निकट पहुँच गया।

वैसे तो भारत के लम्बे इतिहास में इस देश पर अनेक विदेशी शक्तियों के दाँत रहे हैं—शकों, हूणों, यूनानियों और मुसलमानों ने एक-एक करके भारत की सम्पत्ति और राजस्व को प्राप्त करने के लिए अपने-अपने काल में पूरी कोशिशें कीं और उनमें से कुछ को—कम से कम अन्तिम को—अपने उद्देश्य में काफी सफलता भी मिली; पर इनमें से कोई भी शक्ति, भारत का ऐसा आर्थिक और राजनीतिक शोषण नहीं कर सकी, जैसा कि बाद में आने वाले फिरंगियों—खासकर अँग्रेज़ों ने कर डाला।

तब और अब

अब, जबकि हम स्वतंत्र हो चुके हैं, भले ही अँग्रेज़ों के प्रति अपनी कटु भावना छोड़ दें; पर असल में भारत में अँग्रेज़ी राज्य का इतिहास लूट, धोखा-धड़ी, छल-प्रपंच और मानवता के प्रति भीषणतम अत्याचारों का इतिहास है और सच तो यह है कि मुसलमानों ने कभी ऐसा अत्याचार नहीं किया कि जिसके फलस्वरूप यह देश दरिद्रता और मूर्खता के भीषण दलदल में फँसकर अपना सब कुछ गँवा देता। उनका सांस्कृतिक भेद भले ही हमें न भाया हो; पर उन्होंने इस देश के कला-कौशल और दस्तकारी को काफी प्रोत्साहन दिया है और जो मुसलमान यहाँ शासकरूप में बस गये थे, उन्होंने यहाँ के धन-सम्पत्ति को बाहर

भेजने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने इस देश को ही अपना घर बना लिया था।

हाँ, तो अँग्रेज़ों ने किस प्रकार इस देश के शासन की बागडोर पूर्णरूप से हथिया ली, इसका विवरण यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, किन्तु पूर्वापर-सम्बन्ध और पृष्ठ-भूमि कायम करने के लिए यहाँ इतना ही बता देना काफ़ी होगा कि अँग्रेज़ों ने इस देश का शासन हथियाने के लिए जो-जो कपट-जाल बिछाये और छल-छिद्र किये वह मुसलमानों ने कभी नहीं किये थे। दुकानदारी करते-करते जिस तरह अँग्रेज़ बनियों ने इस देश के विभिन्न शासकों और उप-शासकों में भेद-नीति फैलाकर अपना उल्लू सीधा किया, उसको यहाँ विस्तारपूर्वक नहीं बताया जा सकता; पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि उसका कुफल इस बुद्धि-जीवी बूढ़े देश को भी डेढ़ सौ साल से अधिक भोगना पड़ा है।

जिस दिन से अँग्रेज़ों ने हिन्दुस्तान के शासन की बागडोर अपने हाथ में ली थी, उसी दिन से इस देश में उनका विरोध भी शुरू हो गया था। १८३३ ई० में जब ब्रिटिश पार्लियामेण्ट ने यह कानून बनाया कि ईस्ट इंडिया कम्पनी अब हिन्दुस्तान में व्यापार न करके केवल शासन करेगी, तब एक प्रकार से अँग्रेज़ी शासन ने हिन्दुस्तान में पूर्ण धृष्टता का प्रदर्शन कर खुला विरोधी दल तैयार कर दिया। उसने नौकरी में हिन्दुस्तानियों के लिये जाने और देश में अँग्रेज़ी शिक्षा जारी करने की नीति घोषित करके, जहाँ एक ओर थोड़े-से चापलूसों, पद-लोलुपों, और भूखे मरनेवालों को आजीविका देने की आड़ में अपना काम बनाना शुरू किया, वहाँ देश का अधिकांश भाग उसकी इस चालबाज़ी से विक्षुब्ध हो उठा। १८३३ ई० से १८५३ तक अँग्रेज़ों ने और भी पाँव फैलाये। पंजाब और सिन्ध प्रान्त जीत कर अँग्रेज़ी राज्य में मिला लिये गये, और इस तरह अँग्रेज़ी राज्य की अधिकार-सीमा और भी बढ़ गई। लार्ड डलहौज़ी ने कई देशी राज्य, उनका कोई वारिस न होने के बहाने, अपने इलाके में मिला

लिये। दूसरी ओर आर्थिक शोषण इस प्रबल वेग से जारी हुआ कि देश दिन-पर-दिन दरिद्र होता गया। इन बातों से हिन्दुस्तान की प्रजा अँग्रेज़ी शासन और उसकी नीति से भीतर-ही-भीतर असंतुष्ट होती गई। विचारशील हिन्दुस्तानियों ने इस विदेशी जुए को अपनी गर्दन पर से जल्द-से-जल्द उतार फेंकने का एक प्रबल और गुप्त आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया, जिसने आगे चलकर १८५७ ई० में स्वाधीनता की पहली लड़ाई का रूप ग्रहण किया। इस आन्दोलन ने सैनिक-क्षेत्र में प्रवेश करके दो सैनिक नेताओं—मंगल पाण्डे और अज़ीमुल्लाह—से वह ज़बरदस्त काम कराये, जिसके लिए हिन्दुस्तान अपना मस्तक हमेशा गौरव से ऊँचा करता रहेगा।

आज़ादी की इस पहली लड़ाई को 'गदर' का नाम देकर अँग्रेज़ों ने जिस भीषण रूप में इसे कुचला, वह संसार की क्रूरतम घटनाओं में परिगणनीय है। इसे दबा देने में अँग्रेज़ों को सफलता जरूर मिल गई; पर इसके कारण उनका रुख पहले से कुछ बदल चला। अँग्रेज़ों ने यह ज़रूरी समझा कि अब भारत का शासन ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा न कराके, सीधे ब्रिटिश पार्लियामेण्ट के द्वारा होना चाहिए और इसीलिए उस समय उनकी महारानी विक्टोरिया ने एक उदारता-सूचक घोषणा-पत्र प्रकाशित कराया। इस घोषणा का नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तान में अशान्ति और अविश्वास की बढ़ती हुई भावना कम हो गई। अँग्रेज़ों के भीषण दमन के फलस्वरूप इस देश के पहले शासकों में यह दम नहीं रहा कि वे उठकर अँग्रेज़ी शक्ति का मुकाबिला करते। धीरे-धीरे समय बदला। आतंक दूर होकर शान्ति फैलने लगी और अनियमित शासन के बदले कुछ ऐसे सुधार भी जारी हो गये, जिनके कारण कुछ हिन्दुस्तानी विचारक उधर झुक गये और कुछ काल के बाद अपने दूसरे काम-काजों में लग गये।

फिर भी नौकरियों और शासन-सम्बन्धी सुधारों का सवाल ऐसा था, जिसके प्रति अँग्रेज़ सभी पढ़े-लिखों और विचारकों को सन्तुष्ट

नहीं कर सकते थे। उस समय जो थोड़े-से अखबार हिन्दुस्तान के लोकमत को जगाने और अँग्रेज़ी शासन की आलोचना करने के काम में लगे थे, उन पर भी शासन की कड़ी नज़र हो गई।

स्वाधीनता की पहली लड़ाई को कुचल कर और महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित करके ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी नई नीति का श्रीगणेश तो किया; परन्तु हिन्दुस्तान इस नई नीति से भी राज़ी न हुआ, क्योंकि वह जानता था कि इसके द्वारा उसकी दासता की जंजीरें और भी मज़बूत बनादी गई हैं। यह सच है कि अँग्रेज़ी पढ़े-लिखे बाबुओं की एक ऐसी नई श्रेणी लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके लिए अँग्रेज़ी भाषा, विदेशी रहन सहन और पश्चिमी विचार-धारा भगवान् की भेजी हुई अमूल्य निधि के रूप में मिल गई थी। उनकी श्रेणी के लोगों की रोज़ी का सहारा अँग्रेज़ सरकार थी, इसलिए वे तो अँग्रेज़ सरकार की ही जय मनाते थे; लेकिन देश का अधिकांश भाग इस विचार का न था। उसने अपनी आज़ादी खोई थी और उसे फिर प्राप्त करने का प्रयत्न करने पर उसे बुरी तरह पीस दिया गया था। ऐसी दशा में अँग्रेज़ी शासन के प्रति असंतोष भी काफी था।

ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति गहरी होती जा रही थी और उसके फलस्वरूप देश में दरिद्रता और भुखमरी बढ़ती जा रही थी।

कांग्रेस का जन्म

एक

आज हम आज़ाद हो गये हैं। अँग्रेज़ों ने हमारे देश पर से अपने शासन का भारी बोझ हटा लिया है। अब हम अपने देश की भलाई अपने इच्छित रूप में कर सकते हैं। भलाई और बुराई दोनों की ज़िम्मेदारी हमारी है; इसलिए हमें बहुत सोच-विचार कर आगे बढ़ना है।

आज़ादी तो मिली; पर इसे दिलाने वाला कौन है? अँग्रेज कोई अपने-आप राज़ी-खुशी तो यहाँ से गये नहीं। उन्होंने जब देखा कि अब वे इस देश में आसानी से नहीं रह सकते, तभी उन्होंने अपना बोरिया-बिस्तर समेटा है। तब, उनके यहाँ रहने में कठिनाई किसने और क्यों पैदा कर दी——इस बात पर हमें विचार करना है।

सच्ची बात यह है कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने ही एक के बाद दूसरा आन्दोलन कर के अँग्रेजों का हुलिया ऐसा तंग कर दिया कि उन्हें बेबस हो कर यह देश छोड़ना पड़ा।

कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, यह जानना सहज है। अँग्रेज़ी राज्य ने इस देश को तबाह और बर्बाद कर दिया था। उसकी नीति इस देश की भलाई के खिलाफ थी। वह हर बात में अँग्रेजों की भलाई पहले सोचता था। हिन्दुस्तान की गरीबी और तबाही का कारण अँग्रेज़ी राज्य ही था, इसलिए कांग्रेस ने सब से पहले उसका अन्त कर देने का निश्चय किया। १५ अगस्त १९४७ ई० को कांग्रेस ने अपना मन-चाहा फल यानी आज़ादी प्राप्त कर ली और जैसा कि ऊपर कहा गया है, अब हम अपने देश की भलाई के लिए मन-चाहा राज्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम चाहें, तो इसका अच्छा प्रबन्ध कर के इसे अमे-

रिका, रूस और युरोप के कुछ आगे बढ़े हुए देशों के समान बना सकते हैं और चाहे अपने कुप्रबन्ध से पिछड़ी हुई जातियों में अपनी गिनती करा सकते हैं।

पर हमें आज इस हालत में लानेवाली संस्था कांग्रेस ने किस तरह यहाँ तक पहुँचाया, इसे जानने के लिए इसका बासठ वर्षों का पुराना इतिहास जानना होगा। कांग्रेस ने यकायक यह शक्ति नहीं पाई— इसके लिए उसे ६२ वर्षों तक ज़ोरदार आन्दोलन करना, त्याग-तपस्या और कष्ट-सहन से काम लेना पड़ा है। कई बार तो उसके कार्यकर्त्ता जेल के सींकचों से इस प्रकार जकड़ दिये गये कि निराश लोगों ने समझा कि उसका जीवन ही समाप्त हो जायगा; पर कांग्रेसियों के जेल से छूटने के बाद आन्दोलन और भी ज़ोरदार बन गया। इस प्रकार के अवसर, इन बासठ वर्षों में कई बार आये हैं।

हमें कांग्रेस का इतिहास जानने के लिए सब से पहले यह देखना होगा कि आखिर कांग्रेस कैसे बनी? इसका जन्म कैसे हुआ? इसकी आवश्यकता देश को क्यों पड़ी? बिना इन सवालों का जवाब मिले, कांग्रेस का इतिहास अधूरा ही रहेगा।

कांग्रेस का जन्म होने के पहले इस देश में १८५७ ई० की आज़ादी की लड़ाई हो चुकी थी। आज़ादी के लिए लड़ने वाले हिन्दुस्तानियों को बहुत बुरी तरह कुचल डाला गया था। हिन्दुस्तानियों की जान का मूल्य कीड़ों-मकोड़ों से भी ज़्यादा गिर गया था। उनके दल-के-दल को रस्सियों से बाँध कर पेड़ों की डालियों पर लटका कर फाँसी दे दी गई थी। और जब इस तरह हिन्दुस्तान की आज़ादी की भावना को बिल्कुल पीस दिया गया, तो उसके बाद हिन्दुस्तानियों के हथियार भी छीन लिये गये और हथियार रखना कानून-द्वारा अपराध करार देकर शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह हिन्दुस्तानियों को बेबस कर दिया गया।

पर १८५७ ई० के बाद अँग्रेजों की बदली हुई नीति के कारण देश में अँग्रेजी पढ़े-लिखों की संख्या कुछ बढ़ चली और इस श्रेणी के

लोगों में शासन की गति-विधि समझने और उसकी टीका-टिप्पणी करने का भाव बढ़ने लगा। ऐसी हालत में लोगों ने तरह-तरह की सुविधाएँ और शासन-सुधार माँगने के सुझाव भी रखने शुरू कर दिये।

आज़ादी की पहली लड़ाई के बाद अँग्रेज़ों ने हिन्दुस्तानियों के सभी प्रकार के हथियार छीन लिये और उनकी मनोदशा पर गुलामी की छाप लगाने की कोशिश की गई। फिर भी अँग्रेज़ों के प्रति सामूहिक सद्भाव कभी न कायम हो सका। १८५७ और उसके बाद के वर्षों के भीषण दमन के बाद भी अँग्रेज़ हिन्दुस्तानियों को अपना शुभेच्छुक न बना सके। अनेक अँग्रेज़ उच्चाधिकारी जो इस असन्तोष को ताड़ रहे थे, वे यह सोचने लगे कि अगर हिन्दुस्तानियों से उनकी शिकायतें सुनने की व्यवस्था हो सके, तो इससे अँग्रेज़ी शासन का भी हित हो सकता है और हिन्दुस्तानियों का बढ़ता हुआ असन्तोष भी दूर हो सकता है। कहा जाता है सबसे पहले यह विचार श्री एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम (जिनका परिचय आगे मिलेगा) के दिमाग में आया। उन्होंने हिन्दुस्तानियों की एक राष्ट्रीय महासभा इसी मतलब से कायम करने का विचार किया और १ मार्च सन् १८८३ को कलकत्ता विश्व-विद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिख कर उसे प्रकट किया। इस पत्र का सारांश यह था कि अगर केवल पचास निःस्वार्थ, सत्यनिष्ठ, आत्म-संयमी और नैतिक बल वाले युवक उन्हें मिल जायँ, तो उनके द्वारा एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना हो सकती है।

इसके अलावा ऊँचे दर्जे के न्यायप्रिय हिन्दुस्तानियों ने भी इस बात की आवश्यकता का अनुभव किया कि सारे देश की एक ऐसी संस्था बन जाय, जो शासन की खराबियों और सामूहिक अत्याचारों को रोकने के लिए कोशिश करे, तो हिन्दुस्तानी प्रजा की आवाज़ ऊँची हो सकती और हिन्दुस्तानी राजनीतिज्ञों की क़द्र बढ़ सकती है।

इन पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानियों में एक दल ऐसे लोगों का भी था, जो अँग्रेज़ों की शासन-नीति से सहमत नहीं था और उसकी बुराइयों

को दिखा कर उसमें सुधार के लिए माँग करना आवश्यक समझता था।

अँग्रेज़ अधिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई के बाद एक ओर तो इस देश में अँग्रेज़ सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, जिससे यहाँ का सैनिक खर्च बहुत बढ़ गया और दूसरी ओर हिन्दुस्तानियों को अँग्रेज़ी शिक्षा द्वारा अधिक पालतू, आज्ञाकारी और अपनी सेवा के योग्य बना लिया।

यह सब तो हुआ ; पर हिन्दुस्तान में एक दल ऐसे लोगों का था जिसे अँग्रेज़ी शासन एक आँख न भाता था। वह उसके विनाश का उपाय बराबर सोचता रहता था। विश्व-विद्यालय के शिक्षा पाये हुए कुछ ऐसे लोग भी निकले, जो अंग्रेज़ों से अनुनय-विनय, निवेदन-प्रार्थना और चापलूसी करके काम बनाना चाहते थे। पर, इस तरह के अलग-अलग पेशे और दर्जे के लोग एक जगह जमा होकर सोच-विचार नहीं कर पाते थे, इसलिए यह विचार-धारा आगे न बढ़ पाती थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री ह्यूम कांग्रेस की स्थापना के एक कारण ज़रूर बने ; पर वास्तव में उस समय देश को तरह-तरह की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताकतों—विचार-धाराओं—को सन्तुष्ट करने के लिए ऐसी एक संस्था को जन्म देना अनिवार्य-सा हो गया था। इसी कारण बहुत-से हिन्दुस्तानियों ने श्री ह्यूम के इस विचार को फौरन ग्रहण कर लिया और १८८५ ई० में कांग्रेस की स्थापना हो गई।

पहला अधिवेशन

दो

कांग्रेस का पहला अधिवेशन १८८५ ई० में बम्बई में हुआ था। उसके सभापति हुए थे बंगाल के प्रसिद्ध वकील श्री उमेशचन्द्र बनर्जी। यह अधिवेशन, पहला होने के कारण, सबसे अधिक महत्त्व का माना जाता है।

कांग्रेस के प्रथम सभापति उमेशचन्द्र बनर्जी का जन्म १८४४ ई० में हुआ था। १८६४ ई० में उन्हें जीजीभाई-छात्रवृत्ति मिली और वे विलायत पढ़ने गये। १८६७ ई० में उन्होंने वहाँ बैरिस्ट्री पास की और १८६८ ई० मे कलकत्ता लौट कर हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। अपने पेशे में उन्होंने उन दिनों अद्वितीय सफलता प्राप्त की। 'बंगाली' नामक अँग्रेजी समाचार-पत्र का श्रीगणेश भी आपने किया। उन्हें तीन बार हाईकोर्ट में जज बनाने का प्रस्ताव सरकार की ओर से किया गया; पर आपने हर बार नौकरी करने से साफ़ इन्कार कर दिया। १८८०ई० में वे कलकत्ता-विश्व-विद्यालय के फेलो-मेम्बर (साथी सदस्य) बने और विश्व-विद्यालय के द्वारा ही बंगाल व्यवस्थापिका कौंसिल के लिए सदस्य चुने गये और १८८५ ई० में आप को भारत की प्रस्तावित राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) के प्रथम अधिवेशन का सभापति बनाया गया और जैसा कि ऊपर बताया गया है यह अधिवेशन पूने के बदले बम्बई के ग्वालिया टैंक-स्थित श्री गोकुलदास-तेजपाल-संस्कृत-महाविद्यालय की पवित्र भूमि पर सम्पन्न हुआ। उमेश बाबू ने १८८८ ई० में पालियामेण्ट्री कमेटी की नियुक्ति के विभिन्न प्रस्तावों

पर बहसें कीं और १८८६ ई० में हिन्दुस्तानियों की सारी शिकायतें ब्रिटिश सरकार के सामने पेश कर दीं। १८६० ई० में आप कांग्रेस शिष्ट-मण्डल के सदस्य बनकर विलायत गये। और १६०२ ई० में हिन्दुस्तान छोड़कर विलायत में ही जा बसे। और वहाँ प्रिवी कौंसिल में वकालत करने लगे। कांग्रेस की विलायती कमेटी की आपने अनोखी सेवाएँ कीं और १६०६ ई० में आपका स्वर्गवास हो गया।

कार्यवाही

इस अधिवेशन में सब से पहले यह निश्चय किया गया कि कांग्रेस का अगला अधिवेशन पूने में किया जाय। साथ ही पहला अधिवेशन पूने में न करने का कारण भी इस प्रकार बताया गया—"पूने में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन इसलिए नहीं हो पाया कि बड़े दिन की छुट्टियों से कुछ ही पहले वहाँ हैजे से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी और यह आशंका थी कि यह महामारी और भी भीषण रूप धारण करेगी। ऐसी दशा में इस परिषद् को, जो कांग्रेस का नाम धारण कर चुकी है, पूने में न करने का निश्चय किया गया।" बम्बई में श्री गोकुलदास-तेजपाल-संस्कृत-महाविद्यालय और छात्रावास की सारी इमारतें उसके व्यवस्थापकों ने इस अधिवेशन के लिए प्रदान करने की कृपा करदी और २८ दिसम्बर १८८५ ई० को प्रातःकाल भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधियों का इसी स्थान पर स्वागत किया गया। इस अधिवेशन में कुछ ऐसे लोग भी उपस्थित थे, जो प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं थे। इनमें मद्रास के डिप्टी कलेक्टर दीवान बहादुर श्री रघुनाथराव, बम्बई व्यवस्थापिका कौंसिल और पूने की स्मॉल कॉज़ कोर्ट के जज, जो बाद में बम्बई हाईकोर्ट के जज हुए, माननीय श्री महादेव गोविन्द रानाडे, आगरे के लाला बैजनाथ, जो बाद में अनोखे विद्वान् और लेखक प्रसिद्ध हुए एवं प्रोफेसर के० सुन्दर रमण और प्रोफेसर आर० जी० भण्डारकर थे।

प्रतिनिधि-दल

प्रतिनिधियों में कुछ हिन्दुस्तानी समाचार-पत्रों के सम्पादक भी थे। उन पत्रों के नाम इस प्रकार हैं—

१ 'ज्ञान प्रकाश'
२ 'केसरी'
३ 'इन्डियन मिरर'
४ हिन्दुस्तानी'
५ 'इन्डियन यूनियन'
६ 'इन्दु प्रकाश'
७ 'मराठा'
८ 'नवविभाकर'
९ 'नसीम'
१० 'ट्रिब्यून'
११ 'इन्डियन स्पेक्टेटर'
१२ 'हिन्दू', और
१३ 'क्रीसेन्ट'

अन्य प्रतिनिधियों की नामावली इस प्रकार है—

१ ए० ओ० ह्यूम—शिमले से।

२ उमेशचन्द्र बनर्जी और नरेन्द्रनाथ सेन—कलकत्ते से।

३ डब्ल्यू० एस० आपटे और जी० जी० आगरकर—पूने से।

४ गंगाप्रसाद वर्मा—लखनऊ से।

५ दादाभाई नौरोजी, के० टी० तेलंग, फ़ीरोज़शाह मेहता, दीनशाह एदलजी वाचा, वी० एम० मलाबारी, एन० जी० चन्दावरकर—बम्बई से।

६ पी० रंगय्या नायडू, एस० सुब्रह्मनिया अय्यर, पी० आनन्द चालू, जी० एस० सुब्रह्मनिया अय्यर, एम० वीर राघवाचारियर—मद्रास से।

७ पी० केशव पिल्ले—अनन्तपुर से।

यही वे वीर हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी का प्रथम बीज बम्बई में बोया था।

२८ दिसम्बर (१८८५ ई०) को दोपहर के बारह बजे श्री गोकुलदास-तेजपाल-संस्कृत-महाविद्यालय में भारत की राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) का पहला अधिवेशन हुआ। सब से प्रथम एलेन औक्टेवियन ह्यूम

बोले और उनके बाद एस० सुब्रहमनिया अय्यर और के० टी० तेलंग। ह्यूम साहब ने सभापति-पद के लिए श्री उमेशचन्द्र बनर्जी का नाम पेश किया। श्री अय्यर ने उसका समर्थन किया और श्री तैलंग ने अनुमोदन। इस प्रकार भारत-भूमि के भाल पर एक शुभ अनुष्ठान का प्रथम कुंकुम लगा।

सभापति का आसन ग्रहण करने के बाद श्री बनर्जी ने और बातों के अतिरिक्त यह भी कहा—

"हमारी इच्छा युरोप की शासन-प्रणाली के अनुसार शासित होने की है और हमारी यह अभिलाषा ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति के विरुद्ध नहीं है। हम केवल यह चाहते हैं कि इस शासन का आधार अधिक विस्तृत किया जाय और इसमें प्रजाजन को समुचित और वैध हिस्सा मिले।"

उद्देश्य

सभापतिजी ने सर्वप्रथम कांग्रेस का ध्येय चार सूत्रों में उपस्थित किया जो इस प्रकार था :—

(क) साम्राज्य के विभिन्न भागों में हमारे देश के हित के लिए जो लोग अधिक तत्परता से काम कर रहे हैं, उनमें व्यक्तिगत घनिष्टता और मित्रता को प्रोत्साहन देना।

(ख) हमारे देश-प्रेमियों में जो सम्भावित मत-मतांतर अथवा प्रान्त-भेद के कारण ईर्ष्या-द्वेष के भाव आ गये हैं, उनको प्रत्यक्ष और मित्रता-पूर्ण संसर्ग-द्वारा दूर करना, और उन राष्ट्रीय भावनाओं की एकता को सुदृढ़ करना, जिनका आरम्भ हमारे प्रिय लार्ड रिपन ने अपने स्मरणीय शासन-काल में किया था।

(ग) कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक प्रश्नों पर जब देश के शिक्षित वर्ग की पक्की सम्मति जान ली जाय, तब उन पर और भी विस्तार के साथ बहस करके उससे निकले हुए निष्कर्ष को अधिकृत रूप में लिपिबद्ध करना।

(घ) अगले बारह महीनों में देश के राजनीतिज्ञों के लिए वांछनीय लोकहित के मार्ग और ढंग की रूपरेखा का निश्चय करना।

यह उद्देश्य स्वीकृत होने के बाद नौ प्रस्ताव पास किये गये, जो इस प्रकार हैं—

प्रस्ताव

(१) पहला प्रस्ताव श्री जी० सुब्रह्मनिया अय्यर ने पेश किया। इसके द्वारा शाही कमीशन से यह माँग की गई कि वह हिन्दुस्तान के शासन की जाँच करे।

(२) दूसरे प्रस्ताव-द्वारा यह माँग की गई कि विलायत की इण्डिया कौंसिल तोड़ दी जाय।

(३) तीसरे प्रस्ताव-द्वारा व्यवस्थापिका-सभा की त्रुटियों का दिग्दर्शन कराया गया, क्योंकि उन दिनों उसके सभी मेम्बर सरकार-द्वारा नामज़द किये जाते थे और यह अनुरोध किया गया कि ऐसे निर्वाचित सदस्यों को भी कौंसिलों में लिया जाय, जिन्हें सरकार से विभिन्न विषयों पर जवाब तलब करने का अधिकार हो। साथ ही यह प्रार्थना भी की गई कि पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त और अवध तथा पंजाब में भी कौंसिलें कायम की जायँ। यह भी निवेदन किया गया कि ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की कामन-सभा में एक ऐसी स्थायी समिति बना दी जाय, जो कौंसिलों के बहुमतपूर्ण विरोध पर नियमित रूप से विचार किया करे।

(४) चौथे प्रस्ताव-द्वारा यह निवेदन किया गया कि मुल्की नौकरियों (इन्डियन सिविल सर्विस) की परीक्षा विलायत के अतिरिक्त हिन्दुस्तान में भी एक ही समय में ले ली जाया करे और साथ ही यह अनुनय भी की गई कि इस परीक्षा के उम्मेदवारों की उम्र की हद बढ़ा दी जाय।

(५), (६) पाँचवें और छठे प्रस्तावों-द्वारा सैनिक खर्च घटाने का अनुरोध किया गया।

(७) सातवें प्रस्ताव-द्वारा अपर-बर्मा के हिन्दुस्तान में मिलाये जाने और इसको भारत का एक अंग करार दे देने का प्रस्ताव किये जाने का विरोध किया गया।

(८) आठवें प्रस्ताव-द्वारा आदेश किया गया कि कांग्रेस के ये प्रस्ताव देश की समस्त राजनीतिक संस्थाओं को भेज दिये जायँ, जिस से वे भी इन पर विचार करके इन्हें पास करें।

(९) नवें प्रस्ताव-द्वारा यह निश्चय किया गया कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन २८ दिसम्बर सन् १८८६ ई० को कलकत्ते में किया जाय।

आज ये प्रस्ताव पढ़ने पर स्वाधीनता प्राप्त हिन्दुस्तानी अपने उन बुजुर्गों की मनोवृत्ति पर हँसे बिना न रहेंगे, जो बात-बात में अँग्रेजों से अनुनय-विनय, स्तुति-प्रार्थना और श्रद्धा-भक्ति करके उन से राजनीतिक सुधार और सुविधाएँ प्राप्त करना चाहते थे; पर जिस ज़माने की यह बात है, उस समय इतना कहने-सुनने का साहस भी बिरले ही लोगों को था। ऊपर के जिन प्रस्तावों-द्वारा ब्रिटिश-शासन के इतिहास में भारत की राजनीतिक आकांक्षाओं का बीज बोया गया था, वह समय पाकर अंकुरित, वर्द्धित, पुष्पित और फलित हुआ।

दादाभाई युग

कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन १८८६ ई० में कलकत्ते में हुआ। इसके सभापति हुए दादाभाई नौरोजी, जो कांग्रेस की स्थापना के बहुत दिनों पहले से अपने भाषणों और लेखों-द्वारा अँग्रेजी शासन की कड़ी आलोचना करते आ रहे थे।

दादाभाई नौरोजी का जन्म बम्बई के पारसी परिवार में १८२५ ई० में हुआ था। आप बड़े ही मेधावी विद्यार्थी थे। १८४५ ई० में आप बम्बई के एलफिन्सटन स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो गये। आपने अनेक संस्थाओं की स्थापना की। १८५१ ई० में आपने गुजराती भाषा में 'रास्त गुफ्तार' नामक साप्ताहिक-पत्र निकाला। १८५५ ई० में आप कामा

कम्पनी के प्रतिनिधि बनकर विलायत गये। बाद में इस कम्पनी में आप हिस्सेदार बन गये। १८६७ ई० में आपने ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन नामक संस्था स्थापित की। १८६६ ई० में आप लन्दन से हिन्दुस्तान लौट आये। आपको उस समय एक अभिनन्दन-पत्र और ३०,०००) की थैली जनता की ओर से भेंट की गई। १८७३ ई० में आपने रौलट कमीशन के सामने गवाही दी। १८७४ ई० में आप बड़ौदा-राज्य के दीवान नियुक्त हो गये। १८८५ ई० में आप बम्बई व्यवस्थापिका कौन्सिल के सदस्य नामज़द हुए। १८८६ ई० में आप ब्रिटिश पार्लिमेण्ट हालबार्न निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव भी लड़े, पर उसमें सफल नहीं हुए।

१८८६ ई० में आप कांग्रेस के द्वितीय (कलकत्ता) अधिवेशन के सभापति हुए। १८९२ ई० में आप केन्द्रीय फिन्सबरी से ब्रिटिश पार्लियामेण्ट के सदस्य चुन लिये गये। आगे चलकर १८९३ ई० में आप लाहौर में फिर कांग्रेस के सभापति हुए। १८९५ और १९०५ ई० में आप फिर ब्रिटिश पार्लियामेण्ट के चुनाव में खड़े हुए थे; पर सफल न हो सके।

उसके बाद आप की प्रसिद्ध पुस्तक "अँग्रेज़ी राज और भारत की दरिद्रता" प्रकाशित हुई, जिसने हिन्दुस्तान और ब्रिटेन के राजनीतिक जगत् में तहलका मचा दिया। आप पहले ही हिन्दुस्तानी थे, जिन्हें ब्रिटिश पार्लिमेन्ट का सदस्य चुना गया और वे पहले ही हिन्दुस्तानी नेता थे, जिन्होंने 'स्वराज्य' की पुकार देश के शिक्षित वर्ग में फैलाई और इस शब्द की व्याख्या कर के हिन्दुस्तानियों और अँग्रेज़ों को समझाया कि वास्तव में हिन्दुस्तान का राजनीतिक ध्येय क्या है। आपको आज भी भारतीय राजनीति का भीष्म-पितामह कहकर याद किया जाता है। लार्ड सेलिसबरी घृणापूर्वक उनको 'काला आदमी' कहा करते थे। दादाभाई १८६७ ई० में लंदन के यूनीवर्सिटी कालेज में गुजराती भाषा के प्रोफ़ेसर भी रहे; पर वे बड़े ही उग्र विचार के राजनीतिज्ञ

थे, इसलिए अध्यापन का शान्तिपूर्ण काम उन्हें न रुचा।

डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा लिखते हैं—"कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सभापति की हैसियत से दादाभाई नौरोजी ने जो भाषण दिया, वह राष्ट्रीयता और देश-भक्ति के ऊँचे आदर्शों से भरा हुआ था और देश के पढ़े-लिखे लोगों ने उसको ग्रहण किया।"

सामान्यतः यह बात मान ली गई है कि दादाभाई नौरोजी हिन्दुस्तान के पहले नेता थे, जिन्होंने देश में जागृति फैलाई और कांग्रेस का जन्म होने से पहले भी अँग्रेज़ी शासन के विरुद्ध भावना भरी। इक्कीस वर्ष तक उन्होंने लगातार भारत का राजनीतिक नेतृत्व किया। उन्होंने अपने भाषणों और लेखों-द्वारा तत्कालीन हिन्दुस्तानियों के दिमाग़ में यह बात अच्छी तरह भर दी कि अँग्रेज़ किस तरह भारत की सम्पत्ति को लूटे जा रहे हैं। इंगलैंड में रहकर भी उन्होंने भारत की अभूत-पूर्व सेवाएँ की थीं। वे अपने विश्वास के अत्यन्त दृढ़ थे और उनकी सारी सेवाएँ निःस्वार्थ भाव से होती थीं। आरंभ में वे नरम विचारों के थे; पर बाद में उन्होंने अँग्रेज़ों-द्वारा भारत की सम्पत्ति का अपहरण होते देखकर ब्रिटिश-राज्य के विरुद्ध अत्यन्त कटु भाषा का प्रयोग किया और अपने शिक्षित देशवासियों को अँग्रेज़ों के विरुद्ध सोचने का मसाला सब से अधिक परिमाण में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि अँग्रेज़ों ने आपको "भारतीय असन्तोष का जनक" कहा। विलायत के अँग्रेज़ आपको "हिन्दुस्तान का बड़ा बूढ़ा आदमी" भी कहा करते थे। दादाभाई का जीवन आदर्श था। कलकत्ते वाले कांग्रेस के इस दूसरे अधिवेशन में ४३६ प्रतिनिधियों के अतिरिक्त दो उदीयमान नेता—सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और पं० मदनमोहन मालवीय—भी उपस्थित थे। प्रतिनिधियों के अतिरिक्त दर्शकों की संख्या भी बहुत काफ़ी थी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सभापति ने प्रस्ताव के समर्थन और अनुमोदन के बाद अपना आसन ग्रहण किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा—"भारत के इतिहास में इस तरह की

कांग्रेस का जमाव बड़े महत्त्व की बात है। हम शिक्षित वर्ग के लोग, अपने देश-भाइयों और शासकों के बीच सच्चे व्याख्याता और मध्यस्थ बन गये हैं। क्या यह कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यन्त्र और विद्रोह करने का एक ज़च्चाखाना है? ('नहीं नहीं' की ध्वनि) अथवा यह कांग्रेस सरकार को स्थायी बनाने के लिए नींव का एक और पत्थर है? ('हाँ हाँ' की ध्वनि)

"क्या यह हो सकता है कि इस प्रकार के एक जमाव से, जिसके सभी सदस्य ब्रिटिश राज्य की विभूतियों को अच्छी तरह जानते हैं, किसी ऐसे अभिप्राय से एकत्रित हो सकते हैं, जो हमारे उस शासन के विरुद्ध पड़े, जिसके प्रति हम इतने कृतज्ञ हैं। इस तरह का विचार ही निरर्थक है। हम घोषणा करते हैं कि हम पूरे हृदय से राजभक्त हैं। (करतल-ध्वनि)

"ब्रिटिश शक्ति का विध्वंस करने का कोई भी विचार घृणित है।"

"राष्ट्रीय कांग्रेस केवल उन्हीं प्रश्नों पर विचार करेगी, जिनसे सारे राष्ट्र का सीधा सम्बन्ध है और समाज-सुधार तथा अन्य श्रेणीगत प्रश्न वह वर्गीय—साम्प्रदायिक कांग्रेस पर छोड़ती है।"

"हम बहुत दरिद्र हैं और इसी लिए इस कांग्रेस का अधिकार और कर्त्तव्य हो गया है कि वह इस व्यापक विनाश और उसके दूर करने के उपायों पर विचार करे।"

"मुझे आशा है कि यदि हम अपने प्रति सच्चे होंगे और न्याय करेंगे और हमें जो उत्तम शिक्षा मिली है उसका उपयोग करते हुए स्वतन्त्रता के साथ बोल सकेंगे, तो हमारी सरकार हमारी बातों को सुनेगी और हमारी उचित माँगों को हमें प्रदान करेगी।"

प्रस्ताव

इस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में एक जन-सेवा-समिति नियुक्त हुई, जिसने अपना अष्टसूत्री वक्तव्य कांग्रेस के

खुले अधिवेशन में पेश किया। इन सूत्रों के प्रकाश में कांग्रेस ने निम्न-लिखित प्रस्ताव पास किये—

(१) सारे हिन्दुस्तान में मुक़द्दमों पर विचार केवल एक न्यायाधीश द्वारा न होकर पंच-समुदाय-द्वारा हो।

(२) फ़ौजदारी मामलों में न्याय-विभाग को शासन-विभाग से पृथक् किया जाय।

(३) कौंसिलों में आधे; अर्थात् पचास प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हों।

(४) सभी महत्त्वपूर्ण केन्द्रों में कांग्रेस-कमेटियों की स्थापना की जाय।

इस अधिवेशन के सभी प्रतिनिधियों को तत्कालीन वाइसराय लार्ड डफ़रिन ने एक प्रीति-भोज दिया।

दादाभाई के बाद गोखले और तिलक

तीन

दादाभाई नौरोजी ने अपनी बुद्धि और वाणी के ज़ोर से देश में जो जागृति पैदा करदी थी उसकी देखा-देखी, उस ज़माने के दूसरे पढ़े-लिखों में जोश फैला और वे देश के काम में हिस्सा लेना अपनी इज़्ज़त समझने लगे। इस तरह के कांग्रेस-सेवकों में सभी जाति और सम्प्रदाय के लोग देश-सेवा के कामों में निडर होकर हिस्सा लेने लगे।

कांग्रेस के मुसलमान बुजुर्गों में बदरुद्दीन तैयबजी सर्वप्रथम थे। उनका जन्म १८४४ ई० में हुआ था। उनकी शिक्षा-दीक्षा लन्दन में हुई और वहीं से १८६७ ई० में उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। आप की वकालत खूब चली। १८८० ई० में वे अंजुमन-ए-इस्लाम के मन्त्री और बाद में सभापति हो गये। बम्बई प्रेसिडेन्सी ऐसोसिएशन के सभापति-पद पर भी आप कुछ दिनों तक रहे। १८८२ ई० में आप बम्बई-व्यवस्थापिका कौंसिल के सदस्य नामजद हुए। शुरू से ही आप कांग्रेस की स्थापना में दिलचस्पी लेते रहे और कांग्रेस के पहले अधिवेशन (१८८५ ई०) को भी सफल बनाने में आप का बड़ा हाथ रहा। १८८७ ई० में कांग्रेस के मद्रास-अधिवेशन के आप सभापति हुए। १८९५ ई० में आप बम्बई हाईकोर्ट के जज नियुक्त हो गये। बम्बई में होनेवाली मुस्लिम-शिक्षा-परिषद् के भी आप सभापति हुए। मुस्लिम स्त्रियों में शिक्षा-प्रचार और पर्दा-प्रथा के निवारण के लिए आपने बहुत ज़ोर दिया। अलीगढ़ कालेज से भी आप का सम्बन्ध रहा।

इस वर्ष के अधिवेशन में कांग्रेस में पहले-पहल विषय-समिति

निर्मित की गई और इसी साल कांग्रेस-अधिवेशन के लिए एक विशेष पन्डाल भी बनाया गया। एक और समिति इस काम के लिए निर्मित की गई कि वह कांग्रेस के लिए विधान और कार्य-क्रम तैयार करे। स्वागताध्यक्ष राजा सर टी० माधवराव ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व ब्रिटिश-शासन को एक ठोस विजय है और ब्रिटिश जाति के लिए गौरव की वस्तु। इस अधिवेशन में मिस्टर आर्डली नार्टन नामक अँग्रेज ने भी भाग लिया, जिसे अँग्रेजों ने 'गुप्त षड्यंत्रकारी' कहा था। इस अभियोग का जवाब देते हुए श्री नार्टन ने कहा—"अगर गलतियों का विरोध करना ही षड्यन्त्र है, अगर यह कहना षड्यन्त्र है कि प्रजा को शासन में उचित हिस्सा मिलना चाहिए, अगर वर्ग-विशेष के अत्याचार का विरोध करना और उसको रोकना षड्यन्त्र है, अगर यह कहना भी षड्यन्त्र है कि अन्याय के विरुद्ध अभियुक्त की पुकार सुनी जानी और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए और क्रमिक रूप से शासन सुधार होने चाहिएँ, तो मुझे षड्यन्त्रकारी होने का गर्व है और मैं एक बार नहीं, अनेक बार षड्यन्त्रकारी हूँ और इस प्रकार के षड्यन्त्रकारियों के विशाल समूह के बीच मौजूद हूँ।

अपने भाषण में सभापति ने कहा कि कांग्रेस सब का प्रतिनिधित्व करती है; इसलिए सभी को उसके प्रति भक्ति करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को नहीं समझ पाता कि मुसलमान कांग्रेस में अपने देशवासियों से कन्धे-से-कन्धा भिड़ाकर क्यों नहीं जुट जाते, क्योंकि इसमें उनकी भी भलाई है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी शिक्षित, ज्ञानवान और अपने देश का इतिहास जाननेवाले व्यक्तियों की राय में अँग्रेजों की सरकार इतनी बुरी है कि समझदार लोगों को उस पर विश्वास और भक्ति नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दुस्तान के मुसलमान नेताओं की भी इस बारे में यही राय है।

इस अधिवेशन ने निम्नलिखित विषयों पर प्रस्ताव पास किये—

(१) व्यवस्थापिका कौन्सिलों की सदस्य-संख्या बढ़ाई जाय।

(२) न्याय-विभाग को शासन-विभाग से अलग कियाजाय।

(३) हिन्दुस्तानी स्वयंसेवक-दल सैनिक सेवा के लिए तैयार किया जाय।

(४) कम-से-कम एक हजार रुपये सालाना की आमदनी पर ही टैक्स या कर लगाया जाय और इस घाटे की पूर्ति उन बारीक कपड़ों पर टैक्स लगाकर की जाय जो विदेश से मँगाये जायें।

(५) शिल्प और यन्त्र-सम्बन्धी शिक्षा के लिए एक बड़ी योजना बनाई जाय।

(६) हथियार रखने के सम्बन्ध में जो कानून सरकार ने बनाया है, उसके कारण हिन्दुस्तानियों की राजभक्ति पर कलंक लगता है; इसलिए उस कानून में परिवर्तन किया जाय।

मद्रास के गवर्नर लार्ड कोनेमारा ने श्री नार्टन-द्वारा किये गये स्वागत-समारोह में भाग लिया और सरकारी भवन में उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

इस प्रकार कांग्रेस का बल बढ़ता जा रहा था और तीन ही अधिवेशनों के बाद उस के वार्षिक अधिवेशन अब अधिक नियमित रूप में और कायदे से होने लगे थे। हालाँकि उसकी नीति में काफी समय तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ।

दादाभाई नौरोजी के समकालीन अन्य महान् पुरुषों में जार्ज यूल, सर विलियम वेडरबर्न, सर फीरोजशाह मेहता, पी० आनन्द चालू, अलफ्रेड वेब, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, रहीमतुल्ला सयानी, सी० शंकरन नायर, आनन्दमोहन बोस, रमेशचन्द्र दत्त, एन० जी० चन्दावरकर दीनशाह एदलजी वाचा, लालमोहन घोष और सर हेनरी काटन के नाम लिये जाने योग्य हैं, क्योंकि यह सभी क्रमशः १८८८ से १९०४ तक कांग्रेस के सभापति हुए थे। इनके समय में कांग्रेस प्रायः हर साल प्रस्ताव दुहरा देने का काम ही करती रहती थी, क्योंकि इन दिनों कांग्रेस का काम प्रस्तावों तक ही सीमित था। प्रचार के काम में

भी कांग्रेस, आरम्भिक अवस्था में, विशेष सफल नहीं हुई ; क्योंकि दादाभाई नौरोजी के समान प्रभावशाली वक्ता और मेधावी लेखक बिरले ही थे।

१६०५ ई० में बनारस-अधिवेशन के सभापति गोपाल कृष्ण गोखले हुए। आपका जन्म १८६६ ई० में हुआ था। १८८४ में फर्गुसन कालेज पूना में अँग्रेजी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। उन दिनों आप महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता महादेव गोविन्द रानाडे के प्रभाव में आगये थे। १८६६ में आप बम्बई-व्यवस्थापिका कौन्सिल के सदस्य चुने गये। आप दक्षिण अफ्रीका भी गये और वहाँ पहले-पहल गान्धीजी से आप की भेंट हुई। उनकी सादगी और ऊँचे विचार देखकर गान्धीजी ने उन्हें अपना गुरु माना था ; परन्तु, आप नरम विचारों के थे, इसलिए कांग्रेस की उग्र विचार-धारा में न बह सके।

लोकमान्य तिलक

इन्हीं दिनों भारत में एक ऐसा महान् व्यक्ति लोगों की नज़रों में आया, जिसके कारण भारत की राजनीति धन्य और सफल हो गई। उस महापुरुष का नाम था—बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के बाद अखिल भारतीय महापुरुष तिलक ही थे। १८६७ ई० में अँग्रेज़ सरकार के विरुद्ध अपना भाषण छापने के अपराध में बाल गंगाधर तिलक को १८ महीने के कड़े कारावास की सज़ा दी गई। इस सज़ा के विरुद्ध केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि बाहर भी विरोध प्रकट किया गया। १८६७ में अमरावती-कांग्रेस में तिलक को छोड़ देने के लिए खास प्रस्ताव पास किया गया और सर शंकरन् नायर तथा सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपने भाषणों-द्वारा उन्हें तुरन्त छोड़ देने की माँग की। यही नहीं, तिलक की विद्वत्ता चूँकि सात समुद्र-पार तक अपना सिक्का जमा चुकी थी, इसलिए अध्यापक मैक्समुलर, सर विलियम हन्टर, सर रिचार्ड गार्थ, विलियम केन आदि ने भी इन्हें अविलम्ब छोड़ देने के लिए एक

दरख्वास्त दी। अन्त में ६ सितम्बर १८६८ ई० को वे जेल से रिहा कर दिये गये।

उनके उग्र विचारों के कारण ही बाल गंगाधर तिलक को देश ने 'लोकमान्य' की उपाधि दी थी। लोकमान्य तिलक, १६०७ ई० में सूरत-कांग्रेस में, बम्बई के गवर्नर लार्ड सैण्डहर्स्ट के शासन की कड़ी आलोचनावाला एक प्रस्ताव पेश करना चाहते थे; पर उससे नरमदलियों के हाथ-पाँव फूल गये। उन्होंने इसका विरोध किया और इस तरह कांग्रेस में दो दल हो गये। यहाँ तक कि उस अधिवेशन के सभापति डा० रासबिहारी घोष ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि लोकमान्य तिलक अपने हठ पर कायम रहे, तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। जो हो, लोकमान्य तिलक की उग्रता से उस समय कांग्रेस के नेता और प्रतिनिधि भय से काँप उठे, जो अब तक कांग्रेस को सरकार की सहयोगिनी और कांग्रेसवालों को सरकार के सहायक, शुभचिन्तक और निवेदक ही मानते आये थे। कांग्रेस को मजबूत बनाने का श्रीगणेश लोकमान्य तिलक की वाणी से हुआ। गांधीजी ने स्वयं लिखा है कि जब वे १८६६ ई० में दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के मामले में पूना जाकर लोकमान्य तिलक से मिले, तब उन पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। लोकमान्य तिलक उन्हें हिमालय के समान महान्, उच्च; परन्तु अगम्य-से दिखाई दिये। तिलक भारतीय राजनीति को अँग्रेज़ों के लिए लोहे का चना बना देना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले यह बात पूरे ज़ोर के साथ कही कि अँग्रेज़ों से भीख माँगने पर हिन्दुस्तानियों को कुछ न मिलेगा और उन्हें तो यह निश्चय कर लेना होगा कि—"स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे।" उन्होंने अँग्रेज़ी शासन की नीचे से लेकर ऊपर तक की बुराइयों की आलोचना ऐसे कड़े, ज़ोरदार और खुले शब्दों में की कि जिसको सुन और पढ़कर उस समय के नरमदलवादी कांग्रेसियों और चापलूस राजभक्तों के शरीर काँप उठे। प्रार्थना,

निवेदन और माँग की नीति छोड़कर अपने बल, संगठन और स्वावलंबन के आधार पर राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने और स्वतंत्रता छीन लेने का जो ज़ोरदार उपदेश लोकमान्य तिलक ने दिया, वही आगे चलकर राष्ट्र को मानना पड़ा।

अपने जेल-जीवन में लोकमान्य तिलक ने जिन दो प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की, उनमें 'आर्यों का प्राचीन निवास-स्थान' और 'गीता-रहस्य' अपने विषय की संसार की सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ मानी जाती हैं और इससे सिद्ध हो जाता है कि लोकमान्य केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं; बल्कि दार्शनिक, इतिहासकार और गणित-शास्त्र के भी ऊँचे विद्वान् थे।

लोकमान्य बड़े निर्भीक थे। १९१८ ई० में, पहले विश्व-व्यापी महायुद्ध का अन्त होने पर, वे एक सरकारी सभा में बम्बई बुलाये गये। जब वे बोलने के लिए खड़े हुए, तब होमरूल लीगवालों के विरुद्ध कही गई, लार्ड विलिंगडन की बातों का खण्डन करने लगे; इसलिए उन्हें बोलने से रोक दिया गया। लोकमान्य तिलक कांग्रेस के सभापति-पद के लिए भी चुने गये थे; पर शिरोल-केस के सिलसिले में विलायत चले जाने के कारण वे सभापति-पद ग्रहण न कर सके। वे नाम के भूखे न थे और कांग्रेस का नरमदल आरंभ में उन्हें सभापति चुनने से बहुत डरता था। यह भी कहा जाता है कि १९०७ के नागपुर-अधिवेशन का सभापति वास्तव में लोकमान्य को ही चुना गया था; पर वह अधिवेशन नहीं हो सका। लोकमान्य तिलक ने उस समय अपना नाम वापस लेकर लाला लाजपतराय का नाम प्रस्तावित किया था; किन्तु बाद में—खासकर १९१६-१७ ई० के कांग्रेस-अधिवेशनों में—लोकमान्य तिलक ही उसका नेतृत्व करते रहे। बम्बई के खास अधिवेशन में भी कांग्रेस का सूत्र उन्हीं के हाथों में रहा। स्वयं सभापति न होकर भी लोकमान्य ने जिस पटुता और निष्ठा के साथ कांग्रेस के प्रति अपनी भक्ति कायम रखी, वह एक आदर्श है। वे कांग्रेस में सभी सम्प्रदायों के लोगों का स्वागत करते रहे। उन्होंने कांग्रेस के दोनों

दलों—नरम और गरम पन्थियों—को न मिला सकने पर होमरूल-लीग नामक एक संस्था अलग कायम की ; किन्तु लखनऊ-कांग्रेस में इस संस्था को कांग्रेस में मिलाकर नरम-गरम सब को एक कर दिया।

अन्य मोर्चे

उन्नीसवीं और बीसवीं सदी के सन्धि-काल में हिन्दुस्तान में कुछ ऐसे व्यक्ति भी उदित हुए, जो कांग्रेस में नहीं जुड़े ; पर जिनके लिए इस देश को गौरव है और जिनकी योग्यता, देश-भक्ति, सचाई और उच्चता में कभी सन्देह नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों में कुछ तो हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए गुप्त षड्यन्त्र करने में लगे, कुछ बाद में राजनीति से ही विलग हो गये और कुछ विदेशों के लोकमत और राज को भारत के पक्ष में जगाने के शुभ प्रयत्न में लग गये। ऐसे महापुरुषों का, यद्यपि कांग्रेस से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रहा है और न कांग्रेस ही उनके कामों की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार है, फिर भी उन्हें कांग्रेस से प्रेरणा प्राप्त हुई है और उनके त्याग और बलिदान कांग्रेसी नेताओं के त्याग और बलिदान से कम नहीं हैं। इसलिए, उनका नामोल्लेख ज़रूरी हो जाता है। ऐसे लोगों में जिन नवयुवकों ने प्रखरता तथा वीरता के साथ मौत का आलिंगन किया, उनमें बंगाल में सत्येन बोस, कनाईलाल दत्त, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी आदि थे। श्री अरविन्द घोष और उनके भाई श्री वारीन्द्र घोष को भी सन्देह में गिरफ्तार किया गया ; पर पक्का प्रमाण न मिलने के कारण वे बच गये। इधर० उत्तर-भारत में ऐसे देश-प्रेमी क्रान्तिकारियों का गुप्त दल संगठित हुआ, जिसमें सरदार अजीतसिंह (सरदार भगतसिंह के चाचा) सरदार किशनसिंह, सरदार स्वर्णसिंह, मेहता आनन्द-किशोर, लाला पिण्डीदास, लालचन्द फलक, सूफी अम्बाप्रसाद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, लाला बाँकेदयाल, लाला सुलतानचन्द और डा० ईश्वरीप्रसाद मुख्य थे। इनमें श्यामजी कृष्ण वर्मा, सूफी अम्बाप्रसाद, लाला हरदयाल और सरदार अजीतसिंह, मैडम कामा और फाँसी के

पं० परमानन्द का नाम अधिक प्रसिद्ध हुआ ; क्योंकि उन्होंने विदेशों में जाकर भारत की स्वतन्त्रता के लिए काफी प्रयत्न किये। बंगाल के क्रान्तिकारियों में श्री रासबिहारी बोस तो हार्डिंग-बम-केस के बाद गुप्त-रूप से भागकर जापान पहुँच गये थे और वहीं पर उनका देहान्त हुआ। राजा महेन्द्रप्रताप दूसरे मुख्य क्रान्तिकारी थे, जो पहले युरोपीय महा-समर के पहले ही भारत से युरोप पहुँच गये थे और उन्होंने उस युद्ध में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जर्मनी को काफी मदद दी। राजा साहब स्वतन्त्रता के पहले स्वदेश लौट आये और वे वृन्दावन में अब भी अपने स्थापित प्रेम महाविद्यालय में रहते हैं। सरदार अजीतसिंह भी स्वाधीनता के पहले स्वदेश आ गये थे ; पर वृद्धावस्था और रुग्ण शरीर के कारण अधिक जीवित न रह सके। यह बात उल्लेखनीय है कि जिस दिन (१५ अगस्त १९४७) दिल्ली में स्वाधीनता का झण्डा फहराया गया, उसी दिन सरदार अजीतसिंह के प्राण-पखेरू उड़ गये। इन सभी में लाला हरदयाल अत्यन्त मेधावी और कुशाग्रबुद्धि थे और भारत से बाहर जाकर वह विभिन्न देशों में अध्यापक, लेखक और वक्ता के रूप में विख्यात हुए।

'कोमागाटा मारू' जहाज़ में प्रचुर शस्त्रास्त्र हिन्दुस्तान लाने वाले हिन्दुस्तान-गदर-पार्टी के बाबा गुरुदित्तसिंह का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है; क्योंकि १८५७ की पहली लड़ाई के बाद दूसरा बड़ा प्रयत्न उन्हीं का था, जो दुर्भाग्यवश सफल न हो सका। इसी प्रकार के नर-वीरों में वीर सावरकर भी थे, जो अँग्रेज़ों से बचने के लिए जहाज़ से समुद्र में कूद पड़े थे और तैरकर फ्रान्स के समुद्र-तट पर जा लगे थे। दुर्भाग्यवश उनका विचार साम्प्रदायिकता की तरफ झुक गया, जिससे वह अपनी पूर्व-कीर्ति की रक्षा न कर सके। भाई परमानन्द का भी यही हाल हुआ। वे भी अपनी कीर्ति सुरक्षित न रख सके।

उस युग के अन्य क्रान्तिकारियों में मदनलाल धींगरा, भूपेन्द्रनाथ दत्त, दिलीपसिंह गिल, खानखोजे, मौलवी बरकतउल्लाह, लाला अमी-

चन्द आदि भी थे।

नई पीढ़ी के क्रान्तिकारियों में सरदार भगतसिंह, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव के नाम पहले आते हैं; पर उनसे भी पहले काकोरी-केस के शहीदों के नाम आते हैं, जिनमें रामप्रसाद (बिस्मिल) अश्फाक-उल्ला आदि प्रसिद्ध हैं।

बंगाल के क्रान्तिकारियों का आन्दोलन पहले-पहल बंग-भंग के समय (१६०७ ई०) में आरम्भ हुआ। उस समय स्वदेशी आन्दोलन का बड़ा जोर था, जिसके प्रचार में बंगाल के भावुक नवयुवक जी-जान से लगे हुए थे। बंगाल में उस समय अनेक युवक-दल देश सेवा की भावना से संगठित हो गये थे, जिनमें कलकत्ते की अनुशीलन समिति, युगान्तर दल, ईस्ट क्लब, सरस्वती समिति; मैमनसिंह की सुहृद् समिति, बारी-साल की बान्धव समिति, फरीदपुर की युवा समिति, बोगड़ा की जन-मंगल समिति और ढाके की अनुशीलन समिति अधिक विख्यात हुईं। यद्यपि ये सभी संस्थाएँ व्यक्तिगत प्रयत्नों का फल थीं और इनमें कोई पारस्परिक शृंखला नहीं थी, फिर भी इन्होंने सारे बंगाल में नृशंस अँग्रेज़ शासकों की नींद हराम कर दी। मुज़फ्फरपुर-बम-केस, सरकारी गवाह नरेन गोस्वामी की हत्या, सर फ्रान्सिस (गवर्नर) पर आक्रमण, मैमनसिंह-पुलिस-अफसर की हत्या, मानिकतल्ला-षड्यन्त्र-केस, ढाका षड्यन्त्र-केस, बारीसाल-षड्यन्त्र-केस, द्वितीय ढाका-षड्यन्त्र-केस आदि से प्रकट है कि इस प्रकार बंगाल के नवयुवकों ने उन दिनों अपनी गतिविधि से ब्रिटिश सरकार को काफी आतंकित कर दिया। कलकत्ते से राजधानी हटाकर दिल्ली लाने का कारण भी वही आन्दोलन बना।

प्रथम महायुद्ध और उसके बाद

राजनीतिक ध्येय को लेकर बंगाल के दो टुकड़े कर के अँग्रेज़ों ने जो चाल चली थी, उसके ख़िलाफ़ बंगाल में बंग-भंग-विरोधी और स्वदेशी आन्दोलन जोरों से चल पड़े थे। इन आन्दोलनों का असर देश के और हिस्सों पर भी पड़ा। अँग्रेजी शासन के प्रति समझदार

लोगों में दुर्भावना फैलने लगी । जोशीले नवयुवकों ने तो षड्यंत्रकारी दल बनाये और जो क्रियात्मक रूप में कुछ न कर पाये, उन्होंने विदेशी-बहिष्कार और स्वदेशी-प्रचार को अपना ध्येय बनाया। उस समय कांग्रेस भी लोगों के दिलों पर काफी प्रभाव न डाल सकी, क्योंकि पुराने नेताओं में गोखले और सर फीरोज़शाह युरोप का महायुद्ध छिड़ने के कुछ ही दिनों बाद (१९१५ ई० में) इस लोक से चल बसे थे। सर दीनशाह वाचा बीमार रहने लगे। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी में अब कुछ दम बाकी न रहा था। लाला लाजपतराय उन दिनों अमेरिका में प्रवास कर रहे थे। इस समय भारत की पढ़ी-लिखी और विचारशील जनता के सामने केवल एनी बीसेण्ट का नाम था, जो इस देश के लिए भगवान् की दूत-सी बन कर आई थीं। लोकमान्य तिलक माण्डले (बर्मा) से लम्बी कैद भोग कर और गांधीजी दक्षिण-अफ्रीका से अभी लौटे ही थे ; इसलिए इस देश में यकायक उनका सिक्का न जम सकता था। लोकमान्य और एनी बीसेण्ट ने कांग्रेस के नरम और गरम दलों में एकता कायम करने की कोशिश की; पर इसके सफल न होने पर होमरूल-लीग बनाई, जो १९१६ में कांग्रेस में मिल गई।

किन्तु देश में वास्तविक जागृति पहले महायुद्ध के कारण हुई। हिन्दुस्तानी बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में लड़ने गये थे और उन्होंने फ्रान्स और फ्लैंडर्स आदि क्षेत्रों में अपने रण-कौशल का अच्छा परिचय दिया था। पाश्चात्य शक्तियों—युरोपियनों—की उत्कृष्टता की कहानी उसी युद्ध में धुआँ बन कर उड़ गई। संसार में एक जबर्दस्त परिवर्तन होता दिखाई दे रहा था। ज़ारशाही का पतन हो गया और जनता या मज़दूरों की सरकार स्थापित हो जाने की कहानी नमक-मिर्च लगा कर सारे संसार को सुनाई गई। हिन्दुस्तान में मुट्ठी-भर लोग विशाल ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध अपने शिथिल प्रयत्न दिखा रहे थे। हिन्दुस्तानी सैनिक विदेशों में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर आदर और इनाम पाने की आशा कर रहे थे कि इसी बीच पंजाब में सर माइकेल ओडायर

ने जो हत्याकाण्ड करा दिया, उससे ब्रिटेन-विरोधी भावना की आग में घी पड़ गया। खिलाफत के बारे में मुसलमान भी अँग्रेज़ों से नाखुश थे। १६१८ ई० में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड की जो शासन-सुधार-योजना प्रकाशित हुई, उससे हिन्दुस्तानियों की आशाओं पर तुषार-पात हो गया और वे समझ गये कि अँग्रेज ऐसे भलेमानस नहीं हैं। जो हिन्दुस्तान को सीधे तौर पर कोई भी सारपूर्ण शासन-सत्ता प्रदान करेंगे। हिन्दुस्तान का सामूहिक असन्तोष और अंग्रेज़ों को इस देश से खदेड़ने की भावना का श्रीगणेश वास्तव में पहले महायुद्ध के बाद रौलट-ऐक्ट, मार्शल-ला, पंजाब का हत्याकाण्ड और उसके बा मिण्टो-मार्ले सुधार था, जिसने हिन्दुस्तानियों के जले घाव पर नमक लगा देने का काम किया। सारा देश अँग्रेजों के विरुद्ध क्रोधाग्नि से भड़क उठा। हिन्दुस्तान का यह राष्ट्रीय अपमान था। अंग्रेजों ने संसार के विभिन्न और कठिनतम मोर्चों पर लड़ने के लिए हिन्दुस्तानियों को भेज-भेज कर उनकी प्रशंसा की, पीठ ठोकी और युद्ध के बाद उनकी बड़ी कद्र करने का वचन दिया; पर, लड़ाई समाप्त होते ही उन्होंने जिस प्रकार रुख बदल लिया, उसे कोमलमति हिन्दुस्तानी सहन नहीं कर सके और इस प्रकार भावी आन्दोलन के लिए एक सुन्दर उर्वरा भूमि तैयार हो गई। उस भूमि में केवल बीज बो देने की ज़रूरत थी—उसका अंकुरित, वर्द्धित, पुष्पित और फलित होना बहुत आसान था; क्योंकि उसके पोषक तत्त्व भूमि में काफी मात्रा में मौजूद थे।

गांधीजी का उदय : असहयोग आन्दोलन

चार

१९०६ ई० से १९१४ ई० अर्थात् पहले महायुद्ध के आरम्भ तक कांग्रेस की बागडोर सर्वश्री रासबिहारी घोष, पं० मदनमोहन मालवीय, सर विलियम वेडरबर्न, पं० बिशननारायन दर, आर० एन० मुधोलकर, नवाब सय्यदमुहम्मद बहादुर और भूपेन्द्रनाथ बसु के हाथों में रही, जो प्राय: सब-के-सब नरम विचारों के थे।

उस समय तक गांधीजी का तो कुछ लोग नाम तक नहीं जानते थे। यह सच है कि महायुद्ध के शुरू में ही वे दक्षिण-अफ्रीका से स्वदेश लौट आये थे और देश की गति-विधि देखने में लगे थे। १९१५ ई० में जब सर सत्येन्द्रप्रसन्न सिन्हा के सभापतित्व में कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में हुआ, तब गांधीजी को विषय-समिति का भी सदस्य नहीं चुना गया। इन दिनों कांग्रेस आपसी फूट और नरम-गरम दल के भेद-भाव से कमज़ोर पड़ गई थी। १९१६ ई० के लखनऊ-अधिवेशन में नरम तथा गरम दलवालों को एक कर दिया गया। उस समय कांग्रेस में राजा महमूदाबाद, मज़-हरुल हक़ और नवयुवक मुहम्मदअली जिन्ना भी थे, जो आगे चलकर कायदे-आज़म बन गये और देश के दो टुकड़े कराने के मुख्य कारण बने।

गांधीजी के प्रकाश में आने के पहले १९१६ ई० से १९१८ ई० तक कांग्रेस के सभापति-पद को श्री अम्बिकाचरण मजुमदार, श्रीमती एनी बीसेण्ट और श्री हसनइमाम सँभाल चुके थे। गांधीजी के कांग्रेस में आने के पहले नरम-गरम का आपसी झगड़ा लगभग समाप्त होचुका था ; पर उन दिनों कांग्रेस में कुछ ऐसी सुस्ती-सी आगई थी कि न तो कोई गरम

नेता ही चमत्कार दिखा सका था, न नरम ही । ऐसी दशा में ज़रूरत इस बात की थी कि कोई ऐसा नेता देश की बागडोर अपने हाथों में ले, जो उसे ठीक रास्ते पर चला सके ।

गांधीजी अपनी स्पष्ट विचार-धारा और कार्यक्रम के साथ कांग्रेस में आये । वे देश को क्रियात्मक रूप में तो जगाना चाहते थे; पर शान्ति-पूर्ण उपायों से । अब तक की कांग्रेस अक्सर प्रस्ताव पास करके सरकार को अपनी शिकायतें और माँगें सुनाने और फिर साल-भर का लम्बा विश्राम करने तक ही सीमित थी । यह सच है कि आतंकवादियों के साथ भी कांग्रेस सहानुभूति रखती थी; पर वह सीधे उनके कामों की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार न थी । इस प्रकार कांग्रेस के सामने उसका ध्येय भले ही स्पष्ट रहा हो ; पर कार्यक्रम निश्चित नहीं था ।

गांधीजी के कांग्रेस में सम्मिलित होते ही उसके ध्येय में स्पष्टता आगई और उसका कार्यक्रम भी निश्चित होगया । अबतक कांग्रेस केवल पढ़े-लिखों की एक जमात थी और उसके नेता वाणी-शूर थे । गांधीजी ने उसे देश के सर्वसाधारण की संस्था बनादी, जिसमें किसान-मज़दूर से लेकर सेठ-साहूकार, राजे-महाराजे और वकील-बैरिस्टर आदि सभी शामिल होगये ।

गांधीजी ने अँग्रेज़ों की नाड़ी तो विलायत और दक्षिण अफ्रीका में देखली थी ; हिन्दुस्तानी जनता की नब्ज़ उन्होंने स्वदेश लौटकर देखी। उन्होंने दोनों के गुण-दोषों को एक अनुभवी वैद्य की तरह परख लिया और तब उनका इलाज शुरू किया । उन्होंने भली-भाँति देख-सुन और सोच-विचार कर यह नतीजा निकाला कि हिन्दुस्तान में अँग्रेज़ी राज्य के मुख्य आधार हैं—उसके प्रति हिन्दुस्तानियों के दिलों में छाया हुआ भय और प्रतिष्ठा का भाव और उसको स्वेच्छा या अस्वेच्छा के साथ दिया जाने वाला सहयोग । उन्होंने यह भी देख लिया कि कुछ ऐसी श्रेणी के लोग भी हैं, जो अँग्रेज़ी राज्य बने रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं । गांधीजी ने इस राज्य की नींव पर ही आक्रमण किया

और सबसे पहले उपाधिधारियों से अनुरोध किया कि वे अपने पुछल्ले सरकार को लौटा दें। यद्यपि केवल थोड़े ही लोग ऐसा कर सके; पर इस प्रकार जनता की दृष्टि में उपाधिधारी गिर गये। जब गांधीजी ने देश की दरिद्रता का चित्र सबके सामने रखा, तब वाइसराय और गवर्नरों तथा राजा-महाराजाओं के ठाट-बाट के प्रति लोगों में घृणा पैदा होगई। गांधीजी की बातों का असर लोगों पर इसलिए अधिक पड़ा कि उनका निजी जीवन अत्यन्त सादा—गाँवों के निवासियों का-सा था। मि० जिन्ना के कांग्रेस-क्षेत्र से भाग खड़े होने का एक ज़ोरदार कारण यह भी था कि गांधीजी के आजाने पर कांग्रेस में ऐसे लोग भर गये, जिन्हें अच्छे कपड़े तक पहनने का शऊर न था और जो सिर्फ हिन्दुस्तानी भाषा बोला करते थे। जिन्ना के से विचार वाले कितने ही नामधारी उच्च शिक्षित तो शान-बान के बिदा होजाने के कारण ही कांग्रेस की लीडरी में दिलचस्पी नहीं ले सके। उस समय युरोप का महायुद्ध समाप्त होचुका था और उसमें ब्रिटेन का पक्ष लेकर हिन्दुस्तान ने जो जान-माल का विनाश किया, उसके बदले उसे 'रौलट एक्ट' या काले कानून का उपहार मिला। इससे असन्तुष्ट होकर हिन्दुस्तान में फिर आन्दोलन की आँधी चल पड़ी। अप्रैल १९१९ में पंजाब-हत्याकाण्ड—जलियाँवाला बाग का बर्बरतापूर्ण गोलीकाण्ड—और उसके बाद की घोर अपमान-जनक घटनाएँ हुईं। उस वर्ष कांग्रेस-अधिवेशन अमृतसर में पं० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें लार्ड चेम्सफोर्ड पर लाञ्छन लगाये गये और उन्हें वापस बुलाये जाने की माँग की गई। मि० मारटेगू को शासन-सुधार के लिए धन्यवाद तो दिया गया; पर सुधार को असन्तोषजनक बताकर पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की माँग की गई। १९१८ ई० में पण्डित मदनमोहन मालवीय ने और १९१९ में पं० मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस का सभापतित्व किया।

आन्दोलन की स्थिति पर विचार करने के लिए १९२० ई० में कांग्रेस का अधिवेशन दो बार हुआ—एक कलकत्ते में लाला लाजपतराय

के सभापतित्व में ; और दूसरा नागपुर में सी० विजय राघवाचारियर की अध्यक्षता में।

असहयोग-आन्दोलन शुरू करने का प्रस्ताव पास करने के लिए कांग्रेस का जो अधिवेशन सितम्बर १९२० में कलकत्ते में हुआ, वह बड़े महत्त्व का था। इस अधिवेशन में देशबन्धु दास और उनके साथी गांधीजी की असहयोग-योजना के विरुद्ध थे। बंगाल के अधिकांश प्रतिनिधि कौंसिलों और अदालतों के बहिष्कार को स्वीकार करने के लिए तैयार न थे। पर लम्बी बहस के बाद केवल सात मतों के बहुमत से कांग्रेस कार्य-समिति ने गांधीजी का असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव पास कर दिया। पंजाब के हत्या-काण्ड पर सरकार ने हन्टर कमेटी की जो रिपोर्ट स्वीकार करली थी, जिसमें डायर और ओडायर के कारनामों को केवल "समझ की भूल" कहा गया था, उसके कारण सरकार के इस रुख के विरुद्ध सारे देश में असंतोष छाया हुआ था।

असहयोग-आन्दोलन को सफल बनाने के लिए नीचे लिखी योजनाएँ कांग्रेस ने रखी थीं, जिनमें से कुछ को पूरी और कुछ को अधूरी सफलता मिली—

(क) सरकारी उपाधियों और मानद या अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाय और जिला व म्यूनिसिपल बोर्ड और अन्य संस्थाओं में जो लोग सरकार की ओर से नामज़द किये गये हों, वे अपने इस्तीफ़े दाखिल कर दें।

(ख) सरकारी जलसों, स्वागत-सभाओं और सरकारी अफ़सरों-द्वारा उनकी प्रतिष्ठा में किये जाने वाले सरकारी व अर्द्ध सरकारी जल्सों में भाग लेना अस्वीकृत कर दिया जाय।

(ग) सरकारी, सरकार से मदद पानेवाले और सरकार-द्वारा नियंत्रित स्कूलों व कालेजों से विद्यार्थियों को निकाल लिया जाय, और उनके लिए सभी प्रांतों में राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालय कायम किये जायँ।

(घ) वकील और मुकदमेबाज़ अँग्रेजी अदालतों का बहिष्कार कर दें, और झगड़े तै करने के लिए पंचायती अदालतें कायम कर दी जायँ।

(ङ) मेसोपोटामिया में क्लर्की, मज़दूरी या फ़ौजी नौकरी करने के लिए कोई भर्ती न हो।

(च) कौंसिलों के चुनाव के लिए खड़े हुए उम्मेदवार अपने नाम वापस ले लें और अगर इस सलाह को न मानकर कोई उम्मेदवार खड़ा ही हो, तो उसे मत-दाता वोट न दें।

(छ) विदेशी माल का बहिष्कार किया जाय।

उसी वर्ष लोकमान्य तिलक का स्वर्गवास हो गया। इसलिए उनके नाम पर तिलक स्वराज्य-फण्ड में एक करोड़ रुपये जमा करने की अपील गान्धीजी ने सारे देश से की। देश ने एक करोड़ से अधिक रुपया इस कोष में जमा कर दिया और असहयोग के कार्यक्रम—खासकर विलायती माल के बहिष्कार—को बहुत ज़ोर से आगे चलाया।

नागपुर-कांग्रेस में असहयोग के कार्यक्रम पर और भी विचार करना था। देशबन्धु दास के दल ने इस अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन के निर्णय पर पानी फेर देने की तैयारी भी कर ली थी। सभापति थे चक्रवर्ती विजय राघवाचारियर। इस अधिवेशन की विशेषता यह थी कि उसमें कांग्रेस के १४,५८२ प्रतिनिधि उपस्थित थे। पूर्वी बंगाल और आसाम के प्रायः सारे प्रतिनिधियों को देशबन्धु दास ने अपने पक्ष में कर लिया था। महाराष्ट्र भी असहयोग-योजना के विरुद्ध था; परन्तु यह सब होते हुए भी गान्धीजी की विजय इसलिए हो गई कि और सभी प्रांतों के प्रतिनिधियों ने उनका पूरा साथ दिया, और इस प्रकार असहयोग-योजना पर फिर कांग्रेस की मुहर लग गई।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि गान्धीजी ने अपने दक्षिण-अफ्रीका के अनुभवों के आधार पर चम्पारन, खेड़ा और अहमदाबाद में

असहयोग-आन्दोलन आरम्भ करने के पहले ही सत्याग्रह का प्रयोग कर लिया था।

कांग्रेस के नागपुर-अधिवेशन के बाद जब सारे देश में पूरे ज़ोर के साथ असहयोग-आन्दोलन चल पड़ा, तब उन लोगों ने कांग्रेस से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया, जो अभी तक नरम दल के थे।

असहयोग की लड़ाई का सिलसिला जारी हो गया। ब्रिटिश सरकार से संघर्ष-पर-संघर्ष किये जाने लगे। लोगों ने अपनी इच्छा से इस आग में कूदना कबूल किया। कितनों ही ने भयंकर रूप में शारीरिक, आर्थिक और परिवारिक तकलीफें उठाईं; पर उफ़ तक न की। छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष सभी इस युद्ध में कूदे और एक बड़ी लम्बी अवधि के बाद संसार को फिर दिखा दिया कि विदेशी शासन-द्वारा चूस लिए जाने पर भी हिन्दुस्तान में अभी तक ज़िन्दगी बाकी है। विद्यार्थियों के स्कूल-कालेज छोड़ने और सरकारी नौकरों के नौकरियाँ छोड़ने का आन्दोलन यद्यपि सामूहिक रूप में काफी सफल नहीं हुआ; पर उसके अन्दर जो भावना छिपी थी, उसने अपना काम कर दिया और एक ऐसी सामूहिक जागृति फैल गई, जैसी भारत के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं फैली थी। चूँकि यह आन्दोलन अहिंसात्मक था; इसलिए इसका बल और भी बढ़ता गया।

इस असहयोग-आन्दोलन में जिस ने भी भाग लिया, उसे मालूम है कि १९२०–२१ ई० में सारे देश में मानो बिजली की गति से एक अपूर्व जोश छा गया था। हज़ारों नर-नारी कार्यकर्त्ता उमड़ते चले आ रहे थे और छोटे से लेकर बड़े तक सब के दिलों से अँग्रेज़ अधिकारियों का भय जाता रहा था। जेल जाना एक खेल हो गया था और सज़ा काटना मेहमानदारी। असहयोगियों के लिए ब्रिटिश सरकार की जेलों में जगह बाकी न रह गई थी।

इस आन्दोलन में अली-बन्धुओं—मौलाना शौकतअली और मुहम्मदअली—के नेतृत्व में बहुत-से मुसलमान भी खिलाफत के मसले

को लेकर कांग्रेस-आन्दोलन में शामिल हो गये। महायुद्ध के दिनों में ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने हिन्दुस्तानी मुसलमानों को एक वचन देकर उनको तुर्की सहधर्मियों से लड़ाया था; पर युद्ध के बाद महा कूटनीतिज्ञ लायड जार्ज ने उन्हें अँगूठा दिखा दिया। इस पर हिन्दुस्तानी मुसलमानों ने अँग्रेजों पर झलाकर कांग्रेस के आन्दोलन में भाग लिया। इन खिलाफतियों को— वह भी केवल विदेशी मामले तथा उनकी मज़हबी भावना को लेकर—कांग्रेस के असहयोग-आन्दोलन में सम्मिलित करना अच्छा हुआ या बुरा, इसका परिणाम तो पाठक स्वयं निकालेंगे; पर गांधीजी के इस आन्दोलन में वे बहुत-से मियाँ भाई, जो देश-भक्ति के पुतले बने फिरते थे, पीछे ऐसे गिरे कि उनका ऊपर उठना मुश्किल हो गया। यही सब देखकर महाकवि अकबर इलाहाबादी ने उन दिनों लिखा था:—

बुद्धू मियाँ भी हज़रते गांधी के साथ हैं,
गो गर्दे-राह हैं मगर आँधी के साथ हैं।

इस आन्दोलन से अँग्रेज़ी अदालतों का रोब-दाब जाता रहा। देश के कितने ही उदीयमान वकीलों ने अपना पेशा छोड़ दिया और सत्याग्रह-संग्राम में कूद पड़े। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता इसलिए नहीं मिली कि राष्ट्रीय विद्यापीठ और स्कूल-कालेज देश में व्यापक रूप से नहीं खुल पाये। फिर भी गुजरात, युक्तप्रांत, बिहार, तथा बंगाल में राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना हो गई, जिस में हज़ारों विद्यार्थी नये ढंग की शिक्षा पाने लगे।

इस आन्दोलन को दबाने के लिए सरकार ने जबर्दस्त दमन-चक्र चलाया। कई जगह गोलियाँ चलाई गईं। फिर भी लोगों का जोश कम न हुआ। बहुत-से लोग बिना मुकदमा लड़े जेलों में पड़े रहे, फिर भी उन्होंने हिम्मत न हारी। अली-बन्धु भी इसी सिलसिले में गिरफ्तार हुए।

१९२१ के नवम्बर में उस समय के युवराज एडवर्ड को भारत-

वासियों की शुभाकांक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ भेजा गया ; पर उनके स्वागत-समारोह का ऐसा बहिष्कार किया गया कि ब्रिटिश सरकार का सोचा हुआ सारा कार्यक्रम ही उलट गया। युवराज के आते ही सारे देश में जगह-जगह विलायती कपड़ों की होली जलाई गई और बम्बई में उनके जहाज़ से उतरते ही सरकारी पक्ष से जनता की ऐसी मुठभेड़ हुई, जिसमें ४०० आदमी घायल हुए और ५३ काल के गाल में पहुँच गये। गान्धीजी इस मार-काट की घटना से बहुत दुःखी हुए और उन्होंने पाँच दिन का अनशन किया।

गांधीजी ने यह घोषणा की थी कि यदि जनता उनके बताये हुए रास्ते पर चले, तो स्वराज्य एक साल के अन्दर मिल सकता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति अपनी शक्ति-भर कुछ-न-कुछ कर गुज़रने के लिए तैयार था। तीस हज़ार तक सत्याग्रही जेल पहुँच चुके थे और गांधीजी अब आन्दोलन को और भी ज़ोरदार बना देने के विचार से इसे सामूहिक रूप देने जा रहे थे। यह सामूहिक रूप था, लगानबन्दी-आन्दोलन। इसके लिए गुजरात और मद्रास प्रान्त के गुन्तूर जिले के किसान तैयार हो गये थे।

उन्हीं दिनों कांग्रेस का अड़तालीसवाँ अधिवेशन हकीम अजमलखाँ की अध्यक्षता में अहमदाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में जो मुख्य प्रस्ताव पास हुआ, उस का सारांश यह था— "चूँकि अहिंसात्मक असहयोग से देश में निर्भीकता, आत्म-बलिदान और आत्म-सम्मान की भावना बढ़ी है, और चूँकि इस आन्दोलन से सरकार की प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा है और देश स्वराज्य की ओर काफी आगे बढ़ा है, इसलिए यह कांग्रेस कलकत्ता-अधिवेशन-द्वारा स्वीकृत और नागपुर अधिवेशन-द्वारा अनुमोदित (मुहर लगे हुए) प्रस्ताव को मंज़ूर करती है कि जब तक पंजाब-हत्याकाण्ड और खिलाफ़त के अत्याचारों के निवारण का उपाय न हो जायगा, स्वराज्य न स्थापित हो जायगा और हिन्दुस्तान की हुकूमत एक गैर-जिम्मेदार संस्था के हाथ से निकल

कर जनता के हाथ में न आजायगी, तब तक अहिंसात्मक असहयोग का कार्यक्रम अधिकाधिक वेग से चालू रखा जायगा।

इसी अधिवेशन में सारे देश में स्वयंसेवक-संस्था संगठित करने की विस्तृत योजना भी बनाई गई।

जब असहयोग-आन्दोलन का बल बहुत बढ़ गया और सत्याग्रहियों के त्याग और बलिदान से बहुत-से सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी प्रमुख व्यक्तियों के दिल दहल उठे, तो कांग्रेस और सरकार के बीच समझौता कराने की चर्चा भी चल पड़ी। एक सर्वदल-सम्मेलन सन् १९२२ ई० की १४, १५, और १६ जनवरी को बम्बई में बुलाया गया; पर गांधीजी ने असहयोगियों की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसे सम्मेलन में वे बाज़ाब्ता भाग न ले सकेंगे, क्योंकि सरकार का दमन-चक्र जब तक जारी है, तब तक ऐसे सम्मेलन से कोई लाभ नहीं। फिर भी सम्मेलन हुआ ही और उसमें सरकार की दमन-नीति की निन्दा करते हुए कांग्रेस से भी अनुरोध किया गया, कि जब तक समझौते की बात-चीत चलती रहे, तब तक वह कांग्रेस के अहमदाबाद-अधिवेशन के प्रस्ताव के अनुसार सत्याग्रह न करे।

कांग्रेस-कार्य-समिति ने सर्वदल-सम्मेलन का मान रखते हुए उस महीने के अन्त तक के लिए सत्याग्रह स्थगित रखने का निश्चय किया; पर वाइसराय ने सर्वदल-सम्मेलन की समझौते-सम्बन्धी शर्तों को मानने से इन्कार कर दिया। इस पर गांधीजी ने १ फरवरी १९२२ ई० को वाइसराय के नाम एक पत्र भेज कर बारडोली में सामूहिक सत्याग्रह-आन्दोलन करने का विचार प्रकट कर दिया। इस सत्याग्रह का संगठन और प्रबन्ध सरदार वल्लभभाई पटेल के हाथ में दिया गया।

गांधीजी इस सामूहिक सत्याग्रह का पहला प्रयोग अपनी ही देख-रेख में करना चाहते थे। गुजरात के बारडोली तालुके में दक्षिण-अफ्रीका के बहुत-से ऐसे कार्यकर्ता आगये थे, जो गान्धीजी की सत्याग्रह-

सम्बन्धी कार्य-प्रणालियों से भली भाँति परिचित थे। गांधीजी चाहते थे कि बारडोली का सामूहिक सत्याग्रह-आन्दोलन सारे हिन्दुस्तान के लिए एक नमूना बन जाय।

उधर गुन्तूर में सामूहिक सत्याग्रह छिड़ चुका था और किसानों के लगान न देने पर गोलियाँ चल चुकी थीं। गुन्तूर में फ़ौज ने डेरा डाल दिया और गवर्नर के अंग-रक्षक सवार गाँवों में जाकर लगान वसूल करने की कोशिश करने लगे।

बारडोली सत्याग्रह

गान्धीजी ने वाइसराय को जो पत्र लिखा, उसमें उन्होंने बारडोली के सामूहिक सत्याग्रह की स्थिति साफ़-साफ़ समझा दी और यह इशारा किया कि यदि अब भी सरकार जनता की माँगों को ठुकरायेगी, तो सामूहिक सत्याग्रह अवश्य और शीघ्र शुरू कर दिया जायगा।

पर सरकार ने गान्धीजी के उस पत्र पर ध्यान न देते हुए अपनी दमन-नीति का समर्थन किया, जिससे लड़ाई का रास्ता साफ़ हो गया।

परन्तु दुर्भाग्यवश ५ फ़रवरी सन् १९२२ को संयुक्त प्रान्त के गोरखपुर जिले में एक ऐसी घटना हो गई, जिसने इस विशाल आन्दोलन का पासा ही पलट दिया। उस दिन चौरी-चौरा गाँव में एक कांग्रेसी जलूस निकला और पुलिस के हस्तक्षेप करने पर जलूस की भीड़ ने थानेदार और इक्कीस सिपाहियों पर मार शुरू करदी। जब वे जान लेकर थाने में जा छिपे, तो भीड़ ने उन्हें चारों ओर से घेर कर, छिपने वाली जगह में आग लगा दी, जिसमें वे सब-के-सब जल मरे।

उधर युवराज के स्वागत के लिए मद्रास में किये गये समारोह का भी वही हाल हुआ, जो बम्बई में हुआ था। इस पर १२ फ़रवरी सन् १९२२ को कांग्रेस-कार्य-समिति की एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय हुआ कि इन हिंसात्मक घटनाओं को देखते हुए सामूहिक सत्याग्रह का विचार फ़िलहाल छोड़ दिया जाय। २४, २५ फ़रवरी को कांग्रेस की एक खास बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें बारडोली-सम्बन्धी प्रस्तावों का सम-

र्थन तो किया गया; पर किसी कानून के विरुद्ध केवल व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की छूट दी गई। विलायती कपड़े की बिक्री धरना देकर रोकने का आदेश भी कर दिया गया, साथ ही कांग्रेस के लिए एक रचनात्मक कार्यक्रम बनाया गया। जिसमें एक करोड़ सदस्य भर्ती करना, खादी-प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, नशीली चीज़ों का त्याग और पंचायतें कायम करना आदि सम्मिलित था।

गान्धीजी की गिरफ्तारी

जहाँ एक ओर जनता साल के अन्दर स्वराज्य प्राप्त करने की ऊँची आकांक्षाएँ दिलों में लिये हुए अपना तन, मन, धन निछावर कर रही थी, वहाँ सहसा आन्दोलन के प्रवर्तक गांधीजी-द्वारा ही उसके रोक लिये जाने पर लोग बड़े ही निराश हो उठे। गिरफ़्तार नेताओं में पं० मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपतराय ने गान्धीजी के इस काम की निन्दा की। कांग्रेस की बाक़ायदा बैठक में गान्धीजी पर खुली बौछारें हुईं। सफलता की ओर बढ़ते हुए आंदोलन को पीछे हटाने के लिए बहुत-से गांधी-भक्त भी इस समय उनके विरोधी बन गये। बंगाल और महाराष्ट्र के लोग तो उन पर खुल्लमखुल्ला आक्रमण करने लगे और कांग्रेस की बैठक में डा० मुञ्जे-जैसे लोगों ने गान्धीजी की निन्दा का प्रस्ताव पेश करने का साहस किया।

भारत-सरकार यह स्थिति देख रही थी। उस ने जब देखा कि गान्धीजी की लोक-प्रियता काफ़ी घट गई है, तो १३ मार्च सन् १९२२ ई० को उन्हें गिरफ़्तार करके राजद्रोह के अपराध में सेशन सुपुर्द कर दिया। अहमदाबाद में मुकदमें की कार्यवाही के बाद उन्हें ६ साल क़ैद की सज़ा सुना दी गई।

असहयोग के बाद

पाँच

गांधीजी की गिरफ़्तारी के बाद देश में जो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटीं, उनमें ये मुख्य हैं--बोरसद-सत्याग्रह, गुरु का बाग-सत्याग्रह, देशबन्धु दास की अध्यक्षता में गया। कांग्रेस इस के बाद अंग्रेज़ अधिकारियों के हाथ अच्छा मौका लगा। उन्होंने साम्प्रदायिक द्वेष की भावना हिन्दू-मुसलमानों में खूब भड़काई और मुलतान के भीषण दंगों के बाद पंजाब और बंगाल में जगह-जगह भयंकर साम्प्रदायिक फ़साद हुए। असहयोग-आन्दोलन में गिरफ़्तार नेताओं में से मौलाना अबुलकलाम आज़ाद और पण्डित जवाहरलाल नेहरू जेल से छूटे।

गया-कांग्रेस में कौन्सिल-प्रवेश के सवाल को लेकर काफी चलचल मची। देशबन्धु चितरंजनदास उसके पक्ष में थे; पर देश के बहुत से-प्रतिनिधि उसके विरोधी थे। और विजय भी अपरिवर्तन वादियों की ही हुई, जिसके अनुसार एक जनवरी १९२३ ई० को कांग्रेस ने निश्चय किया कि रचनात्मक कार्य के अन्तर्गत ३० अप्रैल तक २५ लाख रुपये इकट्ठे किये जायँ और ५० हज़ार स्वयं सेवक-भर्ती किये जायँ।

देशबन्धु दास ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया और कांग्रेस ने अपना रचनात्म कार्यक्रम ज़ोरों से आगे बढ़ाया। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जो शिष्ट-मण्डल नियुक्त किया गया, उसके सदस्य बाबू राजेन्द्रप्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सेठ जमनालाल बजाज़ और श्री देवदास गान्धी थे।

इस बीच एक मई १९२३ ई० से नागपुर में झण्डा-सत्याग्रह आरंभ होगया, जिसने अखिल भारतीय रूप धारण कर लिया। बात यह थी कि सरकार एक विशेष क्षेत्र में राष्ट्रीय झण्डा लेकर जाने वालों को आगे बढ़ने से रोकती और गिरफ़्तार करती थी। देश के कोने-कोने से वहाँ सत्याग्रही पहुँचे। कई महीनों तक यह आन्दोलन प्रबल रूप में चल कर सफल हुआ। सितम्बर १९२३ के तीसरे सप्ताह में दिल्ली में कांग्रेस का खास अधिवेशन हुआ, जिसके सभापति थे मौलाना अबुल-कलाम आज़ाद। इसमें निश्चय किया गया कि कौंसिल-प्रवेश के विरुद्ध किया जाने वाला प्रचार बन्द किया जाय और साथ ही रचनात्मक कार्य-क्रम पर भी ज़ोर दिया गया। एक कमेटी के ज़िम्मे सत्याग्रह-आन्दोलन सम्बन्धी हलचलों को संगठित करने का काम सौंपा गया। हिन्दू-मुस्लिम-संघर्ष मिटाने पर भी ज़ोर दिया गया।

इस के बाद कांग्रेस का अधिवेशन कोकनाडा में हुआ। इस अधिवेशन के सभापति मौलाना मोहम्मद अली हुए। इस अधिवेशन में यह स्पष्ट किया गया कि कौंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में दिल्ली के खास अधिवेशन के प्रस्ताव से कांग्रेस की नीति में अदल-बदल होने का सन्देह किया जा रहा है, इसलिए यह बात साफ़ तौर से कह दी गई कि कांग्रेस में बहिष्कार के सिद्धान्त और नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। साथ ही यह भी प्रकट किया गया कि रचनात्मक कार्य-क्रम में कोई शिथिलता न की जाय।

५ फ़रवरी सन् १९२४ ई० को गहरी बीमारी के कारण गांधीजी को जेल से छोड़ दिया गया; पर कमज़ोरी की हालत में भी उन्हें विश्राम न मिला। इधर कांग्रेस में कौंसिल-प्रवेश के सवाल को लेकर परिवर्तन और अपरिवर्तनवादियों जो का मत-भेद उठ खड़ा हुआ था, उसे दूर करने के लिए उन्हें जल्द ही कार्य-क्षेत्र में उतरना पड़ा। गांधीजी ने देशबन्धु दास और पं० मोतीलाल नेहरू से बात-चीत की और मई महीने में अपना एक वक्तव्य प्रकाशित कराया। उधर देशबन्धु दास

और पं० नेहरू का भी एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ ।

इस प्रकार देशबन्धु की स्वराज्य-पार्टी कौंसिलों में घुसने के लिए अधिकृत होगई और इसने राष्ट्रीय दल का सहयोग प्राप्त कर कौंसिलों में अपना बहुमत बना लिया । इस पार्टी ने कौंसिलों में अनेक बार सरकारी पक्ष को करारी हार दी ।

इसके बाद महात्मा गांधी की अध्यक्षता में १९२४ ई० की बेलगाँव-कांग्रेस हुई । गांधीजी ने सत्याग्रह-आन्दोलन की सारी रिपोर्ट कांग्रेस के सामने रखदी । उन्होंने बतलाया कि कांग्रेस ने किस तरह देश की शक्ति का विकास किया और किस प्रकार देश के विभिन्न दलों ने बहिष्कारों में भाग लिया एवं उसे काफ़ी हद तक सफल बनाया है । सब से बड़ी सफलता यह हुई कि हमने हिंसा का बहिष्कार कर दिया । इस अधिवेशन में गांधीजी ने कांग्रेस के दोनों दलों में एकता स्थापित करने में काफ़ी सफलता प्राप्त की और सब के हृदय को जीत लिया । इसी अधिवेशन में पहले-पहल हिन्दी को राष्ट्र भाषा माना गया ।

१९२५ ई० में कांग्रेस की राजनीति कौंसिलों से बाहर नहीं जा-सकी । स्वराज्यवादियों को अपरिवर्तनवादियों से अब कोई भय न रहा ; पर इसी साल १६ जून को देशबन्धु चितरंजनदास का स्वर्गवास होगया ।

इस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन श्रीमती सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में कानपुर में हुआ । इस अधिवेशन में दक्षिण-अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों की राम-कहानी सुनाने के लिए एक शिष्ट-मण्डल आया । सत्याग्रह-आन्दोलन पर विश्वास प्रकट करते हुए रचानात्मक कार्यक्रम का विवरण तैयार किया गया और स्वराज्य-पार्टी की माँगों का भी समर्थन किया गया । इस वर्ष कांग्रेस की भाषा हिन्दुस्तानी घोषित की गई ।

स्वराज्य-पार्टी के सभापति की हैसियत से पं० मोतीलाल नेहरू ने काफ़ी सरगर्मी दिखाई । इसी वर्ष २१ सितम्बर को पटने में अखिल

भारतीय कांग्रेस-कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने अपने राजनीतिक काम का सारा भार स्वराज्य-पार्टी को सौंप दिया। इससे पं० मोतीलाल नेहरू को स्वच्छन्द रूप में काम करने की पूरी छूट मिल गई।

इसके बाद १९२६ ई० में वह समय आगया, जब कांग्रेस ने अपनी अधिकांश शक्ति कौंसिल के मोर्चे पर लगादी और कांग्रेस असहयोग के बदले एक प्रकार से सरकार से सहयोग करने लग गई। फिर क्या था, विदेशी सरकार ने साम्प्रदायिक वैमनस्य का विष पुनः उभार दिया और कलकत्ता-जैसे विशाल नगर में एक सौ दस जगहों में आग लगाई गई और हताहतों की संख्या हज़ार से भी ऊपर पहुँच गई। इसी वर्ष दिल्ली में स्वामी श्रद्धानन्द का बलिदान हुआ।

इस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन आसाम के गोहाटी नगर में हुआ और उसके सभापति हुए—एस० श्रीनिवास आयंगर। गोहाटी-अधिवेशन में मुख्य प्रस्ताव स्वराज्य-पार्टी और सरकारी-पद-स्वीकृति के बारे में ही पास हुआ।

१९२७ में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ, जिसके अध्यक्ष चुने गये डा० मुख़्तारअहमद अन्सारी। इस अधिवेशन में मुख्य प्रस्ताव साइमन-कमीशन के बहिष्कार के बारे में था। इस कमीशन के सभी सदस्य गोरे थे और वह ब्रिटिश सरकार की ओर से हिंदुस्तान आने वाला था। यह कमीशन इस बात की जाँच करने वाला था कि हिन्दुस्तानी स्वराज्य पाने के योग्य हैं या नहीं। साइमन-कमीशन उसी साल ३ फरवरी को बम्बई में उतरा, जिसके विरोध-स्वरूप सारे देश में हड़ताल हुई। मद्रास में गोलियाँ चलीं और कलकत्ते में विद्यार्थियों और पुलिस का संघर्ष हुआ। ७ फ़रवरी को साइमन ने वाइसराय को चिट्ठी लिखी कि हम अपने काम में मदद के लिए सात हिन्दुस्तानियों को कमीशन में लेने के लिए तैयार हैं। लाला लाजपतराय के प्रस्ताव पर केन्द्रीय एसेम्बली ने भी साइमन-कमीशन का बहिष्कार पास कर दिया।

दिल्ली में सर्वदल-सम्मेलन ने पं० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हिन्दुस्तान का अपना विधान बनाने को एक समिति नियुक्त कर दी। इसी वर्ष सरदार वल्लभभाई पटेल की देख-रेख में बारडोली-सत्याग्रह सफलीभूत हुआ और इसी वर्ष सरदार भगतसिंह ने केन्द्रीय एसेम्बली भवन में बम फेंका। लाठी-प्रहार से घायल होकर उसी साल लाला लाजपतराय स्वर्गवासी होगये और किसी हिन्दुस्तानी नवयुवक ने अँग्रेज़ पुलिस-कप्तान सौन्डर्स को गोली से उड़ा दिया। इस साल देश में बहुत-सी गिरफ़्तारियाँ हुईं।

१९२८ ई० में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ते में हुआ। इसके सभापति थे पं० मोतीलाल नेहरू। इस वर्ष कांग्रेस में स्वयं गांधीजी ने नेहरू-रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव रखा। रिपोर्ट में दो वर्ष के अन्दर हिन्दुस्तान को औपनिवेशिक स्वराज्य देने की माँग की गई थी। इस प्रस्ताव-द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह धमकी दी गई कि यदि वह एक साल के अन्दर नेहरू-रिपोर्ट स्वीकार नहीं करती, तो कांग्रेस सत्याग्रह शुरू कर देगी। इस प्रस्ताव में पं० जवाहर-लाल नेहरू ने यह संशोधन उपस्थित किया कि कांग्रेस अपनी आज़ादी के ध्येय पर डटी रहे।

इसी वर्ष मार्च महीने में गान्धीजी को कलकत्ते में विदेशी कपड़े की होली जलाने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला कर एक रुपया जुर्माना किया गया। बम्बई, पंजाब, और संयुक्त प्रान्त में भी गिरफ्तारियाँ हुईं। मेरठ-षड्यन्त्र-केस भी इसी वर्ष चला और केन्द्रीय एसेम्बली के अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल ने सरकार की ओर से पेश किये जाने वाले 'सार्वजनिक सुरक्षा बिल' को पेश होने देने से रोक दिया। इसी वर्ष साम्राज्य-विरोधी संघ की महासभा में हिन्दु-स्तान की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए काशी के श्री शिवप्रसाद गुप्त भेजे गये। भगतसिंह और बटुकेश्वरदत्त को आजन्म काले पानी की सजा दी गई। लाहौर-षड्यन्त्र-केस के कैदियों ने भूख-हड़ताल की, जिसमें

श्री यतीन्द्रनाथ दास शहीद हो गये। वाइसराय की ट्रेन पर बम फेंका गया और लार्ड इर्विन ने नेताओं से बातचीत की।

इस प्रकार भावी युद्ध की तैयारी के सभी लक्षण आरम्भ हो गये।

सन् १९३० ई० में रावी-तट पर लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके सभापति हुए पं० जवाहरलाल नेहरू।

लाहौर-कांग्रेस के निर्णयानुसार उस वर्ष (१९३० ई०) सारे देश के शहरों, कस्बों और गाँवों तक में स्वाधीनता का जो प्रतिज्ञा-पत्र पढ़कर सुनाया गया और उस पर हाथ उठाकर श्रोताओं की राय लेना तय हुआ, वह इस प्रकार है —

स्वाधीनता की घोषणा

"हम हिन्दुस्तानी प्रजाजन भी दूसरे राष्ट्रों की तरह अपना जन्म-सिद्ध अधिकार मानते हैं कि हम आज़ाद होकर रहें, अपनी मेहनत का फल खुद भोगें और हमें अपनी गुज़र-बसर के लिए ज़रूरी सुविधाएँ प्राप्त हों, जिससे हमें भी विकास का पूरा मौका मिले। हम यह भी मानते हैं कि अगर कोई सरकार ये अधिकार छीन लेती है और प्रजा को सताती है, तो प्रजा को उस सरकार के बदल देने या मिटा देने का भी अधिकार है। ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुस्तानियों की आज़ादी ही नहीं छीनी है, बल्कि उस (सरकार) का आधार भी गरीबों के रक्त-शोषण पर है और उसने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हिन्दुस्तान को बर्बाद कर दिया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि हिन्दुस्तान को अँग्रेज़ों से सम्बन्ध विच्छेद करके पूर्ण स्वराज्य या आज़ादी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

"हिन्दुस्तान की आर्थिक बर्बादी हो चुकी है। जनता की आमदनी को देखते हुए, उससे बेहिसाब कर वसूल किया जाता है। हमारी औसत दैनिक आमदनी पौने दो आने फी आदमी रोज़ाना पड़ती है और हम से जो भारी कर लिये जाते हैं, उनका २० फी सदी तो किसानों

के लगान के रूप में और ३ फी सदी गरीबों से नमक-कर के रूप में वसूल किया जाता है।

"हाथ की कताई आदि गाँवों के उद्योग नष्ट कर दिये गये हैं। इससे साल में कम-से-कम चार महीने किसान बेकार रहते हैं। हाथ की कारीगरी चली जाने से उनकी बुद्धि भी मन्द पड़ गई है। चुंगी का महसूल वसूल करने में अँग्रेजी माल के साथ साफ तौर पर पक्षपात किया जाता है। इसकी आमदनी का उपयोग गरीबों का बोझ हलका करने में नहीं किया जाता; बल्कि एक बहुत बड़ा फ़ज़ूल खर्च हकूमत को कायम रखने में होता है। विनियम-दर भी ऐसे मनमाने ढंग से रक्खी गयी है कि जिससे देश का करोड़ों रुपया बाहर चला जाता है।

"राजनीतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान का दर्जा जितना अँग्रेज़ों के शासन-काल में घटा, उतना पहले कभी नहीं घटा था। किसी भी सुधार-योजना के द्वारा जनता के हाथ में वास्तविक राजनीतिक सत्ता नहीं आई है। हमारे बड़े-से-बड़े आदमी को विदेशी सत्ता के आगे सिर झुकाना पड़ता है। अपनी राय आज़ादी से प्रकट करने और आजादी से मिलने-जुलने के हमारे हक़ छीन लिये गये हैं और हमारे बहुत-से देश-भाइयों को निर्वासित कर दिया है गया। हमारी सारी शासन-प्रतिभा मारी गई है और सर्वसाधारण को गाँवों के छोटे-छोटे ओहदों और मुहर्रिरी से सन्तोष करना पड़ता है।

"सांस्कृतिक दृष्टि से अँग्रेजी शिक्षा ने हमारी जड़ ही काट दी है और हमें जो शिक्षा दी जाती है, उससे हम अपनी गुलामी की ज़ंजीरों को ही प्यार करने लगे हैं।

"आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारे हथियार हम से छीनकर हमें नामर्द बना दिया गया है। विदेशी फौज हमारी छाती पर हमेशा मौजूद रहती है। इसने हमारी मुकाबले की भावना को एकदम कुचल डाला है। उसने हमारे हृदय में यह बात जमा दी है कि हम न तो अपना घर सँभाल सकते हैं, न बाहरी हमले से देश की रक्षा कर सकते हैं।

इतना ही नहीं, चोर-डाकुओं और बदमाशों के आक्रमणों से भी अपने बाल-बच्चों और जान-माल की रक्षा नहीं कर सकते। जिस हुकूमत ने हमारे देश को इस तरह बर्बाद किया है, उसके अधीन रहना हमारी राय में मनुष्य और भगवान् दोनों के प्रति अपराध है; परन्तु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिंसा के द्वारा आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए, हम ब्रिटिश सरकार से यथासम्भव स्वेच्छापूर्वक किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी और सविनय-अवज्ञा तथा कर-बन्दी का सामान करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि अगर हम खुशी-खुशी मदद देने और उत्तेजना मिलने पर भी हिंसा किये बिना कर देना बन्द कर सकें, तो इस अमानवीय राज्य का विनाश निश्चित है; इसलिए हम शपथ लेकर संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज्य कायम करने के लिए कांग्रेस समय-समय पर जो आदेश देगी, हम उसका पालन करेंगे।"

इस अधिवेशन में मुख्य प्रस्ताव यह पास हुआ कि नेहरू-रिपोर्ट की सारी योजना की अवधि अब समाप्त समझी जाती है और ऐसी स्थिति में कांग्रेस गोलमेज़-परिषद् में प्रतिनिधित्व करने से भी इन्कार करती है।

इस वर्ष सुभाषचन्द्र बोस को गिरफ्तार करके उन्हें एक साल कैद की सज़ा दी गई। व्यवस्थापिका सभा के सभी कांग्रेसी सदस्यों ने इस्तीफ़े दे दिये। कांग्रेस की कार्य-कारिणी-समिति ने फ़रवरी महीने में साबरमती में गांधीजी को सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन आरम्भ करने का अधिकार दे दिया और इस तरह सत्याग्रह का दूसरा शंख-नाद करने की तैयारी हो गई।

सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन

छः

अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी की विशेष बैठक बुलाई गई और उसमें गान्धीजी को सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन आरम्भ करने की विधिवत स्वीकृति दे दी। रेजिनाल्ड रेनाल्ड के द्वारा गान्धीजी ने अपने निश्चय की सूचना सरकार को भेज दी। १२ मार्च को डाण्डी की ऐतिहासिक यात्रा आरंभ हुई। सारे देश में ६ अप्रैल को नमक-कानून भंग किया गया और पं० जवाहरलाल नेहरू गिरफ़्तार कर लिये गये। मद्रास और पेशावर में गोलियाँ चलीं और अनगिनत स्थानों पर लाठी-प्रहार हुए। ब्रिटिश सरकार ने नये-नये काले कानून जारी किये। गान्धीजी को भी गिरफ्तार कर के नज़रबन्द कर दिया गया। मई के महीने में इलाहाबाद में कांग्रेस-कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसने सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के तंत्र को अधिक विस्तृत बना दिया। बड़ाला और धरसाना के समुद्र-तटों से नमक उठाने के लिए धावे हुए मई तक ही गोली-काण्डों से ११५ व्यक्ति मरे और ४२० घायल हुए। शोलापुर में मारशलला का फौजी कानून जारी हो गया। कांग्रेस-कमेटियाँ गैर कानूनी करार दे दी गईं। एक लाख से अधिक आदमी जेल पहुँच गये। गोलमेज़-परिषद् में गये हुए लोग वापस आगये और सप्रू ने समझौते की बातचीत शुरू की। गान्धीजी और कार्यकारिणीसमिति के सदस्यों को रिहा किया गया। पं० मोतीलाल नेहरू का देहान्त हो गया और गान्धी-इर्विन समझौते के अनुसार सभी राजनैतिक कैदी रिहा कर दिये गये। भगतसिंह और उनके साथियों को फाँसी दे दी गई।

आन्दोलन के इस विकट युग में १९२९ और १९३० ई० में कांग्रेस का एक भी अधिवेशन न हो सका और कांग्रेस के नेताओं तथा राजनीतिक कैदियों की रिहाई के बाद सन् १९३१ में अगला अधिवेशन कराची में हो पाया। इस अधिवेशन के सभापति हुए सरदार वल्लभभाई पटेल। अपने प्रस्तावों में कांग्रेस ने सरदार भगतसिंह को फाँसी देने के कारण सरकार की निन्दा की और गणेशशंकर विद्यार्थी की आत्मबलि की प्रशंसा की। गान्धीजी को दूसरी गोलमेज़-परिषद् में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया। बुनियादी अधिकारों का प्रस्ताव पास किया गया। इस वर्ष लार्ड इर्विन की जगह लार्ड विलिंग्डन वायसराय हो कर आये। सारे देश में गांधी-इर्विन समझौते के विपरीत सरकारी अधिकारी तरह-तरह के अनाचार करने लगे। इस पर गान्धीजी ने विचार किया कि वह द्वितीय गोलमेज़-कान्फरेंस में जायँ। इसी वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी अगस्त मास की बैठक में राष्ट्रीय झण्डे का केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग निर्धारित किया और उस पर चरखे का चिह्न रखा। दिल्ली में गांधीजी की वाइसराय, स० वल्लभभाई, जवाहरलाल, डाक्टर पट्टाभि तथा मिस्टर एमर्सन से जो बात-चीत हुई, उसके फलस्वरूप गान्धीजी दूसरी गोलमेज़-परिषद् में सम्मिलित होने के लिए लन्दन को रवाना हो गये। इधर संयुक्त प्रान्त में किसानों का आन्दोलन उठ खड़ा हुआ और गान्धीजी २८ दिसम्बर को लन्दन से लौट आये। संयुक्त प्रांत के आन्दोलन में पं० जवाहरलाल नेहरू, मिं० शेरवानी और पुरुषोत्तमदास टन्डन गिरफ्तार कर लिये गये। सीमा प्रान्त में भी अशान्ति थी; इसलिए खान अबदुलगफ्फार खाँ और डाक्टर खानसाहब भी गिरफ्तार कर लिये गये। गान्धीजी ने फिर वाइसराय से मिलने की विफल कोशिश की। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने फिर सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन जारी करने का निश्चय किया। गान्धीजी और स० वल्लभभाई

गिरफ्तार कर लिये गये। फिर से देश में आर्डिनेन्सों का राज हो गया। लाठी चार्ज, जुर्माने और जायदाद की जब्ती होने लगी और जेलों के फाटक कैदियों को अन्दर लेने के लिए दिन-रात खुले रहने लगे।

१९३२ ई० में कांग्रेस गैर कानूनी हो चुकी थी। फिर भी कांग्रेस का अधिवेशन अप्रैल सन् ३२ में दिल्ली में किया गया। पुलिस ने कड़ी नज़र रखी, फिर भी पांच सौ प्रतिनिधि इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए पहुँच ही गये। अधिवेशन के मनोनीत सभापति पं० मदन-मोहन मालवीय दिल्ली पहुँचने के पहले ही गिरफ्तार कर लिये गये। तिस पर भी काम-चलाऊ सभापति निर्वाचित करके पूर्ण स्वाधीनता के ध्येय और सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन को पुनर्जीवित करने तथा गान्धीजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रखने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किये गये।

इसी प्रकार यद्यपि १९३३ ई० में भी कांग्रेस गैर कानूनी रही, फिर भी उसका अधिवेशन कलकत्ते में हुआ। इस बार भी पं० मदन-मोहन मालवीय ही सभापति चुने गये थे और पहले की तरह इस बार भी अधिवेशन के स्थान तक पहुँचने के पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस अवसर पर बंगाल के प्रसिद्ध नेता यतीन्द्रमोहन सेन गुप्त की पत्नी नेलीसेन गुप्त सभानेतृ बनीं और उसमें १९३२ के प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस अधिवेशन के प्रतिनिधियों पर पहले लाठी-प्रहार किया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

सारे देश में दमन की ज़बर्दस्त आँधी चलाई जाने पर भी यह दूसरा सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन पूरे वेग से चला। विलायती माल का बहिष्कार पहले से भी अधिक हुआ। लगानबन्दी-आन्दोलन पहले से भी ज्यादा सफल हुआ। १७ अगस्त को ब्रिटिश प्रधान मंत्री रैमज़े मेकडानल्ड ने एक साम्प्रदायिक समझौता हिन्दुस्तानियों के गले मढ़ दिया, जिसके विरुद्ध गान्धीजी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। २० सितम्बर को गान्धीजी ने यह उपवास आरम्भ किया,

जिसके परिणाम-स्वरूप यरवदा-पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। प्रधान मन्त्री ने साम्प्रदायिक समझौते-द्वारा हरिजनों को अलग प्रतिनिधित्व देकर हिन्दू-समाज से विलग कर देने की चाल चली थी; पर अन्ततः हरिजनों को इस यरवदा-पैक्ट-द्वारा हिन्दू-समाज से अलग होने से बचा लिया गया और गांधीजी ने अपना अनशन छोड़ दिया। इसी साल तीसरी गोलमेज़-परिषद् भी हुई। उन दिनों लोकनायक अणे कांग्रेस के स्थानापन्न सभापति थे। उन्होंने छः सप्ताह के लिए सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन रोक लिया। अगस्त सन् १९३४ ई० को गान्धीजी फिर गिरफ्तार कर लिये गये; पर वे शीघ्र ही, अर्थात् २३ अगस्त को रिहा कर दिये गये। इसी वर्ष श्रीमती एनीबीसेन्ट का २० सितम्बर को और केन्द्रीय असेम्बली के अध्यक्ष श्री विट्ठलभाई पटेल का २२ सितम्बर को देहान्त हो गया। गांधीजी ने सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन बन्द करके हरिजन-आन्दोलन शुरू कर दिया और उसके लिए देश-भर का दौरा किया। इसी साल बिहार में भीषण भूकम्प आ गया, जिससे सभी लोग उसके कष्ट-निवारण के काम में लग गये। इसी साल पटना में १७ मई को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली परिषद् हुई और इसी वर्ष पूने में गांधीजी पर बम फेंका गया।

कांग्रेस का अगला अधिवेशन १९३४ में बम्बई में हुआ और इसके सभापति हुए बाबू राजेन्द्रप्रसाद। कांग्रेस की स्थापना को ५० वर्ष हो चुकने के उपलक्ष में स्वर्ण-समारोह मनाया गया। वीरतापूर्ण अहिंसात्मक युद्ध करने के उपलक्ष में देश की कुरबानियों की प्रशंसा और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघ की स्थापना की गई। इस वर्ष कांग्रेस के विधान में भी कुछ परिवर्तन किये गये। केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के लिए इस वर्ष जो चुनाव लड़ा गया, उसमें कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त कर लिया। इस वर्ष कांग्रेस के तीन नेता, अभ्यंकर, शेरवानी और गिडवानी के शरीरान्त हुए। भारत-सरकार के नये (१९३५) एक्ट को शाही स्वीकृति मिली और कांग्रेस ने इस एक्ट

को ठुकराते हुए यह निश्चय किया कि भारत तो अपनी विधान-परिषद् द्वारा तैयार किये गये विधानों के अनुसार ही शासन-भार सँभालेगा। उसी साल क्वेटा में भी भूकम्प आ गया, जिसमें कांग्रेस ने कष्ट-निवारण के कार्य में काफी मदद की। उसी साल देशी राज्यों की प्रजा के प्रति कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट किया। गान्धीजी बीमार पड़ गये, और श्रीमती कमला नेहरू का स्वर्गवास हो गया।

१९३५ ई० में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। इसके बाद का कांग्रेस-अधिवेशन १९३६ ई० में लखनऊ में हुआ। इसी वर्ष गांधी-जी ने वर्धा के निकट सेगाँव में बसने का निश्चय कर लिया। डा० अम्बेडकर गांधीजी से मिले। इस वर्ष दो प्रमुख मुस्लिम नेताओं—डा० अन्सारी और श्री अब्बास तैबजी का—देहावसान हो गया। कांग्रेस का चुनाव-सम्बन्धी घोषणा-पत्र प्रकाशित हुआ और पं० जवाहरलाल नेहरू ने सारे देश में चुनाव के सिलसिले में यात्रा की। कांग्रेस के विरुद्ध कुछ दल संगठित हुए और कांग्रेस पार्लियामेण्टरी बोर्ड ने अपना कार्य आरम्भ किया।

कांग्रेसी मंत्रि-मंडल

इसके बाद १९३७ ई० में कांग्रेस-अधिवेशन ग्राम्य-क्षेत्र में करने का निश्चय किया गया और तदनुसार बम्बई प्रेसिडेन्सी के फ़ैजपुर स्थान में, पं० जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में, यह अधिवेशन बड़ी धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ। इस वर्ष नये चुनाव में, ११ प्रान्तों में से ८ में कांग्रेस की प्रचण्ड विजय हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस-समिति की एक बैठक मार्च में हुई, जिसने कांग्रेस को पद-ग्रहण का अधिकार दे दिया; किन्तु मंत्रि-पद-ग्रहण करने में यह शर्त लगादी कि जबतक इस बात का आश्वासन न मिल जाय कि गवर्नर अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग न करेंगे, मंत्रि-पद न ग्रहण किये जायँ। अन्तत: अन्तरिम मंत्रि-मण्डल की स्थापना होगई। गवर्नरों से हस्तक्षेप न करने का आश्वासन प्राप्त कर छः प्रान्तों में अन्तरिम मंत्रि-मण्डल स्थापित होगये।

राजनीतिक कैदियों के मामलों को लेकर संयुक्त प्रान्त और बिहार में संकट उपस्थित हुए ; क्योंकि इन प्रान्तों के गवर्नर राजनीतिक कैदियों को छोड़ने में हस्तक्षेप कर रहे थे। अन्त में गवर्नरों को मंत्रि-मण्डलों की बात माननी पड़ी।

वास्तव में गांधीजी तो शुरू से ही पद-ग्रहण की नीति के ख़िलाफ़ थे ; क्योंकि उनका कथन था कि पद-ग्रहण के मानी यह हैं कि कांग्रेस १९३५ के भारतीय एक्ट को अमल में लाना चाहती है और यह बात उस (कांग्रेस) के पहले बयानों से मेल नहीं खाती। किन्तु, पद-ग्रहण को उद्देश्य न बनाकर साधन बनाने की दृष्टि से उन्होंने पद-ग्रहण को मंजूर कर लिया था।

१९३८ में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ और उसके सभापति हुए युवकों के परम-प्रिय सुभाषचन्द्र बोस। यद्यपि गान्धीजी कांग्रेस के सदस्य तक न थे, फिर भी शक्ति का सूत्र उन्हीं के कब्जे में था और रचनात्मक कार्यक्रम के तो वे ही मूल-स्रोत थे। यह अधिवेशन हरिपुरा में १९,२० और २१ फ़रवरी को हुआ और सुभाष बाबू ने अधिवेशन आरम्भ करने के पहले अपनी नीति स्पष्ट करते हुए बतलाया कि ब्रिटिश सरकार हमारे राष्ट्र पर अपनी योजना थोपने का जो भी प्रयत्न करेगी, उसका विरोध सभी शान्तिपूर्ण और वैध उपायों-द्वारा किया जायगा। भारत की जनता अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर निगाह रखेगी, जिस से वह उससे पूरा-पूरा फ़ायदा उठा सके। उन्होंने अँग्रेज राजनीतिज्ञों को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस प्रांतों में मंत्रि-मण्डल कायम करने की बात स्वीकार करते हुए भी भारतीय कानून के उत्तरार्द्ध संघीय योजना को कबूल न करेगी। कांग्रेस साम्प्रदायिक एकता के लिए प्रयत्न करेगी और मुसलमानों की उचित माँगों को मान लेगी।

दूसरा महायुद्ध

इस वर्ष गान्धीजी ने पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांत का दौरा किया।

मध्य प्रांत में डा० खरे ने मन्त्रि-पद से इस्तीफ़ा दे दिया; इसलिए कांग्रेस-कार्यसमिति ने उनके इस कार्य की निन्दा की और अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी ने उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की। दिल्ली में प्रान्तीय मन्त्रियों की एक परिषद् हुई। पं० जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना-समिति की बैठक हुई। कांग्रेस-मंत्रि-मण्डलों ने पूरे वेग के साथ काम करना शुरू किया। इसी वर्ष मौलाना शौकतअली का देहान्त हो गया। इस वर्ष (१९३८ ई० में) कांग्रेस के त्रिपुरी-अधिवेशन के सभापति-पद के लिए सुभाषचन्द्र बोस और डा० पट्टाभि सीतारामय्या के बीच ज़ोरदार संघर्ष हुआ। सुभाष बाबू की विजय हुई और डा० पट्टाभि की हार; पर गान्धीजी को यह स्वीकार करना पड़ा कि 'पट्टाभि की हार मेरी हार है।' इसी वर्ष राजकोट में सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन आरंभ हुआ, जो गान्धीजी के वहाँ जाने के बाद स्थगित हो गया। दूसरे विश्व-व्यापी महासमर के बादल इसी साल घिरने लगे थे। इसी साल पं० जवाहरलाल नेहरू युरोप गये और स्पेन की लड़ाई उन्होंने अपनी आँखों देखी। फ्रांस में उन्होंने रेडियो पर भाषण करते हुए भारतीय स्वतंत्रता के आदर्शों के प्रति फ्रांसीसी जनता की सहानुभूति चाही। पेरिस में आप ने खुले नगरों पर बमबारी के विरुद्ध हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रभावशाली भाषण दिया। इस वर्ष जब राष्ट्रपति की हैसियत से सुभाषचन्द्र बोस पूर्वी बंगाल के चटगांव-क्षेत्र में गये, तो मुस्लिम-लीगियों की एक भीड़ ने उनके जुलूस पर पत्थर फेंक कर अपनी असलियत का परिचय दिया। राष्ट्रपति और जलूस के चौदह आदमियों को साधारण चोटें आईं। इस वर्ष ६ अक्तूबर को मि० जिन्ना ने जो पत्र कांग्रेस को भेजा था, उसके उत्तर में राष्ट्रपति सुभाषचन्द्र बोस ने जिन्ना साहब को सूचित कर दिया कि कांग्रेस-कार्य-समिति मुस्लिम-लीग-कौंसिल की बातों से सहमत नहीं है। इस वर्ष युरोप में म्युनिक का ऐतिहासिक समझौता हुआ।

जैसा कि पीछे बताया गया है, इस वर्ष राष्ट्रपति-पद पर तीव्र प्रतिस्पर्द्धा के बाद सुभाष बाबू ही चुने गये। उसके बाद त्रिपुरी-अधिवेशन में सुभाष बाबू बीमारी की हालत में पहुँचे। अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी और विषय-समिति की बैठकों में वे स्ट्रेचर पर लाये गये और किसी तरह अधिवेशन समाप्त हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के उग्र और नरम दलवालों में काफ़ी चख-चख रही। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस-समिति की बैठक कलकत्ता में हुई, जिसमें कांग्रेस के दोनों—दक्षिण और वाम—पक्षों में भीषण प्रतिरोध का प्रदर्शन हुआ और तू तू मैं-मैं तक की नौबत आगई। यह देखकर सुभाष बाबू ने सभापति-पद से त्याग-पत्र दे दिया। उनकी जगह पर बाबू राजेन्द्र-प्रसाद राष्ट्रपति चुने गये और वही पुरानी कार्य-समिति फिर नियुक्त हो गई। सुभाष बाबू ने इसी अवसर पर 'अग्रगामी दल' या 'फारवर्ड ब्लाक' की रचना की। इसके बाद कांग्रेस-कार्य-समिति की बैठक वर्धा में हुई, जिस में एक तो समिति ने युद्ध के खतरे की ओर ध्यान दिया और दूसरे सुभाष बाबू के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करने की ओर। केन्द्रीय असेम्बली में भारत-रक्षा-बिल पास हुआ और गान्धीजी वाइसराय से मिले। उधर युरोप में युद्ध छिड़ चुका था; इसलिए कांग्रेस-कार्य-समिति की एक और बैठक ८ सितम्बर सन् १९३९ में वर्धा में हुई। और उसने युद्ध की स्थिति पर विचार किया। राजेन्द्र बाबू और पं० नेहरू वाइसराय से मिले और बातचीत की। ९ अक्तूबर सन् १९३९ को वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी की बैठक भी हुई। इस के पहले १ मई सन् १९३९ को ही अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी ने अपने कलकत्ता-अधिवेशन में हिन्दुस्तानी फ़ौजें विदेशों को भेजने का विरोध किया था। फिर भी सरकार मिस्र और सिंगापुर को भारतीय सेनाएँ भेजती चली जा रही थी। इस प्रकार सरकार केन्द्रीय असेम्बली की इच्छा का भी उल्लंघन कर रही थी। यह स्पष्ट था कि अँग्रेज़ सरकार कांग्रेस और असेम्बली दोनों ही के एलानों का अनादर

करते हुए ऐसे काम कर रही थी, जिससे हिन्दुस्तान लड़ाई में बरबस फँस जाता। ऐसी हालत में कांग्रेस-कार्य-समिति ने केन्द्रीय असेम्बली के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे असेम्बली के अगले अधिवेशन में भाग न लें। साथ ही प्रान्तीय सरकारों को चेतावनी दे दी कि चाहे कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डलों को इस्तीफ़े ही देने पड़ें; पर उन्हें लड़ाई की तैयारियों में हर्गिज मदद नहीं करनी चाहिए।

उधर पोलेण्ड के मामले को लेकर ३ सितम्बर को ब्रिटिश प्रधान मन्त्री मि० चेम्बरलेन ने रेडियो पर भाषण करते हुए कहा कि 'चूंकि जर्मनी ने पोलेण्ड के बारे में हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है; इसलिए ब्रिटेन का जर्मनी के साथ युद्ध चालू समझ लेना चाहिए।' उसी रात ब्रिटिश सम्राट् ने अपने साम्राज्य के नाम एक सन्देश देते हुए अपील की और उसके बाद वाइसराय ने एक वक्तव्य में यह आशा प्रकट की कि हिन्दुस्तान पशु-बल के खिलाफ़ मानवीय स्वतन्त्रता के लिए लड़ेगा। १४ सितम्बर को कांग्रेस-कार्य-समिति की जो बैठक हुई, उसमें जर्मनी के शिकार बने हुए पोलेण्ड के प्रति हमदर्दी प्रकट की गई और इंगलैण्ड तथा फ्रांस जिस उद्देश्य को लेकर लड़ाई में शामिल हुए थे उसकी तारीफ़ भी की गई; पर समिति ने इस बात पर अफ़सोस और अचम्भा ज़ाहिर किया कि जब ब्रिटिश साम्राज्य के स्वतन्त्र उपनिवेश अपनी-अपनी पार्लियामेंटों से लड़ाई में भाग लेने अथवा न लेने का निर्णय कर रहे हैं, तो इंगलैण्ड ने हिन्दुस्तान के लड़ाई में भाग लेने की बात क्यों मान ली और दूसरी बात यह कि जब हिन्दुस्तान का इस लड़ाई से सीधे तौर पर अथवा परोक्ष में कोई सम्बन्ध नहीं है, तब फिर उसे इस में हिस्सा लेने के लिए क्यों मजबूर किया गया है। यह सब बातें चुप-चाप नहीं सहन की जा सकतीं।

इस प्रकार युद्ध के वातावरण में ही कांग्रेस का अगला (१६४०) अधिवेशन बिहार के रामगढ़ नामक गाँव में हुआ। इसके सभापति मौलाना अबुलकलाम आज़ाद हुए। इस अधिवेशन में केवल एक

प्रस्ताव पास हुआ और वह भी युद्ध-संकट से ही सम्बन्ध रखता था। अधिवेशन की कार्यवाही पूरी भी न हो पाई थी कि एक ऐसा प्रबल तूफ़ान आया जिसके आँधी-पानी ने अधिवेशन में आने वाले लोगों का बुरा हाल कर दिया। इसी वर्ष दीनबन्धु एन्ड्रूज़ का देहान्त हो गया। २ जुलाई को वाइसराय से गान्धीजी की मुलाकात हुई। कांग्रेस-कार्य-समिति ने अपनी दिल्ली की बैठक में विदेशी आक्रमण होने की अवस्था में अहिंसा-व्रत का परित्याग करने का निश्चय किया। राष्ट्रीय सरकार की माँग की गई। गान्धीजी कांग्रेस के नेतृत्व की जिम्मेदारियों से अलग हो गये। सुभाषचन्द्र बोस गिरफ्तार कर लिये गये। अब्दुलगफ़्फ़ारखाँ ने कांग्रेस-कार्य-समिति से इस्तीफ़ा दे दिया। २५ जुलाई को पूना में अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी की बैठक हुई। वाइसराय ने अपनी कार्य-कारिणी कौंसिल को अधिक विस्तृत करके उसमें कांग्रेस को स्थान देने का प्रस्ताव किया और कांग्रेस ने उसे नामंजूर कर दिया। अक्तूबर में कांग्रेस-कार्य-कारिणी-समिति की स्वीकृति से गान्धीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ करने का निश्चय किया। मुस्लिम-लीग ने अपने लाहौर-अधिवेशन में पाकिस्तान-सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया।

———

फिर सत्याग्रह

सात

सारा संसार युद्ध की ज्वाला से जला जा रहा था। मानव-जाति पशुता और क्रूरता का शिकार बन रही थी। साम्राज्यवादी अपने भविष्य के विषय में बहुत चिन्तित हो रहे थे। ऐसी दशा में हिन्दुस्तान इस लड़ाई की आग के प्रभाव से बिलकुल कैसे बच सकता था। वाइसराय ने लड़ाई छिड़ने के बाद महात्मा गान्धी को बुला कर जो बातें की थीं, उनमें उन्होंने लड़ाई-सम्बन्धी कोशिशों में उनकी और उनके द्वारा कांग्रेस की नैतिक सहायता प्राप्त करनी चाही थी। गान्धीजी ने उसी समय वाइसराय से कह दिया था कि उनकी सहानुभूति साथी राष्ट्रों के साथ है; पर वे किसी का विनाश नहीं चाहते। इसके बाद कांग्रेस ने भी लड़ाई के बारे में अँग्रेज़ों को सहायता देने के प्रति अपना रुख स्पष्ट किया और साफ़ कह दिया था कि वह नाज़ी-सरकार के आक्रमणों की निन्दा करती है और उसके शिकार बने हुए लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाती है; पर उसका सहयोग जबर्दस्ती नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि सहयोग सदा बराबर वालों के बीच और पारस्परिक इच्छा से हुआ करता है।

वाइसराय ने फिर गान्धीजी, कांग्रेस के सभापति और जिन्ना को बुला कर फुसलाने की कोशिश की; पर ये नेता उनके फन्दे में न आये।

इस के बाद १९४१ में जो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुईं, उनमें स्थान-स्थान पर किये गये व्यक्तिगत सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गान्धीजी ने अपनी शर्तों पर कांग्रेस का नेतृत्व करना स्वीकार किया। च्यांगकाई शेक हिन्दुस्तान आये और गान्धीजी से मिले। ११ मार्च को क्रिप्स-मिशन के आने की घोषणा की गई।

२७ मार्च को गांधीजी क्रिप्स से मिले। क्रिप्स के प्रस्तावों को 'अगली तारीख़ का चेक' कहकर देश के सभी दलों ने अस्वीकृत कर दिया। इसके पश्चात् इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी की बैठक हुई, जिस में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने पाकिस्तान-योजना स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव किया और कमेटी ने उनका वह प्रस्ताव नामंजूर कर दिया।

भारत छोड़ो-आन्दोलन

महात्मा गान्धी ने 'हरिजन' में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन आरंभ करने के सम्बन्ध में लेख लिखे। ६ जुलाई को कार्य-कारिणी-समिति ने और ८ अगस्त को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी ने उस 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव को पास कर दिया, जिसमें अँग्रेज़ों को सीधे तौर पर भारत छोड़ जाने के लिए कहा गया था।

बम्बई के अधिवेशन में स्वीकृत अँग्रेज़ों के प्रति 'भारत-छोड़ो' विषयक प्रस्ताव इस प्रकार है--

'अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी ने कांग्रेस-कार्य-समिति के १४ जुलाई (१९४२) के प्रस्ताव के उस हवाले पर, जो कार्य-समिति द्वारा पेश किये गये हैं और उसके पश्चात् होने वाली घटनाओं पर, जिनमें युद्ध-घटनावली, ब्रिटिश सरकार के ज़िम्मेदार अधिकारियों के भाषण और हिन्दुस्तान तथा विदेशों में की गई टीका-टिप्पणियाँ भी हैं, बड़ी सावधानी से विचार किया है। यह कमेटी (अ० भा० कां० क०) उस प्रस्ताव को मंजूर करते हुए उसका समर्थन करती है और उसकी सम्मति है कि बाद की घटनाओं के द्वारा इसे और भी मुनासिब बना दिया है और इस बात को साफ़ कर दिया है कि हिन्दुस्तान में विदेशी हुकूमत का, हिन्दुस्तान और साथी राष्ट्रों की आदर्श-पूर्ति के लिए फ़ौरन खत्म हो जाना बहुत ज़रूरी है। इस हुकूमत का स्थायीपन हिन्दुस्तान की इज़्ज़त घटाता और उसे कमज़ोर बनाता है, और अपना बचाव करने तथा दुनिया की आज़ादी के आदर्श की पूर्ति में सहयोग देने की उसकी

ताक़त में क्रमशः कमी पैदा करता है ।

"इस कमेटी ने रूस और चीन के मोर्चों पर स्थिति बिगड़ते निराशापूर्वक देखा है और यह रूसियों और चीनियों की उस बहादुरी की बड़ी प्रशंसा करती है, जो उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने में दिखाई है । जो लोग स्वतन्त्रता के लिए कोशिश कर रहे हैं और हमले के शिकार बने लोगों से हमदर्दी रखते हैं, उन सब को रोज़ाना बढ़ता हुआ खतरा उस नीति की परीक्षा करने के लिए मजबूर करता है, जिसका सहारा साथी राष्ट्रों ने अभी तक ले रखा है और जिसके कारण बार-बार भयानक नाकामयाबियाँ हुई हैं । ऐसे ध्येयों, नीतियों और ढंगों पर कायम रहने से असफलता सफलता में नहीं बदली जा सकती; क्योंकि पिछले तजुर्बे से यह ज़ाहिर हो चुका है कि असफलता इन नीतियों में छिपी हुई है । ये नीतियाँ आज़ादी पर उतनी आधारित नहीं की गई हैं, जितनी कि अधीन और औपनिवेशिक देशों पर प्रभुत्व कायम रखने और साम्राज्यवादी परम्पराओं और ढंगों को बचाये रखने की कोशिशों पर । साम्राज्य को अधिकार में रखना, शासनाधिकार की ताक़त बढ़ाने के बदले एक बोझ और अभिशाप बन गया है ; क्योंकि भारत की आज़ादी से ही ब्रिटेन और साथी-राष्ट्रों की परीक्षा होगी और एशिया और अफ्रीका की जातियों में आशा और हिम्मत भर जायगी ।

"इस तरह इस देश में अँग्रेजी हुकूमत खत्म होने की बहुत अधिक और फौरन ज़रूरत है । इसी पर लड़ाई का भविष्य और आज़ादी एवं प्रजातंत्र की सफलता निर्भर करती है । आज़ाद हिन्दुस्तान अपने समूचे बड़े साधनों को आज़ादी के हक में और नाज़ीवाद, फासिस्टवाद (तानाशाही) और साम्राज्यवाद के खिलाफ लगाकर इस कामयाबी को पक्का कर देगा । इस से सिर्फ लड़ाई की स्थिति पर ही काफी असर नहीं पड़ेगा; बल्कि सारा पराधीन और दुःखी मानव-समाज भी साथी-राष्ट्रों के पक्ष में हो जायगा और हिन्दुस्तान जिन राष्ट्रों का दोस्त होगा उनके

हाथों में संसार का नैतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व भी आ जायगा। बन्धनों में जकड़ा हुआ हिन्दुस्तान, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मूर्तिमान् स्वरूप बना रहेगा और इस साम्राज्यवाद का कलंक सारे साथी-राष्ट्रों की तकदीर को दूषित करता रहेगा।

"इसलिए इस समय के सभी खतरों को देखते हुए हिन्दुस्तान को आज़ाद कर देने और ब्रिटिश-प्रभुत्व को समाप्त कर देने की ज़रूरत है। भविष्य के लिए किसी भी तरह की प्रतिज्ञा और गारंटी से मौजूदा परिस्थिति में सुधार नहीं हो सकता और न उसका मुकाबला किया जा सकता है। इनसे जन-समूह के दिमाग पर वह मनोवैज्ञानिक असर नहीं पड़ सकता, जिसकी इस समय ज़रूरत है। सिर्फ आज़ादी की रोशनी से ही करोड़ों लोगों का वह बल और उत्साह प्राप्त किया जा सकता है, जो फौरन ही युद्ध के रूप को बदल देगा।

"इसीलिए यह कमेटी पूरे आग्रह के साथ हिन्दुस्तान से अँग्रेज़ी सत्ता हटा लेने की माँग को दुहराती है। हिन्दुस्तान की आज़ादी की घोषणा हो जाने पर एक अन्तरिम सरकार कायम कर दी जायगी और आज़ाद हिन्दुस्तान साथी-राष्ट्रों का दोस्त बन जायगा तथा आज़ादी की लड़ाई की मिली-जुली कोशिश की परीक्षाओं और दुःख-सुख में हाथ बंटायेगा। अन्तरिम सरकार देश के मुख्य दलों और श्रेणियों के सहयोग से ही बनाई जा सकती है। इस तरह यह एक मिली-जुली सरकार होगी, जिसमें हिन्दुस्तानियों के सभी महत्त्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। उसका पहला फ़र्ज़ अपनी सशस्त्र और अहिंसात्मक ताकतों के द्वारा साथी-राष्ट्रों से मिलकर भारत का बचाव करना, हमले का विरोध करना और खेतों, कारखानों तथा दूसरी जगहों में काम करने वाले उन श्रमजीविकों की भलाई और उन्नति करना होगा, जो निश्चय ही सभी ताकतों और अधिकारों के सच्चे पात्र हैं। अन्तरिम सरकार एक विधान-निमतृ-परिषद् की योजना बनायेगी और यह परिषद् भारत सरकार के लिए एक ऐसा विधान तैयार करेगी, जो

जनता के सभी वर्गों को मंजूर होगा। कांग्रेस की राय में यह विधान संघीय होना चाहिए, जिसके अन्तर्गत संघ में शामिल होनेवाले सूबों को हुकूमत के ज़्यादा-से-ज़्यादा अधिकार प्राप्त होंगे, बचे हुए अधिकार भी इन प्रान्तों को मिलेंगे। हिन्दुस्तान और साथी-राष्ट्रों के भावी सम्बन्ध उन सभी आज़ाद देशों के प्रतिनिधियों द्वारा निश्चित कर दिये जायँगे, जो अपने पारस्परिक लाभ और हमले का मुकाबला करने के सामान्य कार्य में सहयोग देने के लिए आपस में बातचीत करेंगे। आज़ादी, हिन्दुस्तान को अपनी जनता की सम्मिलित इच्छा और ताक़त के बल पर हमले का कारगर ढंग से विरोध करने में समर्थ बना देगी।

"हिन्दुस्तान की आज़ादी विदेशी प्रभुत्व से अन्य एशियाई राष्ट्रों के छुटकारे का प्रतीक और श्रीगणेश होगी। बर्मा, मलाया, हिन्दचीन, डच-द्वीप-समूह, ईरान और ईराक को भी पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। यह साफ़ तौर पर समझ लेना चाहिए कि इस समय जो देश जापान के नियन्त्रण में हैं, उन्हें बाद को किसी औपनिवेशिक सत्ता के अधीन नहीं रखा जायगा।

"इस ख़तरे के समय में यद्यपि इस कमेटी को मुख्यत. हिन्दुस्तान की आज़ादी और बचाव से नाता रखना चाहिए, तो भी कमेटी की राय है कि संसार की भावी शान्ति, सुरक्षा और सुव्यवस्थित उन्नति के लिए स्वतन्त्र राष्ट्रों का एक विश्व-संघ बनाने की ज़रूरत है। और किसी बात को आधार बनाकर आधुनिक दुनिया की समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता। इस तरह के विश्व-संघ में उसमें सम्मिलित होने वाले राष्ट्रों की स्वतन्त्रता, एक राष्ट्र-द्वारा दूसरे पर हमले और शोषण का रोकना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों का संरक्षण, पिछड़े हुए सभी क्षेत्रों और लोगों की उन्नति और सब के सामान्य हित के लिए संसार के साधनों का एकत्रीकरण किया जाना निश्चित हो जायगा। इस तरह का विश्व संघ स्थापित हो जाने पर सभी देशों में निःशस्त्रीकरण हो सकेगा। राष्ट्रीय सेनाओं, नौ-सेनाओं और वायु सेनाओं को कोई ज़रूरत

नहीं रहेगी और विश्व-संघ-रक्षक सेना संसार में शान्ति रखेगी और हमले को रोकेगी।

"आज़ाद हिन्दुस्तान ऐसे विश्व-संघ में खुशी से शामिल होगा और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के सुलझाने में अन्य देशों के साथ बराबरी के आधार पर सहयोग करेगा।

"ऐसे संघ का द्वार उसके आधार-भूत सिद्धान्तों का पालन करनेवाले समस्त राष्ट्रों के लिए खुला रहना चाहिए। लड़ाई के कारण यह संघ शुरू में सिर्फ साथी-राष्ट्रों तक ही सीमित रहेगा। अगर यह काम अभी शुरू कर दिया जाय, तो लड़ाई पर, धुरी-राष्ट्रों की जनता पर और आगामी शांति पर इसका बड़ा ज़ोरदार असर पड़ेगा।

"पर यह कमेटी अफसोस के साथ अनुभव करती है कि लड़ाई से दुःखद और बेचैन कर देनेवाले सबक सीख लेने के बाद और दुनिया पर खतरे के बादल घिरे होने पर भी कुछ ही देशों की सरकारें विश्व-संघ बनाने की ओर कदम उठाने को तैयार हैं। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया और विदेशी पत्रों की भ्रमपूर्ण टीका-टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो गया है कि हिन्दुस्तान की आज़ादी की साफ़ माँग का भी विरोध किया जारहा है, यद्यपि यह वर्तमान ख़तरे का सामना करने और आत्म-रक्षा के अतिरिक्त ज़रूरत के मौके पर चीन और रूस की सहायता करने के लिए की गई है। चीन और रूस की आज़ादी बड़ी कीमती है और उसकी हिफ़ाज़त होनी चाहिए; इसलिए यह कमेटी इस बात के लिए बहुत उत्सुक है, कि उसमें किसी तरह की बाधा न पड़े और साथी-राष्ट्रों की रक्षा-शक्ति में कोई बाधा न पड़ने पाये। पर, हिन्दुस्तान और इन राष्ट्रों के लिए संकट रोज़ बढ़ता ही जा रहा है और इस समय विदेशी शासन-प्रणाली के आगे सिर झुकाने से हिन्दुस्तान का पतन होता जारहा है और खुद आत्म-रक्षा करने और हमले का विरोध करने की उसकी ताकत घटती जा रही है। इस हालत में, न तो रोज़ बढ़ते जानेवाले खतरे की कोई रोक-थाम की जा सकती है न और साथी-

राष्ट्रों की जनता की कोई सेवा ही की जा सकती है। कार्य-समिति ने ब्रिटेन और साथी-राष्ट्रों से जो हार्दिक अपील की थी, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। बहुत-से विदेशी हलकों में की गई टीका-टिप्पणियों से ज़ाहिर हो गया है कि हिन्दुस्तान और संसार की आवश्यकताओं के विषय में अज्ञान फैला हुआ है। कभी-कभी तो प्रभुत्व क़ायम रखने की भावना और जातिगत ऊँच-नीच का द्योतक वह विरोध भी दिखाया गया है, जिसे अपनी शक्ति और अपने ध्येय के औचित्य का ज्ञान रखनेवाली कोई भी स्वाभिमानिनी जाति सहन नहीं कर सकती।

"कमेटी इस अन्तिम क्षण में विश्व-स्वातंत्र्य का ध्यान रखते हुए फिर ब्रिटेन और साथी-राष्ट्रों से अपील करना चाहती है; पर वह इस बात का भी अनुभव करती है कि उसे अब राष्ट्र को एक ऐसी साम्राज्यवादी और शासनप्रिय सरकार के विरुद्ध अपनी इच्छा प्रदर्शित करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है, जो उस पर अधिकार जमाये हुए है और जो उसे अपनी और मानव-जाति की भलाई के ख़याल से काम करने से रोकती है। इसलिए, कमेटी भारत की स्वाधीनता और स्वतंत्रता के अविच्छेद्य अधिकार का समर्थन करने के उद्देश्य से अहिंसात्मक ढंग से और अधिकाधिक विस्तृत पैमाने पर एक विशाल आन्दोलन चालू करने की मंजूरी देने का निश्चय करती है, जिससे देश गत बाईस वर्षों से शान्तिपूर्ण संग्राम के लिए संचित की गई सारी अहिंसात्मक शक्ति का प्रयोग कर सके। यह संग्राम निश्चय ही गांधीजी के नेतृत्व में होगा और कमेटी उनसे नेतृत्व करने और प्रस्तावित कार्यवाहियों में राष्ट्र का पथ-प्रदर्शन करने का निवेदन करती है।

"कमेटी, हिन्दुस्तानियों से उन संकटों और कठिनाइयों का, जो उन पर आयेंगे, साहस और मजबूती के साथ सामना करने और गांधी-जी के नेतृत्व में एक बने रहकर हिन्दुस्तान की आज़ादी के नियंत्रित

सैनिकों की भाँति उनके आदेशों का पालन करने की अपील करती है। उन्हें यह ज़रूर याद रखना चाहिए कि इस आन्दोलन का आधार अहिंसा है। ऐसा समय आ सकता है, जब आदेश देना या आदेशों का हमारी जनता तक पहुँच सकना सम्भव न होगा और जब कोई भी कार्य-समिति काम नहीं कर सकेगी। ऐसा होने पर इस आन्दोलन में भाग लेनेवाले प्रत्येक नर-नारी को सामान्य आदेशों की सीमा में रहते हुए अपने-आप काम करना चाहिए। स्वतंत्रता की अभिलाषा और उसके लिए कोशिश करनेवाले हरेक हिन्दुस्तानी को खुद अपना पथ-प्रदर्शक बनकर उस कठिन मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, जहाँ विश्राम का कोई स्थान नहीं है और जो अन्त में भारत की स्वतंत्रता और छुटकारे पर ही जाकर समाप्त होता है।

अन्त में यह कहा गया है कि "यद्यपि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज़ाद हिन्दुस्तान की भावी सरकार के बारे में अपना विचार प्रकट कर दिया है, तो भी कमेटी सभी सम्बद्ध लोगों के लिए यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती है कि विशाल सामूहिक संघर्ष करके वह कांग्रेस के लिए सत्ता प्राप्त करने का इरादा नहीं रखती। सत्ता जब कभी भी मिलेगी, उस पर हिन्दुस्तान के सभी लोगों का अधिकार होगा।"

महात्माजी का भाषण

इस प्रस्ताव के बाद महात्मा गांधी ने जो भाषण किया, उसका सारांश इस प्रकार है:—

"एक जमाना था जब मुसलमान कहते थे कि हिन्दुस्तान हमारा मुल्क है। उस समय वे नाटक नहीं करते थे। वे हमारे साथ लड़े थे। ख़िलाफ़त में शरीक हुए थे। उनके साथ मैं बरसों रहा। लोग कहते हैं कि मैं भोला हूँ। पर इसके मानी यह थोड़े ही हैं कि मैं यह मान लेता हूँ। पर मैं सुन लेता हूं। मुझे धोखेबाज़ बनने के बजाय भोला कहलाना अच्छा लगता है। मेरा तो यह स्वभाव है, कि जब तक

कोई चीज़ सामने नहीं आती, मैं ऐतबार कर लेता हूं। यह चीज़ प्रस्ताव में भरी है। मुसलमान और हिन्दू भी कहते हैं कि हिन्दू-मुस्लिम एकता होनी चाहिए। दूसरी सभी कौमों का भी इत्तिहाद होना चाहिए। होता है, तो अच्छा ही है। कुछ लोग मुझसे आकर कहते हैं कि तू जब तक जिन्दा है, तभी तक यह बनेगा। लेकिन मेरा हृदय इसे कबूल नहीं करता। जिसे मेरा दिल कबूल नहीं करता उसमें मुझे रस नहीं है। मैं तो जब छोटा बच्चा था, तब से इस चीज को जानता था। मदरसे में हिन्दू, मुसलमान और पारसी सब थे। उनसे मैंने दोस्ती की थी। मैं जानता था कि यदि हम हिन्दुस्तान में अमन से रहना चाहते हैं, तो पड़ोसी के फ़र्ज़ का भली-भाँति पालन करना चाहिए। अफ्रीका भी गया तो मुसलमानों का काम लेकर गया और सबका दिल हरण कर लिया। जो मेरे उसूलों के मुख़ालिफ़ थे, उन्होंने भी मुझपर विश्वास किया। वे जानते थे कि यह जो बात कहेगा, वह न्याय की ही होगी। वहां से आया, सो भी हारकर नहीं आया। सबको रोते हुए छोड़कर आया। यहाँ भी वही चीज़ मेरे सामने पैदा हो गई। बड़ा काम किया, तो मुसलमानों के लिए भी किया। उस समय मुझे कोई दुश्मन नहीं मानता था। ख़िलाफत में मैंने क्या स्वार्थीपन किया ? मैं गाय की पूजा करता हूँ। हम एक हैं, तो सिर्फ इन्सान ही नहीं जीवमात्र एक हैं। सब खुदा के बन्दे हैं। इसकी फिलासफी आज मैं समझाना नहीं चाहता। वे दोनों भाई और मौलाना बारी मेरी गवाही दे सकते हैं कि मैंने गाय के बारे में क्या कहा था। मैंने कहा था कि गाय को बचाने के लिए मैं सौदा करना नहीं चाहता। अगर आप स्वतन्त्र रूप से ऐसा करेंगे, तो अच्छा होगा। मैं तो मुसलमानों के साथ खाना भी खा लेता हूं। लोग उस जमाने में इसे अच्छा नहीं मानते थे। अब तो सब जान गये कि यह तो भंगी के साथ भी खा लेता है। लेकिन उन दिनों मौलाना बारी ने कहा कि मैं आपको अपने यहां नहीं

खिलाऊँगा। उस समय यह उनके लिए बड़ी शराफत की बात थी। बड़ी तंगी से मकान में रहते थे। उनके पास कोई महल थोड़े ही पड़ा था? फिरङ्गी महल के एक कोने में रहते थे। मेरे लिए ब्राह्मण रखते थे। शराफत के साथ शराफत चलती थी। यह सब मैं सबको सुनाना चाहता हूं। जिन्ना साहब को भी। वे भी तो कांग्रेसी थे। भले ही आज बिगड़ गए तो क्या हुआ? भाई तो है। खुदा उनको बड़ी उमर दे। वे तब याद करेंगे कि गांधी ने कभी धोखा नहीं दिया, झूठी बात नहीं की। आज वे या मुसलमान नाराज हैं, तो मैं क्या करूँ। मारना चाहें तो मार भी सकते हैं। मेरे पास क्या है, मेरी गर्दन तो उनकी गोद में पड़ी है। और कोई मेरे गले में छुरी भी मार दे, तो बुरा भी नहीं लग सकता। मैं बुरा क्यों मानूँ? वह कोई सच्चे गांधी को थोड़े ही मारना चाहते हैं, वह तो उस गांधी को मारना चाहते हैं जिसे वह बुरा मानते हैं। तो मैं तो वही आदमी हूं। इस बात को मुसलमान न भूलें। गालियां देना चाहें तो दें। इससे मुझे ईजा नहीं पहुंचती। इस्लाम को मैं जानता हूं। वह तो कहता है दुश्मन को भी गालियां देना बुरा है। मुहम्मद साहब भी यही कहते थे। वे दुश्मन को अपनाते थे। उसके साथ नेकी करते थे। अगर मुसलमान इस्लाम के हैं, तो जो आदमी खुदा को हाजिर-नाजिर कहकर कोई बात कहता है, तो उस पर विश्वास करना चाहिए। जो गालियाँ देते हैं, वे तो गोलियाँ चलाते हैं। वे गोलियों से मेरा खातमा कर दें, तो भी मुझपर असर नहीं कर सकते। पर इस्लाम का क्या? वे बारह आदमी हैं। उन्हें मौलाना साहब ने कितना समझाया, पर उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। पर इसकी कोई बात नहीं। जहां हमारी फिलासफी की बात हो, वहां दोस्ती इस्तेमाल न की जाय। आपको जो सही लगे, सो ही करें। कोई काम मेरे लिए नहीं, इस्लाम की भलाई के लिए करें।

"अगर पाकिस्तान सही चीज है, तो वह जिन्ना साहब की जेब में पड़ा ही है। हर मुसलमान की जेब में पड़ा है। पर अगर वह सही चीज नहीं है, तो उसे कौन हजम कर सकता है। तकबरी से तो खुदा भी भागता है, कोई क्या जाने कि जिन्ना क्या चाहते हैं। जिन्ना साहब बड़े नाराज होते हैं। एक बार उन्होंने लिखा, 'मेरे खत पढ़कर आप को बहुत दुःख होता होगा। आपको मेरी बात बहुत चुभती होगी पर मैं क्या करूं? जो दिल में है, सो कहता हूं।' मैं उन्हें इसके लिए मुबारकबादी देता हूं। लेकिन आप जो उस चीज को नहीं मानते, उनसे मैं कहता हूँ कि आपको जो बात सही मालूम हो, वही करें। सबकी राह न देखें। अरब में करोड़ों लोग पड़े थे। लाखों थे उनमें अकेले। उनमें अकेले पैगम्बर साहब की क्या बिसात थी? पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि जब मेरे साथ करोड़ों होंगे तभी इस्लाम जारी करूँगा। मैं आपसे कहता हूँ, जिसे सही न मानें, उसे कबूल न करें। राजाजी से भी मैंने यही कहा। वे कहते थे कि दे दो। दे देंगे तो वे मांगेंगे नहीं। मेरी शराफत होगी। पर मैं इस चीज को ठीक नहीं मानता। मैं तो जिन्ना साहब से भी कहता हूँ कि जो महज आपको मनाने के लिए बात करते हैं, उन्हें आप कभी कबूल न करें। मेरे पास कई मुसलमान आते हैं। वे कहते हैं, पाकिस्तान बुरी चीज है। पर दे दो। पर पीछे इसका नतीजा क्या होगा? यह बुरी बात है। और जब तक उसे मैं बुरा मानता हूँ, साथ न दूंगा। पर इसके मानी क्या हैं? समझ लें हम मुसलमानों को दबा कर कोई बात नहीं करना चाहते। इस तरह विश्वास कैसे हो सकता है? वह अहिंसा से ही होगा। इसलिए कहता हूँ कि जो हक की बात है, उसे मान लें। यह मैं कांग्रेस की तरफ से कहता हूं। पंच भी बना सकते हैं। पर उनमें भी हमारा एतबार तो होना चाहिए। उसे भी नहीं मानेंगे, तो आपकी जबरदस्ती नहीं तो क्या है? उसे कोई कैसे मानेगा? एक जिन्दा चीज के टुकड़े करेंगे? जिन्दा चीज को मारकर क्या लेंगे? हाँ, हम यह कहते हैं कि कोई किसी को

मजबूर नहीं कर सकता। लड़ाई करके ले सकते हैं। मुझे तो खुल्लम-खुल्ला कहते हैं, ऐसा हिन्दू मैं नहीं हूं। कांग्रेस ऐसे हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अगर आप कांग्रेस का एतबार नहीं करते, तो आपके हिन्दुस्तान के नसीब में झगड़े-ही-झगड़े हैं। पर यह ठीक रास्ता नहीं है। अगर मुझ से खुदा ठीक बोल रहा है, तो आप इससे मुझे जिन्दा नहीं पायेंगे। अगर चीज सही नहीं है तो तलवार के बल पर लेंगे, यह कहना क्या ठीक है? मुहम्मद साहब ने यह तरीका नहीं बताया।

"मैंने बहुत वक्त लिया। सारी रात सोचता रहा। पर तन्दुरुस्ती की भी फिक्र रखनी पड़ती है, डॉक्टरों ने भी कहा है कि सम्हलकर काम करो। पर जो चीज खुदा ने दे दी है, उसे तो उसके लिए खर्च करना ही है। और अभी तो जबान चल रही है। पहले तो मैं हिन्दू-मुसलमानों की बात करता हूँ। हम एक बन जायँ, सही माने से मान लें, दिल में कोई परदा नहीं रखें और हिन्दुस्तान को विदेशी कब्जे से छुड़ाने के लिए यत्न करें। पाकिस्तान भी तो आखिर हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है। इसलिए पहली बात यही है कि हिन्दुस्तान के लिए लड़ें। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी कामयाब होंगे। छै महीने तो बड़ी बात है। आज रात को भी ले सकते हैं। पर एक बात याद रखें। हिन्दू-मुसलमान एकता तो चाहिए। पर अगर नहीं मिलती, तो भी आजादी तो लेनी ही है।

"पर हम यह समझकर नहीं लें कि अकेले हिन्दुओं के लिए लेना है। पैंतीस करोड़ के लिए लेना है। हक की बात है। जिन्ना साहब कहते हैं कि मुस्लिम राज होगा। मौलाना साहब की ऑफर का यह मतलब नहीं कि मुस्लिम राज होगा। हो जाय तो उसकी भी परवा नहीं। पर जो हमने ऑफर की सो जिन्ना साहब की मुसलमानों की बादशाहत के लिए नहीं की। वह तो हिन्दू, मुसलमान, पारसी वगैरह सबकी होगी। मेरा लड़का मुसलमान हो गया, तो उसका होमलैंड

कहां होगा ? और अब तो यह आर्यसमाजी है । उसकी हालत क्या होगी ? उसका कौन-सा मुल्क होगा, उसे कहां रखेंगे ? वह अपने बाप को थोड़े ही भूल गया है । उसकी माँ ने खत लिखा । वह पक्की हिन्दू है । राम को मानती है । पर उसका खुदा तो भोला है । अनपढ़ औरत है । पर उसका खुदा उसकी सुन लेता है । उसका नाम लिख लेता है । ऐसा बेवक़ूफ़ खुदा है, सो उसने लिखा कि मेरा लड़का मुसलमान हो गया, इसकी मुझे शिकायत नहीं । पर वह शराब पीता है, उसे आप कैसे बरदाश्त करते हैं ? उसका लड़का खतरा उठाकर भी मुसलमानों के बीच यह देखने के लिए गया कि उसके बाप ने शराब और व्यभिचार दोनों में से एक भी छोड़ा या नहीं । पर उसने एक भी नहीं छोड़ा। पर मैंने उससे सबक लिया । इस चीजको समझ सब जायँ । इस लड़ाईमें जितने हिन्दू हैं, उतने ही मुसलमान भी आसकते हैं, मुसलमानोंको कांग्रेस के दफ्तर में कौन-सी रुकावट है। वह तो बड़ा डेमोक्रेटिक आरगेनाइजेशन है । इसलिए पहला सबक यह है कि आप जो लड़ते हैं, सिर्फ़ हिन्दुओं के लिए नहीं लड़ते । सब माइनॉरिटीज के लिए लड़ते हैं । मुसलमान भी लड़ें । सबके लिए लड़ें । आपस में जरा भी नहीं लड़ना चाहिए । किसी हिन्दू ने मुसलमान को मार डाला या किसी मुसलमान ने हिन्दू को मार डाला, यह मैं नहीं सुनना चाहता। हिन्दू मुसलमान एक-दूसरे के लिए अपनी जान दे दें । यह मसला सबका है । झगड़े के मौके हर वक्त आनेवाले हैं । इसलिए कहता हूँ, सब्र करें । कोई एक मारे तो आप दो न मारें । मुसलमान भी ऐसा ही करें । कोई तलवार चलाता है, तो अपनी गर्दन उसके हाथ में रख दें । मेरी हिदायत सबके लिए है । क्योंकि यह Mass Struggle कैसे चलेगा, सो बता रहा हूँ । यह छोटी-से-छोटी शर्त है ।

"पकल साहब का फर्मान पढ़ें । उसे छापकर मैंने सरकारकी खिदमत की है । 'हरिजन' में दे नहीं सकता था । आपको पता चल जायगा कि सरकार कैसे चलती है । पर उसका रास्ता टेढ़ा है । आपका सीधा है,

आप आंखें मूंदकर भी उस पर चल सकते हैं। यही सत्याग्रह का रास्ता है।

"कोई-कोई कहते हैं, यह जल्दी होगी। तैयारी की जरूरत है। जितनी मुसाफरी मैंने की, उतनी किसी ने नहीं की, जो जिन्दा है। मैं लोगों को जानता हूँ, मेरा तो दिल उनके पास है। और तैयारी का क्या करूं? मेरी तैयारी कच्ची, मैं कच्चा और मेरा लश्कर भी कच्चा। पर हमला आ-गया तो क्या करूँ? अब तैयारी कर लें। खुदा क्या कहेगा? वह तमाचा नहीं मारेगा? क्या वह यह नहीं कहेगा कि तुमको मैंने जो खजाना दिया, उसे तो निकाल देता। बाकी तो पीछे मैं था ही। मैं सिर्फ हिन्दुस्तान के लिए नहीं लड़ता। यों तो मेरे पास बहुत-सी लड़ाइयां पड़ी थीं। पहले कहते थे, परेशान नहीं करेंगे। पर अब ऐसे कब तक बैठेंगे? वे बारह भाई जूझते हैं, तब मैं क्यों नहीं जूझूं? आप मेरे दिल को समझ सकते हैं।

"अब क्या करना है, वह सुना दूं। आपने रेजोल्यूशन तो पास कर लिया। पर हमारी सच्ची लड़ाई शुरू नहीं हुई। आप मेरे मातहत हो गये। अभी तो वाइसराय से मिन्नत करूँगा। समय तो देना होगा, उस बीच आपको क्या करना है।

"मौलाना साहब ने पूछा कि तब तक कोई कार्य-क्रम तो बताइए। मैंने कहा, चरखा है। मौलाना साहब निराश होगये। मैंने कहा, चौबीस घण्टे काम करना है, तो कुछ तो चाहिए। इसलिए चरखा बताया। और भी कहता हूं। तब मौलाना खुश होगये। अब सुनाता हूं, सब क्या कर सकते हैं।

"आप मान लें, कि हम आज़ाद बन गये। आजादी के माने क्या हैं? गुलामी की जंजीरें तो छूटीं। उसके दिल से तो छूटीं। अब वह तदबीर करता है। अपने मालिक से कहता है, मैंने गुलामी छोड़ दी। लेकिन आप से नहीं डरूंगा। आप जिन्दा रखना चाहते हैं, तो जिन्दा रखें। आप मुझे खुराक देते थे। पर वह तो मेरी ही पैदा की हुई थी।

"अब बीच में समझौता नहीं है। मैं नमक की सुविधाएँ या शराबबन्दी लेने को नहीं जा रहा हूं। मैं तो एक ही चीज लेने जा रहा हूं आजादी। नहीं देना है, तो कत्ल करें। मैं वह गांधी नहीं, जो बीच में कुछ चीज लेकर आ जाय। आपको तो मैं एक मन्त्र देता हूं, 'करेंगे या मरेंगे।' जेल को भूल जायँ। आप सुबह शाम यही कहें, कि खाता हूं, पीता हूँ, सांस लेता हूँ, तो गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए। जो मरना जानते हैं उन्हीं ने जीने की कला जानी है'। आज से तय करें कि आजादी लेनी है। नहीं लेनी है तो मरेंगे। आजादी डरपोकों के लिए नहीं। जिनमें करने की ताकत है, वही जिन्दा रह सकते हैं। हम चींटियां नहीं। हम हाथी से भी बड़े हैं; हम शेर हैं।

"पहले तो मेरे सामने अखबार हैं। वे या तो सरकारकी आवाज हैं और अगर हमारी आवाज हैं, तो दबकर काम करते हैं। पर वह जंजीर से छूट जायँ। आजादी के लिए सबको बुलाता हूं। आप तो इस मैदान में आजायं। अपनी कलम मुझे दे दें। अगर यह भय हो कि सरकार छापेखाने ले लेगी। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि अखबार बन्द कर दें। खामखाह जमानत न दें। अगर देना चाहें तो दे दें। पर कलम को न रोकें। वह भी बहादुरी का काम है। मैंने क्या किया? इतना बड़ा कारखाना चलता था। सबको बन्द कर दिया। और फिर नया प्रेस पैदा हो गया। फिर मैंने तो आपको एक मध्यम मार्ग बताया। अखीरी चीज आपके सामने नहीं रखी। एलान कर दें कि अब स्टैंडिंग कमेटी को छोड़ देंगे। सिर्फ आजाद हिन्दुस्तान की सरकार को ही मानेंगे। अगर आप बहुत दूर नहीं जा सकते, तो कहें आपकी चीज भी देंगे और कांग्रेस की भी देंगे। अगर बरदाश्त नहीं कर सकते, तो नहीं करना है।

"आजादी आ रही है, और इसके लिए राजा लोगों से तो मैं वह भी नहीं मांगता। उनसे कहता हूँ कि मैं आपका खैरख्वाह हूं। काठियावाड़ का हूं। मेरे पिता तीन जगह दीवान रहे। आपका नमक

खाया। मैं नमकहराम कभी नहीं हुआ। आपके सामने एक नमकहलाल मिन्नत करता । अब तक आप सल्तनत के रहे। उससे सत्ता पाई। पैसे लिए। पैसे तो पिताजी ने भी पाये । पर उन्होंने पोलिटिकल एजेण्ट से लड़ाई की। एक दिन हवालात में भी रहे। उनका मैं लड़का हूं। मेरे जिन्दा रहते आप कुछ काम करेंगे तो आपके लिए जगह है। मेरे पीछे करेंगे तो भी जवाहरलाल नहीं मानेंगे। वह तो कहता है राजा लोग, पूँजीपति, जमींदार किसी के लिए अब जगह नहीं है। वह तो प्लाण्ड एकोनामीवाला है। उसकी बहुत-सी बातें पी जाता हूं। वह तो उड़नेवाला आदमी है। चाहेगा तो हवाई जहाज में बैठकर चीन भी चला जायगा। पर मेरे पास तो सबके लिए जगह है। एक मंत्र है, तुझे कोई चीज अपनाना है, तो पहले खुदा को दे दे, उसको छोड़दे । हिन्दुस्तान में इतने लोग हैं। मैं तो इन्हीं की मारफत खुदा को पहचानता हूं। वही खुदा है। अगर वह नहीं है तो मैं दूसरे खुदा को नहीं जानता। इसी तरह राजा लोग भी प्रजा से कह दें, राज आपकी ही मिलकियत है। तब राजाओं को किसी बात की कमी न रहेगी। प्रजा उन्हें दोनों हाथों से देगी। वह राजा रहेगा। वंश-परम्परा नहीं। वंश-परम्परा भी रहेगी अगर वे दुनिया की सेवा करते रहेंगे। इसलिए राजाओं से कहना चाहता हूं कि आप गुलामी में न रहें। रहना है, तो हिन्दुस्तानियों की सल्तनत में रहें। पोलिटिकल डिपार्टमेंट को लिख दें कि खल्कत उठ गई तो हम कहां रहें। चक्रवर्ती तो मातहत राजाओं को बचाता है। जिसको राजा उठाते हैं, वह चक्रवर्ती नहीं। इसलिए कह दीजिए कि हम तो रैयत हो गये। वह बैठायेगी तो बैठेंगे। हम उसका साथ देंगे। इसमें कोई कानूनी कठिनाई नहीं। राजाओं के लिए कोई कानून नहीं। पोलिटिकल डिपार्टमेंट की जबानी बातों को ही मानें तो मैं क्या करूँ? यह तो आप दावा नहीं कर सकते कि हम अलग हैं। अगर आप रैयत के साथ रहेंगे, तो आप उसके सरदार रहेंगे।

"राजाओं से इस तरह साफ-साफ कह दें। और इतने पर वे मारें तो मर जायं। तेरह हों तो तेरह। कोई बात छिपाकर नहीं करनी है। इस लड़ाई में गुप्तता तो है ही नहीं।

"अब जज वगैरह से। वे भी अभी कुछ न करें। आज ही इस्तीफा न दें। रोक लें। पर अपनी आजादी कायम रखें। कह दें, मैं तो कांग्रेस का आदमी हूं। रानाडे ने यही किया था। सिर्फ एक मर्यादा का पालन करूंगा। न्यायासन पर न कांग्रेस का हूँ, न सरकार का। आज़ाद। कोई कानून नहीं जो मुझे यह कहने से मना करे। रानाडे जब तक जिन्दा थे वे ऐसा ही करते थे। कांग्रेस में बराबर जाते थे, पर भाग नहीं लिया। समाज-सेवा-संघ पैदा कर दिया। उस जमाने में यह कम नहीं था। आज भी जज ऐसा कर सकते हैं। गुप्त हिदायतें निकलें, उनको न मानें। कह दें कि हम तो कांग्रेस के आदमी हैं। यह सरकार को मंजूर हो, तो रहें नहीं तो निकल जायं।

"अब सिपाही! वे इतना तो कह दें कि अब तक तो हमने अपने दिल की बात छिपा कर रखी, पर अब तो हम कहते हैं कि हम कांग्रेस के हैं।

"कई सिपाही मेरे पास आये, जवाहरलाल के पास भी आये, मौलाना साहब के पास आये, और अलीभाइयों के पास भी आये थे। सिपाही नहीं बड़े-बड़े अफसर भी। पर हम उनको रोकते रहे। पर अब वे एलान कर दें कि हम पेट के लिए काम करते हैं, पर आदमी तो कांग्रेस के हैं। आप हमारे ही लोगों पर गोली-लाठी चलाने की बात कहेंगे, तो नहीं मानेंगे। अपने दुश्मन पर चला देंगे। इतना कह देंगे तो बहुत बड़ी आबोहवा पैदा हो जायगी। कितने ही ऐरोप्लेन आयें, हमें परवाह नहीं।

"इसी तरह से प्रोफेसर और विद्यार्थी। उनको भी आज तो खींचना नहीं चाहता। वे भी इतना तो कह दें कि हम तो कांग्रेस के हैं। प्रोफेसर भी कह दें। वे तो उस्ताद हैं। पर काम तो हमारा ही

करते हैं। मेरी एक गाना सिखानेवाली थी। वायोलिन सिखाती थी। कितनी मुहब्बत से वह सिखाती थी। नौकर की तरह काम करती थी। मैं तो English Gentleman बनने जा रहा था। उसका ठीक-ठीक अर्थ बतानेवाला शब्द तो मेरे पास है ही नहीं। वाशिंगटन आयरविंग ने इसकी ठीक परिभाषा लिखी है। सो वह मुझे इंग्लिश जैंटिलमैन बनाने के लिए वायोलिन सिखाती थी। जो फीस लेती थी उसका पूरा बदला देती थी। इसी तरह प्रोफेसर भी सिखाते हैं। उनसे हम कह दें, कि आप सल्तनत के हैं, या हमारे। हमारे हैं, तो अच्छा है। मकान खाली करने की आज जरूरत नहीं, इनमें से जिनको निकालना चाहूँगा, निकालूंगा। हवाई बात नहीं करता।

"मेरे दिल में तो कहने को बहुत है। पर सब मैं बाहर कर सकूँ, इतना समय नहीं है। मुझे अभी थोड़ा अंग्रेजी में भी बोलना बाकी है। रात हो गई है, बहुत देर हो गई है, फिर भी इतनी शान्ति से इतने ध्यान से आपने मुझे सुना इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सच्चे सिपाही ऐसा ही करते हैं।

"बाईस वर्ष तक बोलने-लिखने में मैंने संयम रखा है, ताकत इकट्ठी की है। जो अपनी ताकत हमेशा खर्च नहीं करता वह ब्रह्मचारी—पाकदामन—कहा जाता है। वह हमेशा जीभ पर काबू (संयम) रखकर दबी जबान से बोलेगा। जिन्दगी भर मेरा प्रयत्न इस दिशा में रहा है, फिर भी आज इतने सारे लोगों को इतनी रात तक रोक रखकर—आपके ऊपर जबरदस्ती करके भी—मुझे आपको आज जो कहना चाहिए था, वह कह दिया। उसका मुझे पश्चात्ताप नहीं है। आपकी मार्फत सारे हिन्दुस्तान को कह दिया।"

इसके बाद अँग्रेजी भाषा में बोलते हुए गांधीजी ने बताया कि, जिनकी सेवा के लिए अभी आपने मुझे नियुक्त किया, उनके सामने मेरे अन्तर के मन्थन को बाहर उंडेलने में मैंने आपका बहुत समय

ले लिया है। मुझे नेतागिरी बख्शी गई—फौजी परिभाषा में मुझे सेनापति पद दिया गया, पर मैं इस दृष्टि से नहीं देखता। मेरे पास अपना सेनापति-पद चलाने के लिए प्रेम के अलावा दूसरा शस्त्र नहीं है। जिस लकड़ी के सहारे मैं चलता हूँ उसे तो आप आसानी से तोड़कर फेंक सकते हैं, ऐसी है। ऐसे अपङ्ग आदमी को जब ऐसी लड़ाई का बोझा उठाने के लिए आमन्त्रित किया जाय तो इसमें उसके लिए पौरुष अनुभव करने-जैसा क्या है? मेरा यह बोझा आप तभी हलका कर सकते हैं जब कि मैं आपके सेनापति के रूप में नहीं बल्कि आपके नम्र सेवक की तरह खड़ा रहूं। जो सेवा में सबसे चढ़कर हो वह समान दरजे के सेवकों में अगुआ सेवक है, इतना ही इसका अर्थ है!

"इसलिए पहली सीढ़ी पर ही मैं आपसे क्या-क्या अपेक्षा रखता हूँ, इस बाबत अपने मन के उद्गार मैंने अब तक आपके सामने रखे। ध्यान रहे कि आज भी अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। अभी भी मुझे सरिश्ते-मुजब अनेक विधियां करनी पड़ेंगी। जो बोझा मुझ पर आया है, सच ही वह असह्य है। मुझे ऐसों के सामने जाकर विनय-प्रार्थना करनी है जिनका आज मुझ पर विश्वास नहीं है। दुनिया भर के अनेक मित्रों के आगे भी आज मैं अपनी साख खो बैठा हूँ। मेरी समझदारी पर, बल्कि मेरी प्रामाणिकता पर भी उनके मन में शङ्का खड़ी हो गई है। मेरी समझदारी की कीमत कम आंकी जाय, इसका मुझे दुःख नहीं है, पर मेरी नीयत के बारे में शङ्का उठाई जाय, यह तो मेरे लिए दारुण आघात है। लेकिन आज तो यही स्थिति है।

"ऐसे प्रसंग आदमी की जिन्दगी में आते हैं, पर सत्य के शोधक के लिए जिसे डर या पाखण्ड के बिना मानव जाति अथवा देश की यथाशक्ति सेवा करनी है, उसे तो यह सब सहने ही पड़ते हैं। पचास वर्ष की अपनी शोध में शुद्ध सेवा का इससे दूसरा रास्ता मैंने नहीं

जाना। मैंने मानव जाति की, साम्राज्य की एक से अधिक प्रसंगों पर यथाशक्ति सेवा बजाई है और मैं ऐसा कह सकता हूं कि कहीं भी अपने किसी निजी स्वार्थ अथवा बदले की आशा से मैंने कोई काम नहीं किया। लार्ड लिनलिथगो के साथ मेरी मित्रता है, जो उनके ओहदे की सीमा को भी लांघ गई है। अपनी लड़की के साथ भी उन्होंने मेरा परिचय कराया। उनकी लड़की और जमाई दोनों मेरी तरफ आकर्षित हुए। उनके जमाता ए० डी० सी० हैं और वे महादेव के खास मित्र बन गये हैं। उनकी लड़की आज्ञाकारिणी और सबको प्रिय लगनेवाली है। इन सब पवित्र व्यक्तिगत सम्बन्धों का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि लार्ड लिनलिथगो और मेरे बीच जो व्यक्तिगत प्रेम-सम्बन्ध है, उसका आपको पता चल जाय। और ऐसा होने पर भी नम्रता-पूर्वक जाहिर करता हूं कि यदि कभी ऐसे लार्ड लिनलिथगो के सामने, साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में, मरणान्त लड़ाई छेड़ना मेरे नसीब में लिखा होगा तो यह व्यक्तिगत प्रेम-सम्बन्ध रत्ती भर भी बीच में नहीं आयेगा। मैं सल्तनत के पशुबल का सामना करोड़ों भारतीयों की मूक-शक्ति से करूँगा, जिन्होंने लड़ाई के लिए उपयुक्त अहिंसा के सिवाय और कोई मर्यादा नहीं रखी होगी। मेरे लिए अत्यन्त कठिन काम होगा कि जिनके साथ मेरा ऐसा घरोपा है, उन्हीं के सामने मैं लड़ाई छेड़ूँ। उन्होंने एक से अधिक अवसरों पर मेरे शब्दों पर विश्वास किया है, मेरे लोगों पर भी विश्वास रखा है। यह कहते हुए मुझे गर्व और सुख होता है, और यह मैं इसलिए कहता हूँ जिसमें सब जान लें कि जिस सल्तनत का मैं वर्षों तक वफ़ादार रहा और जिसकी मैंने सेवा बजाई, वह सल्तनत जब मेरे विश्वास की पात्र नहीं रही तब, जो अंग्रेज उस सल्तनत का प्रतिनिधि था, उसको उसके सामने लड़ाई छेड़ने के पहले मैंने पूरी खबर कर दी थी।

"ऐसे मौके पर चार्ली एंड्रूज की पवित्र याद आये बिना कैसे रह

सकती है ? एंड्रूज की आत्मा इस समय मेरे आस-पास मंडरा रही है। मेरी नजर में अंग्रेजी संस्कृति की सबसे उज्ज्वल परम्पराओं के वे संस्कार-मूर्त्ति थे। हिन्दुस्तानियों की अपेक्षा भी उनके साथ मेरा अधिक निकट का नाता था। मेरे ऊपर उनका गले तक विश्वास था। हमारे बीच में कुछ भी प्राइवेट (खानगी) नहीं था। रोज हम एक-दूसरे के साथ अपने हृदय की बात खोलकर रख देते थे। जरा भी आना-कानी या मन की चोरी (छिपाव) बिना वह मुझे सब बता देते थे। गुरुदेव के भी वह मित्र थे जरूर, पर गुरुदेव की आत्मा से वे चका-चौंध होते और उनका अदब करते थे। पर मेरे तो वे प्राणप्रिय मित्र बन गये थे। वर्षों पहले वे गोखले का परिचय-पत्र लेकर मेरे पास आये। पियर्सन और एंड्रूज दोनों आदर्श-अंग्रेज के नमूने थे। मैं जानता हूँ कि उनकी आत्माएँ अभी भी मेरी वेदना-वाणी सुन रही हैं।

"कलकत्ता के मेट्रोपोलिटन (ईसाई धर्माचार्य) का भी हितैषिता से भरपूर मुबारकबादी का पत्र मिला है। उनको मैं पाकदिल खुदा-परस्त पुरुष गिनता हूँ। मेरी कमनसीबी से वे भी आज मेरा यह कदम पसंद नहीं करते। फिर भी उनका दिल मेरे साथ है। उनके दिल की भाषा मैं पढ़ सकता हूं।

यह सारी पार्श्व-भूमि उपस्थित करके मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि पश्चिम में रहनेवाले अनेक मित्रों का विश्वास आज मैंने खो दिया है--और उसका मुझे दुःख है--तो भी उन सबकी मैत्री और प्रेम की खातिर भी मैं अपने अन्दर से उठनेवाली आवाज को दबा नहीं सकता। आत्मा कहिये, मूलगत स्वभाव कहिये, वह, या मेरे भीतर रहनेवाले मेरे दिल का दर्द, मेरी व्यथा पुकार-पुकार कर कह रही है, आज मुझे प्रेरित कर रही है। मैं भूत दया जानता हूँ। मनुष्य-स्वभाव का भी मैंने थोड़ा-बहुत अभ्यास किया है। ऐसा आदमी अपने अन्त-रात्मा को समझ सकता है। आप उसे जो चाहें नाम दें, पर यह अन्दर की आवाज मुझे कह रही है—'तुझे अकेला बिना सहारे खड़ा रहना

पड़े तो भी आज तमाम दुनिया के सामने खड़ा होने से ही तेरा छुट-कारा है। दुनिया लाल-पीली, रक्तपूर्ण आंखों से तेरे सामने घूरे तो भी तुझे उसकी नजर के सामने नजर मिला करके खड़े रहना है। डर मत। अपने अन्दर की आवाज को ही सुन। यह आवाज तुझे कहती है, कि 'पुत्र, स्त्री, सम्पत्ति, शीश सब कुछ समर्पण कर देना, पर जिस चीज के लिए तू जिया करता है और जिसकी खातिर तुझे मरना है, उस सत्य की पुकार करते-करते मरना।' मित्रो, इस बात का विश्वास रखिये कि मुझे मरने की जल्दी नहीं है। मुझे अपने सौवें वर्ष तक जीना है। बल्कि मैंने तो आयु की सीमा १२० वर्ष तक आँकी है। इतने में तो हिंद आज़ाद होगया होगा—दुनिया भी आजाद हुई रहेगी। आज तो मैं इंग्लैंड को या अमेरिका को भी आजाद मुल्क के रूप में नहीं मानता। अपनी रीति से ये भले ही आजाद हों—ये आजाद हैं दुनिया की रंगीन जातियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखने के लिए। इन कौमों की आजादी के लिए क्या आज अमेरिका और इंग्लैंड लड़ रहे हैं? तो फिर मुझे इस लड़ाई के पूरी होने तक रुकने को मत कहो। मेरी आजादी की परिभाषा को किसलिए आप संकुचित करते हैं? इंग्लैंड और अमेरिका के आचार्य, उनका इतिहास, उनका उदात्त काव्य-भंडार यह नहीं सिखाता कि आजादी की व्याख्या को संकुचित रखा जाय, विशाल नहीं बनाया जाय और ऐसी व्याख्या के गज से जब मैं नापता हूं तब मुझे कहना ही पड़ता है कि इंग्लैंड क्या और अमेरिका क्या, कोई भी आजाद नहीं है। उनके आचार्यों ने और कवियों ने जिस स्वतंत्रता के गाने गाये हैं, उसकी उनको पहचान नहीं है। इसकी पहचान करनी हो तो उनको हिन्दुस्तान के चरणों में बैठना होगा। घमंड और गुस्ताखी के साथ नहीं, पर सच्चे सत्यशोधक बनकर आना पड़ेगा। बाईस वर्ष से हिन्द इस आधारभूत सत्य का प्रयोग कर रहा है। यों तो कांग्रेस अपने जन्मकाल से ही जाने या अनजाने अहिंसा की—वैधानिक मर्यादा में रहकर आन्दोलन करने की—राह से चलती

आई है और ऐसा होने पर भी दादाभाई और फीरोजशाह जैसे नेता हिन्दको अपनी अंगुली पर नचाते थे—वे विद्रोही थे, कांग्रेस-प्रेमी थे, कांग्रेसके कर्ता-धर्ता थे, तब भी उसके सच्चे सेवक थे, खून-खराबी और छिपे कामों को प्रश्रय देनेवाले नहीं थे। आज कांग्रेस में बहुत से रंगे सियार भी हैं, यह मैं मंजूर करता हूं। सारा देश अहिंसक लड़ाई में ही कूदेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में रही हुई भलाई और विषम अवसरों पर सत्य को परखने और उस पर दृढ़ रहने की उसकी कुदरती शक्ति पर मेरा विश्वास है। पर मेरा विश्वास खोटा भी साबित हो तो भी मैं अपनी राह से विचलित होनेवाला नहीं हूँ, डिगनेवाला नहीं हूं। कांग्रेस की राह शुरू से ही शान्ति की रही है। आगे चलकर उसमें स्वराज्य का समावेश हुआ और बाद की पीढ़ियों ने उसमें अहिंसा असहकार का तत्त्व शामिल कर दिया। दादाभाई ने जब ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में प्रवेश किया, सालसबरी ने उन्हें काला आदमी कहा। पर अंगरेज-जनता ने दादाभाई को अपनाया—चुना और सालसबरी हारे। हिन्द खुशी से पागल होगया। पर हिन्द के लिए आज ये सारी बातें पुरानी हो गईं। पर इन सब पिछली भूमिकाओं को ध्यान में रखकर मैं अंगरेजों से, यूरोप से और मित्रराष्ट्रों से पूछता हूँ कि वे अपने हृदय पर हाथ रखकर कहें कि हिन्द जो आजादी मांगता है, उसमें कौन-सा गुनाह है? ऐसी कार्रवाइयों और पचास से अधिक वर्ष तक ऐसी सेवाओं के इतिहासवाली संस्था पर अविश्वास करना, उसकी बदनामी करना और अपने हाथ के विशाल साधनों का उपयोग करके दुनिया भर में उसकी शिकायत करना यह क्या शोभा की बात है? आकाश-पाताल एक करके चाहे जैसे रास्ते से, विदेशी अखबारों की मदद लेकर, अमेरिका के प्रेज़िडेण्ट की मदद लेकर, चीनी सेनापति मार्शल चांगकाईशेक की भी मदद लेने के प्रयत्न करके हिन्दुस्तान को भद्दे—विकृत रूप में दुनिया में पेश करना क्या उचित है? सेनापति चांग से मैं मिला हूँ। श्रीमती शेक ने हमारे बीच दुभाषिय का काम किया। उनकी सहायता

से मैंने सेनाधिपति शेक का परिचय पाया और यद्यपि सेनापति को मैं पार नहीं पा सका, तो भी उन्होंने श्रीमती शेक की मार्फत उनके मन के झुकाव का मुझे परिचय पाने दिया। हमारे मुकाबले में आज सारी दुनिया को खड़ा किया गया है, उभाड़ दिया गया है। सभी अपनी नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं; कहते हैं कि हम भूल कर रहे हैं, हमारी प्रवृत्ति असमय की है। ब्रिटिश मुत्सद्दीगिरी के लिए मेरे मन में मान था। आज उसकी गन्दगी से मेरा जी अकुला रहा है, पर नौसिखिए अभी भी इसके चरणों में अपना सबक ले रहे हैं। इन तरीकों से ये शायद चार दिन दुनिया के लोकमत को अपने पक्ष में रख सकेंगे। किन्तु हिन्दुस्तान तमाम दुनिया के लोकमत के इस तरह के अघटित सङ्गठन के सामने खड़ा हो कर भी आज अपनी पुकार बुलन्द करेगा। सारा हिन्दुस्तान मेरा त्याग करे तो भी मैं दुनिया को सुनाऊँगा—तुम ठोकर खा रहे हो, तुम भूल में हो। हिन्द की आजादी मजबूती से पकड़ रखनेवालों के पास से हिन्द अहिंसा के बल पर यह आजादी ले लेगा। यह आजादी आने के पहले भले ही मेरी आँखें बन्द हो जायँ, मैं भले ही रुक जाऊं, पर अहिंसा रुकेगी नहीं। बहुत ज्यादा देरी से लेना वसूल करने के लिए कदमबोसी करने, विनती करनेवाले हिन्द की आजादी का विरोध करके चीन और रूस का भी तुम क्या भला कर सकनेवाले हो। तुम उनको प्राणघातक धक्का ही लगाओगे। किसी महाजन को देनदार की आजिजी करते जाना है। और उसके सामने ऐसे-ऐसे विरोध-बाधाएं उपस्थित करने पर भी कांग्रेस तो आज विरोधियों को कहती है कि 'हम साफ शराफत की लड़ाई लड़ेंगे, पीठ में घाव नहीं करेंगे, हम अहिंसा को अंगीकार कर चुके हैं।' ब्रिटिश सरकार को दिक न करने की कांग्रेस की नीति का प्रचारक मैं खुद ही तो था? तो भी आज यह सख्त भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं कहता हूँ हमारी शराफ़त के लायक ही यह बात है। इसमें अयुक्त—अनुचित ऐसा क्या है? किसी आदमी ने मुझे गर्दन से पकड़ रखा हो और वह मुझे डुबाना चाहता हो तो क्या मैं उसकी

पकड़ में से छूटने के लिए उसी क्षण चेष्टा न करूं ? कांग्रेस के निश्चय में अयुक्त अथवा असंगत ऐसा कुछ भी नहीं है।

"विदेशों के अखबारवाले यहां इकट्ठे हुए हैं। उनकी मारफत दुनिया को और मित्र-राष्ट्रों की प्रजाओं को—जिनका कहना है कि हिन्द का साथ उन्हें चाहिए—मैं कहता हूँ कि हिन्द को आजाद जाहिर करके तुम्हारी नीयत सच्ची करके दिखलाने का आज अवसर है। इसे खो दोगे तो जिन्दगी में ऐसी घड़ी आनेवाली नहीं है और इतिहास इस बात को अंकित करेगा कि तुमने अवसर पर अपना फर्ज अदा न करके सब कुछ खो दिया। तुम्हारी मार्फत मैं दुनिया का आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं विरोधियों को मनाने में सफल बनूं। मित्रराष्ट्रों की जनता से मुझे उनका खुला फर्ज अदा करने के बाद और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। अहिंसा अथवा शस्त्र-संन्यास करने को मैं उन्हें नहीं कहता। फासिज्म और उन लोगों के साम्राज्यवाद, जिसके सामने मैं लड़ रहा हूं, दोनों के बीच भी मौलिक भेद रहा हुआ है। ब्रिटिश सल्तनत को अभी हिन्दुस्तान से जैसा चाहिए, वैसा क्या मिल रहा है ? मिल रहा है, वह तो गुलाम से मिल रहा है। हिन्द आजाद दोस्त के रूप में साथ दे तो कितना फर्क पड़े, इसका विचार करके देख लो। आजादी यदि उसे मिलनेवाली हो तो वह आज ही आनी चाहिए। ऐसा होने में तुम मदद कर सकते हो। ऐसा होने पर भी मदद न करो तो बाद में आजादी मिले, उसमें स्वाद नहीं रहेगा। आज करो तो इस आजादी के चमत्कार से जो बात अशक्य लगती है, वह कल शक्य हो जायगी। हिन्द मुक्त होगा तो चीन को मुक्ति दिलायेगा, रशिया की मदद को दौड़ेगा। बर्मा-मलाया में अंग्रेजों ने तो प्राण बिछाये नहीं थे, हिन्दुस्तानियों की ही शक्तियों का नाश किया। किस तरह से बिगड़ी बाजी सुधारी जा सकती है, इस पर विचार करलो। मैं कहाँ जाऊं—चालीस करोड़ को कहाँ ले जाऊं ? आजादी के स्पर्श बिना करोड़ों की जनता को

दुनिया की मुक्ति के यज्ञ में दिल से भाग लेने की और क्या कोई रीति हो सकती है ? आज तो जनता के प्राण शोषित हो गये हैं---पीस दिये गये हैं, उनकी निस्तेज आँखों में तेज लाना हो तो आजादी कल नहीं, आज ही आनी चाहिए । इसी से मैंने आज कांग्रेस से यह बाजी लगवाई है, या तो कांग्रेस देश को आजाद करेगी अथवा खुद फना हो जायगी —'करेंगे या मरेंगे' ।''

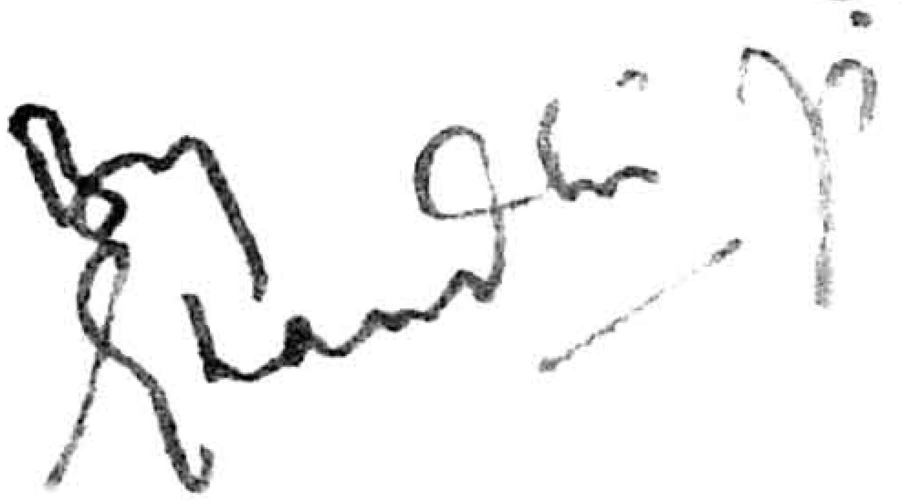

नेताओं की गिरफ्तारियाँ

आठ

बम्बई में 'करो या मरो' का शंख फूँककर महात्माजी ने देश के बढ़ते हुए उत्साह और साहस की आग में मानो आहुति दे दी। देश क्रिप्स-मिशन के आने और असफल लौट जाने से पहले ही निराश हो चुका था और ब्रिटेन की नीयत पर उसे विश्वास नहीं रहा था। अब, जब कि अपने सर्वश्रेष्ठ नेता के मुँह से मर-मिटने का आदेश मिल गया, तो वह उसके लिए पूर्णतः तैयार हो गया। दूसरे दिन—अगस्त १८४२ को पौ फटने के पहले ही महात्माजी और बम्बई में एकत्रित समस्त नेता गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान को भेज दिये गये। अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के अन्य प्रमुख नेता भी गिरफ्तार हो गये। जो बचे, वे अपना-अपना कार्यक्रम पूरा करने के लिए प्रकट और गुप्त दोनों ही रूप में विविध कार्य-क्षेत्रों में पहुँच गये।

नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजी सरकार ने सब से पहले स्वयंसेवक-दल पर आक्रमण किया। उसने उसके राष्ट्रीय झण्डे को नीचे गिरा दिया और ग्वालिया तालाब का मैदान खाली कर उस पर पहरा डाल दिया। उस झण्डे का अभिवादन उसी दिन प्रातः पं० जवाहरलाल नेहरू करनेवाले थे। पुलिस की कड़ी चेतावनी के होते हुए भी श्रीमती अरुणा आसफअली ने उस झण्डे को फहरा कर छोड़ा और वहीं नेताओं की गिरफ्तारियों का समाचार उपस्थित जनता को सुनाया। फिर क्या था, सरकार ने सारे देश में कांग्रेस को गैरकानूनी करार दे दिया और विभिन्न प्रान्तों में तरह-तरह के प्रतिषेधक कानून जारी करके जनता का जोश ठण्डा करने की कोशिश की। बम्बई में पहले

ही दिन पुलिस और सेना ने जनता पर लाठी-प्रहार किये और आँसू लानेवाली गैस छोड़ी। इसके बाद गोलियाँ भी चलाई गईं; पर भीड़ का साहस देखकर दंग होना पड़ता था। लोग गोलियों से भी डर कर नहीं भागते थे। संयुक्त प्रान्त में अंग्रेजी सरकार ने अपने यहाँ मण्डल-कांग्रेस-कमेटियों से लेकर प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी तक सभी को अवैध घोषित कर दिया और इलाहाबाद में स्वराज्य-भवन पर कब्ज़ा कर लिया। मध्यप्रान्त और उड़ीसा में भी कांग्रेस पर निषेधाज्ञा लग गई और कराची, लाहौर तथा दिल्ली में भी। क्रमशः बंगाल, आसाम और बिहार ने भी इसका अनुकरण किया और इस प्रकार देश-व्यापी जकड़बन्दी का इन्तज़ाम अंग्रेज सरकार ने कर लिया।

परन्तु, नेताओं के अकस्मात् गिरफ्तार कर लिये जाने और सारी बातों का स्पष्टीकरण न होने के कारण जनता का जोश भड़क उठा। उससे राष्ट्र का यह अपमान सहन नहीं हुआ। उनका क्षोभ और निराशाजन्य प्रतिक्रिया उनको उभाड़ने लगी। नेताओं की गिरफ्तारी के कारण बाहर ऐसे लोग कम बच पाये थे, जो जनता के जोश को अपने नियंत्रण में रख सकते। सरकार का ख़याल था कि इस तरह का नेतृत्व-विहीन आन्दोलन थोड़े दिनों में अपने-आप ठण्डा हो जायगा और प्रतिबन्ध के कारण उभड़ न सकेगा। सभाओं, जुलूसों, प्रदर्शनों तथा मिलने-जुलने एवं भाषण की स्वतंत्रता पर लगाये गये नियंत्रणों को भंग करते ही सरकार जनता पर केवल लाठी-प्रहार ही नहीं करती थी; बल्कि बन्दूकों, रिवाल्वरों और मशीनगनों की बौछार और बम-वर्षा तक कर डालती थी। उससे सामूहिक क्रोधाग्नि बेतरह भड़क उठी। जनता की उत्तेजित भीड़ रेल-तार तोड़ने, और चलती रेलगाड़ियों एवं मोटरकारों को रोकने लगी। रेलवे स्टेशन नष्ट किये जाने लगे। बैलगाड़ी और ताँगे तक रोके जाने लगे। सारे देश में आर्डिनेन्स लागू होने पर, उसका विरोध हड़ताल-द्वारा किया गया। विद्यार्थियों ने इस काम में पूर्णतः भाग लिया और पिकेटिंग (धरने) के कार्यक्रम को सफल बनाया। विश्व-

विद्यालय और उनके कालेज-स्कूल खाली कर दिये गये। अलीगढ़ के मुस्लिम-विश्व-विद्यालय के अतिरिक्त देश की सभी शिक्षण-संस्थाएँ बन्द कर दी गईं। बनारस-हिन्दू-विश्व-विद्यालय पर सेना ने आन्दोलन के आरम्भ में ही अधिकार कर लिया था। उस आन्दोलन में रेल की पटरियाँ उखाड़ कर रेल-पथ के यातायात को भी बेकार कर दिया गया। मद्रास मेल कई दिनों तक नहीं चल सकी। बिहार ने तो इस दिशा में सब से अधिक काम किया। बिहार के मुँगेर का बाहरी दुनिया से दो सप्ताह तक सम्बन्ध नहीं रहा; और इसी प्रकार संयुक्त प्रान्त के बलिया का। अहमदाबाद की सभी मिलें बन्द रहीं। म्युनिसिपैलिटियों को बिजली के बल्ब, लैम्प और उनके खम्भों से हाथ धोना पड़ा। उनके छकड़े चूर चूर कर दिये गये। बम्बई में यह दृश्य बहुत भीषण रूप धारण कर चुका था। डाकखानों का सारा सामान जलाया जाने लगा। १० अगस्त को बम्बई में पुलिस और सेना ने १० बार भीड़ पर गोलियाँ चलाईं। इसके पहले दिन गोली-काण्ड से ६ व्यक्ति मरे, १६६ घायल हुए, जिनमें २७ पुलिस के सिपाही भी थे। ११ अगस्त के दोपहर तक ही १२ बार गोलियाँ चलीं। १० अगस्त को अहमदाबाद, पूना, नासिक, नई दिल्ली, लखनऊ और कानपुर आदि में भी गोलियाँ चलीं। संयुक्त प्रान्त की सरकार ने तोड़-फोड़ और शरारत करनेवालों को सामान्य सज़ा के अतिरिक्त कोड़े लगाने का भय भी बहुत प्रदर्शित किया; किन्तु जनता ने उनके आदेशों को धूल में मिला दिया। बाद में केन्द्रीय एसेम्बली में सरकार ने स्वीकार किया कि १६४२ के अन्त तक देश में ५३८ बार गोलियाँ चलाई गईं—६४० व्यक्ति मरे, १६३० घायल हुए; लगभग २६,००० व्यक्तियों को गिरफ्तार करके सजा दी गई। अकेले संयुक्तप्रान्त में २८,३२,००० रु० का जुर्माना किया गया, जो उसी समय वसूल भी कर लिया गया। बंगाल के तमलूक और कोण्टाई सब-डिविज़नों में क्रमशः ४३ और ३८ सरकारी और गैर-सरकारी इमारतें जलाई गईं। पर इन क्षेत्रों में, बदले में सरकारी फौजों ने क्रमशः ३१ और १६४ कांग्रेसी कैम्पों को

जलाया। सारे देश में २०० रेलवे स्टेशनों, ५५० डाकखानों, ५५०,७० थानों पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट या क्षतिग्रस्त किया गया। ३५०० स्थानों पर तार काटे गये। पुलिस ने २३८ विभिन्न अवसरों पर गोलियाँ चलाईं जिससे २४ सितम्बर १९४२ तक ६५८० व्यक्ति मरे और १००० घायल हुए। सरकारी बयान में यह भी बताया गया कि अनेक मृत व्यक्तियों की लाशें उनके आदमी उठा ले गये; इसलिए मृतकों की पूरी संख्या नहीं बताई जा सकती।

इस प्रकार सारे देश में क्रोध और विक्षोभ का जो बवण्डर उठा, उसका परिणाम बहुत व्यापक और भीषण संहारकारी हुआ। जनता—चाहे ग़लत तरीके पर ही सही—महात्माजी के 'करो या मरो' आदेश पर अपने प्राणों की बाज़ी लगा चुकी थी। यह आग लग तो गई; पर इसे बुझानेवाला कोई न था। सभी ज़िम्मेदार नेता जेल में बन्द थे। जनता स्वयं अपना नेतृत्व कर रही थी। यद्यपि उसमें अविवेक की मात्रा बहुत थी, फिर भी उस उबले हुए जोश का प्रदर्शन किसी-न-किसी रूप में होना था और वह हुआ।

इस आन्दोलन का दमन करने के लिए अंग्रेज सरकार ने इस देश पर जिन-जिन अमानुषिकताओं का प्रयोग किया है, उसका वर्णन यहाँ करने बैठे, तो एक अलग पोथा तैयार हो जाय। संक्षेप में इतना ही कह देना काफी होगा कि संसार के प्रबलतम साम्राज्य—ब्रिटेन—के विरुद्ध भारत की निहत्थी जनता ने नेतृत्व-विहीन होकर भी सत्याग्रह और तोड़-फोड़-मिश्रित इस आन्दोलन को जिस वीरता, साहस और निर्भयता से चलाया, उसे देखते हुए सारे संसार को यह मानना पड़ा, कि बूढ़े भारत के बूढ़े नेता ने इस देश में जो चमत्कार उत्पन्न कर दिया, वह इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जायगा। सदियों से पद-दलित और गुलाम बनाकर एक कुचला हुआ राष्ट्र, इस तरह अँगड़ाई लेकर उठ खड़ा होगा और अपने ऊपर किये गये अत्याचारों का इस तरह जवाब देगा, यह बात कल्पना में नहीं

आती थी। इसके पहले भारत की जनता अपने दोनों सत्याग्रह-आन्दोलनों (१९२१ और १९३०–३१) में, नेताओं से संपर्क रहने के कारण विवेकहीन नहीं बनी थी और उसने अपनी अहिंसा की शर्त हाथ से नहीं जाने दी थी ; पर इस आन्दोलन में तो जनता ने 'करो' का अर्थ मानों 'कुछ भी करो' लगा लिया और इसीलिए उसने अपने कर्त्तव्याकर्त्तव्य का विचार छोड़-सा दिया था।

इस आन्दोलन का ज़िम्मा सरकार ने कांग्रेस पर ही डाला और उसे ही तोड़-फोड़ और हिंसा के कामों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए एक पुस्तिका भी प्रकाशित करदी ; पर अंग्रेजी सरकार अपने इस कर्त्तव्य का निर्णय नहीं कर सकी कि आखिर अहिंसात्मक आन्दोलन के नेताओं को जनता से अलग कर देने पर उसका अनिवार्य परिणाम उसके सामने आयेगा या नहीं। जनता में सभी तरह के लोग होते हैं और मनुष्य की सामान्य प्रकृति और बुद्धि क्रोध में हिंसा-अहिंसा के विवेक को तिलाञ्जलि दे देती है ; इसीलिए १९४२ ई० के आन्दोलन ने वह रूप धारण कर लिया, जिसकी योजना न तो कांग्रेस और उसके नेताओं ने बनाई थी और न जिसकी आशङ्का जनता अथवा विदेशी सरकार को ही थी। यही कारण था कि अहिंसा की साक्षात् मूर्ति महात्मा गांधी ने जेल से छूटने पर, सारे आन्दोलन का स्वरूप और वस्तुस्थिति समझने के बाद स्पष्ट कर दिया था कि जनता ने जिस वीरता कष्ट-सहन, आत्मबलि के साथ इस (१९४२ के) आन्दोलन में भाग लिया, उसकी पूरी प्रशंसा करना कठिन है और इस प्रकार सहस्रों नर-नारियों के कष्ट-सहन से भारत का दर्जा ऊपर बढ़ गया है।

पं० जवाहरलाल नेहरू ने तो १९४२ ई० के आन्दोलन के सम्बन्ध यहाँ तक कह डाला कि १९४२ ई० की घटनाओं के लिए मुझे बड़ा गर्व है। उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि यह कहना बेहूदगी है कि कांग्रेस ने ऐसे किसी आन्दोलन के लिए पहले से संगठन किया था, फिर

भी १९४२ ई० की घटनाओं की ज़िम्मेदारी मैं व्यक्तिगत रूप में अपने ऊपर लेता हूँ। यह तो निहत्थे और हताश लोगों का नेतृत्व-विहीन आन्दोलन था, जिसकी न कोई तैयारी थी और न संगठन। फिर भी लोगों ने घोर कष्ट-सहन और अद्भुत वीरता के साथ महान् कुर्बानी कर डाली।

चिमूर और आष्टी-काण्ड

इस आन्दोलन के सिलसिले में चिमूर और आष्टी में अंग्रेजी सरकार के नौकरों ने स्त्री-जाति के प्रति जो जघन्य कुकृत्य किये, उनको सुननेवाले सिहर उठते हैं और ब्रिटिश-ज़ुल्म के इस अन्तिम अध्याय को पढ़कर, बहुतों का खून खौल उठता है। स्त्री-जाति के प्रति इस अमानुषिक कृत्य का विरोध प्रोफेसर भन्साली ने अनशन करके किया था और इससे अन्त में सरकार को झुकना पड़ा और उसने चिमूर आष्टी-काण्ड-द्वारा की गई बर्बरता का परिमार्जन कुछ नरम और सुथरे शब्दों के वक्तव्य द्वारा करने की कोशिश की। मध्यप्रान्त, के रामटेक और यावली भी ऐसे ही काण्डों के कारण प्रसिद्ध स्थान बन गये।

इस आन्दोलन की विशेषता यह थी कि यद्यपि उत्तेजित जनता ने सरकारी सम्पत्ति के विनाश के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया; पर व्यक्तिगत रूप से—प्राण-हानि बहुत कम की गई, अन्यथा ऐसे क्रोधावेश में जनता सब-कुछ कर सकती थी। इस दिशा में हमें यह मानना पड़ेगा कि जनता के मन पर गांधीजी के अहिंसा-व्रत की छाप अवश्य थी। यद्यपि बाद में गांधीजी ने तोड़फोड़ और सम्पत्ति-नाश को भी हिंसा का ही एक रूप बताया और उस कृत्य की प्रशंसा नहीं की; पर जनता इतने विवेक के साथ नहीं चल रही थी कि वह सम्पत्ति-नाश को अपने राष्ट्र की ही सम्पत्ति का विनाश समझे और उसमें छिपी हिंसा की भावना को पूर्णतः समझ सके।

सोशलिस्ट पार्टी का सहयोग

इस आन्दोलन के सिलसिले में इस बात को भूल जाना ठीक न

होगा कि बम्बई में कांग्रेस-कार्यकर्ताओं के लुकछिप कर कार्य करने में कांग्रेस-सोशलिस्ट पार्टी ने पूरी सहायता की। इस आन्दोलन को उसने अपना काफी पथ-प्रदर्शन और सहयोग प्रदान किया। अहमदाबाद के मिल-मज़दूरों ने भी इसमें कम सहयोग नहीं दिया। बम्बई में तो केवल कुछ ही मिलें बन्द रहीं और इस आन्दोलन को विद्यार्थियों से अधिक मदद मिली; पर अहमदाबाद की सारी मिलें तीन महीने तक बन्द रखकर मज़दूरों ने अद्भुत त्याग और लगन से काम किया। मिल-मालिक अपने युद्धकालीन ठेकों के काम को इस हड़ताल के कारण आगे नहीं बढ़ा सके। देश-भर में आन्दोलन के कार्यक्रम को ब्राडकास्ट करने के लिए एक गैर-कानूनी रेडियो-घर भी था और स्थान-स्थान पर बुलेटिन प्रकाशित होते थे। पुलिस ने संयुक्तप्रान्त और बिहार में इस आन्दोलन के पीछे जो लूट-मार की, और निरपराध लोगों को फँसाकर जिस प्रकार उससे धन ऐंठा, व हमेशा याद रहेगा। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ पुलिस-अफसर भी जनता के कोप के शिकार हुए। जनता ने बिहार में दो कैनाडा के हवाई अफसरों को अंग्रेज़ समझ कर मार डाला। इसी प्रकार कितनी ही और भी अवाञ्छनीय घटनाएँ हो गईं जो आन्दोलन के नियंत्रित होने की अवस्था में नहीं हो सकती थीं।

सातारा की पत्री-सरकार

महाराष्ट्र का सतारा ज़िला इस आन्दोलन में बहुत विख्यात् बन गया; क्योंकि वहाँ के नाना पाटिल नामक एक महावीर जन-नायक ने पत्री-सरकार के नाम से प्रजा की अपनी ही सरकार कायम कर ली थी और अधिकांश गाँवों पर काफी समय तक अपना शासन भी चलाया। इस सरकार ने अपनी तूफान-सेना और पुलिस कायम कर ली थी और अपना सामाजिक कार्यक्रम भी जारी कर दिया था।

इस आन्दोलन में आसाम, उड़ीसा और पंजाब ने भी हिस्सा लिया। आसाम में 'डिक्टेटर-पद्धति' चालू कर दी गई थी। पंजाब के रावलपिण्डी जिले ने काफ़ी काम कर दिखाया था।

इस आन्दोलन में केवल सीमा-प्रान्त ही ऐसा था, जिसके नेता खान अब्दुलगफ्फारखाँ गिरफ्तार नहीं किये गये थे और वहाँ आन्दोलन नियंत्रित रहा।

मिदनापुर-काण्ड

बंगाल का मिदनापुर जिला भी इस दिशा में काफ़ी आगे रहा। वहाँ के किसानों ने वही वीरता दिखाई, जो असहयोग-आन्दोलन में बारडोली ने दिखाई थी। वहाँ स्त्रियों तक ने वह वीरता दिखाई, जिसे देश सदियों तक न भुला सकेगा। कोण्टाई, तमलूक (महिषादल ग्राम) में पुलिस ने गोली चलाकर राष्ट्रीय झण्डे के जलूस को रोक दिया और उसके फल-स्वरूप दो व्यक्ति मर गये। इस पर २५००० जनता ने थाने पर आक्रमण कर दिया। पुलिस और स्थानीय राजा के सिपाहियों ने अन्धाधुन्ध गोली चलानी शुरू कर दी। गोलियों का सामना करने के लिए जनता चार बार आगे बढ़ी और उसने पुलिस अफसर के क्वार्टर में आग लगादी। इस गोलीकाण्ड में तेरह व्यक्ति हताहत हुए। सूताहट्टा और नन्दीग्राम थानों पर तो जनता की 'विद्युत्वाहिनी सेना' ने ऐसा प्रबल आक्रमण किया कि उसने पुलिस से बन्दूकें, राइफलें और थाने की फाइलें आदि सब छीन लीं। इमारतों में आग लगा दी गई और जिन अफसरों ने आत्म-समर्पण कर दिया, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया। ब्रिटिश अधिकारियों का पूरा बहिष्कार कर दिया गया और अदालतें बिलकुल खाली रहने लगीं। सरकारी अफ़सर और सैनिक अपने को बिलकुल विरोधी वातावरण में पा रहे थे और उन्हें कोई भी किसी तरह का सहयोग नहीं देता था। इस प्रकार मिदनापुर ने अपनी पूर्ण वीरता का परिचय दिया।

१९४२ के आन्दोलन ने सचमुच आज़ादी की नींव दृढ़ कर दी और केवल अंग्रेज़ों ने ही नहीं; बल्कि सारे संसार ने देख लिया कि भारत पर ज़बरदस्ती शासन अब और नहीं चल सकता।

बलिया की वीरता

इस आन्दोलन के अवसर पर अंग्रेज सरकार के सभी अधिकारियों में एक प्रकार की बौखलाहट-सी आगई थी। बहुत-से हिन्दुस्तानी अधिकारियों ने तो इस आन्दोलन के प्रति वह सख्ती दिखाई कि उनके सामने अंग्रेज़ भी मात हो गये। ख़ासकर पुलिस और शासन-विभाग के अधिकारी तो अनेक स्थलों पर जामे के बाहर हो गये और उन्होंने इस सामूहिक आन्दोलन को कुचलने के लिए पशु-बल का खुला प्रदर्शन किया। युक्तप्रदेश के बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, बनारस, आज़मगढ़ और कई अन्य पूर्वीय ज़िलों ने इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिए प्राणों की बाज़ी लगा दी। बलिया जिले के कार्यकर्ताओं ने आमद-रफ्तके साधन तोड़-फोड़ दिये और एक सप्ताह तक अपनी हुकूमत चलाई। पीछे अंग्रेज़ सरकार ने वहाँ के निवासियों पर बम-वर्षा तक कराई और घोर दमन किया। इन स्थानों के निवासियों ने अन्त में विवश होकर आत्म-समर्पण कर दिया। इस भीषण अत्याचार की चक्की में बहुत-से निरपराध भी बुरी तरह पीस दिये गये। इस अवसर पर पुलिस की बन आई। जहाँ जनता ने तोड़-फोड़ और अग्नि-काण्ड के काम किये थे, वहाँ सरकार की ओर से दमन का इशारा मिलते ही उसने जनता को मन-माने ढंग पर लूटा। पुलिस ने सम्पन्न लोगों को फँसाने की धमकियाँ दे देकर बड़ी-बड़ी रकमें वसूल कीं।

इस आन्दोलन ने सारे संसार में स्वतंत्रता के प्रति भारत के चाव का लोहा मान लिया।

महात्माजी का उपवास

नौ

महात्मा गांधी और उनके साथियों को जेल गये लगभग छः मास हो चुके थे। गांधीजी ने अपने बन्दीगृह—आगाखाँ महल (पूना)—से वाइसराय को एक पत्र लिख सी बीच सरकार की ओर से ४२ के आन्दोलन, महात्माजी और उनके साथियों के बारे में लाञ्छनात्मक बातें कही गईं और उनकी नीयत तक पर सन्देह किया गया। यह भी कहा गया कि ये सब गुप्त रूप में पहले से आन्दोलन की तैयारियाँ कर चुके थे और आवश्यक आदेश भी जारी कर दिये गये थे। जेल में बन्द ऐसे लोगों के प्रति इस प्रकार की बातें कहना—जो उसका जवाब न दे सकें—कायरता थी। इस बार नज़रबन्दी की कोई निश्चित अवधि नहीं थी, इस कारण सभी लोग एक प्रकार की अनियमित स्थिति में थे।

गिरफ्तारी के बाद एक सप्ताह के अन्दर ही महात्माजी के मंत्री महादेव देसाई का अचानक स्वर्गवास हो गया। इस कारण, महात्माजी ने अनशन आरम्भ करने में विलम्ब कर दिया; नहीं तो उनका विचार पहले ही से उपवास आरम्भ करने का था। पन्द्रह दिन पहले ही गांधीजी ने अपने अनशन की सूचना सरकार को दे दी थी; पर जनता को उसका समाचार १० फरवरी (१९४३ ई०) के पहले नहीं मिला। ११ फरवरी को यह ख़बर अहमदनगर किले में कांग्रेस-कार्यकारिणी कमेटी के नजरबन्द सदस्यों को भी मिल गई। सरकार ने इस सम्बन्ध में जो विज्ञप्ति प्रकाशित की, उसमें कहा गया कि गांधीजी पहले भी यह बात स्वीकार कर चुके हैं कि उनका उपवास दबाव डालने के लिए होता है।

गांधीजी ने ९ फरवरी को तत्कालीन वाइसराय लार्ड लिनलिथगो को जो पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि झूठे आरोप के लिए उन्हें संसार के सामने जवाब देना होगा।

अंग्रेज़ सरकार हमेशा मौके से अनुचित लाभ उठाती रही है; इसलिए जब गांधीजी के अनशन को उसने "राष्ट्र-द्वारा किये गये (१९४२ के तोड़-फोड़-सम्बन्धी) अपराधों की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश" बताया, तो उसकी यह ओछी प्रवृत्ति और भी स्पष्ट होगई। उसने प्रकारान्तर से यह कह दिया कि देश ने जो अपराध किये हैं, उनका प्रायश्चित्त गांधीजी उपवास-द्वारा आत्महत्या करके कर रहे हैं। किन्तु, उपवास करने के पहले महात्माजी ने अंग्रेज़ सरकार को जो कुछ लिखा था, वह बिलकुल दबा दिया गया।

इधर गांधीजी के अनशन से सारा देश बेचैन हो उठा। उनके पास श्रीमती सरोजिनी नायडू और डा० गिल्डर के अतिरिक्त बाहरी लोग नहीं जाने दिये जाते थे। उनकी दिन-प्रति-दिन की अवस्था बुलेटिन-द्वारा अवश्य प्रकाशित होती थी। सब से पहले स्वर्गीय महादेव देसाई की पत्नी, पुत्र और महात्माजी के एक भतीजे को उनसे मिलने की आज्ञा दी गई। फिर सरकारी अधिकारियों, डाक्टरों और गांधीजी के अति निकट के सम्बधियों तथा साथियों को उनकी दशा देखने के लिए स्वीकृति दी गई। अनशन के दौरान में उन्हें नींद नहीं आती थी। सब को चेतावनी दे दी गई कि वे गांधीजी से भेंट करने या उन्हें देखने का प्रयत्न न करें और आराम करने दें। बहुत-से लोगों ने पूने पहुँच कर भी महात्माजी से भेंट नहीं की; क्योंकि भेंट करने पर महात्माजी के मस्तिष्क पर अनुचित बोझ पड़ता था। उपवास शुरू करने के दिन महात्माजी का वज़न १०९ पौण्ड था, जो धीरे-धीरे घट कर उपवास के अन्त में ८१ पौण्ड रह गया। उपवास के समय और उसके बाद महात्माजी के बारे में देश में तरह-तरह की अफ़वाहें फैल रही थीं। यह भी खबर थी कि सरकार ने उनके दाह-कर्म के लिए

चन्दन की लकड़ी आदि जमा कर ली थीं। उपवास के अन्तिम दिनों में,उनसे मिलने पर पहले-जैसा प्रतिबन्ध भी नहीं रहा था।

निश्चय ही इस उपवास की प्रतिक्रिया अकेले भारत पर नहीं, सारे संसार पर हुई—विशेषत: ब्रिटेन, अमेरिका और एशियाई देशों पर। आत्म-शुद्धि के लिए किये गये इस उपवास का अर्थ विभिन्न देश के पत्रों और राजनीतिज्ञों ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार लगाया। कुछ ने अँग्रेज सरकार की निन्दा की, कुछ ने इस अनशन को ही अनुचित कहा। आखिर महात्माजी इस लम्बे अनशन को झेल गये। तीन सप्ताह के लिए किया गया यह अनशन-व्रत, जिस सफलता के साथ अपनी अवधि पार कर गया, उसे देखते हुए लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बात भी थी चमत्कारपूर्ण। बीच में, १० फरवरी से बारह फरवरी तक, उनकी स्थिति अधिक खराब अवश्य हो गई थी। और इसके बारे में यह शरारत-भरी अफवाह न जाने किस स्रोत से फैलाई गई कि इन तीन दिनों में महात्माजी को कोई-न-कोई खाद्य-पेय गुप्त रूप में दिया गया है। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध डाक्टर श्री विधानचन्द्र राय ने एक वक्तव्य निकाला, जो इस प्रकार है :—

"इस पृथ्वी पर तथा स्वर्ग में अनेक ऐसी बातें हैं, जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। गांधीजी ने अपनी सेवा-शुश्रूषा करने वाले डाक्टरों से पहले ही कह रखा था कि यदि वे बेहोश हो जायँ, तो उन्हें होश में लाने या उनकी दुर्बलता दूर करने के लिए कुछ न दिया जाय। डाक्टरों ने उनकी इस इच्छा का पालन किया।"

महात्माजी के अनशन के साथ सारे देश के बहुत-से लोगों ने स्वयं भी २१ दिन का उपवास किया। लाखों ही लोगों ने एक दिन से लेकर एक सप्ताह तक का सांकेतिक व्रत रखा। अमेरिका तक में ऐसे सांकेतिक व्रत किये गये, जो संसार के इतिहास में एक नई बात थी।

महात्माजी के इस अनशन के फल-स्वरूप वाइसराय की शासन-परिषद् से माननीय सर एच० पी० मोदी, श्री० एन० आर० सरकार

और लोक-नायक अणे ने इस्तीफे दे दिये।

दक्षिण-अफ्रीका की रंगीन जातियों के प्रसिद्ध विरोधी और भारतीयों के शत्रु के रूप में बदनाम फील्ड मार्शल स्मट्स ने महात्माजी के उपवास के बारे में लिखा था—......"हमारा गांधीजी से चाहे कितना ही मतभेद क्यों न हो; पर उनकी ईमानदारी और सचाई, निःस्वार्थता और सब से अधिक उनकी बुनियादी और सार्वभौम मानवता पर कभी सन्देह नहीं किया जा सकता। वे सदा ही एक महान् पुरुष के रूप में काम करते हैं और उनमें सभी वर्गों और जातियों के लिए गहरी हमदर्दी है—खासकर गरीब लोगों के लिए। उनका दृष्टिकोण संकीर्ण और साम्प्रदायिक नहीं है। उनकी विशेषता उनकी सार्वभौमिकता और अमर मानवता है, जो वास्तविक उच्चता की कसौटी है।"

इस प्रकार महात्माजी के प्रति सारे संसार के कोने-कोने से सहानुभूति और शुभाभिलाषापूर्ण विचार प्रकट किये गये और इस अनशन का एक सफल अन्त हुआ।

महात्माजी के अनशन के बाद देश के मुस्लिम-लीगी-प्रान्तों में एक अजीव उथल-पुथल-सी मच रही थी। १९४० ई० के लीग के लाहौरवाले प्रस्ताव के अनुसार, मुस्लिम राजनीतिक और अधिकांश मुस्लिम-जनसमुदाय देश को विभाजित करके पाकिस्तान बनाने का अपना ध्येय दृढ़तर बना रहा था। इधर जिन प्रान्तों में लीग की हुकूमत थी, उनमें लीग-विरोधी लोगों का बुरा हाल था। बंगाल में तो मियाँ फजलुलहक को लीग के विरुद्ध विचार रखने के कारण गवर्नर के संघर्ष के फल-स्वरूप, दिसम्बर १९४१ में इस्तीफा दे देना पड़ा और गवर्नर ने वहाँ नया लीगी मंत्रि-मण्डल बनाया और मियाँ नाज़िमुद्दीन को प्रधान मंत्री की गद्दी पर ला बिठाया। सिन्ध, सीमा-प्रान्त और पंजाब में भी मुस्लिम-लीग का प्रभाव सफल हो गया।

वेवल का आगमन

इधर लार्ड लिनलिथगो अपने कार्य-काल से ड्योढ़ा समय भारत में

व्यतीत कर चुके थे; इसलिए अब और नहीं रखे जा सकते थे। उनकी जगह लार्ड वेवल आये, जो प्रधान सेनापति के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे और अपने स्पष्ट और निर्भीक विचार और कार्य के लिए विख्यात थे। हिन्दुस्तान के प्रति वे काफी सहानुभूति रखते थे। १८ अक्तूबर (१९४३) को वे दिल्ली पहुँचे। युद्ध को दृष्टि में रखते हुए ही वास्तव में उनकी नियुक्ति हुई थी और अपने एक वक्तव्य में लार्ड वेवल ने इंग्लैण्ड में ही यह स्वीकार किया था कि उनके खयाल से हमारी पहली आवश्यकता है— युद्ध में विजय प्राप्त करना।

लार्ड वेवल भारत आकर चुप नहीं बैठे। उन्होंने आते ही अपने पूर्व-ज्ञान का लाभ उठाते हुए स्थिति का और निकट से अध्ययन किया। स्थान-स्थान के दौरे किये और एक वाइसराय के रूप में अपनी सक्रियता का परिचय, अपने पूर्ववर्ती सभी पदाधिकारियों से अधिक दिया। उड़ीसा और आसाम के दौरे से लौटकर उन्होंने २० दिसम्बर (१९४३) को जो भाषण कलकत्ते में एसोशिएटेड चेम्बर आफ कामर्स वार्षिक अधिवेशन पर दिया, वह इस प्रकार था :—

"...मैंने भारत की वैधानिक और राजनीतिक समस्याओं के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है। इसका कारण यह नहीं है कि ये समस्याएँ मेरे मस्तिष्क में सदा नहीं रहतीं, न यह कि हिन्दुस्तान की स्व-शासन-सम्बन्धी अभिलाषाओं के प्रति मेरी हमदर्दी नहीं है, और न यह कि लड़ाई के बीच में राजनीतिक प्रगति को सम्भव नहीं मानता—इसी प्रकार जैसे कि मैं यह नहीं सोच सकता कि लड़ाई के समाप्त होते ही अड़ंगे का कोई हल निकल आयेगा; बल्कि इसका कारण यह है कि मेरा यह विश्वास है कि उनके बारे में कुछ कहकर मैं उनके सुलझाने का रास्ता साफ़ नहीं कर सकता। अभी तो मैं अपनी ताकत उस काम में ही लगाना चाहता हूँ, जो मेरे सामने है। इस वक्त हिन्दुस्तान के पास संकल्प-शक्ति और बुद्धिमानी का जो कोष है, उसका उपयोग उसे लड़ाई में विजय प्राप्त करने, घरेलू आर्थिक मोर्चे का संगठन

करने और शान्ति की तैयारी करने में लगा देना चाहिए।

"भारत का भविष्य इन महान् समस्याओं पर ही निर्भर करता है और इनको सुलझाने के लिए मुझे हरेक ऐसे व्यक्ति से सहयोग लेना है, जो इसके लिए इच्छा रखता है। मेरा विश्वास यह नहीं है कि शासन-सम्बन्धी कामों से राजनीतिक मत-भेदों का निबटारा हो जायगा; पर यह जरूर है कि शासन-सम्बन्धी उच्च ध्येयों को प्राप्त करने के लिए अगर हम ऐसे समय पर सहयोग करेंगे, जब देश के लिए खतरा है, और इन लक्ष्यों के लिए सहयोग करेंगे, जिनके बारे में जुदा-जुदा राजनीतिक दलों के बीच कोई मत-भेद नहीं है, तो हम ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे, जिसमें राजनीतिक ज़िच का हल हो सकेगा। सरकार का प्रमुख और हिन्दुस्तान का पुराना सच्चा दोस्त होने के नाते मैं अपनी कार्य-विधि से देश को उसके उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारा रास्ता न आसान है और न उसे छोटा बनाने के लिए पगडण्डियाँ ही हैं। फिर भी अगर हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए मिलकर कोशिश करें, तो उज्ज्वल भविष्य के बारे में हम निश्चिन्त हो सकते हैं।"

इस भाषण की काफ़ी चर्चा हुई और कटु आलोचना भी ; पर लार्ड वेवल क्रियात्मक रूप में हिन्दुस्तानी गत्यवरोध दूर करने के प्रयत्न भी करते रहे।

कस्तूरबा का स्वर्गवास हुए भी लगभग ढाई मास हो चुके थे (क्योंकि उनका शरीरान्त २४ फरवरी १९४४ को हुआ था) और गांधीजी का अनशन-व्रत इस बार उनकी अनुपस्थिति से बिल्कुल अनिश्चित-सा चल रहा था। सरकार अपने बुलेटिनों में "कोई चिन्ता की बात नहीं है," "सब ठीक है" आदि प्रकाशित कर देती थी और गांधीजी की वास्तविक प्रकृति और उपवास-जन्य उलझनों को न तो कोई निकटस्थ इतना समझ पाता था—जितना कस्तूबा समझतीं—और न उसे प्रकट कर सकता था। सहसा गांधीजी की तबीयत बहुत खराब हो गई और सरकार ने

बाध्य हो कर ६ मई १९४४ को उन्हें रिहा करके पर्णकुटी पहुँचा दिया। और इस प्रकार उनके प्राणों के संकट के प्रति अपनी जिम्मेदारी से वह मुक्त हो गई।

गांधीजी की रिहाई से हिन्दुस्तान की राजनीति में ही एक नई सम्भावना उत्पन्न नहीं हो गई बल्कि सारे संसार—ब्रिटेन और अमेरिका तक ने इसका स्वागत किया। ब्रिटिश और अमेरिकन पत्र अब भारत में ज़िच दूर करके नवव्यवस्था स्थापित करने पर जोर देने लगे। अब तक बाकी सभी हिन्दुस्तानी नेता जेल में थे। १७ जून को गांधीजी ने लार्ड वेवल को एक पत्र लिखकर कांग्रेस-कार्य-कारिणी समिति के सदस्यों से सम्बन्ध स्थापित करने की आज्ञा माँगी; पर वेवल महोदय ने इसकी इजाजत नहीं दी। यह स्पष्ट था कि गांधीजी कार्य-समिति से सलाह लिये बिना आगे कोई कदम उठाने को तैयार नहीं थे, ऐसी दशा में कुछ दिन और इसी तरह बीत गये। २१ मास आगाखाँ महल में नज़रबन्द रहकर और उपवास-जन्य बीमारी में तप होकर महात्माजी के विचार और वाणी में एक अजीब निखार आ गया था। अब वे जो वक्तव्य देते और पत्रकारों से जो बातें करते, उससे वाइसराय ही नहीं, भारत मन्त्री और ब्रिटिश प्रधान मन्त्री भी विमूढ़ बन रहे थे। स्टुअर्ट गेल्डर ने महात्माजी से बातचीत करने के बाद १८ जुलाई (१९४४) को 'टाइम्स आफ़ इण्डिया' में जो वक्तव्य प्रकाशित कराया, उसका भी सरकार पर बड़ा असर पड़ा।

लार्ड वेवल इस समय विचार करने में लगे थे। वे जानते थे कि अब १९४२ ई० का क्रिप्स-मिशन उसी रूप में दुहराना व्यर्थ है। अब परिस्थिति बदल चुकी है; इसलिए उसी के अनुसार काम होना चाहिए।

लार्ड वेवल ने गांधीजी के पत्र के उत्तर में १५ अगस्त (१९४४) को जो पत्र लिखा था, उसमें "निश्चित और रचनात्मक नीति" ग्रहण करने का सुझाव था।

इस बीच श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के प्रयत्न से गांधीजी और

जिन्ना की मुलाकात और बातचीत भी हो गई। उधर अमेरिकन राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि ने भारत की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन सूक्ष्मता के साथ किया और भारत-सरकार से इस बात की इजाज़त चाही कि उन्हें गांधीजी और कांग्रेस-कार्य-समिति के सदस्यों से मिलने दिया जाय। वाइसराय ने उनके इन दोनों ही अनुरोधों को नामंजूर कर दिया। यह मि० फ़िलिप्स स्वदेश लौट गये और उन दिनों वहाँ पहुँचे हुए मि० चर्चिल से मिले और भारत में ब्रिटिश-नीति के बारे में कुछ खरी-खोटी सुनाईं। कहा जाता है कि चर्चिल इस पर बहुत नाराज़ हुए और कहा कि हिन्दुस्तान का सम्बन्ध ब्रिटेन से है; अमेरिका को उसके बारे में कुछ भी कहने का हक़ नहीं है। इस बात से काफ़ी सनसनी फैली। न्यूयार्क के 'डेली मिरर' पत्र में प्रकाशित लेख से लन्दन में बड़ा गुल-गपाड़ा मचा। बात यह थी कि मि० फ़िलिप्स ने साफ़ कह दिया था कि भारत में अँग्रेजों की ओर से लड़ने वाली सेना भाड़े की टट्टू है और हिन्दुस्तान को लड़ाई के बाद निर्दिष्ट तिथि को स्वतंत्रता दे देने की बात अँग्रेजों को घोषित कर देनी चाहिए।

१६४५ ई० का आरम्भ भी हो गया और भारत-मंत्री हिन्दुस्तान के नेताओं की रिहाई के बारे में नकारात्मक ही जवाब देते रहे।

इस बीच भूलाभाई देसाई ने मुस्लिम-लीग के मि० लियाक़त-अली खाँ से मिलकर एक योजना तैयार की, जो उस ब्रिटिश बहानेबाज़ी का जवाब था कि हिन्दुस्तानी अभी तक आपस में शासन-सम्बन्धी कोई योजना नहीं बना पाये।

अन्ततः ७ मई (१६४५) को युरोपियन युद्ध समाप्त होने का समाचार सारे संसार में फैल गया। भारत पर भी इसका प्रभाव हुआ। उसने इस लड़ाई में अपने धन-जन का होम किया था; पर भारत के नेता अभी तक जेलों में बन्द थे इसलिए देश में खुशी नहीं मनाई जा सकती था।

युद्ध के बाद बर्ट्रेण्ड रसेल ने ब्रिटेन से 'भारत-छोड़ो' का अनुरोध

करना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ़ शब्दों में कहा कि जापान का युद्ध समाप्त होने के एक वर्ष बाद भारत से हट जाने की घोषणा कर देनी चाहिए।

२१ मार्च १९४५ को लार्ड वेवल लन्दन हो आये थे। युद्ध के बाद ब्रिटिश मंत्रि-मण्डल का मत-भेद हद दर्जे को पहुँच गया, जिसके फल-स्वरूप प्रधान मंत्री मि० चर्चिल को इस्तीफ़ा दे देना पड़ा। ८ जून को पुरानी ब्रिटिश पार्लियामेंट भंग हो गई और ५ जुलाई को इंग्लैंड में आम चुनाव हुआ, जिसमें मज़दूर-दल की ज़बर्दस्त विजय हुई। मज़दूर-दल ने हिन्दुस्तान को आज़ादी देने का वचन दे दिया।

युद्ध-काल में आज़ादहिन्द फौज और नेताजी (सुभाषचन्द्र बोस) की क्रियाशीलताओं से सारे देश की जनता को जो प्रेरणा और स्फूर्ति प्राप्त हुई, वह भारतीय इतिहास में एक स्मरणीय घटना है। २६ जनवरी १९४१ से १९ अगस्त १९४५ ई० तक सुभाष बाबू ने जो चमत्कारपूर्ण कार्य किये, भारत उन्हें भुला नहीं सकता। सुभाष बाबू जिस चमत्कारपूर्ण ढंग से ज़ियाउद्दीन के रूप में सीमा-प्रान्त की राह काबुल होकर जर्मनी और जापान पहुँचे और जिस प्रकार दक्षिण-पूर्वीय एशिया—बर्मा, मलाया सिंगापुर, शंघाई, हांककांग और टोकियो—तक प्रवासी भारतीयों को जुटा कर आज़ाद हिन्द सरकार और उसकी फौज का विशाल संगठन किया, वह अद्वितीय और अभूतपूर्व योजना थी। अनेक देशों ने इस सरकार को भारत की विधि-विहीन सरकार मान लिया था। आज़ाद हिन्दसेना के प्रयत्न भारत की सीमा पर पूर्णत: सफल नहीं हुए; अन्यथा भारत का इतिहास कुछ और ही हुआ होता। दुर्भाग्यवश वायुयान की आकस्मिक दुर्घटना के कारण १८ अगस्त १९४५ ई० को सुभाष बाबू का स्वर्गवास हो गया और भारत को अपने इस सपूत का स्वागत करने की लालसा अपने हृदय में ही मसोस देनी पड़ी।

आज़ाद हिन्द फौज के अधिकारियों पर अँग्रेज सरकार ने दिल्ली में मुकदमा चलाया। उन्हें छुड़ाने के लिए भूलाभाई देसाई के साथ पं०

जवाहरलाल नेहरू को एक बार फिर बैरिस्ट्री की पोशाक पहननी पड़ी। सारे देश में इस मुकदमे के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ।

इधर केन्द्रीय और प्रान्तीय चुनाव निकट होने के कारण कांग्रेस को उसके सम्बन्ध में अपनी एक संयुक्त घोषणा करनी थी; इसलिए ११ दिसम्बर (१९४५) को उसने नीचे लिखी घोषणा प्रकाशित करा दी:—

निर्वाचन-घोषणा

"अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी ने अपने गत सितम्बर के बम्बई अधिवेशन में यह तय किया था कि आम जनता को सूचित करने और कांग्रेसी उम्मीदवारों के पथ-प्रदर्शन के लिए कार्य-समिति एक ऐसा घोषणा-पत्र तैयार करे और उसे मंजूरी के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के सामने पेश करे, जिसमें कांग्रेस की नीति और कार्य-क्रम शामिल कर लिये गये हों। कार्य-समिति को यह भी अधिकार दिया गया था कि केन्द्रीय एसेम्बली के चुनावों के लिए वह इससे पहले भी एक घोषणा-पत्र निकाल दे। इसके अनुसार वह निर्वाचन-घोषणा-पत्र जनता के सामने रखा जा चुका है। कार्य-समिति को इस बात का अफसोस है कि प्रान्तों में आम चुनाव निकट होने के कारण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कोई बैठक सम्पूर्ण घोषणा-पत्र पर विचार करने के लिए न हो सकेगी। इसीलिए कार्य-समिति ने घोषणा-पत्र खुद तैयार कर लिया है और आम जनता को सूचना और कांग्रेसी उम्मीदवारों के पथ-प्रदर्शन के लिए उसे प्रकाशित करती है। सम्पूर्ण घोषणा इस प्रकार है :—

"राष्ट्रीय महासभा—कांग्रेस—ने देश की आज़ादी के लिए साठ साल तक कोशिश की है। इस लम्बे समय में इसका इतिहास जनता का इतिहास रहा है, जो हमेशा उस बन्धन से छूटने की कोशिश करती रही है, जिसने उसे जकड़ रखा है। छोटी-सी शुरुआत से प्रगति करती हुई यह शहरों की जनता से दूर-दूर के गाँवों तक आज़ादी का सन्देश पहुँचाती रही और इस तरह वह इस विस्तृत देश में फैल गई है।

जनता से ही उसे ताकत मिली है और इसी के द्वारा वह ऐसे शक्तिशाली संगठन के रूप में परिवर्तित हो सकी और आज़ादी तथा स्वाधीनता के लिए भारत के दृढ़ निश्चय की प्रतीक बन गई है। वह इसी पवित्र उद्देश्य के लिए पीढ़ी-दर-पीढ़ी आत्म-समर्पण करती रही है और इसके नाम पर तथा इसके झण्डे के नीचे इस देश के अनगिनत स्त्री-पुरुषों ने आत्म-बलि दी है और अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भीषण तकलीफ़ें उठाई हैं। इसने सेवा और त्याग के द्वारा हमारे देशवासियों के दिलों में जगह पा ली है; हमारे राष्ट्र के प्रति असम्मान-सूचक बातों के सामने आत्म-समर्पण करने से इन्कार कर के इसने विदेशी हुकूमत के खिलाफ शक्तिशाली आन्दोलन खड़ा कर दिया है।

कांग्रेस की क्रियाशीलताओं में जन-हित के लिए रचनात्मक कार्य-क्रम भी शामिल रहा है और आज़ादी प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष भी। इस संघर्ष में इसने कितने ही संकटों का सामना किया है और बार-बार एक सशस्त्र साम्राज्य से टक्कर ली है। कांग्रेस शान्ति-मय साधनों का प्रयोग करती हुई, इन संघर्षों के बाद सिर्फ ज़िन्दा ही नहीं रही; बल्कि इन से उसे और भी ताकत मिली है। हाल के तीन सालों में जो अभूतपूर्व सामूहिक उफान आया है, उसके कुटिल और नृशंस दमन से कांग्रेस और भी मज़बूत और जनता की अतिशय प्यारी हो गई है, जिसका इसने तूफान और कष्ट के समय साथ दिया है।

"कांग्रेस हिन्दुस्तान के हरेक नागरिक स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों की समर्थक रही है। इसने सब सम्प्रदायों और धार्मिक दलों की एकता, सहिष्णुता और पारस्परिक शुभेच्छा के लिए काम किया है। वह सभी को, उनकी प्रवृत्ति और विचारों के अनुसार, उन्नति और विकास का मौका मिलने का समर्थन करती रही है। वह राष्ट्र के अन्तर्गत हरेक दल और प्रादेशिक क्षेत्र की आज़ादी के हक

में है, जिससे वह बड़े ढाँचे के अन्दर अपने जीवन और संस्कृति का विकास कर सके, और वह इस बात को घोषित कर चुकी है कि इस काम के लिए ऐसे सीमान्तगर्त प्रदेशों या सूबों का निर्माण, जहाँ तक हो सके, भाषा और संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। यह उन सभी के अधिकारों के हक में है, जिन्होंने सामाजिक अत्याचार और अन्याय सहन किये हैं और सभी बाधाएँ दूर कर उनके साथ समानता कायम करने के पक्ष में है।

"कांग्रेस एक ऐसे स्वाधीन जनसत्तात्मक राष्ट्र की कल्पना करती है, जिसके विधान में सब नागरिकों को बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रताओं का आश्वासन दिया गया हो। इसके विचार में यह विधान संघीय होना चाहिए और उसकी वैधानिक इकाइयों—प्रान्तों—को स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिए तथा उसकी एसेम्बलियों का निर्माण वयस्क मताधिकार-द्वारा निर्वाचित सदस्यों के ज़रिये होना चाहिए। भारत का संयुक्त राष्ट्र विभिन्न खण्डों का मनोनीत संघ होना चाहिए। प्रान्तीय इकाइयों को महत्तम स्वतंत्रता देने के लिए संघ-शासन के प्रभुत्व में सिर्फ कुछ विभाग और सीमित ताकत सौंपी जानी चाहिए। यही नियम सभी इकाइयों—प्रान्तों—पर लागू होंगे। इसके अलावा एक सूची ऐसे नियमों की भी बन सकती है, जिन्हें केवल वही प्रान्त मंज़ूर करें, जो ऐसा करना चाहें।

"विधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख होगा, जिसमें नीचे लिखी बातें भी शामिल होंगी :—

(१) हिन्दुस्तान के ही नागरिक को अपने विचार आज़ादी के साथ ज़ाहिर करने, स्वाधीनतापूर्वक मिलने-जुलने और समूह बनाने, शान्तिपूर्वक निश्शस्त्र होते हुए एकत्रित होने का अधिकार होगा, बशर्ते कि उसका उद्देश्य कानून या नैतिकता के खिलाफ न हो।

(२) हरेक नागरिक को आत्मिक स्वतंत्रता और अपने धर्म पर प्रत्यक्ष-रूप में चलने का अधिकार होगा। शर्त यह होगी कि इससे सार्वजनिक

शान्ति या नैतिकता को कोई नुकसान न पहुँचता हो।

(३) अल्पसंख्यक जातियों और विभिन्न भाषा-क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा तथा लिपि की रक्षा की जायगी।

(४) धर्म, जाति, वर्ण और लिंग-भेद के होते हुए भी सभी नागरिक कानून की निगाह में बराबर होंगे।

(५) किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण अथवा लिंग-भेद के कारण सरकारी नौकरी, प्रतिष्ठा या व्यापार-व्यवसाय में कोई बाधा न पहुँचेगी।

(६) ऐसे कुओं, तालाबों, सड़कों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर, जिन्हें राष्ट्रीय या स्थानीय धन से बनाया गया हो, या व्यक्तियों की ओर से आम जनता के लिए उसका दान किया गया हो, सब नागरिकों का समान अधिकार होगा।

(७) इस सम्बन्ध में प्रचलित नियम और संरक्षणों के अधीन रहते हुए प्रत्येक नागरिकों को अस्त्र-शस्त्र रखने का अधिकार होगा।

(८) गैर-कानूनी तौर पर किसी भी व्यक्ति की आज़ादी का अपहरण न किया जायगा। उसके निवास-स्थान में प्रवेश या जायदाद पर अधिकार नहीं किया जायगा और न उसे ज़ब्त किया जा सकेगा।

(९) सभी धर्मों के विषयों में केन्द्रीय शासन निष्पक्षता का व्यवहार करेगा।

(१०) सभी बालिगों को मताधिकार होगा।

(११) केन्द्रीय शासन सब के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध करेगा।

(१२) हरेक नागरिक को हिन्दुस्तान में कहीं भी घूमने, ठहरने या बस जाने का और कोई भी व्यापार-धन्धा करने का और कानूनी अभियोगों में समान व्यवहार प्राप्त करने का तथा भारत के सभी हिस्सों में रक्षा पाने का अधिकार होगा।

"इसके सिवा राष्ट्र, जनता के पिछड़े अथवा दलित अंगों के लिए

ज़रूरी संरक्षण और शरण-स्थल (निवास) के इन्तिज़ाम का भी ज़िम्मेदार होगा, जिससे वह जल्दी उन्नति कर सके और राष्ट्रीय जीवन में सम्पूर्णता तथा बराबरी का हिस्सा पा सके। खासकर राष्ट्र, सरहदी सूबों की जनता के विकास में और उसके वास्तविक झुकावों के अनुसार दलित जातियों की शिक्षा और सामाजिक व आर्थिक उन्नति में मदद देगा।

"विदेशी हुकूमत के डेढ़ सौ वर्षों ने देश की वृद्धि रोक दी है और कितनी ही समस्याएँ पैदा कर दी हैं जिनका तुरन्त ही समाधान होना चाहिए। इस अवधि में देश और जनता के गम्भीर उत्पीड़न से आम जनता भूख और क्लेश की गहरी खाई में गिर चुकी है। देश को सिर्फ राजनीतिक पराधीनता का ही अपमान नहीं सहन करना पड़ा; बल्कि उसकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आत्मिक अवनति भी हुई है। हिन्दुस्तानी हितों और दृष्टिकोण की बिलकुल उपेक्षा से एक गैर ज़िम्मेदार हुकूमत-द्वारा लड़ाई के इन वर्षों में उत्पीड़न और शासन की अक्षमता इस हद तक पहुँच गई है कि हम भयंकर अकाल और सर्वव्यापी दुर्गति के शिकार हो गये हैं। इनमें से किसी भी ज़रूरी समस्या का हल स्वाधीनता और स्वतंत्रता के बिना नहीं हो सकता। राजनीतिक आज़ादी के निर्माण में आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता का शामिल होना ज़रूरी है।

"हिन्दुस्तान के सामने बहुत आवश्यक सवाल यह है कि निर्धनता के कारणों को किस तरह दूर किया जाय। आम जनता की इस भलाई और उन्नति के लिए कांग्रेस ने विशेष ध्यान दिया है और वह रचनात्मक कार्य करती रही है। उन्हीं की भलाई और उन्नति की कसौटी पर हरेक प्रस्ताव और परिवर्तन की इसने परख की है और घोषित किया है कि हमारे देश की जनता के दुःख-निवारण के रास्ते में जो भी बाधाएँ आएँ, उन्हें अवश्य ही दूर कर देना चाहिए। उद्योग-धन्धों, खेती, सामाजिक सेवाओं और उपयोगिता आदि सभी को प्रोत्साहन

मिलना चाहिए तथा इन्हें आधुनिक ढब पर लाकर इनका शीघ्रतापूर्वक प्रचार करना चाहिए, जिससे देश का मूलधन बढ़े और दूसरों का सहारा लिये बिना इसकी आत्मोन्नति की ताकत में बढ़ती हो। पर, इन सब का विशेष उद्देश्य जनता की भलाई और उसका आर्थिक, सांस्कृतिक और आत्मिक स्तर ऊँचा करना, बेकारी दूर करना तथा वैयक्तिक आत्म-सम्मान बढ़ाना ही होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक होगा कि सभी क्षेत्रों में समाज-सत्तावादी उन्नति की एक योजना बनाई जाय और उसका एकीकरण किया जाय, जिससे व्यक्तियों और समवाय के हाथों में धन तथा शक्तियाँ इकट्ठी न हो जायँ। ऐसे स्वार्थों को न पनपने दिया जाय, जो सामूहिक हितों के विरोधी हों और भूमि, उद्योग-धन्धों तथा राष्ट्रीय कार्यों के दूसरे अंगों में उत्पत्ति और बँटवारे के तरीकों पर, यातायात के साधनों और खनिज स्रोतों पर समाज का नियंत्रण हो सके, जिससे आज़ाद हिन्दुस्तान परस्पर-सहायक राष्ट्र-मण्डल के रूप में विकसित हो सके। मूल उद्योग-धन्धों और नौकरियों पर, खनिज स्रोतों पर, रेल-नहर, जहाज तथा सार्वजनिक आमद-रफ्त के दूसरे साधनों पर भी इसी कारण राष्ट्र का आधिपत्य और नियंत्रण होना आवश्यक है। मुद्रा और विदेशी लेन-देन, बैंक और बीमा को राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से अवश्य ही नियंत्रित कर देना होगा।

"यद्यपि सारे हिन्दुस्तान में गरीबी फैली हुई है ; पर विशेष तौर पर यह समस्या गाँवों की है। इसका विशेष कारण यह है कि जन-संख्या का दबाव ज़मीन पर बढ़ता जा रहा है और गुज़र-बसर के अन्य साधनों का अभाव है। अँग्रेजी आधिपत्य में हिन्दुस्तान को धीरे-धीरे अधिक ग्राम-प्रधान बना दिया गया है, दूसरे धन्धों और काम-काजों के कितने ही मार्ग बन्द कर दिये गये हैं और इस तरह जन-संख्या के एक बहुत बड़े भाग को उस भूमि पर निर्भर करने के लिए बाध्य कर दिया गया है, जिसके लगातार छोटे-छोटे टुकड़े हुए जा रहे हैं और जिसका अधिकांश अब आर्थिक दृष्टि से बेकार बन चुका है। ऐसी दशा में यह ज़रूरी

है कि ज़मीन की समस्या का कई पहलुओं से निराकरण किया जाय। खेती को वैज्ञानिक ढंग पर उन्नत करना और सब तरह के उद्योग-धन्धों का शीघ्रता के साथ विकास करना ज़रूरी है, जिससे सिर्फ धनोपार्जन ही न हो; वरन् ज़मीन पर आश्रित जन-संख्या को भी खपाया जा सके—खासकर गाँवों के उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन मिले, जोकि पूरे समय या आंशिक अवधि के लिए अभीष्ट व्यवसाय के रूप में हो। यह ज़रूरी है कि उद्योग-धन्धों की योजना और विश्वास में जहाँ समाज के लिए ज्यादा-से-ज्यादा धन कमाने का आदर्श हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाय कि इससे और नई बेकारी न बढ़ने पाये। योजनापूर्वक काम-काज की खोज हो और सभी समर्थ व्यक्तियों को करनेके लिए काम मिले। ज़मीन से रहित किसान-मज़दूरों को काम करने के मौके दिये जाने चाहिएँ, जिससे वह खेती और उद्योग-धन्धों में खप सकें।

"ज़मीन की प्रथा में सुधार के लिए, जो इस देश के लिए बहुत आवश्यक है, किसान और शासन के बीच के माध्यमों (ज़मीदारों) को हटाना होगा ; इसलिए इन बीचवालों के अधिकारों को उचित मूल्य चुकाकर ले लेना होगा। यदि व्यक्तिगत खेती और किसान के भूस्वामित्व का जारी रखना ठीक है, तो उन्नत कृषि और सामाजिक मूल्य तथा प्रोत्साहन के लिए भारतीय परिस्थिति में उचित सामूहिक—चकबन्दी—की खेती की एक प्रणाली ज़रूरी है। लेकिन, ऐसा कोई भी परिवर्तन सम्बद्ध किसानों की मंजूरी और खुशी से ही हो सकता है। इसके लिए वाञ्छनीय है कि जुदे-जुदे भागों में परीक्षण के तौर पर हुकूमत की मदद से सामूहिक—चकबन्दी के—कृषि-क्षेत्र बनाये जायँ। नमूना पेश करने के लिए राष्ट्र की ओर से बड़े-बड़े कृषि-क्षेत्र भी संगठित किये जायँ।

"उद्योग-धन्धों और भूमि-सम्बन्धी उन्नति तथा विकास में ग्राम्य और नागरिक आर्थिक स्थिति में उचित सम्बन्ध और सन्तुलन होना चाहिए। विगत समय में गाँवों की आर्थिक हालत बिगड़ती गई है और उनका परित्याग हो जाने से शहर और कस्बे समृद्धिवान होते गये हैं।

इसे दुरुस्त करना ही पड़ेगा और इस बात का प्रयत्न करना होगा कि जहाँ तक हो सके नगर और गाँवों में रहने वालों के रहन-सहन के ढंग एक-से हो जायँ, जिससे सभी प्रान्तों की आर्थिक स्थिति एक-सी हो सके। कुछ ख़ास प्रान्तों में उद्योगीकरण केन्द्रित हो जाना, और जहाँ तक सम्भव हो, उसे निपुणता के साथ सभी जगह प्रसारित कर देना चाहिए।

"ज़मीन और उद्योग-धन्धों की उन्नति तथा जनता की तन्दुरुस्ती और भलाई के लिए देश की बड़ी-बड़ी नदियों की बड़ी ताकतों का नियंत्रण और ठीक प्रयोग आवश्यक है। आज-कल यह ताकत केवल फजूल ही नहीं जा रही; वरन् अक्सर ज़मीन और उस पर रहने वाले लोगों के नुक-सान का कारण बनती है। सिंचाई के काम को उन्नत बनाने, पानी के बँटवारे को लगातार और समान बनाये रखने, विनाशकारी बाढ़ों के रोकने, मलेरिया के दूर करने, पानी, की बिजली का विकास करने और भिन्न-भिन्न तरीकों से ग्रामीण जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करने में मदद देने के लिए यह आवश्यक है कि नदी-कमीशनों का निर्माण किया जाय। इस तरह तथा अन्य उपायों से देश के शक्ति-स्रोतों का शीघ्र ही विकास करना है, जिस से उद्योग-धन्धों तथा खेती की उन्नति के लिए ज़रूरी नींव खड़ी की जा सके।

"बौद्धिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टिकोणों से उन्नति आम जनता के करने के लिए उसकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना ज़रूरी है, जिससे शुरू होने वाले कामों और सेवाओं के नये क्षेत्र के लिए वह ठीक सिद्ध हो सके। सार्वजनिक स्वास्थ्य-संस्थाओं का—जो किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए ज़रूरी हैं—विस्तृत परिमाण में इन्ति-जाम होना चाहिए और दूसरे मामलों की तरह इसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों की ज़रूरतों पर ख़ास ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ प्रसूताओं और शिशुओं के लिए ख़ास सुविधाएँ होनी चाहिएँ।

"इस प्रकार ऐसी स्थिति उत्पन्न करदी जाय, जिससे हरेक व्यक्ति को राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करने का समान अवसर प्राप्त हो और सभी को सामाजिक संरक्षण मिले।

"विज्ञान, काम के अनगिनत क्षेत्रों और मानव-जीवन और आकांक्षाओं को अधिक परिमाण में प्रभावित करता हुआ आगे बढ़ता है और भविष्य में यह आज की अपेक्षा और भी अधिक प्रभावित करेगा। उद्योग, खेती और संस्कृति-सम्बन्धी सब उन्नति तथा राष्ट्रीय आत्म-रक्षा का सवाल, सब इसी पर आश्रित हैं। इसीलिए वैज्ञानिक खोज राष्ट्र का बुनियादी फ़र्ज़ हो जाता है। इसका संगठन और प्रचार लम्बे-चौड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए।

"राष्ट्रीय शासन, उद्योग-धन्धों में मज़दूरों के हितों की जो रक्षा करेगा और उन्हें एक निश्चित मज़दूरी, रहन-सहन का अच्छा ढङ्ग, रहने के लिए ठीक घर, काम के घण्टों की नियमित और नियंत्रित संख्या आदि देश की आर्थिक हालत का ध्यान रखते हुए जहाँ तक हो सकेगा अन्तर्राष्ट्रीय आदर्शों के अनुसार कर पायेगा और मालिक तथा मज़दूरों के बीच पैदा होने वाले झगड़े निबटाने के लिए ठीक साधन काम में लायेगा। इसके सिवा बुढ़ापे, बीमारी और बेकारी के आर्थिक नतीजों के खिलाफ सुरक्षा के सरंजाम जुटायेगा। अपने हितों की रक्षा के लिए संघ कायम करने का मज़दूरों को अधिकार होगा।

"बीते समय में खेती पर निर्भर ग्रामीण जनता कर्ज के बोझों से पिसती रही है। हालाँकि कई कारणों से गत वर्षों में इसमें कुछ कमी हुई है, लेकिन कर्ज़ों का बोझ अभी जारी है; इसलिए इसे दूर करना है। आसान शर्तों पर उधार दिलाने की सुविधाएँ उन्हें सहयोग-संगठनों से दिलानी आवश्यक हैं। सहयोगी संगठन तो अन्य कामों के लिए भी गाँवों और नगरों में बन जाने चाहिएँ, खासकर उद्योग-धन्धों में तो सहयोग-संगठनों के द्वारा प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। जनतंत्रात्मक

आदर्शों पर छोटे पैमाने के उद्योग-धन्धों के विकास के लिए यही खास और उपयुक्त साधन है।

"हिन्दुस्तान की उन ज़रूरी समस्याओं को एक आयोजित और संयुक्त प्रयत्न से ही सुलझाया जा सकता है, जो राजनीतिक, आर्थिक, खेती तथा उद्योग-सम्बन्धी एवं सामाजिक विषयों में एक साथ अमल में लाया जाय। आज-कल के ज़माने की कुछ महान् आवश्यकताएँ भी हैं। सरकार की बेहद अक्षमता और कुप्रबन्ध से हिन्दुस्तान के अनगिनत लोगों को अगणित तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। लाखों लोगों ने भूख से तड़प-तड़प कर प्राण त्याग दिये हैं और अब भी आहार और वस्त्र की कमी स्पष्ट दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरियों, ज़िन्दगी के लिए ज़रूरी चीज़ों की बाँट और नियंत्रण के महकमों में रिश्वतखोरी का इतना ज़ोर है कि वह अब असह्य हो रही है। इस समस्या का समाधान तुरन्त होना चाहिए।

"अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कांग्रेस आज़ाद राष्ट्रों के विश्व-व्यापी संघ-शासन का समर्थन करती है। जबतक ऐसा संघ न बन सके, हिन्दुस्तान को सभी देशों से दोस्ती कायम रखनी है, खासकर अपने पड़ोसियों से। सुदूर-पूर्व में, दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया में हज़ारों बरसों तक हिन्दुस्तान का व्यापारिक अथवा सांस्कृतिक सम्बन्ध बना रहा है और यह अनिवार्य है कि हिन्दुस्तान के आज़ाद हो जाने पर इन पुराने सम्बन्धों को फिर जीवित किया जाय तथा उनका विकास हो। रक्षा के सवाल और भविष्य की व्यापारिक प्रकृति के कारणों से भी इन इलाकों से घने सम्बन्ध कायम हो जाने सम्भव हैं। वह हिन्दुस्तान, जिसने अपनी आज़ादी की लड़ाई में अहिंसक साधन काम में लिये हैं, हमेशा ही विश्व-शान्ति और सहयोग को अपना समर्थन दिया करेगा। वह सभी पराधीन देशों की आज़ादी का समर्थक होगा, क्योंकि सिर्फ आज़ादी की इसी नींव पर और साम्राज्यवाद के दूर होजाने पर ही संसार में शान्ति कायम हो सकती है।

"८ अगस्त १९४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था, जो अब हिन्दुस्तान के इतिहास में ख्याति पा चुका है। उसकी माँगों और चुनौती का आज कांग्रेस समर्थन करती है। उसी प्रस्ताव के मूल आधार पर और उसी की युद्ध-घोषणा से कांग्रेस आज चुनावों में मुकाबला करने जा रही है।

"इसलिए कांग्रेस सारे देश के मत-दाताओं से प्रार्थना करती है कि वह सभी उपायों से आगामी निर्वाचनों में कांग्रेसी उम्मीदवार की सहायता करें और इस नाजुक समय में जो कि भावी सम्भावनाओं से सारगर्भित है, कांग्रेस का साथ दें। इन चुनावों में छोटे-छोटे सवालों की कोई गिनती नहीं है, न व्यक्तिगत या संकुचित जातीय सम्बन्ध के प्रश्न ही कोई अर्थ रखते हैं; सिर्फ एक ही बात बहुत ज़रूरी है और वह है हमारी मातृभूमि की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, जिससे बाकी सभी आज़ादियाँ हमारी जनता को मिल जायेंगी। हिन्दुस्तान के लोगों ने कितनी ही बार आज़ादी की प्रतिज्ञा ली है। वह प्रतिज्ञा निभानी अभी बाकी है और हमारा वह प्यारा आदर्श, जिसके लिए कि प्रतिज्ञा ली गई है और जिसकी पुकार को हमने कितनी ही बार सुना है, हमें अब भी बुला रहा है। समय आ रहा है, जब हम उस प्रतिज्ञा को पूरे तौर से निभा सकेंगे। यह चुनाव तो हमारे लिए एक छोटी-सी परीक्षा है, जो महानूतर भावी संघर्षों की तैयारी-मात्र है। वह सभी लोग, जो भारत की स्वतंत्रता और स्वाधीनता की अभिलाषा और चिन्ता करते हैं, उस परीक्षा का ताकत और मजबूती के साथ मुकाबला करें और उस आज़ाद हिन्दुस्तान की ओर बढ़ें, जिसका स्वप्न हम सब देखते हैं।"

ब्रिटिश सरकार ने अब जो रुख अख्तियार किया है, उससे यह साबित होता है कि ब्रिटिश सरकार की अधिकारारूढ़ पार्टी ने भारत की भलाई अन्य किसी उद्देश्य से न सही, संसार में युद्ध से क्षतिग्रस्त और आक्रान्त अपने देश के सदुद्देश्य का सिक्का जमाने के लिए भारत को आत्म-शासन का अधिकार देने का निश्चय कर लिया। यद्यपि लड़ाई के

जमाने की भू-दग्ध प्रणाली (जिसके अनुसार अंग्रेज़ किसी भी स्थल से गौरवपूर्वक पीछे हटने के पहले वहाँ का सारा साज़ोसामान इसलिए अग्नि-देवता की भेंट कर देते थे, कि जिससे शत्रु उससे लाभ न उठा सके) का प्रयोग अंग्रेजों ने इस देश में भी किया ; अर्थात् जाते-जाते इस देश के टुकड़े करके हमेशा के लिए कलह के बीज बो गये और अरबों की सम्पत्ति तथा सहस्रों के प्राण गँवाकर भी दो टुकड़ों में से कोई भी शान्ति, सुख एवं निश्चिन्तता नहीं प्राप्त कर सका।

खैर, जो हो और जिस उद्देश्य से भी हो, अँग्रेजों ने आखिर यह निश्चय तो कर लिया कि हिन्दुस्तान को ऐसी स्थिति में छोड़ना है, जिससे उनके लिए फिर यहाँ लौटने की गुंजाइश बनी रहे। इस निश्चय के अनुसार ही उन्होंने हिन्दुस्तानी नेताओं से शक्ति-हस्तान्तरण के पहले उसकी सब शर्तें तैयार करने के लिए लार्ड पेथिक-लारेंस की अध्यक्षता में ब्रिटिश मंत्रि-मण्डल की ओर से एक शिष्ट-मण्डल भारत भेजा, जिसमें १९४२ ई० के मिशन में असफल सर स्टैफर्ड क्रिप्स और श्री ए० वी० अलग्जैण्डर सदस्य एवं सहयोगी के रूप में थे। यह मिशन २३ मार्च (१९४६) को हिन्दुस्तान पहुँच गया और इसने यहाँ आते ही साम्प्रदायिक एवं राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात और बातचीत शुरू कर दी। इस मिशन ने आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर दिया कि वह हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए विलायत से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं ; बल्कि समझौते के लिए आम उपायों को ढूँढने के लिए आया है। २७ अप्रैल को इस मंत्रि-मण्डल-मिशन ने अपनी आरम्भिक मुलाकात और बातचीत समाप्त कर ली।

१७ मई (१९४६) को भारत-मंत्री लार्ड पेथिक-लारेंस ने अपने एक वक्तव्य में बताया कि किस प्रकार वे केवल इस अभिप्राय से दो महीने पहले अपनी सरकार-द्वारा हिन्दुस्तान भेजे गये थे कि भारतीयों-द्वारा उनका विधान बनाने के लिए प्रारम्भिक कार्य में वाइसराय की मदद करें।

पत्रकार-परिषद् में आपने स्पष्ट कहा कि ब्रिटेन के लोग आम तौर पर यह निश्चय कर चुके हैं कि वह आपके देश (हिन्दुस्तान) को अपने और संसार के इतिहास में उच्च स्थान प्राप्त कराने के लिए एक शासन-विधान प्राप्त कराने में सहायक हों।

इसी परिषद् में आपने यह भी कहा कि अन्तरिम सरकार कायम करने का विषय सब से अधिक महत्त्व का है।

अन्तरिम सरकार की स्थापना

इसके बाद १८ मई को एक और पत्रकार-परिषद् हुई, जिसमें लार्ड पेथिक-लारेन्स ने पत्रकारों को अन्तरिम सरकार की रूप-रेखाओं-सम्बन्धी सवालों का जवाब दिया।

१७ मई को वाइसराय ने अन्तरिम सरकार स्थापित करने के बारे में और प्रधान सेनापतिने भी उसी दिन उसके समर्थन में रेडियो-भाषण किया।

इसके बाद भारत-मंत्री ने कांग्रेस-सभापति मौलाना अबुलकलाम आज़ाद तथा नरेन्द्र-मण्डल के चान्सलर को पत्र लिखे।

कांग्रेस की कार्य-कारिणी समिति ने २४ मई को एक बैठक करके मंत्रि-मण्डल-मिशन के प्रस्ताव—अन्तरिम सरकार की स्थापना—पर विचार किया। गांधीजी ने अपने २ जून के वक्तव्य में इस योजना का स्वागत किया।

बाद में वाइसराय ने कांग्रेस के सभापति मौ० आज़ाद, पण्डित जवाहरलाल नेहरू और मि० जिन्ना से भी पत्र-व्यवहार किया और अन्त में मंत्रि-मण्डल-मिशन ने एक संयुक्त वक्तव्य १६ जून (१९४६) को निकाल कर नये विधान की रूप-रेखा और अन्तरिम सरकार के स्वरूप का स्पष्टीकरण कर दिया।

२९ अगस्त (१९४६) को अन्तरिम सरकार के सदस्यों की

नामावली प्रकाशित हो गई, जो इस प्रकार थी:—

पण्डित जवाहरलाल नेहरू
सरदार वल्लभभाई पटेल
डा० राजेन्द्रप्रसाद
श्री आसफअली
श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
श्री शरच्चन्द्र बोस
डा० जान मथाई
सरदार बलदेवसिंह
सर शफातअहमदखाँ
श्री जगजीवनराम
सैयद अलीज़हीर और
श्री कुंवरजी हरमुसजी भाभा

स्पष्ट है कि इसमें लीगी मुसलमान सम्मिलित नहीं थे; क्योंकि मि० जिन्ना इसके लिए अभी तक राज़ी नहीं हुए थे, फिर भी उनके लिए द्वार खुला रक्खा गया था। अन्त में लम्बे पत्र-व्यवहार और मान-लीला के बाद, १५ अक्तूबर (१९४६ ई०) को मुस्लिम-लीग ने अन्तरिम सरकार के मंत्रि-मण्डल में शामिल होने का निश्चय किया और अपने निम्नलिखित पाँच सदस्य भेज दिये:—

श्री लियाकतअली खाँ
श्री आई० आई० चुन्द्रीगर
श्री अब्दुर्रब निश्तर
श्री गज़नफ़रअलीख़ाँ और
श्री जोगेन्द्र मण्डल

जिसके फल-स्वरूप पहले मंत्रि-मण्डल से नीचे लिखे तीन मंत्रियों को इस्तीफे दे देने पड़े:—

श्री शरच्चन्द्र बोस
श्री शफातअहमद खाँ
सैयद अलीज़हीर

कांग्रेस का ५४ वाँ मेरठ-अधिवेशन

दस

कांग्रेस का चौवनवाँ मेरठ-अधिवेशन कई दृष्टियों से बड़ा महत्व-पूर्ण था। एक तो इतने दिनों नजरबन्दी के बाद कांग्रेस-कार्य-कारिणी-समिति अहमदनगर के किले में बन्द थी; इसलिए कोई अधिवेशन नहीं हो सका था। दूसरे, इधर केन्द्र में अन्तर्कालीन या अन्तरिम सरकार की स्थापना हो चुकी थी, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मौ० अबुलकलाम आज़ाद ने भी पदग्रहण किया था। ऐसी हालत में कांग्रेस के विधान के मुताबिक कांग्रेस में विधिवत् नया चुनाव करने की जरूरत पड़ी। इस पद के लिए आचार्य जे० बी० कृपलानी निर्वाचित हो गये।

इधर साम्प्रदायिक विष की आग देश में फैली हुई थी। मेरठ नगर व जिले में भी उसने भयंकर रूप धारण कर लिया। मेरठ में कांग्रेस-अधिवेशन के लिए जो पण्डाल बन रहा था, उसके एक हिस्से में आग लग गई और मजदूर वहाँ से घबराहट के कारण भाग खड़े हुए, जिससे पण्डाल-निर्माण का काम रुक गया। ऐसी दशा में कार्य-कर्त्ताओं ने यह निश्चय किया कि पण्डाल छोटा ही रखा जाय और केवल कांग्रेस के प्रतिनिधि ही इस अधिवेशन में आयें। दर्शकों, प्रदर्शिनी और दुकानों आदि की व्यवस्था रद कर दी गई। इससे अधिवेशन फीका तो अवश्य हो गया; पर कांग्रेस ने तो अपना कार्य पूरा कर ही लिया। मेरठ के इस कांग्रेस-पण्डाल या प्यारेलाल-नगर का निर्माण-कार्य बाद में आज़ाद हिन्द फौज की मदद से हो पाया था।

मेरठ-अधिवेशन के राष्ट्रपति आचार्य कृपलानी कांग्रेस के मँजे हुए पुराने सेवक और बहुत अर्से तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री रहे हैं। इस अधिवेशन में उन्होंने अपना भाषण हिन्दी

में किया। विषय-निर्द्धारण और कार्य-संचालन में आचार्य कृपलानी ने अपने अनुभव और योग्यता का पूर्ण परिचय दिया। अपने अन्तिम भाषण में आचार्यजी ने हिंसा और अहिंसा की मर्यादाओं के बारे में बड़ा सुन्दर विश्लेषण किया।

मेरठ-कांग्रेस में कांग्रेस के पद-ग्रहण को मंजूर कर लिया गया। विधान-परिषद् के सम्बन्ध में भी अधिवेशन ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि कांग्रेस आज़ाद और पूरी सत्ता-युक्त राज्य का समर्थन करती रही है। प्रकारान्तर से कह दिया कि भारत का भविष्य ब्रिटिश-साम्राज्य से बाहर रह कर ही सुन्दर बन सकता है। पिछली घटनाओं का सिंहावलोकन और भविष्य का दर्शन करानेवाला प्रस्ताव विशेष महत्त्वपूर्ण रहा। देशी राज्यों के सम्बन्ध में भी अधिवेशन ने एक विशेष प्रस्ताव पास किया, जिसमें अन्य बातों के साथ यह मत भी स्पष्ट किया गया था कि देशी राज्यों और कांग्रेस की समस्या एक है—और वास्तव में देशी राज्य का प्रश्न हिन्दुस्तान की आज़ादी का एक अंग है। रियासतों में प्रजाजन-द्वारा जो संघर्ष चल रहा है, उसे भी कांग्रेस ने स्वाधीनता के व्यापक संघर्ष का एक अंग मान लिया। नागरिक स्वतन्त्रता और जिम्मेदार शासन स्थापित करने के लिए रियासतों में जो संघर्ष चल रहे थे, उनके प्रति कांग्रेस ने अपनी हमदर्दी ज़ाहिर की।

इस प्रकार हरिपुरा-अधिवेशन के बाद कांग्रेस को देशी राज्यों के बारे में अपनी नीति और रुख स्पष्ट कर देने का सुअवसर मेरठ-अधिवेशन में ही मिला। इस अधिवेशन ने देश में पाकिस्तान के प्रश्न, साम्प्रदायिक संघर्ष—मार-काट, अग्नि-काण्ड, नारी-अपहरण और बलात्कार आदि—की जो अवांछनीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ हुई थीं, उन पर दुःख प्रकट किया। सरदार पटेल ने इस अधिवेशन में अपने भाषण में गर्जते हुए जो यह बात कह दी थी कि तलवार का बदला तलवार से लिया जायगा, उससे काफी सनसनी फैल गई। पर सरदारजी ने

जब उसका स्पष्टीकरण कर दिया, तब उससे पैदा हुई घबराहट शान्त हो गई।

इस प्रकार स्वतन्त्रता की पहली लड़ाई का श्रीगणेश करनेवाले मेरठ में ही पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा की गई और ब्रिटिश-साम्राज्य से सम्बन्ध तक छोड़ देने की इच्छा प्रदर्शित कर स्वाधीन तथा पूरी सत्ता-संयुक्त प्रजातन्त्र स्थापित करने की घोषणा की गई।

इसके बाद भारत के इतिहास को कलंकित करने और उसकी परम्पराओं तथा एकता को विनष्ट करने वाली वह घटना हुई, जिसकी चर्चा से कोई भी सच्चा हिन्दुस्तानी अपने दिल में दर्द का अनुभव करता है। जिस पंजाब प्रान्त में वैदिक-काल से ही हमारे पूर्वज सिन्धु-तट पर साम-गान करते आये थे, जिस बलोच्चस्थान (बिलोचिस्तान) पुष्टाहार (पोठोहार, रावलपिण्डी, जेहलम आदि) के क्षेत्रों में रहकर हमारे पूर्वज अपने बाहु-बल का परिचय सदियों से देते आ रहे थे, उसे यह देश छोड़ने के पहले अंग्रेज़ों ने हमसे हमारी इच्छा के विरुद्ध अलग कर दिया। हमारे नेताओं को मजबूर कर दिया गया कि वे या तो पाकिस्तान बनना मंजूर करें, या पूरी आज़ादी से हाथ धोयें। आज़ादी के मोह में उन्होंने पहली बात मंजूर कर ली। पंजाब और बंगाल के दो-दो टुकड़े (पूर्वी और पश्चिमी) कर दिये गये। सिन्ध और बिलोचिस्तान तो पाकिस्तान में पूरे थे ही; सीमा-प्रान्त को भी मत-संग्रह का प्रदर्शन करके, पाकिस्तान में सम्मिलित कर लिया गया और इस प्रकार १६०६ ई० में लार्ड मिण्टो ने जिस पार्थक्य-रूपी विष-बेलि को सींचा था, वह १६४६ में भारत की छाती पर भीषण दरार बनाने में सफल हो गयी।

अंग्रेजों ने आज़ाद हिन्द फौज के बन्दियों पर मुकदमा चलाने के समय देश-व्यापी विरोध देख लिया और यह अनुभव कर लिया था कि स्थिति पर उनका काबू नहीं रहा है। नौ-सेना के विद्रोह ने भी उनकी आँखें खोल दी थीं, जिससे उन्हें यह तो निश्चय हो गया था कि

अब उनकी दाल इस देश में बहुत दिनों तक न गल सकेगी, फिर भी उन्होंने अपनी प्रकृति के अनुसार यह सोच लिया कि अगर इस देश से जाना ही पड़े, तो इस तरह जायँ, जिससे हिन्दुस्तानी उन्हें बहुत दिनों तक याद करते रहें।

इस योजना के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने बारह महीने के अन्दर तीन विकल्प पेश किये—(१) जून, १९४६ ई० में मंत्रि-मण्डल-मिशन-योजना, (२) फरवरी १९४७ ई० में एटली—योजना और (३) जून १९४७ ई० में माउण्टबेटन-योजना।

इन योजनाओं में भी, १९४७ की असफल क्रिप्स-योजना की ही भाँति शासन का ढाँचा साम्प्रदायिक भेद और देशी राज्यों के अड़ंगे की भीत पर बनाया गया था। योजना की त्रुटियाँ कांग्रेस समझती थी; पर जिस तरह ब्रिटेन भारत से हटने के पहले अपने राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक व्यूहात्मक आयोजन की पूर्ति करना चाहता था, उसी तरह कांग्रेस भी इस ज़िद पर आगई कि चाहे जिस प्रकार हो, हमें अंग्रेज़ों के हाथ से पूरी आज़ादी ले ही लेनी है।

विभाजन के पहले और बाद में पश्चिमी बंगाल, सिन्ध, सीमा-प्रान्त, बिलोचिस्तान और पूर्वी बंगाल में देश के दोनों टुकड़ों की ओर से आनेवाले शरणार्थियों की जो घोर दुर्दशा हुई और उनके जान-माल का जो सामूहिक विनाश हुआ, कहा नहीं जा सकता कि उसके पाप का भागी भी हमारा राष्ट्र और उसके सूत्राधार हैं या नहीं; किन्तु यह बात सुनिश्चित है कि दोनों हिस्सों के निवासियों की अदला-बदली के पहले और बीच में, जो भयंकर हत्या-काण्ड साम्प्रदायिकता और अर्थ-लोलुपता ने कराया है, वह संसार के इतिहास में अपनी मिसाल नहीं रखता।

इधर ९ दिसम्बर १९४६ को दिल्ली में नव-निर्मित विधान-परिषद् की पहली बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम-लीग के नामज़द सदस्यों के सिवा सारे देश के विभिन्न दलों के सदस्यों ने भाग लिया। अपने अधिकृत

प्रान्तों में तो मुस्लिम-लीग शरारत कर रही थी, उसने अन्तरिम मंत्रि-मण्डल में भी ईमानदारी और मेल से काम करने में आनाकानी करनी शुरू कर दी। २० फरवरी १९४७ को ब्रिटिश सम्राट् की सरकार ने एक वक्तव्य प्रकाशित करके यह बता दिया कि—

(१) जून १९४८ ई० तक अंग्रेज भारत छोड़ जायँगे।

(२) जब तक सभी की स्वीकृति से एक सरकार की स्थापना अधिकृत रूप में न हो जायगी, सम्राट् की सरकार को निश्चय करना पड़ेगा कि वह अधिकार किसको सौंपे, और शायद कठिनाई की दशा में उसे एक से अधिक अधिकारियों को सत्ता सौंपनी पड़े।

(३) जहाँ तक देशी राज्यों का सम्बन्ध है, सर्वोपरि सत्ता समाप्त हो जायगी और वह सौंपने की चीज़ नहीं रह जायगी।

इस प्रकार इस वक्तव्य के द्वारा अधिकार सँभालने को भारत के सभी दलों के लिए यह ज़रूरी हो गया कि वे एक ऐसी अधिकारिणी सत्ता का निर्माण करें, जिसे ब्रिटिश सरकार शासनाधिकार सौंपे।

एक दूसरे वक्तव्य-द्वारा यह घोषणा की गई कि लार्ड वेवल को ब्रिटिश सरकार वापस बुला लेगी और उनकी जगह लार्ड माउण्टबेटन को हिन्दुस्तान का वाइसराय बनायेगी। इसके अनुसार २३ मार्च, १९४७ को लार्ड माउण्टबेटन ने हिन्दुस्तान में आकर अपना पद-ग्रहण भी कर लिया। उस समय हिन्दुस्तान में—और खासकर पश्चिमोत्तर और बंगाल में—गम्भीर साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे, जिसमें अधिकांश नुकसान हिन्दुओं और सिखों का हो रहा था। २० फरवरी के वक्तव्य में चूँकि यह कहा गया था कि शासन-सत्ता एक से अधिक अधिकृत सरकारों को सौंपी जा सकती है, इसलिए मुस्लिम-लीग उन प्रान्तों में भी शासन-शक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ उसका अधिकार नहीं था। बंगाल में मुस्लिम-लीग का मंत्रि-मण्डल चल ही रहा था। आसाम यद्यपि मुस्लिम-लीगी प्रान्त नहीं था; पर मुस्लिम-लीग उसे भी अपना बनाने की

अनधिकार चेष्टा कर रही थी। पंजाब में उन दिनों यूनियनिस्ट पार्टी की मिनिस्टरी चल रही थी, जिसमें मुस्लिम, सिख और हिन्दू सभी थे; पर मुस्लिम-लीग तब तक उन से अलग थी। सीमाप्रान्त में १९४६ के आम चुनाव में कांग्रेस ने काफी बहुमत प्राप्त कर लिया था। मुस्लिम सीटों में से अधिकांश उसे मिल गई थीं और वहाँ कांग्रेसी मंत्रि-मण्डल बन गया था। १९४६ के चुनाव में सिन्ध में ऐसा बहुमत बन गया था जो लीग के खिलाफ़ था। वहाँ दो युरोपियन बड़ा महत्त्व प्राप्त कर चुके थे; पर वे भी मुस्लिम-लीग का स्पष्ट बहुमत बनाने में मदद न कर सकते थे। इस पर भी वहाँ के मनमाने गवर्नर सर फ्रान्सिस मुडी ने मनमाने तौर पर अल्प-संख्यक दल—मुस्लिम-लीग—को मंत्रि-मण्डल बनाने के लिए आमंत्रित करके सिद्ध कर दिया कि अँग्रेज भी अपने बनाये विधान और नियम की हत्या करने में कितनी बेशर्मी और ज़बर्दस्त धींगा-धींगी दिखा सकते हैं। कुछ महीनों के बाद चालबाजी से दूसरा चुनाव करवा कर सिन्ध में मुस्लिम-लीग का बहुमत बना दिया गया और वह अपना मंत्रि-मण्डल बना सकी। इस प्रकार केवल बंगाल और सिन्ध में ही व्यवस्थापक सभाओं में लीग का बहुमत बना और उसके मंत्रि-मण्डल बन गये। इस तरह प्रयत्न करके मुस्लिम-लीग, सत्ता सौंपने के समय यह दावा करने की तैयारी कर रही थी कि इतने प्रान्तों में तो हमारा शासन चल ही रहा है; इसलिए केन्द्रीय सत्ता मिल जानी चाहिए, जिससे उसका चाहा हुआ पाकिस्तान बन सके। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए पंजाब और सीमा-प्रान्त में लीग ने व्यापक रूप में हत्या, लूट-पाट और मार-धाड़ बहुत व्यापक रूप में करा दी। सर खिज़रहयातखाँ पर मुस्लिम लीग ने इतना ज़ोर डाला कि आखिर बेचारे को यूनियनिस्ट पार्टी की मिनिस्टरी से इस्तीफा दे देना पड़ा। फिर भी मुस्लिम-लीग का वहाँ की असेम्बली में बहुमत न था; इसलिए जल्दी अपना मंत्रि-मण्डल न बना सकी और शासन-भार भारत-विधान की दफा ९३ के अनुसार अँग्रेज गवर्नर ने सँभाल

लिया। सीमा-प्रान्त में मंत्रि-मण्डल ने मुस्लिम-लीग की घुड़की-धमकी और दबाव की पर्वाह न की। इस पर उस प्रान्त में भी गम्भीर रूप में दंगे और मारकाट का बाज़ार गर्म किया गया। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि जब तक लीग अपना चाहा हुआ पाकिस्तान न बना लेगी, तब तक देश को चैन नहीं लेने देगी।

लार्ड माउण्ट बेटन इस प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार-से होकर आये थे और उन्होंने तेजी के साथ और बुद्धिमत्ता-पूर्वक कार्यवाही शुरू करदी। उन्होंने समस्या का हल निकालने के लिए नेताओं से परामर्श किये। मुस्लिम-लीगी मुसलमानों के अतिरिक्त देश का कोई भी दल या सम्प्रदाय देश के विभाजन के लिए राजी नहीं था। हिन्दू, सिख, पारसी, ईसाई की तो बात ही क्या, गैर-लीगी मुसलमान भी इसके पक्ष में कम थे।

माउण्ट बेटन की योजना

अन्तत: सारी स्थिति को समझ लेने के बाद लार्ड माउण्ट बेटन सम्राट् की सरकार से परामर्श करने लन्दन गये। भारत लौटकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया और उसमें स्पष्ट कर दिया कि सत्ता सौंपने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह वक्तव्य हिन्दुस्तान और लन्दन में ३ जून १९४७ को एक साथ प्रकाशित हुआ। उन्होंने इस वक्तव्य-द्वारा इन प्रान्तों का निर्णय जानने का उपाय निर्धारित किया, जो विभाजन के पक्ष में थे, और यदि विभाजन करना ही पड़े, तो उसे कार्य-रूप में परिणत करने का ज़ाब्ता क्या हो और यह भी बताया कि प्रान्तों को विभाजित करना ही हुआ, तो किस प्रकार किया जाय और एक सीमा-कमीशन-द्वारा विभाजित सूबों की सरहदें निर्धारित करने की योजना भी प्रकट की गई, जो केवल जिले की आबादी का ही ख़याल न रखकर सभी बातों पर ध्यान देगी। वक्तव्य में यह भी बताया गया कि ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में ऐसा विधान पेश होने वाला है, जिसके द्वारा भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त हो जायगा और

फिर उसके बाद तत्काल यदि वैसा निश्चय हुआ, तो भारत के दो उपनिवेश विभाजित कर दिये जायँगे। औपनिवेशिक स्वराज्य के अमल में आते ही सर्वोपरि सत्ता समाप्त हो जायगी। वक्तव्य में कहा गया कि ऐसा समझा जाता है कि अगस्त के मध्य तक ही धाराएँ तैयार हो जायँगी।

पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त को कहा गया कि वह अपने मत-संग्रह-द्वारा बहुमत से यह निर्णय करे कि वह हिन्दुस्तान में शामिल होना चाहता है या पाकिस्तान में। बिलोचिस्तान के लिए भी यही ढङ्ग इख्तियार किया गया। आसाम में केवल सिलहट ही ऐसा ज़िला था, जिसमें मुसलमानों का बहुमत था, और अगर यह निश्चय होजाय कि बंगाल का विभाजन होगा, तो वहाँ भी मत संग्रह-द्वारा बहुमत से यह निर्णय किया जाय कि सिलहट ज़िला आसाम का ही हिस्सा बन कर रहना चाहता है, या विभाजित पूर्वी बंगाल (पाकिस्तान) में मिलना चाहता है।

लार्ड माउण्टबेटन की यह योजना कांग्रेस-कार्य-कारिणी ने मंजूर कर ली और बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी ने भी उस पर अपनी मुहर लगा दी। अन्तत: ६ जून १६४७ को मुस्लिम-लीग की कौन्सिल ने उसे स्वीकार कर लिया।

जैसा कि पहले ही से आशङ्का थी, पंजाब और बंगाल के विभाजन का निश्चय हो गया। सीमा-प्रान्त, बिलोचिस्तान और आसाम के सिलहट जिले में मत-संग्रह हुआ और वहाँ के मुस्लिम बहुमत ने पाकिस्तान में शामिल होना ही अपने लिए श्रेयस्कर समझा। सीमा-प्रान्त के मत-संग्रह का डा० खानसाहब की पार्टी ने प्रबल विरोध किया, क्योंकि उनकी सरकार बड़े बहुमत के द्वारा निर्वाचित होकर बनी थी और उसे अपना मत प्रकट करने का अधिकार था; पर उसे उससे वंचित कर दिया गया, क्योंकि वह हिन्दुस्तान में शामिल होने के पक्ष में थी।

विधान-परिषद्

९ दिसम्बर १९४६ ई० को भारतीय विधान-परिषद् की पहली बैठक नई दिल्ली के कौंसिल-हाउस में हुई। इसके सभापति हुए बिहार के डा० सच्चिदानन्द सिन्हा, जो परिषद् के वृद्धतम सदस्य होने के कारण ब्रिटिश-परम्परा के अनुसार आरम्भिक बैठक के अध्यक्ष होने के अधिकारी थे।

इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन और आस्ट्रेलिया के शुभाकांक्षा-सन्देश परिषद् को प्राप्त हुए। अमेरिका के सन्देश में वहाँ के राष्ट्रमंत्री ने कहा था—"शान्ति, स्थायित्व और मनुष्य जाति की सांस्कृतिक प्रगति में हिन्दुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और सारे संसार के स्वतंत्रता-प्रिय लोग आपकी इस सभा को बड़ी दिलचस्पी से देखेंगे।

डा० सच्चिदानन्द सिन्हा ने इस परिषद्-द्वारा निर्मित संविधान को अमरता का विधान बनाने का आदर्श परिषद् के सामने रखा।

११ दिसम्बर १९४६ को विधान-परिषद् ने सभापति का चुनाव किया और इस पद के लिए देशरत्न डा० राजेन्द्रप्रसाद को स्थायी सभापति चुन लिया। परिषद् के सभी अङ्गों—दलों—ने सभापति की सेवाओं की सराहना की।

सभापति ने अपने भाषण में और बातों के अतिरिक्त यह भी कहा—"मैं जानता हूँ कि इस परिषद् का जन्म कुछ सीमितताओं के साथ हुआ है, हमें इन सीमितताओं की उपेक्षा, इसकी कार्यवाही या निर्णय के समय नहीं करनी चाहिए, न उन्हें भूलना चाहिए। किन्तु मैं जानता हूँ कि उन सीमितताओं के होते हुए भी यह परिषद् एक आत्म-शासन और आत्म-निश्चय करने के लिए स्वतंत्र है, जिसकी कार्यवाही में कोई भी बाहरी सत्ता हस्तक्षेप नहीं कर सकती और न इसके निर्णयों का भंग, परिवर्तन अथवा रूपान्तर कर सकती है।

उद्देश्यों की घोषणा

१३ दिसम्बर १९४६ ई० को पं० जवाहरलाल नेहरू ने विधान-

परिषद् के ध्येयों की घोषणा का प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वतंत्र और पूर्ण सत्ता-सम्पन्न प्रजातंत्र को सभी सत्ताएँ जनता से प्राप्त करने के उद्देश्य की घोषणा थी। यह प्रस्ताव २२ जनवरी १९४७ को सर्व-सम्मति से पास हो गया।

परिषद् की दूसरी बैठक २० जनवरी १९४७ को हुई, जिसमें सब से पहले "स्वाधीनता का अधिकार-पत्र" पास किया गया। फिर ५० सदस्यों की एक परामर्श-समिति नियुक्त हुई। परिषद् के सभापति को यह अधिकार दिया गया कि वह २२ और सदस्य नामज़द करें। परामर्श-समिति, स्वतंत्र-भारत के नागरिकों के बुनियादी अधिकारों, अल्प-संख्यकों के संरक्षण और पिछड़े हुए इलाकों की शासन-व्यवस्था पर सलाह देने के लिए बनाई गई।

परिषद् का तीसरा अधिवेशन २८ अप्रैल, १९४७ को हुआ। इस अधिवेशन में देशी राज्यों के प्रधान मंत्री और प्रतिनिधि विधान-परिषद् में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर करने को हाज़िर हुए, जिन में बड़ोदा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पटियाला, बीकानेर, कोचीन और रीवाँ ने पहले अपना नाम लिखाया।

सभापति के स्वागत करने पर रियासतों के दीवानों और प्रति-निधियों ने भारत की अखण्ड एकता पर हर्ष और उत्साह प्रकट करते हुए भाषण किये। सरदार पन्नीकर ने कहा—"हम यहाँ स्वेच्छापूर्वक सहयोग देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम पर कोई दबाव नहीं डाला गया। जो दबाव डालने की बात कहता है, वह हमारी बुद्धि का अप-मान करता है।"

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने वार्तालाप-समिति और परिषद्-द्वारा नियुक्त रियासतों की वार्तालाप-समिति की रिपोर्ट को लिपिबद्ध करने का प्रस्ताव पेश किया, जो मंजूर किया गया। इस पाँच दिन की बैठक में सरदार वल्लभभाई पटेल का बुनियादी अधिकार-सम्बन्धी प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसकी विभिन्न धाराओं पर दिलचस्प

बहसें हुईं। हमारे बुनियादी अधिकारों का नमूना आयलैंण्ड के ढंग का है। इससे नये और आधुनिक भारत का चित्र हमारे सामने आ जाता है। समानता के अधिकार-द्वारा भारतीय संघ के हर नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण या लिंग-भेद के बिना बराबर के अधिकार दिये गये। राज्य इन भेदों के आधार पर किसी के साथ असमान व्यवहार न करेगा। छूत-छात या अस्पृश्यता का असम्मानजनक भेद-भाव अन्ततः दूर कर दिया जायगा और इस आधार पर किये जाने वाले असमता-सूचक व्यवहार को अपराध माना जायगा। राज्य उपाधियाँ देना बन्द कर देगा। बुनियादी अधिकारों के अनुसार सब को भाषण-स्वातंत्र्य प्राप्त होगा। सभी शान्तिपूर्वक और निशस्त्र रूप में मिल-जुल सकेंगे, देश-भर में बिना किसी बाधा के कहीं भी घूम-फिर सकेंगे और बस जा सकेंगे। इसी प्रकार धार्मिक मामलों में व्यक्तिगत रूप से सभी को स्वतंत्रता होगी। सार्वजनिक शान्ति, नैतिकता और स्वास्थ्य का बन्धन मानते हुए प्रत्येक व्यक्ति धर्माचरण और धर्म-प्रचार कर सकेगा। अल्प-संख्यकों को आश्वासन दिया गया कि भारतीय संघ के हर भाग में उनकी भाषा, धर्मग्रन्थ और संस्कृति की रक्षा की जायगी।

जुलाई १९४७ के अधिवेशन में देशी राज्यों के सभी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसी बैठक में पहले-पहल मुस्लिम-लीग के सदस्य भी आये, जिस में लखनऊ के चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने राष्ट्रीय झण्डे को सलाम करने का स्वाँग रचाया और बाद में हवाई जहाज़ से गुप्त रूप में पाकिस्तान भाग गये। इस बैठक में विधान-परिषद् के अन्तर्गत संघीय विधान-समिति, प्रान्तीय विधान-समिति और सलाहकार-समिति ने अपने कार्यों का परिचय दिया। अप्रैलवाले अधिवेशन में, जहाँ पाकिस्तान-सम्बन्धी निर्णय न होने के कारण लोग अधर में लटके हुए थे, वहाँ अब ३ जुलाई को माउण्ट बेटन-योजना प्रकाशित हो जाने के बाद परिषद् इस बात के निर्णय के साथ आगे बढ़ी कि पाकिस्तान अब बनकर रहेगा। सरदार पटेल ने प्रान्तीय विधान-समिति के प्रधान की

हैसियत से रिपोर्ट पेश की। सामान्यतः प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाएँ सादृश्यतापूर्ण होंगी। दूसरी कौन्सिलें भी होंगी। शासनाधिकारियों में गवर्नरों का चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर होगा और मंत्रि-मण्डल में प्रधान मंत्री और अन्य मंत्री होंगे।

पण्डित नेहरू ने संघीय विधान-समिति की रिपोर्ट पेश की। इसके अनुसार भारतीय संघ में गवर्नरों के नौ प्रान्त, चीफ कमिश्नरों के पाँच प्रान्त और देशी राज्य सम्मिलित होंगे। संघीय पार्लियामेण्ट में दो कक्ष होंगे—एक राज-सभा और दूसरा लोक-सभा, जो विलायती पार्लियामेण्ट की लार्ड-सभा और कामन-सभा के ढंग पर होंगी। भारतीय संघ के प्रधान को "राष्ट्रपति" कहा जायगा, जो हर पाँचवें वर्ष एक निर्वाचक महाविद्यालय-द्वारा चुना जाया करेगा। संघीय मंत्रि-मण्डल ब्रिटिश नमूने का होगा। भारतीय संघ की एक सर्वश्रेष्ठ अदालत (वरिष्ठ न्यायालय) होगी, जो संघ और प्रान्तों के मामलों के बीच के किसी भी मामले का निर्णय करेगी। यही न्यायालय मौलिक या बुनियादी अधिकारों को अमल में लाने का काम करेगा। २२ जुलाई को स्वतंत्र भारत का अशोक-चक्र-युक्त झण्डा स्वीकार किया गया।

भारतीय स्वतंत्रता

अपने चुने हुए प्रतिनिधियों-द्वारा विधान-परिषद् को १४ और १५ अगस्त के बीच की मध्य रात्रि में हिन्दुस्तान को ब्रिटेन ने पूरी सत्ता हस्तान्तरित कर दी। इस हर्ष और उत्साह-भरे उत्सव के पीछे एक दुर्दैव राष्ट्र का उपहास कर रहा था, जिसने दूसरे ही दिन से देश के एक बड़े भाग को अपना घर-बार, सम्पत्ति-परिवार और सभी कुछ गँवाकर दर-दर भटकने के लिए बाध्य कर दिया।

उस रात स्वाधीनता की रस्म पूरी करने के लिए विधान-परिषद् में पौने ग्यारह बजे पूरी तैयारी हो चुकी थी। नई और पुरानी दोनों दिल्ली में रात को प्रचुर प्रकाश-द्वारा दिन बना दिया गया था। विधान-परिषद् के आस-पास की सड़कों पर अपार भीड़ थी। यद्यपि रेडियो-रिले-द्वारा

विधान-परिषद्-भवन से इस स्वाधीनता-समारोह का कर्णगत परिचय सारे देश को मिल रहा था; पर दिल्ली में उपस्थित जनता तो कानों के अतिरिक्त अपने नेत्रों को तृप्त करने के लिए अधिक लालायित थी; इसलिए नई दिल्ली—खासकर कौन्सिल-भवन के निकट जो भारी भीड़ जमा थी, वह सचमुच ऐतिहासिक थी।

समारोह का समारम्भ 'वन्देमातरम्' गान से हुआ। यह गान श्रीमती सुचेता कृपलानी ने गाया। इसके पश्चात् सभापति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने एक संक्षिप्त आरम्भिक भाषण किया। इसके बाद दो मिनट का मौन, भारत की स्वतन्त्रता पर मरने वालों की याद में धारण किया गया। तत्पश्चात् पं० नेहरू ने स्वाधीनता की प्रतिज्ञा को प्रस्ताव के रूप में पेश किया और एक ऐसा प्रेरक भाषण किया, जिससे श्रोतागण गद्गद् हो गये। चौधरी खलीकुज्ज़मा और डा० एस० राधाकृष्णन् ने इस प्रतिज्ञा का समर्थन और अनुमोदन किया और इस प्राचीन देश को उसका समुचित और सम्मानप्रद स्थान दिलाने के लिए आत्म-समर्पण कर देने का उपदेश किया।

डा० राजेन्द्रप्रसाद ने प्रतिज्ञा को पहले हिन्दी में एक-एक वाक्य करके पढ़ा और फिर अंग्रेज़ी में। श्रोतागण एक-एक वाक्य करके उसे दुहराते जाते थे। सभी सदस्य प्रतिज्ञा दुहराने के समय खड़े थे। प्रतिज्ञा पूरी होने पर शंख-ध्वनि हुई और 'महात्मा गाँधी की जय' से भवन गूँज उठा। डा० राजेन्द्रप्रसाद और पं० नेहरू ने स्वतन्त्रता और राष्ट्र-निर्माण के लिए की गई महात्मा गांधी की अभूतपूर्व सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा की, जिससे सभा-भवन तालियों की गड़गड़ाहट से देर तक गूँजता रहा।

इसके अनन्तर राजेन्द्र बाबू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पढ़ा :—

"मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्रीमान् वाइसराय को यह सूचित कर दिया जाय कि विधान-परिषद् ने भारत-सरकार की सत्ता ग्रहण कर ली है और वह (विधान-परिषद्) इस सिफारिश पर सही करती है कि

१५ अगस्त १९४७ ई० से लार्ड माउण्ट बेटन भारत के गवर्नर-जनरल बना दिये जायँ और सभापति तथा पं० नेहरू यह सन्देश लार्ड माउण्ट-बेटन तक अविलम्ब पहुँचा दें।''

सभा ने हर्ष-ध्वनि के साथ इस प्रस्ताव को मंजूर किया। इसके बाद श्रीमती हंसा मेहता ने भारतीय विधान-परिषद् को राष्ट्रीय झण्डा भेंट किया। राष्ट्रीयध्वज राजेन्द्र बाबू को सौंपते हुए श्रीमती हंसा मेहता ने कहा—"यह समुचित होगा कि इस महान् भवन पर जो पहला राष्ट्रीय झण्डा फहराया जाय, वह भारत की स्त्रियों की ओर से भेंट किया जाय।''

डा० राजेन्द्रप्रसाद ने झण्डे को चारों ओर प्रदर्शित किया और 'हिन्दुस्तान हमारा' और 'जन गन मन अधिनायक' गानों के साथ पहली कार्यवाही समाप्त हुई।

शपथ

पं० नेहरू ने शपथ लेने का जो-प्रस्ताव किया, वह इस प्रकार था:

"वर्षों पहले हमने स्वभाग्य-निर्णय किया था, और अब वह समय आगया है, जब हम उस शपथ को पूर्ति करें; पूर्णरूप से नहीं, तो सार-रूप से अब वह अवश्य ली जा सकती है।

"आधी रात का घण्टा बजते ही, जब संसार सोता है, भारत को स्वतंत्रता का जागरण और जीवन प्राप्त होगा। ऐसा समय आ रहा है—जो इतिहास में दुर्लभ अवसर पर ही आता है—जब हम पुराने से निकलकर नये में प्रवेश करेंगे, जब एक युग का अन्त होगा और जब राष्ट्र की अर्से से दबी हुई आत्मा उभरेगी। इस गम्भीर क्षण पर हम भारत और उसकी जनता तथा सारी मानव-जाति की सेवा के लिए आत्म-समर्पण का प्रण करें।

"इतिहास के प्रभात-काल में ही भारत ने अपनी अनन्त खोज आरम्भ कर दी थी, और चिह्न-रहित सदियों में उसने सफलता और विफलता के बीच अपने प्रयत्नों को भर दिया था। सौभाग्य और दुर्भाग्य

दोनों ही के द्वारा उसने अपनी खोज बन्द नहीं की और उन आदर्शों को नहीं भुलाया, जिससे उसे शक्ति प्राप्त होती रही है । आज हमारे दुर्भाग्य की एक अवधि समाप्त होती है और भारत आज अपने-आपको फिर प्राप्त कर रहा है । जिस सफलता का महोत्सव आज हम मना रहे हैं, वह एक कदम-मात्र है—अवसर का प्रारम्भ-मात्र है—जिसके द्वारा हम उस महत्ता, सफलता और विजय तक पहुँचेंगे, जो हमारी प्रतीक्षा कर रही है । क्या हम उस अवसर को प्राप्त करने के लिए काफी वीरता और बुद्धिमत्ता दिखा सकेंगे और भविष्य की चुनौती स्वीकार कर सकेंगे ?

"स्वतंत्रता और सत्ता के साथ उत्तरदायित्व भी आता है । वह उत्तरदायित्व इस सभा (असेम्बली) पर है, जो भारतीय जन-समाज की प्रतिनिधि और पूर्ण सत्ता-सम्पन्न है । स्वतंत्रता का जन्म होने से पहले हमने प्रसव-पीड़ा सहन की है और उस दुःख की याद से हमारा हृदय भारी हो रहा है । उन दर्दों-दुःखों में से कुछ अब भी मौजूद हैं, तो भी भूतकाल गुज़र चुका है और भविष्य हमें बुला रहा है ।

"यह भविष्य आराम करने के लिए नहीं, लगातार कोशिश करने के लिए है, जिससे हम उस प्रतिज्ञा की पूर्ति कर सकें, जो हमने बार-बार ली है और आज लेने जा रहे हैं । भारत की सेवा का मतलब है, उन करोड़ों की सेवा, जो कष्ट से पीड़ित हैं ; उसका मतलब है गरीबी, अज्ञान, बीमारी और विषमता का अन्त । हमारे समय के सब से श्रेष्ठ पुरुष (महात्मा गांधी) की आकांक्षा यही रही है कि प्रत्येक आँख के आँसू पोंछे जाने चाहिएँ । यह बात अभी हम से परे हो सकती है ; पर जब तक आँसू और कष्ट-सहन होंगे, तब तक हमारा काम समाप्त नहीं होगा ।

"इस प्रकार हमें अपने स्वप्न को वास्तविक रूप देने के लिए काम करना है और कठोर काम करना है । वह स्वप्न भारत के लिए तो है ही, पर संसार के लिए भी है ; क्योंकि आज सभी राष्ट्र एक दूसरे से बँध गये हैं और जो यह समझता है कि वह सब से अलग रहेगा,

वह अपना विनाश अपने-आप बुलाता है। ही— शान्ति के खण्ड या टुकड़े नहीं हो सकते। स्वतंत्रता भी इसी प्रकार अखण्ड—है और अब तो समृद्धि भी वैसी ही है। इस संसार के दुःख भी इसी प्रकार अखण्ड हैं; क्योंकि अब वह पृथक्-पृथक् टुकड़ों में बँटा नहीं रह सकता।

"भारत की जिस जनता के हम प्रतिनिधि हैं, उससे हमारी अपील है कि वह इस महान् उद्योग में पूरी श्रद्धा और विश्वासपूर्वक हमारा साथ दे। यह ईर्ष्या या दूसरे पर लांछन लगाने का समय नहीं है। हमने स्वतंत्र भारत का वह भवन बना लिया है, जहाँ उसके बच्चे शरण पा सकते हैं।

"मैं यह प्रतिज्ञा लेने का प्रस्ताव करता हूँ—

"आधी रात का घण्टा बजने की अन्तिम आवाज़ के बाद विधान-परिषद् के सभी उपस्थित सदस्य नीचे लिखी शपथ ग्रहण करें—

"इस गम्भीर क्षण पर, जब भारत की जनता कष्ट-सहन और आत्म-त्याग के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त कर रही है, मैं............(अमुक), भारतीय विधान-परिषद् के एक सदस्य की हैसियत से बड़ी विनम्रता के साथ भारत और उसके लोगों की सेवा के लिए इस उद्देश्य से आत्म-समर्पण करता हूँ कि यह प्राचीन देश संसारमें अपना समुचित स्थान प्राप्त कर सके और विश्व-शान्ति तथा मानव-जाति के कल्याण के लिए यह स्वेच्छापूर्वक पूर्ण प्रयत्न कर सके।"

इस अवसर पर डा० राजेन्द्रप्रसाद ने प्रतिज्ञा के पहले ही एक विस्तृत भाषण करते हुए पर नेताओं के उत्तरदायित्व और जनता के कर्त्तव्य का सुन्दर विश्लेषण किया।

इस मौके पर लार्ड माउण्ट बेटन ने सम्राट् की ओर से शुभा-कांक्षा का वह सन्देश पढ़ा, जो उन्होंने नये उपनिवेश-भारत-को इस अवसर पर देने के लिए भेजा था। भारत की स्वतंत्रता के लिए हाल में जो बातचीत नेताओं और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच हुई थी,

उसके बारे में भारतीय नेताओं की क्रियात्मक क्षमता की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, कि आज से वह इस देश में भारतीय जनता के सेवक के रूप में रहेंगे और जनता के प्रतिनिधियों के आमंत्रण पर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल के रूप में उसकी सेवा करना उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

आज़ादी तो आई, पर उसके साथ पाकिस्तान की सीमा में बसने वाले ग़ैर-मुस्लिमों पर ऐसी आफ़त आ गई, जैसी भारत के इतिहास में कौन कहे, सारे संसार के इतिहास में कभी किसी एक देश पर नहीं आई थी। पश्चिमी पंजाब, सिन्ध, बिलोचिस्तान और सीमा-प्रान्त में हिन्दुओं और सिखों को जिस सामूहिक रूप में लूटा और मारा गया और पूर्वी बंगाल में जिस दानवता का प्रदर्शन हुआ, उस से धरती काँप उठी।

गांधीजी नोआखाली में

गांधीजी की महान् आत्मा इन दुःखद समाचारों से ऐसी सिहर उठी कि नोआखालीके भीषण जंगल और दल-दल में वह अपना दल-बल लेकर सेवा करने के लिए पहुँच गये और साम्प्रदायिक एकता-स्थापन के लिए प्रत्येक आत्मिक उपाय काम में लाने लग गये। उनके इस प्रयत्न का बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रान्त पर अच्छा असर पड़ा; अन्यथा इन प्रांतों में मुसलमानों को भारी दुर्गति का सामना करना पड़ता। हाँ, पूर्वी पंजाब में अवश्य ही सिखों और हिन्दुओं ने मुसलमानों से बदला लिया और सैंकड़ों निरीह और निरपराध मुसलमानों को अपने पश्चिमी पंजाब, सीमान्त, सिन्ध और बिलोचिस्तान के धर्म-भाइयों के कुकृत्यों का प्रतिफल भोगना पड़ा। गांधीजी इस दिशा में भी प्रयत्न करने वाले थे और उनकी सेवाओं से यह देश और भी न जाने कितना लाभ उठाता; पर उनकी इस एकता-मूलक प्रवृत्तियों से साम्प्रदायिकता के पुजारी क्रुद्ध रहे थे। इनका एक ऐसा षड्यंत्र बन गया, जिसने एक व्यक्ति को विश्व-बन्धु महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए तैयार कर दिया। ३० जनवरी १९४८ ई० को इस

बहके हुए नराधम ने महात्माजी की प्रार्थना-सभा में जाकर रिवाल्वर से उनकी यह लीला समाप्त करदी और इस प्रकार 'राष्ट्रपिता' को उसी रूप में मृत्यु प्राप्त हो गई, जिस रूप में विभिन्न कालों में संसार के महानतम व्यक्तियों को मिलती रही है। उनकी हत्या के बाद देश में साम्प्रदायिकता का विष बहुत कुछ घट गया है ; पर इसको जड़ से नहीं खोया जा सका, क्योंकि इसके कारण अभी तक विद्यमान हैं। जब तक उन कारणों को मिटा न दिया जायगा, देश इस विष से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता।

जयपुर-अधिवेशन

मेरठ-अधिवेशन के बाद इधर दो वर्ष तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो सका। अन्ततः स्वतंत्र भारत में दिसम्बर १९४८ में कांग्रेस का ५५ वाँ अधिवेशन जयपुर में बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। सभापति का आसन इस बार—डा० पुरुषोत्तमदास टण्डन के साथ कड़े चुनाव-संघर्ष के बाद —डा० पट्टाभि सीतारामय्या को प्राप्त हो गया। जहाँ तक भीड़-भाड़, धूम-धाम और व्यवस्था का सम्बन्ध है, जयपुर-अधिवेशन कुम्भमेला-सा हो गया था ; पर भाषण और प्रस्ताव की दृष्टियों से उसे सफल कह सकते हैं।

सभापति डा० पट्टाभि सीतारामय्या का भाषण कई दृष्टियों से अपूर्व और बहुत सुन्दर रहा। उनकी वाणी-शक्ति सारे देश में मशहूर है। उन्होंने पहले महात्मा गांधी से लेकर मि० जिन्ना तक के शरीरान्त पर शोक प्रकट किया और उनकी सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इसके बाद आपने विश्व-संघ कायम करने की योजना पर विचार प्रकट किये। स्वतंत्रता मिलने के बाद देश की पुनर्रचना की ज़िम्मेदारियों की ओर आपने श्रोताओं का काफी ध्यान खींचा। देशी राज्यों के बारे में भी आपने कुछ बातें कहीं और मजदूरों की समस्याओं, गाँवों की पुनर्रचना, हरिजनों की समस्या, साम्प्रदायिकता और विधान-परिषद् तथा सरकार से कांग्रेस के सम्बन्धों पर भी विचार-विमर्श किया। कांग्रेस

के नये विधान के बारे में भी आपने अपने विचार प्रकट किये। एशिया के सभी देशों के प्रति कांग्रेस के रुख का भी स्पष्टीकरण आपने योग्यता के साथ किया। प्रवासी भारतवासियों की समस्या पर भी आपने अपने विचार प्रकट किये। आपका सारा भाषण मार्के का था; पर प्रसंगवशात् एक बार आपने राष्ट्र भाषा के प्रश्न पर यह कह दिया था कि 'हिन्दी युक्तप्रान्त की भाषा हो सकती है; पर केन्द्र की और सारे देश की भाषा तो और ही होगी और वह होगी हिन्दुस्तानी', तो इसका काफी विरोध हुआ, क्योंकि श्रोता और प्रतिनिधि यह सुनने को तैयार नहीं थे कि हिन्दी केवल युक्तप्रान्त की भाषा है, जब कि वह मध्यप्रान्त, बिहार, पूर्वी पंजाब, राजस्थान-संघ, मध्यभारत (मालवा)-संघ, विन्ध्य-प्रदेश, मत्स्य-प्रदेश आदि समस्त मध्य और उत्तर भारत की राजभाषा बन चुकी है।

प्रस्तावों में सब से पहले राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की हत्या पर अपना गहरा शोक और लज्जा प्रदर्शित करने का प्रस्ताव पास हुआ।

दूसरे प्रस्ताव-द्वारा आज़ादी के लिए लड़ने-मरने वाले सभी शहीदों के प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित की गई।

तीसरे प्रस्ताव में देश में हुई अन्य मृत्युओं के प्रति अपना शोक प्रकट किया गया।

चौथा प्रस्ताव एक सन्देश के रूप में था, जो वास्तव में मेरठ-कांग्रेस के बाद की घटनाओं का सिंहावलोकन था। यह प्रस्ताव पं० जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया और मौलाना अबुलकलाम आज़ाद ने उसका समर्थन किया।

पाँचवाँ प्रस्ताव कांग्रेस की वैदेशिक नीति के सम्बन्धमें था। इसे पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त ने पेश किया और इसके द्वारा अपने पड़ोसी एशियाई देशों के प्रति खास दिलचस्पी लेने पर ज़ोर दिया गया।

छठा प्रस्ताव भारत में आज़ादी के बाद विदेशी इलाकों को कायम

न रख भारत में मिला लेने के बारे में था, जो श्री एस० के० पाटिल ने पेश किया था।

सातवाँ प्रस्ताव सेठ गोविन्ददास ने दक्षिण-अफ्रीका की रंग-भेदी और भारत-विरोधी नीति के बारे में पेश किया था।

आठवाँ प्रस्ताव इण्डोनेशियन प्रजातंत्र के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए आचार्य युगल- किशोर-द्वारा पेश किया गया। ये सभी प्रस्ताव निर्विरोध पास हुए।

इसी प्रकार नवाँ देशी राज्यों के भारतीय संघ में सम्मिलित होने के बारे में श्री शंकररावदेव का, और देश के विभाजन से कष्टग्रस्त लोगों के प्रति सहानुभूति का सरदार प्रतापसिंह का दसवाँ प्रस्ताव भी सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ।

ग्यारहवाँ प्रस्ताव साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में था, जिसे पं० गोविन्दवल्लभ पन्त ने पेश किया था और जिसमें बताया गया था कि आज़ादी को कायम रखने के लिए साम्प्रदायिक भावना को कुचलना और अँग्रेजों की इस देन को इस देश से समाप्त करना होगा। ऐसी दशा में कांग्रेस, धर्म के नाम पर साम्प्रदायिकता जारी रखने की स्वीकृति नहीं दे सकती। कांग्रेस सभी देश-भाइयों से अपील करती है कि वे लोगों में भाईचारे की भावना बढ़ाएँ और संकीर्ण साम्प्रदायिकता उनके दिलों से दूर करें। प्रस्ताव का समर्थन श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन ने किया और वह सर्व-सम्मति से पास हुआ।

बारहवाँ प्रस्ताव मजदूरों के सम्बन्ध में था, जो कि भारत-सरकार के श्रम-विभाग के मंत्री श्री जगजीवनराम ने पेश किया था। इसके द्वारा देश के श्रमजीवियों को उन के परिश्रम के बदले उचित मज़दूरी दिलाने के बारे में कांग्रेस की आर्थिक समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव की शब्दावली बहुत लम्बी थी। यह भी सर्व-सम्मति से पास हुआ।

तेरहवाँ प्रस्ताव गांधी-राष्ट्रीय-स्मारक-कोष के बारे में आचार्य

कृपलानी ने पेश किया कि 'अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों—शिक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्शों—और उनकी अन्य प्रिय कार्यशीलताओं और गाँधी-साहित्य के प्रकाशन को आगे बढ़ाने के लिए एक "गांधी-राष्ट्रीय-स्मारक-कोष" कायम करे। यह प्रस्ताव भी सर्व-सम्मति से पास हुआ।

चौदहवाँ प्रस्ताव आर्थिक कार्यक्रम के बारे में था, जिसे किसान-आन्दोलन के विख्यात प्रोफेसर एन० जी० रंगा ने पेश किया था। इस प्रस्ताव-द्वारा देश के आर्थिक पुनर्निमाण के लिए अधिक ठोस और वेगवान उपायों को अमल में लाने और खादी तथा ग्रामोद्योग की वस्तुओं के अधिकाधिक उत्पादन पर ज़ोर दिया गया। कल-कारखानों का उत्पादन बढ़ाने के साधनों को प्रस्तुत कराने पर भी ज़ोर दिया गया। इस प्रस्ताव की शब्दावली भी बहुत लम्बी थी। यह सर्व-सम्मति से पास हो गया।

पन्द्रहवें प्रस्ताव-द्वारा महात्मा गांधी की निस्स्वार्थ सेवा की भावना को जीवन का आदर्श बनाने का आदेश किया गया, क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि कुछ लोग स्वार्थ-पूर्ति के लिए सत्ता का उपयोग करने की ओर प्रवृत्त दिखाई देने लगे हैं। राष्ट्र और व्यक्ति दोनों के हित के लिए इस प्रवृत्ति को दूर करना है। कांग्रेसजन को अपना चरित्र आदर्श बनाना चाहिए और महात्मा गांधी-द्वारा स्थापित निस्स्वार्थ सेवा की परम्परा का निर्वाह करना है। प्रस्ताव श्री शंकररावदेव ने उपस्थित किया और वह सर्व-सम्मति से पास हुआ।

सोलहवाँ प्रस्ताव भाषावार प्रान्त-विभाजन के बारे में कांग्रेस-द्वारा नियुक्त कमीशन की रिपोर्ट के बारे में था, जिसे पं० गोविन्दवल्लभ पन्त ने उपस्थित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि प्रान्तों का भाषावार पुनर्विभाजन आवश्यक होते हुए भी, वर्त्तमान स्थिति में कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार उसमें बाधाएँ हैं; अतः डा० पट्टाभि सीतारामय्या, पं० जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल की

एक कमेटी नियुक्त की जाय, जो तीन महीने के अन्दर सारी स्थिति पर विचार करके अपना निर्णय कांग्रेस कार्य-कारिणी समिति के पास भेजे। प्रस्ताव सर्व-सम्मति से पास हुआ।

सत्रहवाँ और अन्तिम प्रस्ताव कांग्रेस के विधान में ही अदल-बदल करने के बारे में था, जिसके अनुसार राजपूताना, मध्य-भारत, विन्ध्य-प्रदेश और हिमाचल, पटियाला तथा पूर्वीय पंजाब के संघ में पाँच नई प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटियाँ स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था।

इस प्रकार ऐतिहासिक जयपुर-कांग्रेस-अधिवेशन १६ दिसम्बर १६४८ को समाप्त हुआ।

ग्यारह

आज़ादी मिल जाने के बाद ही कांग्रेस क्षेत्र में यह सवाल उठा था कि अब कांग्रेस का अस्तित्व कायम रखा जाय या उसे भंग कर दिया जाय ? क्योंकि उसका ध्येय तो प्राप्त हो चुका है। इस प्रश्न के पक्ष और विपक्ष में विचार प्रकट किये गये और देश का अधिकांश मत इसी बात से सहमत है कि कांग्रेस का अस्तित्व आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है; क्योंकि कांग्रेसी बहुमत के सत्ता ग्रहण कर लेने के बाद भी शासन-संचालन की टीका-टिप्पणी और निरीक्षण करने के लिए कांग्रेस को एक पृथक् और निर्भीक संस्था के रूप में कायम रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने जो रचनात्मक काम शुरू किये थे, वे ध्वंसात्मक गति-विधि के झंझावात में अबतक अधिक आगे नहीं बढ़ सके थे। अब कांग्रेस संघर्ष से छुट्टी पाकर उन रचनात्मक कार्यों—खादी, ग्रामोद्योग, बुनियादी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण और सर्वोदय--की सभी प्रणालियों को काम में लाने के लिए जुट जाय, तो देश प्रगति के पथ पर बहुत जल्द आगे बढ़ सकता है। यह बात साफ है कि बिना सार्वजनिक संस्थाओं के सहयोग के अकेली सरकार, चाहे वह कैसी ही शुभेच्छा और साधन क्यों न रखती हो, इस बूढ़े और पिछड़े हुए देश को तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ा सकती। तीसरी मुख्य बात यह है कि यदि इस देश को केवल युरोप और अमेरिका की नकल मात्र नहीं बना देना है और उस की कार्यशीलताओं और प्रगति में उसकी अपनी परम्परा और महात्माजी की देन को स्थान देना है तो प्रमुख रचनात्मक संस्था के रूप में कांग्रेस का स्थायी रूप से कायम रहना अनिवार्य है। अमेरिका में भी आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस

कायम रही है; इसलिए भारत में इसका अस्तित्व न रहे—यह सवाल ही औचित्यपूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस को नीचे लिखा कार्य करना है:--

(१) शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन
(२) ग्रामों का पुनर्निर्माण
(३) औद्योगिक विकास
(४) सहयोग-पद्धति का प्रचार
(५) शासन-व्यवस्था में परिवर्तन
(६) न्याय-विभाग
(७) आर्थिक पूर्ति
(८) पिछड़े हुए भागों की प्रगति
(९) अस्पृश्यता, साम्प्रदायिकता और प्रान्तीयता-निवारण
(१०) घूसखोरी का विनाश

इस दिशा में कांग्रेस-द्वारा स्थापित हमारी केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें न्यूनाधिक रूप में काम भी करने लगी है। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यहाँ हम यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि हमारी केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों ने आज़ादी पाने के बाद क्या-क्या उल्लेखनीय रचनात्मक कार्य आरम्भ कर दिये हैं और उन्हें उसमें कहाँ तक सफलता मिली है।

केन्द्रीय सरकार

आज़ादी के साथ ही देश का विभाजन होने के कारण केन्द्रीय सरकार को जिन-जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनके कारण वह अपने रचनात्मक कार्य-क्रम को उस रूप में नहीं आरम्भ कर सकी, जिस रूप में उसे करना चाहिए था और जिस तरह वह करना चाहती थी। विभाजन के फल-स्वरूप हिन्दुस्तान का क्षेत्रफल घटकर १२२००९९ वर्ग मील और जनसंख्या ३१ करोड़ ९० लाख रह गई। अब हिन्दुस्तान में केवल नौ प्रान्त रह गये हैं। पर यह प्रसन्नता की

बात है कि सभी देशी राज्य—जिनमें हैदराबाद भी शामिल है—भारत-सरकार के अधीन एकछत्र शासन के अन्तर्गत आगये हैं। इस विभाजन के फल-स्वरूप भारत ने जूट, कपास और गेहूँ की पैदावार के एक बड़े भाग से हाथ धो लिया है, जो मुख्य रूप से क्रमशः पूर्वी बंगाल, सिन्ध और पच्छिमी पंजाब में होता था।

इस प्रकार प्रगति के रास्ते में रोड़े अटकाये जाने पर भी हमारी कांग्रेसी सरकार ने एक वर्ष में बहुत कुछ उन्नति कर ली है। रक्तपात और लूटखसोट के होते हुए भी हमारे राष्ट्र की नाव आगे बढ़ती ही गई है; यद्यपि उसकी चाल धीमी अवश्य रही है। यहाँ हम उन सभी कार्यों का क्रमशः उल्लेख करेंगे, जो महत्त्व की दृष्टि से सर्वप्रथम करने के योग्य और अनिवार्य हैं।

खुराक और खेती

लड़ाई के दिनों से ही खुराक की समस्या हिन्दुस्तान में बड़ा कठिन रूप धारण कर चुकी थी और उसके बाद भी उसकी दशा में अधिक सुधार इसलिए नहीं हो पाया कि देश की पैदावार और यातायात के साधन में अभी तक सुधार नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त देश के विभाजन ने खाद्य-स्थिति को और भी संकटपूर्ण बना दिया। एक तो हिन्दुस्तान को पंजाब के गेहूँ पैदा करनेवाले प्रमुख ज़िलों और पूर्वी बंगाल के चावल पैदा करनेवाले प्रधान क्षेत्रों से वंचित होना पड़ा; दूसरे, जनता के एक स्थान से भागकर दूसरे स्थानों पर आ जमा होने के कारण, उस बढ़ी हुई जन-संख्या के लिए खाद्य-सामग्री जुटाना कठिन होगया। फिर भी केन्द्रीय सरकार ने इस ओर सब से पहले और सब से अधिक ध्यान दिया और केन्द्रीय सरकार के खाद्य-मंत्री डा० राजेन्द्रप्रसाद और उनके बाद श्री जयरामदास दौलतराम ने इस दिशा में दिन-रात परिश्रम करके वह स्थिति ला दी कि देश भुखमरी से बच गया। वैसे तो लड़ाई के दिनों (१९४३ ई०) से ही खाद्य-पदार्थों पर कठोर नियंत्रण करके भारत-सरकार ने उसके विभाजन

को विधिवत् संचालित करने की व्यवस्था कर ली थी। और १९४७ तक १५ करोड़ जन-संख्या के लिए खाद्य की रसद्-व्यवस्था कर ली गई थी, पर इसकी वैज्ञानिक विधि का विकास धीरे-धीरे ही हो सका और बाहरी देशों से अनाज मँगाने की व्यवस्था धीरे-धीरे ही अधिक कारगर हो पाई।

इस दिशा में यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिन क्षेत्रों में अनाज का घाटा अधिक था, उनके लिए उसे अधिक पैदावार के क्षेत्रों से अनाज पहुँचाने की व्यवस्था भी भारत-सरकार के रेलवे-विभाग को साथ-साथ करनी थी। उदाहरण के लिए मद्रास तो अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित हो गया था; इसलिये उसे दो लाख टन से बढ़ाकर ५ लाख टन अनाज पहुँचाया गया। ठीक दाम पर लोगों को खाद्यान्न मिल सके, इसलिए सरकार को मद्रास प्रान्त के कष्ट-ग्रस्त क्षेत्रों में ८५०० अन्न-कष्ट-निवारक दुकानें भी खोलनी पड़ीं। बम्बई में भी अन्न का घाटा था; इसलिए वहाँ अनाज पर नियंत्रण की सुन्दर व्यवस्था की गई। बम्बई-प्रान्त के लिए अनाज का परिमाण पौने पाँच लाख टन से बढ़ाकर साढ़े पाँच लाख टन करना पड़ा, और प्रान्त में उपरोक्त ढंग की २००० दुकानें अन्न-विभाजन के लिए खोली गईं।

अनाज का नियंत्रण सफल बनाने के लिए भारत-सरकार ने अर्जेण्टाईना, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और रूस से अनाज मँगाने के बारे में समझौता कर लिया है। और भी कई देशों से अनाज मँगाने के लिए बातचीत चल रही है। इस वर्ष जुलाई तक विदेशों से १७,००,००० टन अनाज भारत आ चुका है। जब कि १९४७ और १९४६ ई० की इसी अवधि में क्रमशः ११,००,००० और ७,००,००० टन अनाज आया था।

किन्तु हमारी केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या का स्थायी उपाय सोचने में भूल नहीं की है। वह जानती है कि जबतक इस

बात है कि सभी देशी राज्य—जिनमें हैदराबाद भी शामिल है—भारत-सरकार के अधीन एकछत्र शासन के अन्तर्गत आगये हैं। इस विभाजन के फल-स्वरूप भारत ने जूट, कपास और गेहूँ की पैदावार के एक बड़े भाग से हाथ धो लिया है, जो मुख्य रूप से क्रमशः पूर्वी बंगाल, सिन्ध और पच्छिमी पंजाब में होता था।

इस प्रकार प्रगति के रास्ते में रोड़े अटकाये जाने पर भी हमारी कांग्रेसी सरकार ने एक वर्ष में बहुत कुछ उन्नति कर ली है। रक्तपात और लूटखसोट के होते हुए भी हमारे राष्ट्र की नाव आगे बढ़ती ही गई है; यद्यपि उसकी चाल धीमी अवश्य रही है। यहाँ हम उन सभी कार्यों का क्रमश: उल्लेख करेंगे, जो महत्त्व की दृष्टि से सर्वप्रथम करने के योग्य और अनिवार्य हैं।

खुराक और खेती

लड़ाई के दिनों से ही खुराक की समस्या हिन्दुस्तान में बड़ा कठिन रूप धारण कर चुकी थी और उसके बाद भी उसकी दशा में अधिक सुधार इसलिए नहीं हो पाया कि देश की पैदावार और यातायात के साधन में अभी तक सुधार नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त देश के विभाजन ने खाद्य-स्थिति को और भी संकटपूर्ण बना दिया। एक तो हिन्दुस्तान को पंजाब के गेहूँ पैदा करनेवाले प्रमुख ज़िलों और पूर्वी बंगाल के चावल पैदा करनेवाले प्रधान क्षेत्रों से वंचित होना पड़ा; दूसरे, जनता के एक स्थान से भागकर दूसरे स्थानों पर आ जमा होने के कारण, उस बढ़ी हुई जन-संख्या के लिए खाद्य-सामग्री जुटाना कठिन होगया। फिर भी केन्द्रीय सरकार ने इस ओर सब से पहले और सब से अधिक ध्यान दिया और केन्द्रीय सरकार के खाद्य-मंत्री डा० राजेन्द्रप्रसाद और उनके बाद श्री जयरामदास दौलतराम ने इस दिशा में दिन-रात परिश्रम करके वह स्थिति ला दी कि देश भुखमरी से बच गया। वैसे तो लड़ाई के दिनों (१६४३ ई०) से ही खाद्य-पदार्थों पर कठोर नियंत्रण करके भारत-सरकार ने उसके विभाजन

को विधिवत् संचालित करने की व्यवस्था कर ली थी। और १९४७ तक १५ करोड़ जन-संख्या के लिए खाद्य की रसद-व्यवस्था कर ली गई थी, पर इसकी वैज्ञानिक विधि का विकास धीरे-धीरे ही हो सका और बाहरी देशों से अनाज मँगाने की व्यवस्था धीरे-धीरे ही अधिक कारगर हो पाई।

इस दिशा में यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिन क्षेत्रों में अनाज का घाटा अधिक था, उनके लिए उसे अधिक पैदावार के क्षेत्रों से अनाज पहुँचाने की व्यवस्था भी भारत-सरकार के रेलवे-विभाग को साथ-साथ करनी थी। उदाहरण के लिए मद्रास तो अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित हो गया था; इसलिये उसे दो लाख टन से बढ़ाकर ९ लाख टन अनाज पहुँचाया गया। ठीक दाम पर लोगों को खाद्यान्न मिल सके, इसलिए सरकार को मद्रास प्रान्त के कष्ट-ग्रस्त क्षेत्रों में ८५०० अन्न-कष्ट-निवारक दुकानें भी खोलनी पड़ीं। बम्बई में भी अन्न का घाटा था; इसलिए वहाँ अनाज पर नियंत्रण की सुन्दर व्यवस्था की गई। बम्बई-प्रान्त के लिए अनाज का परिमाण पौने पाँच लाख टन से बढ़ाकर साढ़े पाँच लाख टन करना पड़ा, और प्रान्त में उपरोक्त ढंग की २००० दुकानें अन्न-विभाजन के लिए खोली गईं।

अनाज का नियंत्रण सफल बनाने के लिए भारत-सरकार ने अर्जेण्टाईना, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और रूस से अनाज मँगाने के बारे में समझौता कर लिया है। और भी कई देशों से अनाज मँगाने के लिए बातचीत चल रही है। इस वर्ष जुलाई तक विदेशों से १७,००,००० टन अनाज भारत आ चुका है। जब कि १९४७ और १९४६ ई० की इसी अवधि में क्रमशः ११,००,००० और ७,००,००० टन अनाज आया था।

किन्तु हमारी केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या का स्थायी उपाय सोचने में भूल नहीं की है। वह जानती है कि जबतक इस

देश की आवश्यकता पूरी करने भर को अनाज यहीं न पैदा होने लगेगा, तबतक देश को खाद्य की चिन्ता से मुक्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए सरकार ने अन्न अधिक उपजाने को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है, और अब बहुत-सी बंजर भूमियों में भी खेती करने और सिंचाई के साधनों को बढ़ाने की ओर विभिन्न प्रान्तों को प्रोत्साहित कर रही है। १९४६ और १९४७ के आँकड़ों से मालूम होता है कि जहाँ पहले वर्ष (१९४६ ई० में) चावल, ज्वार, बाजरा, मकई, गेहूँ, जौ और चने की पैदावार ३९,४२३,००० टन थी वहाँ वह दूसरे साल (१९४७ ई० में) ४०,४११,००० टन हुई; अर्थात् लगभग १० लाख टन की उपज बढ़ी है। यद्यपि यह संख्या बहुत आकर्षक नहीं है, फिर भी यकायक पैदावार में बहुत अधिक वृद्धि हो जाने की आशा भी नहीं की जा सकती।

कांग्रेस के प्रभाव से भारत-सरकार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि किसान इस देश की अर्थ-व्यवस्था के मेरुदण्ड हैं; इसलिए बिना उनको मज़बूत बनाये इस देश की आर्थिक दशा सुधारने की आशा करना दुराशा-मात्र होगी। इस बात को दृष्टि में रखते हुए ही आज़ादी मिलने के बाद देश में ७९ वेधशालाएँ स्थापित की गई हैं जो अपने पर्यवेक्षण के द्वारा देश के भिन्न-भिन्न भागों के मौसम का हाल पहले से बताया करती हैं। इस विभाग को ज़िलेवार पैदावार की स्थिति का भी पता होता है; इसलिए उनकी मौसम-सम्बन्धी चेतावनी लाभदायक हो सकती है। इस विभाग से खेतिहारों के अलावा आकाश में उड़नेवाले वायुयानों, समुद्र में चलने वाले जहाज़ों, सिंचाई, यातायात, रेल और तार विभागों को भी लाभ पहुँचता है। बारिश की माप आदि का काम भी यह विभाग करता है और अब जलीय वायु-मण्डल-विज्ञान का ज्ञान करानेवाली इन अनुसन्धान-शालाओं की संख्या ८६ तक पहुँच गई है, जिसमें दामोदर, महानदी और कोसी नदियों की उन क्षेत्रों की अनुसन्धान-शालाएँ भी सम्मिलित

हैं, जो इन जल-संचय-क्षेत्रों में बनी हैं, जहाँ से पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है।

अब रेडियो-विभाग-द्वारा मौसम-सम्बन्धी जो चेतावनी समय-समय पर इन अनुसन्धान-शालाओं की खोज के आधार पर दी जाती है, इसका महत्त्व कहीं-कहीं देहाती क्षेत्रों में भी समझा जाने लगा है; फिर भी अभी देहात में शिक्षा की कमी के कारण, इसका महत्त्व काफी तौर पर नहीं समझा जा रहा है।

स्वास्थ्य-सम्बन्धी

जिन क्षेत्रों की शासन-व्यवस्था केन्द्रीय सरकार-द्वारा होती है, उनके स्वास्थ्य की विशेष ज़िम्मेदारी भी उसी की होती है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय स्वास्थ्य-सचिवालय प्रान्तीय और देशी राज्यों के संघों के स्वास्थ्य-विभागों को भी सहायता और सहयोग देता है। देश के दो टुकड़े होजाने के कारण जो शरणार्थी पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आये हैं, उनके स्वास्थ्य की समस्या ऐसी थी, जिसकी ओर इस सचिवालय का ध्यान जाना अनिवार्य था। प्रान्तों में महामारी न फैले, इसके लिए भी केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को सहायता और सहयोग दिया है। इस दिशा में अभी गाँवों की ज़रूरतों को दृष्टि में रखते हुए, जो कुछ किया गया है, वह काफी नहीं है; क्योंकि गाँवों में चिकित्सा की व्यवस्था अभी तक सरकार की ओर से बहुत कम या कुछ भी नहीं है।

केन्द्रीय सरकार-द्वारा शासित क्षेत्रों में से दिल्ली और उसके आसपास के भूभाग को मिलाकर जो सूबा बना है, उसमें अस्पतालों के पुनस्संगठन की व्यवस्था की गई है और भोर-कमेटी की सिफारिशों के अनुसार वहाँ स्वास्थ्य-केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। अजमेर-मेरवाड़ा में भी यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। भारत-सरकार ने इस दिशा में कार्य आगे बढ़ाने के लिए एक वातावरण-सम्बन्धी स्वास्थ्य-समिति (Environmental Hygiene Committee)

स्थापित कर दी है, जो गन्दगी दूर करने और गृह-निर्माण, जल की व्यवस्था और सामान्य सफाई की ओर विशेष ध्यान देगी।

काश्मीर के शरणार्थियों को औषध और शुश्रूषा-सम्बन्धी मदद देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने वहाँ १०० रोगी शय्या का एक केन्द्र इस वर्ष खोल दिया था, जहाँ हवाई जहाज़ से काफी दवाइयाँ पहुँचाई जाती रही हैं। इस वर्ष कालेपानी के टापू निकोबार में बच्चों को लकवा होने की बीमारी महामारी का रूप धारण कर रही थी। केन्द्रीय सरकार ने वहाँ औपचारिक सामान भेजकर उसे काबू में कर लिया।

केन्द्रीय सरकार ने विशेष चिकित्सा और उपचार-सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ४८ उम्मीदवार इंगलैण्ड और अमेरिका भेजे हैं। भोर-कमेटी की सिफारिशों के अनुसार भारत-सरकार ने दिल्ली में एक आल इंडिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट नाम की संस्था खोलने का प्रस्ताव सिद्धान्त-रूप में स्वीकार कर लिया है। स्वास्थ्य-विभाग की मंत्रिणी श्रीमती राजकुमारी अमृतकौर स्वास्थ्य-सम्बन्धी सभी दिशाओं की उन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं; पर अभी इस क्षेत्र में विस्तार और प्रसार की बहुत अधिक गुंजाइश है और बहुत-से अंगों में तो अभी काम भी अच्छे रूप में आरम्भ नहीं किया गया है।

शिक्षा-विभाग

शिक्षा-सचिवालय के सामने बहुत काम पड़ा है, और उस को शीघ्र कार्यान्वित करना, सैद्धान्तिक दृष्टि से अनिवार्य है। जिस देश के ८४ प्रतिशत लोग निरक्षर हों, उनको आज़ाद कहने में भी शर्म-सी लगती है। शिक्षा-प्रसार की आयोजना पिछली (अंग्रेजी) सरकार ने सार्जेण्ट-योजना के नाम से तैयार की थी; पर उसके अनुसार कार्य करने पर तो इस देश को साक्षर बनाने में ४० वर्ष लग जाते। अँग्रेज सरकार के लिए इतनी लम्बी योजना क्षम्य हो सकती थी; क्योंकि उसका कल्याण तो हमें निरक्षर और अज्ञान बनाये रखने में ही था। पर स्वतंत्र और

राष्ट्रीय सरकार के लिए तो यह कछुए की चाल कलंक का कारण बन जायगी। गत वर्ष (१९४८ ई० में) जो अखिल भारतीय शिक्षा-परिषद् हुई थी, उसने भी इस लम्बी योजना को दूर कर शीघ्रतापूर्वक शिक्षा-प्रसार की माँग की है और इसके लिए अनिवार्य और बुनियादी शिक्षा ६ से ११ साल और ११ से १४ साल के बच्चों में अविलम्ब जारी कर देने की सिफारिश की है। प्रौढ़-शिक्षा के लिए भी उसने बहुत जोर दिया है और शिक्षकों को शिक्षा-विधि की ट्रेनिंग (शिक्षण) दिलाने की ओर, और भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता बतलाई है।

इस देश को सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त उच्च और विशिष्ट शिक्षा की भी आवश्यकता है; क्योंकि आज़ादी के बाद उस के प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति के लिए विशिष्ट-शिक्षा-सम्पन्न और अपने विषय के निष्णात् व्यक्तियों की आवश्यकता है। इसके लिए हमारे शिक्षा सचिवालय को वैज्ञानिक दृष्टि से संसार के आगे बढ़े हुए देशों में अपने युवकों को शिक्षा प्राप्त कराने की अधिकाधिक सुविधाएँ प्राप्त करने का प्रयत्न करना है।

उद्योग-धन्धे

लड़ाई के बाद से हमारे देश के औद्योगिक निर्माण और उत्पादन का काम आगे न बढ़कर पीछे ही हटा है—खासकर १९४६ से तो यह घटी साफ दिखाई देने लगी है। उत्पादन बढ़ाये बिना चीज़ों की कीमतें घट नहीं सकतीं। ऐसी अवस्था में उद्योग-धन्धे के सचिवालय ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है और फौलाद, कपास, सूती कपड़े, सीमेण्ट, कागज़, दवाइयों, मशीन के औजारों, मोटरकारों और बिजली के मोटरों आदि का निर्माण-कार्य आगे बढ़ाने का निश्चय किया है। यद्यपि कपड़े की मिलें इस देश में काफी हैं और उनका उत्पादन-कार्य भी कम नहीं है; पर लड़ाई के बाद से इस क्षेत्र में भी पहले की अपेक्षा उत्पादन घटा ही है। कपड़े पर कंट्रोल या नियंत्रण होने के बावजूद देशवासियों को कभी काफी कपड़ा उचित मूल्य पर नहीं मिला। कंट्रोल

हटा लेने के बाद भी अवस्था नहीं सुधरी, इसलिए सरकार ने फिर कंट्रोल लगा देने का निश्चय कर लिया ; पर जब तक उत्पादन नहीं बढ़ता, तब तब कपड़े की कमी दूर नहीं हो सकती। दुर्भाग्यवश इस दिशा में न तो मिल-मालिकों से ही सरकार को पूरा सहयोग मिल रहा है—क्योंकि यह उनके स्वार्थमें बाधक है—और न मिल-मजदूरों से ही।

हिन्दुस्तानी उद्योग-धन्धों में जहाजों का निर्माण एक विशेष महत्त्व की बात है। गत वर्ष (१४ मार्च १९४८ ई०) विज़िगापट्टम में ८००० टन वज़न का पहला हिन्दुस्तान में बना जहाज़ "एस० एस० जल-उषा" समुद्र में उतारा गया। भारत में जहाज़ के निर्माण का यह श्रीगणेश ही है। सिन्धिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी इतने ही वजन का एक दूसरा जहाज़ भी विज़िगापट्टम में बनवा रही है। वैसे भारत-सरकार ने बने-बनाये जहाज़ ब्रिटेन और अमेरिका से खरीदने की व्यवस्था की ओर भी ध्यान दिया है।

हमारे उद्योग-धन्धे के सचिवालय ने वायुयान या हवाई जहाज़ों के निर्माण के काम में "हिंदुस्तान एयर क्राफ्ट कम्पनी" को काफी सहयोग दिया है और अब यह कम्पनी बँगलोर तथा बम्बई में हवाई जहाज़ बनाने का काम कर रही है। अब तक तो यह हवाई जहाज़ों की मरम्मत, सफाई, पुर्ज़े जोड़ने आदि का ही काम किया करती थी; पर अब यह निर्माण-कार्य भी करने लगी है।

वैज्ञानिक खाद बनाने के लिए भारत सरकार ने सिन्दरी में एक कारखाना बनवाना शुरू कर दिया है और आशा की जा रही है कि दो वर्ष के अन्दर यह कारखाना वर्ष में साढ़े तीन लाख टन वैज्ञानिक खाद बना सकेगा।

भारत-सरकार ने अणु-शक्ति के उपयोग की छान-बीन करने के लिए एक बोर्ड बना दिया है, जो अपना काम शुरू कर चुका है।

सरकार-द्वारा स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसधान-शाला (Council of Scintific and Industrial Research)

भी अपने क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण काम कर रही है। उसने अपने अन्तर्गत २४ विशेषज्ञ समितियाँ स्थापित कर ली हैं और वे मुख्य औद्योगिक विकास के लिए वैज्ञानिक आवश्यकताओं का अभीष्ट सुझाव पेश करेंगी।

कारखानों, खानों और बिजली का कार्य

कारखानों, खानों और बिजली का कार्य संचालित और वर्द्धित करने के लिए भारत-सरकार का जो सचिवालय कार्य कर रहा है, उसने पठानकोट-जम्मू-रोड का निर्माण केवल चार मास के अन्दर करके निर्माण-जगत् में एक नया इतिहास बना दिया है। माधोपुर में रावी का पुल बनवाने में भी इस विभाग ने फौजी और मुल्की इंजीनियरों के सहयोग से आश्चर्यजनक कौशल कर दिखाया है। इस विभाग ने दामोदर और हीराकुण्ड के बाँधों-द्वारा देश को औद्योगिक प्रगति के एक नये पथ पर अग्रसर कर दिया है। इस प्रकार कई और योजनाएँ कोसी, नर्मदा और अताम की नदियों में कार्यान्वित हो रही हैं। पूर्वी पंजाब में नांगल और भाखरा बाँध भी इसी प्रकार की महत्त्वपूर्ण योजनाएँ हैं।

इसके अतिरिक्त इस विभाग ने विशेष विषयों के इंजीनियरों को ट्रेनिंग या शिक्षा के लिए विदेश भेजने का निश्चय किया है और देश में बिजली के विकास की योजना भी बनाई है। राष्ट्रीय-योजना-समिति के अनेक सुझावों को यह विभाग अमली रूप देने की तैयारी कर रहा है।

खनिज पदार्थों की खोज के लिए भी भारत-सरकार का यह विभाग विशेष प्रयत्न करने जा रहा है। युद्ध के पहले अँग्रेज सरकार इसमें जितनी शक्ति लगा रही थी, उससे पाँचगुना निरीक्षण-कार्य का विस्तार हो चुका है। धनबाद के भूगर्भ-विद्यालय को अधिक पुनर्संगठित करने और भूगर्भ-विज्ञान, और तत्सम्बन्धी शाखाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर विदेश भेजने की व्यवस्था कर रहा है।

श्रम-विभाग

मज़दूरों की दशा सुधारने के लिए श्रीजगजीवनराम के पथ-प्रदर्शन में श्रमविभाग ने काफी काम किया है। कल-कारखानों और खानों आदि में काम करने वाले मज़दूरों को अब सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कराने के लिए सरकार ने बीमे की योजना पास कर दी है, जो एशिया में मज़दूर-वर्ग के लिए अपने ढंग का पहला काम है। अब मज़दूरों को चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएँ, काम करने के घण्टों का निर्द्धारण, स्त्रियों को विशेष सुविधा और आर्थिक लाभ और मज़दूरों और उनके ऊपर निर्भर करने वालों की सुख-सुविधा का विशेष प्रबन्ध करने की योजना बना ली गई है। फैक्टरीज़-बिल के अन्तर्गत मज़दूरों को विशेष अधिकार भी मिल गये हैं। दुर्घटना होने पर उन्हें सुख-सुविधा, आर्थिक सहायता और सवेतन छुट्टी दिलाने आदि के लिए भी इस कानून में स्थान है और देश की खानों में काम करने वाले ढाई लाख मज़दूरों की दशा सुधारने की विशेष व्यवस्था कर ली गई है। उनका वेतन निर्द्धारित कर दिया गया है और उनके जीवन-यापन के साधनों को विस्तृत कर दिया है। गत वर्ष दिल्ली में एशिया की क्षेत्रीय श्रमिक परिषद् हुई थी, जिसमें एशिया के २० देशों की सरकारों, कारखानों के मालिकों और मज़दूरों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इस परिषद् में मज़दूरों की दशा सुधारने के बारे में तरह-तरह के सुझाव और प्रस्ताव रखे गये हैं, जिनके कार्यान्वित होने पर इस देश के मज़दूरों की दशा बहुत सुधर जायगी और वे अपने किसान भाइयों की अपेक्षा सभी दृष्टियों से बहुत आगे बढ़ जायँगे।

व्यापार

लड़ाई के कारण व्यापार की गति-विधि में जो बाधा उपस्थित होगई थी, वह अभी तक दूर नहीं हो सकी है। फिर भी व्यापार-सचिवालय ने जापान-जैसे देशों से फिर व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करने की व्यवस्था कर ली है। एक व्यापारिक शिष्ट-मण्डल अब जर्मनी और

युरोप के अन्य देशों को जा रहा है। भारत का व्यापारिक सचिवालय अब ब्रिटिश-उपनिवेशों के अन्य देशों में भी अपना व्यापारिक प्रतिनिधि रखने का निश्चय कर चुका है। उपनिवेशों के अलावा अन्य देशों में वह अपने व्यापारिक अधिकारी नियुक्त करेगा।

अमेरिका के साथ व्यापार करने में गत वर्ष (१९४८ में) इस बात की कठिनाई का अनुभव किया गया, कि वहाँ से माल मँगाने के लिए काफी डालरों का विनिमय नहीं प्राप्त हो सका, जिसके कारण जिन देशों से डालर देकर माल मँगाया जाता है, उनके माल से यह देश वंचित ही रहा। इस दिशा में सरकार स्थिति सुधारने का प्रयत्न कर रही है। आयात की तरह निर्यात या रफ्तनी में भी अनेक बाधाएँ थीं, जो अब बहुत-से प्रतिबन्धों को हटाकर दूर की जा रही हैं। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच भी व्यापारिक समझौता होगया है, जिससे दोनों देशों के बीच कुछ आवश्यक चीजों की आमद-रफ्त हो सकेगी और इस प्रकार पारस्परिक बदले से दोनों का काम चल सकेगा। हिन्दुस्तान संयुक्त राष्ट्र-परिषद् की व्यापार-शाखा का सदस्य भी है और उसके निर्णयों को मानने में २२ अन्य राष्ट्रों के साथ रहना स्वीकार कर चुका है। यद्यपि इस संस्था का कार्य बहुत शिथिल है और उससे शीघ्र कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता; पर स्वतंत्रता प्राप्त होने के साथ भारत का दर्जा अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में बढ़ गया है; इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में ये २२ राष्ट्र, जो भी पारस्परिक सुविधाओं का निर्णय करेंगे, वह भारत को मानकर चलना पड़ेगा। इस संस्था के नये नियमों के अनुसार भारत इन देशों में व्यापारिक समझौता करके नई सुविधाएँ भी प्राप्त कर सकता है।

सम्पर्क

सम्पर्क या कम्यूनिकेशन विभाग ने सब से अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य यह किया कि गत वर्ष उसने इस देश में टेलीफोन बनाने का सरकारी कारखाना खोल दिया, जिससे सम्पर्क-स्थापन के कार्य

में आगे चलकर काफी सुविधा हो जायगी। बंगलोर में यह काम आरम्भिक रूप में चल भी पड़ा है; पर अभी टेलीफोन यंत्र के पुर्जे जोड़ने का काम शुरू हुआ है। पूर्वीय पंजाब में नई टेलीफोन-लाइन सितम्बर १९४८ ई० में बहुत शीघ्रता से लगाई गई है। काश्मीर से भी इन टेलीफोन-लाइन का सम्बन्ध स्थापित होगया है। बीकानेर को भारत की ट्रंक-टेलीफोन लाइन से मिलाने के लिए ३०० मील की नई लाइन भी डाल ली गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, जालन्धर, अमृतसर, हिसार, अम्बाला, गुरुदासपुर, जम्मू के बीच और कलकत्ता, अगरतला, गौहाटी तथा शीलांग नगरों के बीच बिना तार के तार-द्वारा सम्पर्क-स्थापन की व्यवस्था कर ली गई है। इसके अतिरिक्त विदेशों में जहाँ-जहाँ हमारे दूतावास खुले हैं, उनके साथ बिना तार के तार-द्वारा सम्बन्ध-स्थापित करने के लिए दिल्ली और उन दूतावासों में बेतार के तार वाले यंत्र लगा दिये गये हैं। फिर भी नगरों की टेलीफोन-सर्विस में सुधार नहीं हुआ है।

लड़ाई के बाद डाक और तार-विभाग का काम बेहद बिगड़ गया था और उसकी सर्विस बहुत रद्दी हो चली थी—चिट्ठियाँ हफ्तों में और तार कई-कई दिनों में पहुँचा करते थे; पर इधर इस दिशा में कुछ सुधार हुए हैं। नागपुर-क्षेत्र में चलता-फिरता डाकखाना परीक्षण के तौर पर कायम किया गया है, जो ·३८ पार्श्ववर्ती गाँव की सेवा कर रहा है। यह परीक्षण सफल हो जाने पर, देश के अन्य प्रान्तों में भी सुदूरवर्ती गाँवों की सेवा के लिए ऐसे चलते-फिरते डाकखाने स्थापित किये जा सकते हैं। दिल्ली और पूर्वी पंजाब के बीच डाक खास हवाई जहाज़ के द्वारा आया-जाया करती है। इसी प्रकार पूर्वीय हिन्दुस्तान में कलकत्ते से गौहाटी डाक ले जाने के लिए भी खास हवाई जहाज का उपयोग किया जारहा है। पूर्वीय पाकिस्तान के कारण आसाम के साथ हिन्दुस्तान का सीधा सम्बन्ध विच्छिन्न

हो गया था; पर अब कलकत्ते से हिन्दुस्तान की ही सीमा में होते हुए आसाम पहुँचने की व्यवस्था कर ली गई है। दिल्ली और श्रीनगर के बीच हवाई डाक का सिलसिला जारी कर दिया गया है। हवाई डाक की व्यवस्था अब भुवनेश्वर, अगरतला, पटना, बीकानेर, लखनऊ आदि में भी हो गई है। बम्बई से लन्दन और कलकत्ते से रंगून को भी हिन्दुस्तान के अपने हवाई जहाज़-द्वारा डाक भेजने के अवसरात्मक परीक्षण किये जा चुके हैं। जापान, कोरिया, ग्वाम टापू, हवाई द्वीप और फिलीपाईन्स तक हवाई डाक भेजने की व्यवस्था, कलकत्ते से अमेरिका जानेवाले पान-अमेरिकन एयरवेज़ (हवाई लाइन) के साथ कर ली गई है। इनके अतिरिक्त बम्बई से लन्दन तक "एयर इंडिया इंटर्नेशनल लिमिटेड" कम्पनी का अपना हवाई जहाज़ भी चलने लगा है, यह कम्पनी भारत-सरकार के सहयोग से स्थापित हुई है और जिसने अपने ७ करोड़ मूलधन में से २ करोड़ जमा भी कर लिया है। पाकिस्तान और स्वीडन से भी दुतर्फा हवाई समझौता हो चुका है। आस्ट्रेलिया, चीन, मिस्र और स्विट्जरलैण्ड से भी अस्थायी हवाई समझौते हो चुके हैं। ब्रिटेन और ईरान से लम्बे समझौते की बातचीत चल रही है। इस समय हिन्दुस्तान में हवाई जहाज़ के २७ मार्ग हैं, जिन पर कुल ४१ सर्विसें रोज़ाना उड़ाई जाती हैं।

लड़ाई के बाद वैसे भी रेलवे में चलते-फिरते सामान—इंजन-डब्बों आदि—की कमी आगई थी। विभाजन से एक हिस्सा हाथ से निकल जाने पर उसमें और भी कमी आ गई। यही कारण है कि रेलवे में काफी उन्नति नहीं होसकी। ब्रिटेन और अमेरिका से ४६० बड़ी लाइनों के और ६८ छोटी लाइनों के इंजन मँगाये गये हैं। कुछ हिन्दुस्तान में भी बन रहे हैं। शस्त्रास्त्र बनाने के सैनिक कारखानों का बहुत-सा लोहा अब रेलवे-विभाग के काम आ रहा है और उनसे तरह-तरह के कल-पुर्जे बन रहे हैं। आसनसोल के निकट मिहीजाम में इंजन बनाने का कारखाना १६५० तक तैयार होनेवाला है। टाटा क

इंजन बनानेवाला कारखाना, इस नये कारखाने के खुल जाने पर, हिन्दुस्तान की ज़रूरत-भर के लिए काफी इंजन बना लिया करेगा।

लड़ाई के दिनों में रेलवे-द्वारा माल रवाना करना इतना कठिन हो गया था कि जिसके कारण देश में अभाव और अव्यवस्था का दौर-दौरा हो गया था। अब अवस्था धीरे-धीरे सुधर रही है और एक वर्ष में लगभग एक तिहाई माल पहले से अधिक आने-जाने लगा है। सवारी गाड़ियों और डाकगाड़ियों में पहले से दुगने मुसाफिर आ-जारहे हैं, जिसके कारण यात्रा करना बड़ा कठिन कार्य हो गया है। फिर भी जब तक इंजन नहीं आ जाते, आवा-जाही की सुविधा नहीं हो सकती।

यातायात रेल-पथ

भारत के विभाजन के कारण उसकी यातायात-व्यवस्था में बड़ी बाधा आ उपस्थित हुई थी। सिन्ध, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त, पश्चिमी पंजाब और पूर्वीय बंगाल का ६६४९ मील का रेल-पथ पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। विभाजन के पहले सारे हिन्दुस्तान में ४०,५२५ मील का रेल-पथ था। इसके अलावा रेलवे के बहुत-से मुसलमान कर्मचारी भी चले गये, जिन की संख्या ८३,००० के लगभग थी, फिर भी ७२००० मुसलमान हिन्दुस्तान के रेल-पथ पर काम करने के लिए तैयार मिले। रेलवे के कुछ विभागों में मुसलमान बहुत अधिक अनुपात में थे; इसलिए उनमें बड़ी कमी आ गई और काम का हर्ज हुआ। इसके अतिरिक्त विभाजन से दोनों ओर की आमद-रफ्त भी बहुत बढ़ गई।

सड़कें

हिन्दुस्तान में पक्की और कच्ची दोनों ही तरह की सड़कों की जो दुर्व्यवस्था लड़ाई के पहले थी, उसमें कुछ सुधार अवश्य हुआ है। इस समय सरकार ११,२०० मील लम्बी सड़कें प्रान्तों में और २,६५० मील लम्बी देशी राज्यों में सुधारने और बनाने की

व्यवस्था में लगी है। इससे मोटरों-द्वारा यातायात पहले से काफी बढ़ गया है। रेलों-द्वारा यात्रा करने की कठिनाइयाँ भी मोटर-बसों की बढ़ती का एक कारण है। बम्बई, संयुक्त-प्रान्त, मध्य-प्रान्त और बिहार और उड़ीसा में नये विधान और व्यवस्था के अनुसार मोटर-बसों का यातायात बढ़ रहा है। मद्रास भी इस दिशा में सक्रिय है। दिल्ली में पहले जो बसें एक मोटर कम्पनी चलाती थी, उसे सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। फिर भी इस प्रकार की सर्विस अभी न तो पर्याप्त है और न सुव्यवस्थित ही हो सकी है। देश में सड़कों के सुधार के साथ यातायात की व्यवस्था समुचित बनाने के लिए यातायात सचिवालय को अभी से प्रयत्नशील बनने की आवश्यकता है।

कानून

भारत-सरकार के कानून या विधान-सम्बन्धी सचिवालय ने आज़ादी मिलने के बाद काफी प्रगति दिखाई है। एक तो इस सचिवालय को १५ अगस्त १९४७ के बाद नये-नये आदेश जारी करने पड़े, दूसरे वर्तमान कानूनों की ओर ध्यान देना पड़ा। पश्चिमी बंगाल, पूर्वीय पंजाब और आसाम के नवनिर्मित प्रान्तों का पुनर्विधान बनाना पड़ा। विभाजन के फल-स्वरूप बने दोनों उपनिवेशों की सम्पत्ति के बँटवारे-सम्बन्धी अधिकारों और लेन-देन की कानूनी व्यवस्था करनी पड़ी। कलकत्ता हाईकोर्ट और पूर्वीय पंजाब हाईकोर्ट को पुनर्विधान भी तैयार करना पड़ा।

आज़ादी मिलने के बाद से व्यवस्थापन-कार्य बहुत बढ़ गया है। इसके अनेक विभाग सुव्यवस्थित ढंग से काम करने लगे हैं; पर न्याय-विभाग अभी तक अपना निर्णय देने में विलम्ब कर रहा है।

गृह

सत्ता हस्तान्तरित होने के बाद ही गृह-विभाग के सचिव को बड़ी ही गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ा। मुल्की और पुलिस सर्विसों में बड़ी कमी आगई; क्योंकि अँग्रेज अफसरों ने अपना कार्य-

काल समाप्त होने के पहले ही अपने पदों से इस्तीफे दे दिये और बहुत-से मुसलमान अफसर अपनी इच्छा से पाकिस्तान चले गये। ऐसी अवस्था में शासन का ढाँचा फिर से बनाने के लिए गम्भीर उपाय करने पड़े। इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (भारतीय शासन सेवा) और पुलिस सर्विस का श्रीगणेश अप्रैल १९४७ में हुआ था। अब उन पदों के लिए उम्मीदवारों की ट्रेनिंग या शिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ी। पहले नौकरियों में भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का रोग घुसा हुआ था, जिसके कारण मुसलमान उम्मीदवारों को एक खास प्रतिशत नौकरी देनी ही पड़ती थी; पर अब जाति और सम्प्रदाय का कोई विचार न करके केवल योग्यता और गुण देखकर नियुक्ति की जाने लगी। सघीय सार्वजनिक सेवा (फेडरल पब्लिक सर्विस) कमीशन की परीक्षा में शासन-पद के लिए जो १३७ उम्मीद-वार उत्तीर्ण हुए थे, उन्हीं को नियुक्ति की गई। जिनमें ३७ मुल्की सेवा में, ४० पुलिस सर्विस में और ५४ अन्य सेवाओं में लिये गये। और आगे के लिए भी यही क्रम रखा गया। इसके पहले भारतीय शासन सेवा के लिए ६४ उम्मीदवार चुने गये थे। अब उम्मीदवारों में से जितने परीक्षा में सफल होते हैं, उनमें से ही नियुक्ति होती है। १२½ प्रतिशत जगहें तालिकाबद्ध (दलित) जातियों के लिए सुरक्षित रखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त सफल उम्मीदवारों की ट्रेनिंग—शिक्षण—की भी समुचित व्यवस्था करनी पड़ी।

पाकिस्तान से भागकर आये हुए शरणार्थियों को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया गया—खासकर वहाँ की नौकरियों से आये हुए लोगों को काम पर लगाया गया। इस काम के लिए एक 'ट्रान्सफर ब्यूरो' कायम हुआ, जिसने साढ़े दस हज़ार ऐसे शिक्षित शरणार्थियों के नाम रजिस्टर्ड किये। उनमें से ३,५०० व्यक्ति काम पर लगाये जा चुके हैं। २,५०० और लिये जा रहे हैं और शेष को भी लेने का प्रयत्न हो रहा है।

विभाजन के बाद कालापानी या अण्डमान—जहाँ भारतीय देश-भक्त आजीवन कैद की सज़ा भोगते थे—हिन्दुस्तानके ज़िम्मे पड़ गया। ऐसी अवस्था में भारत-सरकार ने कालेपानी के दोनों टापुओं--अण्डमान और नीकोबार—को सुधारने की व्यवस्था कर ली है।

साम्प्रदायिकता के आधार पर भारत-सरकार दफ्तरों में काम करने वालों को जो छुट्टियाँ दिया करती थी, वह भी उड़ादी गई और अब हिंसा और घृणा का प्रचार करने वाली संस्थाएँ निषिद्ध करार दे दी गई हैं।

भारत-सरकार ने मानव-अधिकार-सम्बन्धी बिलों का मसौदा सिद्धान्तरूप से स्वीकार कर लिया है।

केन्द्रीय व्यवस्था के अधीनस्थ क्षेत्रों में भारत-सरकार ने नशीली वस्तुओं को वर्जित करने की नीति स्वीकार कर ली है। सरकार ने सरकारी और अर्द्ध-सरकारी भोजों में शराब परोसने से बचने की हिदायत जारी की है।

रक्षा-विभाग

देश के विभाजन के साथ ही सेना का भी विभाजन हो गया था, जिससे देश-रक्षा का यंत्र ही बेकार हो गया। अँग्रेज़ सैनिक भी गत वर्ष के फरवरी तक इस देश से चले गये। विभाजन के बाद जो मार-काट और दुर्व्यवस्था जारी हुई, उसे काबू में करने के लिए भी फ़ौजों को काम करना पड़ा। कितने ही शरणार्थियों और उनके दलों को बचाकर लाने का काम भी सेना को ही करना पड़ा। ढाई लाख शरणार्थियों को बसाने के लिए कुरुक्षेत्र का कैम्प, सैनिक-व्यवस्था के ही अधीन हो बस सका था। भारत की हवाई सेना के दल ने भी इस दिशा में बहुत काम किया। उसने शरणार्थियों के लिए तैयार खाना ऊपर से गिराने के अतिरिक्त अक्तूबर १९४७ ई० में पूर्वीय पंजाब में खाद्य अनाज और शक्कर आदि पहुँचाने का सामयिक और बहुमूल्य काम किया है।

काश्मीर में भी हमारी सेनाओं ने कुछ कम काम नहीं किया।

डेढ़ सौ साल की पराधीनता के बाद हिन्दुस्तान को फिर वह अवसर मिला, जब एक भारतीय श्री करियप्पा प्रधान सेनापति के पद पर आसीन हुए। रक्षा-मंत्री सरदार बलदेवसिंह भारतीय सेना को उच्च श्रेणी की बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिए सैनिक-विभाग की विभिन्न समितियाँ—योजना, सूचना, स्टाफ समिति आदि—अलग-अलग काम कर रही हैं। सैनिक सुविधा की दृष्टि से भारत को निम्न-लिखित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है:—

(१) पूर्वीय पंजाब, वहाँ की रियासतें और राजपूताना तथा दिल्ली
(२) संयुक्त-प्रान्त
(३) मध्य-प्रान्त और पूर्वीय रियासतें
(४) बम्बई और काठियावाड़
(५) मद्रास, मैसूर और त्रावणकोर-राज्य
(६) बिहार और उड़ीसा
(७) पश्चिमीय बंगाल और कूचबिहार
(८) आसाम जिसमें त्रिपुरा और मणीपुर भी शामिल हैं

क्षेत्रीय सेनाएँ सभी जाति और श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए खुली हैं।

युद्ध के बाद स्वर्गवासी सैनिकों की स्मृति में एक राष्ट्रीय युद्ध-महाविद्यालय खोलने की योजना बनी, जिसमें सेना के तीनों ही विभागों—स्थल, जल और वायु सेनाओं—के अफसरों को ट्रेनिंग या शिक्षण देने की योजना बनाई गई है। यह महाविद्यालय कहीं पूना के निकट खोला जायगा।

भारतीय नौसेना (जल-सेना) को आधुनिकतम ढङ्ग की बनाने के लिए ७००० टन वजन का विनाशक जंगी जहाज "दिल्ली" खरीदा जा चुका है, जो 'रादर' के टक्कर का है और सभी आधुनिक शस्त्रास्त्रों और युद्ध-सामग्रियों से सुसज्जित है। कुछ और जहाज़ भी लिये जाने वाले हैं।

विभाजन के बाद भारतीय हवाई सेना को ७ लड़ाकू वायुयान और

एक यातायात-वायुयान-दल मिला था, जो भारत-जैसे विशाल देश के लिए न-कुछ के बराबर था; इसलिए हवाई बेड़े को मजबूत बनाने की योजना बनाई गई। कोयम्बटूर में इसकी आरम्भिक शिक्षा दी जाती है। जोधपुर में भी एक ऐसा ही स्कूल है; पर ऊँचे दर्जे की उड़ान की शिक्षा अम्बाला के फ्लाईंग स्कूल में दी जाती है। बंगलोर और मद्रास में हवाई अड्डे के धरातल पर स्थित सर्विस की ट्रेनिंग दी जाती है।

वृहत्तर भारत की रचना

सम्राट् अशोक के बाद यदि भारत में एकता का कोई प्रयत्न हुआ है, तो वह अँग्रेजों के इस देश से चले जाने के बाद ही हो सका है। अँग्रेजों ने चाल तो यह चली थी कि पाकिस्तान के बँटवारे के बाद हिन्दुस्तान में अन्य देशी-राज्यों को भी उभाड़ कर इस नये और स्वतंत्र राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाय, जिससे यह नवीन राष्ट्र उठकर कभी खड़ा न होसके। अँग्रेज अपने इस प्रयत्न में आंशिक रूप से सफल भी होगये; पर यहाँ से चले जाने और सर्वोच्च सत्ता हस्तान्तरित करने के बदले 'समाप्त' कर जाने के बाद भी उनकी योजना का उत्तरार्द्ध सफल नहीं हो सका। यद्यपि हैदराबाद और काश्मीर को खड़ा करके पर्दे की आड़ में शिकार करने की अँग्रेजों की आदत दूर नहीं हुई; पर भारत के सौभाग्य से न केवल इस देश के सात सौ से अधिक राज्य केन्द्रीय संघ के अधीन होगये; बल्कि अँग्रेजों का खड़ा किया हुआ जाल हैदराबाद और काश्मीर की लड़ाई भी समाप्त हो गई। पाकिस्तान ने जूनागढ़ के बाद इन दोनों ही राज्यों में अपनी जो कुटिल अभिसन्धि चला रखी थी, वह भी अन्ततः मिट्टी में मिल गई और यह विशाल देश एक झण्डे के नीचे आ गया।

इस एकीकरण का सारा श्रेय सरदार वल्लभभाई पटेल को है, क्योंकि उन्होंने जिस चतुराई और दूरदर्शिता से देशी-राज्यों का भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया, वह उन्हीं का काम था। राजाओं को ही राजप्रमुख और उप-राजप्रमुख बनाकर उन्होंने इस

कार्य को सुलभतर ढङ्ग से कर लिया। जो रियासतें किसी कारण से अलग भी रह गई थीं, उन्होंने बृहत्तर राजस्थान के पुनःसंगठन-द्वारा यूनियन में सम्मिलित होजाने का निश्चय कर लिया है। फिर भी अभी युक्त-प्रान्त की रामपुर, बनारस और टिहरी-गढ़वाल, मद्रास की सन्दूर, राजपूताना की जैसलमेर और पूर्वीय बंगाल और आसाम की कूचबिहार, त्रिपुरा, मणीपुर और खासीहिल स्टेट्स भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं हुई हैं। पर, यह भी अधिक समय तक अलग नहीं रह सकतीं।

शरणार्थी–समस्या

शरणार्थियों की समस्या सुलझाने के लिए अन्ततः भारत-सरकार को एक विशिष्ट सचिवालय बनाना पड़ा और इन दिनों संयुक्त-प्रान्त के श्री मोहनलाल सक्सेना उसके मन्त्री बनाये गये हैं। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध कहे जाने वाले इस विभाजन-जनित कष्ट का वर्णन करने के लिए एक अलग ही पुस्तक की आवश्यकता होगी। पैदल यात्रा करके पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आनेवाले शरणार्थियों की ठीक संख्या तो अभी-तक नहीं मालूम हो सकी है; पर सरकार ने जिन शरणार्थियों को रेलों, मोटरों और वायुयानों द्वारा लाने की व्यवस्था की थी, उनकी संख्या क्रमशः ४ लाख २७॥ हजार थी। इनके अतिरिक्त हमारी सरकार ने २ लाख १० हजार ६० मुसलमान शरणार्थियों को सुरक्षित रूप में पाकिस्तान पहुँचाया है।

अर्थ-विभाग

इस वर्ष भारत-सरकार के अर्थ-विभाग को भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। शरणार्थियों की सहायता और काश्मीर की लड़ाई इन दोनों अतिरिक्त मदों में भी बहुत-सी रकम खर्च करनी पड़ गई। फिर भी भारत को दिवालिया नहीं होने दिया गया है। इन दिनों संयुक्तराष्ट्र और ब्रिटेन आदि देशों की सार्वजनिक ऋण की जो स्थिति है, उसे देखते हुए भारत ऐसी स्थिति में नहीं है कि जिसे संकट कहा जासके। भारत किसी का कर्जदार नहीं है—उलटे ब्रिटेन-जैसे

देश का वह महाजन है ; क्योंकि अभी उसका युद्धकालीन ऋण ब्रिटेन पर ११६ करोड़ पौण्ड बाकी है, जिसमें से ३॥ करोड़ तो ब्रिटेन भारत से लड़ाई के खर्च में मुजरा ले लेगा। ३ करोड़ पौण्ड का माल भारत ब्रिटेन से खरीद सकेगा और शेष रकम का उपभोग वह न कर सकेगा। ३ करोड़ पौण्ड की रकम में से कुछ रकम पाकिस्तान को हस्तान्तरित कर दी गई है और भारत को १ करोड़ ८० लाख पौण्ड की रकम की छूट और हो जायगी।

भारत-सरकार ने अपनी उधार लेने की जो नीति कार्यान्वित कर रखी है, उसके आधार पर वह अपनी योजनाएँ आगे बढ़ा सकती है। यह ऋण की रकमें उन्हीं कर्जे की रकमों के नये रूप हैं, जो पहले से आ रही हैं और जो अब पकनेवाली थीं। इस प्रकार सरकार ने इन रकमों को १५ वर्ष के लिए और आगे बढ़ा कर उन्हें नये ऋण का रूप दे दिया। यह रकमें पहले ही से ऋण में लगी हुई थीं; इसलिए इनको परिवर्तित करने पर कोई औद्योगिक विकास-सम्बन्धी क्षति का डर भी नहीं रहा।

औद्योगिक विकास के लिए आर्थिक-व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं आई। इस वर्ष २७२ नई कम्पनियों को काम करने की मंजूरी दी गई है—प्रार्थना पत्र ४३६ कम्पनियों के लिए आये थे, जो १४७ करोड़ ५७ लाख रुपये लगाना चाहती थीं। इस प्रकार ८५ प्रतिशत रकम की स्वीकृति दे दी गई। यह कम्पनियाँ किस-किस प्रकार की और कितनी-कितनी थीं और उनकी रकमें कितनी-कितनी मंजूर हुईं, इसका ब्यौरा इस प्रकार है:—

	कम्पनियों की संख्या	स्वीकृत रकम (करोड़ रुपयों में)
औद्योगिक	२५७	६८.१३
कृषि-सम्बन्धी	१६	२२.८५
अर्थ-व्यवस्था-सम्बन्धी		

(बैंक बीमा आदि)	५२	२०.१९
व्यापार और यातायात	३७	३४.१८
अन्य	११	१५.४५

इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक और इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया ; अर्थात् ये बैंक ४ फरवरी १९४८ से शेअर होल्डरों के न रह कर राष्ट्र की सम्पत्ति हो गये।

शरणार्थियों को धन्धे-रोज़गार के लिए ५००) से ५०००) तक की आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था भी सरकार ने की है और इस प्रकार १० करोड़ तक खर्च करने की स्वीकृति सरकार ऐक्ट-द्वारा दे चुकी है। सरकार ने उन बैंकों को भी सहायता दी है, जो पाकिस्तानी उपद्रवों के कारण आर्थिक कष्ट में आ गये थे। छोटे-बड़े उद्योग-धन्धों के लिए लम्बे समय का कर्ज़ देने के लिए भी सरकार ने औद्योगिक अर्थ-संघ (Industrial finance corporation) की रचना कर ली है, जिसमें बैंकों और बीमा कम्पनियों को भी संयुक्त रूप में हिस्सा लेना पड़ेगा। इस संघ के संचालन का ऐक्ट भारतीय पार्लियामेण्ट ने पास भी कर दिया है।

वैदेशिक विभाग

इस वर्ष और भी कई देशों के साथ सीधा कूटनीतिक सम्बन्ध कर लिया गया है। कुछ जगहों के लिए तो भारत-सरकार ने स्वयं प्रयत्न किया। और कुछ राष्ट्रों ने स्वयं इसका प्रस्ताव भारत-सरकार से किया। इसके अतिरिक्त भारत अपने प्रवासी भाइयों के लिए भी बहुत चिन्तित है। दक्षिण-अफ्रीका में हिन्दुस्तानियों के साथ अब भी पशुओं का-सा व्यवहार हो रहा है। वहाँ के गोरों ने अब दक्षिण-अफ्रीका के रंगीन मूल-निवासियों और वहाँ के हिन्दुतानियों को डरबन में लूटना-मारना शुरू कर दिया है। इसके प्रति भारत-सरकार अब अधिक उदासीन नहीं रह सकती। बर्मा, लंका, मलाया से भारत का सद्भाव बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र-संघ में भी उसे आदरपूर्ण स्थान प्राप्त हो चुका है।

यहाँ वर्तमान केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल के विभिन्न विभागों के मंत्रियों की नामावली देना अनुचित न होगा :—

भारत का केन्द्रीय मंत्रि-मण्डल

१. पं० जवाहरलाल नेहरू (प्रधान मंत्री)	वैदेशिक और औपनिवेशिक सम्बन्ध-विभाग
२. सरदार वल्लभभाई पटेल (उप-प्रधान मंत्री)	गृह और स्टेट्स-विभाग
३. मौलाना अबुलकलाम आज़ाद	शिक्षा-विभाग
४. सरदार बलदेवसिंह	रक्षा-विभाग
५. श्री जगजीवनराम	श्रम-विभाग
६. श्री रफीअहमद किदवई	सम्पर्क-विभाग
७. राजकुमारी अमृतकौर	स्वास्थ्य-विभाग
८. श्री भीमराव अम्बेडकर	कानून-विभाग
९. डा० जान मथाई	अर्थ-विभाग
१०. डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी	उद्योग और सप्लाई-विभाग
११. श्री एन. वी. गाडगिल	कारखाना, खान और बिजली-विभाग
१२. श्री के. सी. नियोगी	व्यापार-विभाग
१३. श्री एन. गोपाल स्वामी आयंगर	रेलवे और वाहन-विभाग
१४. श्री जयरामदास दौलतराम	खाद्य और कृषि-विभाग
१५. श्री मोहनलाल सक्सेना	सहायता और पुनर्वास-विभाग
१६. श्री रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर	सूचना ब्राडकास्टिंग और स्टेट-विभाग

प्रान्तों में कार्य

बा र ह

केन्द्रीय सरकार तो एक सीमित रूप में ही देश के शासन पर प्रभाव डालती है, क्योंकि वास्तविक और प्रत्यक्ष शासन अपने-अपने क्षेत्रों में प्रान्तीय सरकारों का ही चलता है। ऐसी दशा में बिना प्रान्तीय शासन की अवस्था समझे, देश की उन्नति और अवनति का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

नीचे हम प्रान्तीय सरकारों की गति-विधि का वर्णन संक्षिप्त रूप में करते हैं, जिस से स्पष्ट हो जायगा कि वे कांग्रेस के आदर्शों का पालन कहाँ तक कर रही हैं :—

आसाम

आसाम हिन्दुस्तान का पूर्वोत्तरीय प्रान्त है। यह प्रान्त आबादी में केवल ७५ लाख और क्षेत्रफल में ५०, २१६ वर्गमील है। यह भूटान राज्य, बर्मा और पूर्वीय तथा पश्चिमीय बंगाल से मिलता है। विभाजन के बाद मत-संग्रह-द्वारा आसाम के सिलहट ज़िले की अधिकांश मुस्लिम आबादी पूर्वी पाकिस्तान में मिल गई है।

आसाम प्रान्त के शासन का प्रमुख गवर्नर होता है और विभाजन के पहले यहाँ द्विकक्षीय व्यवस्थापिका-सभा थी ; पर अब वह एक कक्षीय हो गई है और उसमें ७१ सीटें हैं।

इस प्रान्त की आमदनी और खर्च १९४८-४९ ई० के बजट के अनुसार क्रमशः १३ करोड़ १ लाख तथा १४करोड़ ६ लाख थी, जिसके अनुसार १ करोड़ ५ लाख का घाटा है। सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिये जाने से यह घाटा पौने दो करोड़ रुपये तक पहुँच जायगा। भारत-सरकार ने आसाम के इन्कमटैक्स (आयकर) का हिस्सा १फ़ीसदीबढ़ा

दिया है। सिलहट के पाकिस्तान में मिल जाने के कारण प्रान्त की आमदनी को धक्का पहुँचा है; पर यह कठिनाई युद्धोत्तर पुनर्निर्माण-कार्य के कारण आई है। इस के अतिरिक्त इमारतों को बनाने और पुलिस-विभाग को पुनर्संगठित करने के लिए क्रमशः १ करोड़ १८ लाख रुपये खर्च हो जायँगे।

आसाम में खाद्य-पदार्थ का काफी अभाव हो रहा है—खासकर दाल, गुड़, चीनी और कड़वे तेल की कमी के कारण आसाम-सरकार परेशान है। धान काफी पैदा होने के कारण यह प्रान्त चावल के मामले में निश्चिन्त है। कपड़े के मामले में इसे दूसरे प्रान्तों पर निर्भर करना पड़ रहा है। इन सामानों को बाहर से मँगाने में आसाम-सरकार को प्रति वर्ष १२ करोड़ रुपये खर्च करना पड़ता है; अर्थात् उसे इन चीजों के लिए १९ रुपये १२ आने प्रति व्यक्ति सालाना खर्च करना पड़ता है। विभाजन के बाद इस प्रान्त को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पूर्वीय पाकिस्तानी क्षेत्र में हुए बिना कोई सीधी रेल्वे लाइन नहीं जाती थी, जिससे देर होना स्वाभाविक था। इस कठिन परिस्थिति से प्रान्त को बचाने के लिए अधिक उपज बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा है और विशेषज्ञों की सलाह से वहाँ एक के बदले दो फसलें पैदा करने का प्रयत्न किया जा रहा है। खेती में सुधार का नमूना आसाम-सरकार खुद जनता को दिखाने का प्रयत्न कर रही है और सरकारी फार्म खुल गये हैं। इसके अतिरिक्त सहयोगी बस्तियों की पद्धति भी शुरू करदी गई है। इन दो योजनाओं के सफल हो जाने पर खाद्य-पदार्थों की कठिनाई दूर हो जाने की आशा है। सरकार ने उन लोगों को ज़मीन दे दी है, जिनके पास नहीं थी और उन्हें खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मोआमारी में आसाम-सरकार ने जो फार्म खोला है, वह ५०० एकड़ का चकाबन्द है और उस पर मशीन के हलों (ट्रैक्टरों) से जुताई हो रही है। सिलहट के अतिरिक्त ग्वालपाड़ा में भी ज़मीन की रैयतवारी प्रणाली है। आसाम-सरकार प्रान्त

से छोटे ज़मींदारों की ज़मींदारी-प्रथा तोड़ देने के लिए जाँच-पड़ताल कर रही है। आसाम-सरकार ने किसानों से पैदावार का एक हिस्सा ही लगान के रूप में ले लेने के लिए १६४८ ई० में "अधिकार-बिल" पास कर दिया है।

शिक्षा-सम्बन्धी कोई भी प्रगति आसाम में अब तक नहीं हुई थी। लीगी मंत्रि-मण्डल और केवल १४ मास के लिए अधिकार प्राप्त संयुक्त (कांग्रेसी) मंत्रि-मण्डल भी इस दिशा में कुछ नहीं कर सके थे। इसलिए प्रान्त शिक्षा के बारे में १६३५ ई० के पहले की ही अवस्था में पड़ा रहा। इस दिशा में यह प्रान्त ऊँची शिक्षा के लिए अधिकांशतः बंगाल पर निर्भर करता था। अब आज़ादी के बाद आसाम-सरकार ने गौहाटी विश्व-विद्यालय की स्थापना, बिल पास करके कर दी है। ६ लाख रुपये जनता-द्वारा एकत्रित कोष से, ११ लाख सरकार के गत वर्ष के बजट से प्राप्त होचुके हैं और ३० लाख अगले बजट से मिलने वाले हैं। इस प्रकार यह पिछड़ा हुआ प्रान्त भी आज़ादी के बाद छलांगें मार रहा है। वहाँ एक मेडिकल कालेज भी खुल गया है और कृषि-कालेज खोलने की व्यवस्था सरकार कर रही है। जोरहट के पास परीक्षणात्मक क्षेत्र (फार्म) खोलने की व्यवस्था हो रही है। इंजीनियरिंग कालेज खोलने की योजना चल रही है। ओवरसियर स्कूल खोल दिया गया है। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में मातृभाषा के माध्यम-द्वारा शिक्षा देने में काफी प्रगति हुई है। प्रान्त में प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य कर देने का कानून पास होचुका है और अब उसे अमल में लाने की व्यवस्था हो रही है। साक्षरता-प्रसार का काम अधिक वेग से बढ़ाने का निश्चय मंत्रि-मण्डल कर चुका है। बुनियादी शिक्षा का प्रसार वर्धा-योजना और जामिया-मिलिया के ढङ्ग पर जारी करने के लिए शिक्षक तैयार किये जा रहे हैं। प्राइमरी शिक्षकों का वेतन १२) मासिक से बढ़ा कर १६४८ में ३०) कर दिया गया है।

आसाम में अभी तक तो खास धन्धा चाय, कोयला और मिट्टी के

तेल (पेट्रोलियम) का रहा है। अब प्रान्त में उद्योग-धन्धों का अधिक प्रसार करने के उपायों पर प्रान्तीय सरकार गौर कर रही है।

प्रान्त के प्रधान-मंत्री श्री गोपीनाथ बार्दोलोई ग्राम-सुधार में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और वह इसके लिए एक पंचवर्षी योजना बना रहे हैं, जिसके अनुसार प्रान्त के ७२० ग्राम्य-विकास केन्द्रों में काम शुरू हो जायगा। आसाम असेम्बली में "ग्राम-पंचायत-बिल" पास हो चुका है।

इसके अतिरिक्त मजदूरों की दशा सुधारने, यातायात की सुविधा करने (उत्तरीय बंगाल से आसाम को रेलवे लाइन अब खुल गई है), और वायुयानों के दो नये अड्डे खोलने की स्वीकृति भारत-सरकार दे चुकी है। भारत-सरकार ने पूर्वीय पाकिस्तान बन जाने के बाद आसाम प्रान्त की सैनिक रक्षा की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेली है; पर भीतरी रक्षा के लिए गृहरक्षक (Home Guard) भर्ती करके उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। 'रक्षा-पुलिस' की व्यवस्था भी सरकार ने कर ली है और पहले की अपेक्षा ७० प्रतिशत सरकारी पुलिसमैन बढ़ा दिये गये हैं। जलीय विद्युत्-योजना (पानी से बिजली पैदा करने), तथा नदियों की ट्रेनिंग की ओर भी सरकार का ध्यान गया है, क्योंकि प्रान्त की प्राकृतिक स्थिति को देखते हुए वहाँ का जलाधिक्य एक प्रकार की सम्पत्ति के रूप में है, जिसका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। प्रान्त की पिछड़ी हुई जातियों को आगे बढ़ाने के लिए भी सुविधाएँ करदी गई हैं। हाल में ही प्रान्त के गवर्नर सर अकबरहैदरी का शरीरान्त हो गया है, जो इस जातिवालों में काफी दिलचस्पी रखते थे।

आसाम-मंत्रि-मण्डल में निम्न-लिखित मंत्रियों ने अपने-अपने विभाग सँभाल रखे हैं—

आसाम-मंत्रि-मण्डल

१—श्री गोपीनाथ बार्दोलोई, प्रधान मन्त्री—गृह, शिक्षा, यातायात, उद्योग और सहयोगी-विभाग।

२—श्री विष्णुराय मेधी, मन्त्री—अर्थ, राजस्व और व्यवस्था-विभाग।

३—श्री रेवरेण्ड जे० जे० एम० निकोलस राय, मन्त्री—पब्लिक वर्क्स-विभाग।

४—श्री रामनाथदास, मन्त्री—मेडिकल, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बिजली-विभाग।

५—मौलवी अब्दुल मतालिब मजुमदार, मन्त्री-स्थानीय स्वायत्त-शासन और पशु-सम्बन्धी-विभाग।

६—श्री रूपनाथ ब्रह्म मन्त्री—जङ्गल, न्याय और रजिस्ट्रेशन-विभाग।

७—श्री अमियकुमार दास, मन्त्री—खाद्य, सप्लाई और श्रम-विभाग।

८—मौलाना मुहम्मद तैयबुल्ला, मन्त्री—एक्साइज़ (मादक द्रव्य), प्रकाशन और जेल-विभाग।

बिहार

बिहार-प्रान्त उत्तर में नेपाल राज्य से मिलता है, पश्चिम में संयुक्त-प्रान्त और मध्य-प्रान्त से, दक्षिण में उड़ीसा से और पूर्व में बंगाल से

इस प्रान्त में शासन का प्रमुख गवर्नर होता है। और इसमें द्विकक्षीय व्यवस्थापिका सभा है, जो क्रमशः कौंसिल और असेम्बली कही जाती है। कौंसिल में २६ सदस्य और असेम्बली में १५० सदस्य होते हैं। नये बजट में आमदनी २१ करोड़ ५ लाख और खर्च २ करोड़ होने का अनुमान है। बिहार-सरकार युद्धोत्तर पुनर्निमाण-कार्य के लिए ६ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार से सहायता ले रही है, जो आमदनी की रक़म में शामिल है। बिहार-सरकार अपने यहाँ खेती में विकास करने के लिए विशेष सचेष्ट है और उसने ३० लाख के लगभग खर्च करके ६०८२६३ एकड़ भूमि को बांध, आधार, तालाब आदि सिंचाई की सुविधाओं से सम्पन्न कर दिया है। बाग-बगीचों के विकास की ओर भी उसका ध्यान है, जिसमें पपीता और कागज़ी नीम्बू के पौदे ३८७ एकड़में लगाये जा रहे हैं। १६४२ एकड़ पुराने बगीचों में भी सुधार हुआ है।

बिहार में सहयोग-समितियों (Co-operative Society) का काम काफ़ी बढ़ रहा है। यहाँ जुलाहों-बुनकरों की समितियाँ काफी बनी हैं, जिनका २० लाख रुपये का माल प्रतिवर्ष तैयार होने लगा है। इस वर्ष ३६८ सहयोगी संस्थाएँ और भी रजिस्टर्ड हुई हैं।

इस प्रान्त की खेती में गन्ने को काफी प्रोत्साहन मिला है; क्योंकि इस उपज की बदौलत ही यहाँ की चीनी की मिलें चलती हैं। यहाँ सहयोगी कृषि-पद्धति से भी खेती करने का परीक्षण आरम्भ किया जा रहा है।

स्वास्थ्य-विभाग मलेरिया की चिकित्सा और रोकथाम के लिए काफी प्रयत्न कर रहा है और महामारी फैलने से रोकने की ओर भी सचेष्ट है। काला-आज़ार की बीमारी भी यहाँ अधिक होती है; इसलिए इसके रोकने की कोशिश की जा रही है। इस विभाग में प्रतिवर्ष ४० लाख से अधिक रकम खर्च हो जाती है। प्रान्त में दरभंगे का मेडिकल स्कूल अब कालेज बना दिया गया है। इस प्रकार प्रान्त में दो मेडिकल कालेज हैं और तीसरा छोटानागपुर में खुलने वाला है। पिछड़ी जातियों की लड़कियों को मेडिकल ट्रेनिंग देने की ओर खास ध्यान दिया जा रहा है। पटना और दरभंगा के सदर अस्पतालों के अतिरिक्त बच्चों का अस्पताल अलग भी है। १४ ज़िलों के अस्पतालों के अतिरिक्त तहसीलों के अस्पताल भी प्रान्तीय सरकार ने अपनी व्यवस्था में ले लिये हैं। रक्त-संग्रहालय (Blood Bank) और औपचारिक सहायता के लिए चार परिपूर्ण मेडिकल यूनिट भी उत्तर-बिहार के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में खुले हैं। इसके अतिरिक्त १ लाख रुपये से अधिक खर्च करके दस मेडिकल कष्ट-निवारक केन्द्र भी खोले गये हैं।

शिक्षा की दिशा में बिहार बुनियादी तालीम की ओर अधिक ध्यान दे रहा है। प्रान्त-भर में बेसिक या बुनियादी शिक्षा की ट्रेनिंग का जाल बिछा देने की योजना तैयार हो चुकी है। सभी ज़िलों के मुख्य नगरों

में अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा जारी कर दी गई है। लड़कियों के लिए ४० मिडल और १५ हाई स्कूल खुल रहे हैं, जिनमें घरेलू शिक्षा देने की विशेष व्यवस्था होगी। लड़कियों को छात्रवृत्ति देने का प्रोत्साहन भी इस योजना में शामिल है। प्रान्त में चार विश्व-विद्यालय खोलने की योजना भी बन चुकी है और कालेजों की भाषा हिन्दुस्तानी स्वीकार की जा चुकी है। प्रौढ़-शिक्षा का भी काफी प्रचार हो रहा है।

उद्योग-धन्धे की उन्नति के लिए बिहार ने एक पन्द्रहवर्षीय योजना बनाई है, जिसके अनुसार रेशम की बुनाई चमड़े का कारबार, लाख, अभरक, लोहा, फौलाद अलूमिनियम, कागज़ तथा मशीन के औज़ारों के निर्माण-कार्य आदि के उद्योग को विकसित करने की ओर विशेष ध्यान देगा।

बिहार-सरकार का श्रम-विभाग कोयले की खानों के मजदूरों के लिए सुख-सुविधा की काफी व्यवस्था कर रहा है। वहाँ मजदूरों की तनखाहें ५० से ७० फीसदी बढ़ा दी गई हैं। उनके स्त्री-बच्चों के लिए अस्पतालों की सुविधाएँ कर दी गई हैं। मालिकों और मज़दूरों के बीच मर्यादित सम्बन्ध कायम कर दिया गया है, जिससे ज़ोर-ज़बर्दस्ती और झगड़े-बखेड़े तथा अन्याय का डर नहीं रहा है।

स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास के सिलसिले में "बिहार-पंचायत-राज-बिल" विशेष उल्लेखनीय है, जो १९४७ ई० में पास हुआ था।

केन्द्रीय सरकार की प्रेरणा और सहायता से बिहार-सरकार ने आसाम में प्रवेश करने की सड़क खासतौर से निर्मित कराली है। प्रान्त में २८ हवाई अड्डे बनवाये हैं और पटना, भागलपुर, मुज़फ्फरपुर और पुर्णिया में हवाई स्टेशन तैयार करा लिये हैं।

बिहार-सरकार ने भी गृह-रक्षक या होमगार्ड की भर्ती की योजना जारी कर दी है, जिस में ४४ लाख का खर्च है और प्रतिवर्ष १५ लाख का चालू खर्च होता रहेगा। यह गृह-रक्षक-दल पुलिस और फौज के

संयुक्त कर्तव्यों का पालन करेगा, जिससे प्रान्त में आंतरिक शान्ति कायम रखने में मदद मिलेगी।

मद्य-निषेध के लिए भी बिहार में काफी काम हुआ है, जिससे नशे की चीज़ों पर सरकार की आमदनी बहुत घट गई है। वहाँ देसी शराब और अफ़ीम पर क्रमशः २५ और १०० प्रतिशत कर बढ़ा दिया गया है।

आदिम निवासियों का सुधार करने के लिए सरकार ने एक अलग विभाग ही खोल दिया है, जिससे उनको आर्थिक मदद मिल रही है और रहन-सहन में भी प्रगति हो रही है। हाल में सरकार ने आदिम-जाति-सेवा-दल को ४ लाख रुपये की मदद दी है, जो ठक्कर बापा की योजना के अनुसार काम कर रहा है। हज़ारीबाग के निकट एक हरिजन बस्ती बसाई जा रही है। हरिजन लड़के-लड़कियों को १,२९,५७६ रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिये जा चुके हैं। १९४७-४८ ई० में हरिजनों की भलाई के लिए सरकार २० लाख रुपये खर्च कर चुकी है।

बिहार-सरकार ने शरणार्थियों के लिए सहायता और पुनर्वास की योजना भी बनाई है। साम्प्रदायिक कलह के फल-स्वरूप इस प्रान्त में १२००० घर जलाये गये थे, जिनमें से ६००० घर इस विभाग-द्वारा फिर से बना दिये गये हैं। १५०० घर बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त शरणार्थियों पर बिहार-सरकार ५० लाख रुपये अन्न, वस्त्र और दवाइयों में खर्च कर चुकी है। इसके अतिरिक्त ३०,००० निराधार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में और लगभग ३४,००० रुपये अनाथों और विधवाओं के कष्ट-निवारणार्थ दिये जा चुके हैं। इस प्रकार और भी रक़में सहायता में खर्च हुई हैं। कुल मिलाकर बिहार-सरकार शरणार्थियों पर ८० लाख रुपये से भी ऊपर खर्च कर चुकी है। यह वे शरणार्थी हैं, जो प्रान्त में ही दंगे के कारण सहायता के पात्र बन गये थे। पाकिस्तान से बिहार प्रान्त में पहुँचे शरणार्थियों की संख्या २४,५३० तक पहुँच गई है और उनमें से

अधिकांश चार कैम्पों में रख दिये गये हैं। इन सब को भी सरकार यथासम्भव सहायता पहुँचा रही है।

बिहार-मंत्रिमण्डल में निम्न-लिखित सदस्य हैं:—

१—डा० श्रीकृष्णसिन्हा, प्रधान मन्त्री—गृह-विभाग।

२—डा० अनुग्रहनारायणसिन्हा—अर्थ, श्रम और सप्लाई-विभाग।

३—डा० सैयद महमूद—विकास और यातायात-विभाग

४—श्री जगलाल चौधरी—सार्वजनिक स्वास्थ्य-विभाग

५—श्री रामचरित्रसिंह—सिंचाई और बिजली-विभाग।

६—श्री बदरीनाथ वर्मा—शिक्षा और सूचना-विभाग।

७—श्री कृष्णवल्लभसहाय—राजस्व, जंगलात और आबकारी-विभाग।

८—श्री विनोदानन्द झा—स्थानीय स्वा० शा० और चिकित्सा-विभाग।

९—श्री अब्दुलकयूम अन्सारी—पब्लिक वर्क्स और गृह-विभाग।

बम्बई

बम्बई-प्रान्त भारत के पश्चिमीय समुद्र-तट को छूता है। इसका क्षेत्र फल ७६,४४३ वर्ग मील और जन-संख्या लगभग २ करोड़ १० लाख है। बम्बई न केवल भारत का प्रधान बन्दरगाह और मुख्य व्यापारिक एवं औद्योगिक केन्द्र है, बल्कि इसे भारत की व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है।

इस प्रान्त का शासन-प्रमुख गवर्नर होता है। यहाँ भी द्विकक्षीय व्यवस्थापिका सभाएँ हैं, जिनमें अपर हाउस में केवल २९ सीटें होती हैं और लोअर हाउस या व्यवस्थापिका सभा में १७२ सदस्य होते हैं। १९४८–४९ ई० के बजट में इस प्रान्त की आमदनी ४१ करोड़ ३३ लाख और खर्च ४४ करोड़ २ लाख रुपये अनुमानित की गई है। इस वर्ष सरकार ने प्रान्त में अनाज की उपज बढ़ाने का प्रयत्न किया है और यांत्रिक खेती को भी प्रोत्साहन दिया है। प्रान्त में पूने के कृषि-कालेज के अतिरिक्त दो और कृषि-कालेज आनन्द और

धारवाड़ में खोले गये हैं। सारे प्रान्त में कृषि-सुधार अमल में लाने के लिए एक कमेटी भी बन गई है। ऋण-मोचन बिल-द्वारा किसानों का साहूकारों से पिण्ड छूट गया है और सरकार खुद 'तकावी' (बिना ब्याज का क़र्ज़) देकर खेती में प्रगति लाने का प्रयत्न कर रही है। इस तरह बम्बई-जैसा उद्योग-प्रधान प्रान्त अब खेती की ओर भी पर्याप्त ध्यान दे रहा है।

बम्बई-सरकारने मज़दूरों को सब तरह की सुविधाएँ देने के लिए कानून बना दिये हैं और प्रान्त के प्रमुख औद्योगिक नगरों में मजदूरों की सुविधा के लिए पृथक् अदालतें, पुस्तकालय, क्रीड़ागार और मनोरंजन के लिए सिनेमा, नाटक, संगीत आदि की व्यवस्था कर दी है। मज़दूरों के स्त्री-बच्चों के लिए भी पढ़ाई-लिखाई और घरेलू काम सिखाने की व्यवस्था कर ली गई है।

लड़ाई के दिनों में ठीक आहार न मिलने के कारण लोगों के स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गये; इसलिए उनकी समुचित चिकित्सा अनिवार्य हो गई। बम्बई-सरकार ने स्वास्थ्य-सुधार के लिए एक बोर्ड बना दिया है, जो अपना काम कर रहा है। औपचारिक शिक्षा-प्रसार-द्वारा रोगों की वृद्धि रोकना इस बोर्ड का खास काम है। सरकार ने रोगों की चिकित्सा के लिए हर ज़िले में तो अस्पताल पहले ही खोल रखे हैं, अब गाँवों में चिकित्सा की सुबिधा आंशिक रूप में पहुँचाने के लिए मोटरों में चलते-फिरते अस्पताल भी बनाये गये हैं। मलेरिया और महामारी की रोक-थाम के लिए भी काफी प्रयत्न हो रहे हैं। गाँवों में डाक्टर नियुक्त करके भी सरकार जनता को चिकित्सा में सहायता दे रही है। औषधियों की खोज और निर्माण का काम बम्बई की हाफकिन्स इन्स्टीट्यूट सुन्दर रूप में कर रही है। अन्य विषयों की भाँति औषधि-सम्बन्धी सहायता के लिए भी बम्बई-सरकार ने पञ्च-वर्षीय योजना बना रखी है।

शिक्षा-प्रसार में वैसे तो बम्बई-सरकार ने १९४८ में लगभग

८ करोड़ रुपये खर्च करने का निश्चय किया है; पर वह पंचवर्षीय योजना के अनुसार पाँच साल में १५ करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम खर्च करेगी। प्रान्त में १००० से अधिक आबादीवाले किसी भी गाँव में अनिवार्य शिक्षा की योजना लागू करने की व्यवस्था कर ली गई है और वह अगले पाँच वर्षों में पूर्णतः कार्यान्वित हो जायगी। प्रतिवर्ष २००० बुनियादी तालीम के शिक्षक भी तैयार किये जा रहे हैं, जो पाँच वर्षों में सारे प्रान्त में बुनियादी शिक्षा का पूरा प्रसार कर देंगे। स्कूलों में फिल्मों-द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था भी जारी करदी गई है और भविष्य में प्रत्येक स्कूल में एक फिल्म लाइब्रेरी हुआ करेगी। प्रौढ़-शिक्षा का भी सारे प्रान्त में प्रसार करने की व्यवस्था कर ली गई है।

कानून और व्यवस्था-द्वारा प्रान्त में शान्ति रखने के लिए बम्बई-सरकार ने अनेक योजनाएँ बनाई हैं, जिनमें होमगार्ड या गृह-रक्षक-दल भी एक है।

प्रान्त के मंत्रि-मण्डल की सूची निम्न-लिखित है—

बम्बई-मंत्रि-मण्डल

१—श्री बाल गंगाधर खेर, प्रधान मन्त्री—शिक्षा-विभाग।
२—श्री मोरारजी देसाई—गृह और राजस्व-विभाग।
३—डा० एम० डी०डी० गिल्डर-स्वास्थ्य और पब्लिक वर्क्स-विभाग।
४—श्री दिनकरराव देसाई—कानून, नागरिक और सप्लाई-विभाग।
५—श्री वैकुंठलाल मेहता—अर्थ, सहयोग और ग्रामोद्योग-विभाग।
६—श्री आई० एम० पाटिल—आबकारी और पुनर्निर्माण-विभाग।
७—श्री गुलजारीलाल नन्दा—श्रम और भवन-निर्माण-विभाग।
८—श्री एम० पी० पाटिल—जङ्गल और कृषि-विभाग।
९—श्री जी० डी० वार्त्तक—स्थानीय स्वायत्त शासन-विभाग।
१०—श्री जी० डी० तपासे—उद्योग, मत्स्य और पिछड़ी हुई श्रेणी का विभाग।

मध्य-प्रान्त

मध्य-प्रान्त भी गवर्नर-द्वारा शासित प्रान्त है। यह प्रान्त भारत के मध्य में है। यह उत्तर में मध्य-भारत और बिहार से, दक्षिण-पश्चिम में हैदराबाद से और दक्षिण-पूर्व में उड़ीसा से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल ६८, ५७५ वर्ग मील है और आबादी १ करोड़ ६८ लाख। इस प्रान्त में बरार का नाम अलग लिया जाता है, जिसका क्षेत्रफल १७ ८०६ वर्ग-मील और जन-संख्या ३६ लाख है।

इस प्रान्त में एक कक्षीय व्यवस्थापिका सभा है, जिसके सदस्यों की संख्या ११२ है। यह प्रान्त राजनीतिक गति-विधि में अद्वितीय और महात्माजी का चुना हुआ है। प्रान्त छोटा होते हुए भी आन्दोलनों में काफी प्रखर सिद्ध हुआ है।

१९४८-४९ में इस प्रान्त की आमदनी का अनुमान १५ करोड़ २९ लाख और खर्च १५ करोड़ ७४ लाख का है। इस ४५ लाख के घाटे की पूर्ति युद्धोत्तर पुनर्निर्माण और विकास-कोश से होगी।

प्रान्त में खेती के विकास के लिए काफी प्रयत्न हो रहा है और ५०,००० एकड़ ऐसी भूमि पर खेती करने की योजना बन चुकी है, जिस में अबतक जङ्गली घास पैदा होती थी। सिंचाई के लिए सारे प्रान्त में तालाब खुदवाने की व्यवस्था भी सरकार ने की है। २०,००० एकड़ में धान की पैदावार की योजना भी कार्यान्वित होने जा रही है। प्रान्त में जलीय विद्युत (पानी से बिजली पैदा करने) की योजना वेनगंगा से की गई है, जो २॥ लाख किलोवाट ताकत की होगी और जिससे १० लाख एकड़ की सिंचाई हो सकेगी। यह बिजली की शक्ति एक आना प्रति यूनिट मिलेगी। इस योजना में पहले ३४ करोड़ और बाद में ५० करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस प्रकार पाँच वर्ष में यह योजना पूरी हो जायगी।

इस प्रान्त ने देशी चिकित्सा-पद्धति को काफी प्रोत्साहन दिया है। इसके अतिरिक्त एक मेडिकल कालेज और कई नये अस्पताल भी खोले

गये हैं। छिन्दवाड़े में एक क्षय रोग का अस्पताल खोला गया है और बरार में एक कुष्ट-चिकित्सालय।

शिक्षा की ओर इस प्रान्त ने काफी ध्यान दिया है। ग्राम पुस्तकालयों की योजना यहाँ काफी सफल हुई है। सिनेमा और रेडियो के द्वारा शिक्षा-प्रसार का प्रयत्न भी यहाँ हो रहा है और इस प्रान्त के लिए यह गौरव का विषय है कि उसकी शिक्षा-योजना की प्रशंसा अखिल भारतीय शिक्षा-बोर्ड ने भी की है। इस प्रशंसा का मुख्य कारण यह है कि गांधीजी के शिक्षा-सम्बन्धी आदर्श को इस प्रान्त ने सब से अधिक कार्यान्वित किया है। इस प्रान्त ने पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र (मंत्री) की सामाजिक शिक्षा-योजना को अमल में लाकर सारे हिन्दुस्तान के सामने एक नमूना पेश कर दिया है। प्रान्त में २५०० प्राइमरी स्कूल तथा १०० मिडिल स्कूल खोलने का कार्यक्रम इस समय अमल में आ रहा है।

औद्योगिक प्रगति में इस प्रान्त का सीमेण्ट सब से आगे आता है। इस प्रान्त में लोहा, कोयला, अभरक, कंकड़ और साबुनी पत्थर आदि काफी खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। लाख, लकड़ी और अखबारी कागज के लिए कच्चा माल भी यहाँ मिलता है। काग़ज़ बनाने के लिए एक मिल भी यहाँ खुल रही है, जो हिन्दुस्तान में अपने ढंग की पहली है। बरार कपास उपजाने का केन्द्र माना जाता है। कुटीर शिल्प को भी आगे बढ़ाने के लिए यहाँ की सरकार काफी उद्योग कर रही है। खजूर का गुड़ भी यहाँ बनने लगा है।

इस प्रान्त में सहयोगी-पद्धति चालू होगई है और कृषि के क्षेत्र में भी उसका उपयोग होने लगा है। मज़दूरों की भलाई के लिए भी इस प्रान्त ने काफी कोशिश की है।

आदिम निवासियों की संख्या इस प्रान्त में ४५ लाख है और उनकी दशा सुधारने के लिए ठक्कर बापा की योजना के अनुसार काम हो रहा है। इन आदिम निवासियों के क्षेत्र को १० केन्द्रों में विभाजित करके वहाँ स्कूल, अस्पताल, तथा सहयोगी समितियाँ आदि खोल दी गईं

हैं, जिससे वे इन संस्थाओं से लाभ उठा सकें। भजन-मण्डलियों और फिल्मी मोटरों-द्वारा इनके रहन-सहन में सुधार करने की शिक्षा प्रसारित की जा रही है।

मध्य प्रान्तीय सरकार का दूसरा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है प्रांत-भर में जनपद-सभाओं की स्थापना, जिसका श्रेय पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र (स्वायत्त-शासन-विभाग के मन्त्री) को है। यह सभाएँ जनता की कौन्सिल हैं, जिनकी इकाई तहसीलों से बनती है।

इसके अतिरिक्त प्रान्त में ४००० ग्राम-पंचायतें और १००० न्याय-सभाएँ कायम हो गई हैं।

होमगार्डों का संगठन और ट्रेनिंग इस प्रान्त में भी चालू हो चुकी है। यह होमगार्ड-संस्थाएँ शहरों के अतिरिक्त गाँवों में भी स्थापित हो रही हैं।

मद्य-निषेधाज्ञा मध्य प्रान्तीय सरकार ने अपने आधे क्षेत्र—४०,००० वर्गमील-पर लागू करदी है।

शरणार्थियों की समस्या यहाँ भी है। लगभग २८,००० शरणार्थी तो कैम्पों में रख दिये गये हैं और ८८,००० खुले तौर पर रहते हैं। इनके लिए ४। करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान वर्तमान अवस्था में किया गया है, जो बाद में और भी हो सकता है। यहाँ भी शरणार्थियों की देख-भाल और सहायता के लिए एक अलग विभाग खोल दिया गया है।

प्रान्त के मंत्रि-मण्डल के सदस्यों की नामावली इस प्रकार है—

मध्य-प्रान्त का मन्त्रि-मण्डल

१—पण्डित रविशङ्कर शुक्ल, प्रधान मन्त्री—शासन, विकास और श्रम-विभाग।

२—पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र—स्वायत्त-शासन, प्रकाशन, गृह, प्रौढ़-शिक्षा-विभाग।

३—श्री डी० के० मेहता—अर्थ, व्यापार और उद्योग-विभाग।

४—श्री एस० व्ही० गोखले—शिक्षा, राजस्व विभाग।

५—श्री आर० के० पाटिल—खाद्य, सिविल सप्लाईज़, कृषि, सहयोग-समिति-विभाग।

६—श्री डब्ल्यू० एस० बरलिंगे—ग्राम-विकास, मेडिकल और सार्वजनिक स्वास्थ्य-विभाग।

७—श्री आर० अग्निभोज—पब्लिक वर्क्स, शरणार्थी-सहायता और पुनर्वास-विभाग।

८—श्री पी० के० देशमुख—कानून, रजिस्ट्रेशन, न्याय और जङ्गल-विभाग।

९—श्री ए० एम० भकड़े—आबकारी, रजिस्ट्रेशन, ग्राम-विकास, पिछड़ी जातियों और अल्प संख्यकों का विभाग।

पूर्वीय पंजाब

विभाजन के बाद पूर्वीय पंजाब का अलग प्रान्त बन जाने के कारण केवल १३ ज़िले रह गये हैं। विभाजन के पहले पंजाब में २९ ज़िले थे। अब यह प्रान्त उत्तर में हिमालय से, पश्चिम में पाकिस्तान से, दक्षिण में दिल्ली, राजस्थान से और पूर्व में संयुक्त-प्रान्त से मिलता है। अब इस नव-निर्मित प्रान्त का क्षेत्रफल ३०,५४१ वर्ग मील रह गया है और आबादी १ करोड़ २४ लाख। उसके उत्तर में शिवालक पहाड़ और काँगड़ा की घाटी है। जालन्धर कमिश्नरी काफी उपजाऊ है और अम्बाला या हरियाना कुछ शुष्क। इस नये प्रान्त में प्राकृतिक अवस्था के समान ही निवासियों के बोल-चाल तथा रहन-सहन के ढङ्ग में भी फरक है।

पश्चिमी पंजाब, सीमा-प्रान्त और सिन्ध-बिलोचिस्तान के बहुत-से शरणार्थी इस प्रान्त में आ बसे हैं। इस नये प्रान्त के १९४८—४९ के बजट के अनुसार आमदनी ११ करोड़ १३ लाख और खर्च १७ करोड़ ८२ लाख है। घाटा बहुत अधिक है; पर इस नव-निर्मित प्रान्त की स्थिति देखते निराश होने का कोई कारण नहीं है।

यह प्रान्त भी गवर्नर-द्वारा शासित है। इस प्रान्त की मुख्य समस्या शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था है, जिस को सुलझाने में यह पूरी शक्ति से जुट पड़ा है। प्रान्त में कृषि और उद्योग के विकास की पूरी सम्भावना है और कुछ वर्षों बाद स्थिति कुछ स्थायी बन जाने पर ही इस प्रान्त की शिक्षा आदि के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। अभी तक इस प्रान्त की स्थायी राजधानी भी नहीं बन सकी है; इसलिए निकट-भविष्य में इसका आर्थिक ढाँचा सुधरने की आशा नहीं है। फिर भी पंजाब के लोग, खासकर हमारे पुरुषार्थी भाई ऐसे क्रियाशील हैं कि इस नये प्रान्त को सुदृढ़, सुविकसित और स्थायी बनाकर दम लेंगे। विलम्ब भले ही हो जाय; पर इसकी सफलता और समुन्नति सुनिश्चित है।

पूर्वीय पंजाब के मंत्रि-मण्डल के सभासद निम्न-लिखित हैं:—

पूर्वीय पंजाब का मंत्रि-मण्डल

१—डा० गोपीचन्द भार्गव प्रधान मंत्री—शासन-प्रबन्ध, शिक्षा, मेडिकल, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सिविल सप्लाईज़-विभाग।

२—सरदार स्वर्णसिंह—कानून-व्यवस्था, न्याय, जेल, राजस्व, सिंचाई और बिजली-विभाग।

३—सरदार प्रतापसिंह—सहायता और पुनर्वास-विभाग।

४—कप्तान रणजीतसिंह—पी० डब्ल्यू० डी०, इमारत, सड़क और यातायात-विभाग।

५—श्री पृथ्वीसिंह आज़ाद—आबकारी, कर और श्रम-विभाग।

६—ज्ञानी कर्तारसिंह—जंगल, कृषि, पशु और सहकारी समिति-विभाग।

७—चौधरी कृष्णगोपालदत्त—अर्थ, स्वायत्त-शासन और उद्योग-विभाग।

मद्रास

मद्रास भारत का दक्षिणीय प्रान्त है। इसका क्षेत्रफल १,२६,१६६ वर्ग मील और जन-संख्या ४ करोड़ ६३ लाख है। यहाँ तामिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएँ बोली जाती हैं।

मद्रास भी गवर्नर-शासित प्रान्त है और इस में द्विकक्षीय व्यवस्थापिका सभा है, जिसमें से असेम्बली में २१५ सदस्य होते हैं और कौन्सिल में ५६। प्रान्त की १९४८—४९ की आनुमानिक आय ५५ करोड़ है, जो खर्च से केवल ७१,००० रुपये अधिक है।

मद्रास-मंत्रिमण्डल ने आज़ादी के बाद सर्वसाधारण की दशा सुधारने के लिए बहुत-से काम किये हैं, जिनमें खाद्य-समस्या सुलझाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने, शिक्षा-विभाग को सुधारने, खादी-उत्पादन बढ़ाने, विद्युद्विस्तार करने, ग्रामों को सुधारने, मोटर-यातायात के राष्ट्रीयकरण, गृहनिर्माण, हरिजनों का कल्याण करने, सहायता और पुनर्वास, सिंचाई, ग्राम-समस्या, राजनीतिक पीड़ितों को सहायता आदि सभी का समावेश है। इन सभी राष्ट्र-निर्माण के कार्यों में मद्रास ने अभूतपूर्व कार्य किया है और वह अनेक बातों में अपने सभी साथी प्रान्तों से आगे बढ़ गया है। इस प्रान्त में सर्वतोमुखी विकास हुआ है और सर्वसाधारण के हित को विशेष रूप से लक्ष्य में रखते हुए कार्य किया गया है।

मद्रास-मन्त्रि-मण्डल के सदस्यों की सूची इस प्रकार है:—

मद्रास-मंत्रि-मण्डल

१. श्री ओ० वी० रामस्वामी रेड्डियार प्रधान मंत्री—हिन्दू रेलिजन् एण्डाउमेण्ट, गृह और निर्माण-विभाग।

२. डा० टी० एस० एस० राजन्—खाद्य-विभाग

३. श्री एम० भक्तवत्सलम्—पब्लिक वर्क्स, सूचना और ब्राडकास्टिंग तथा मद्य-निषेध-विभाग।

४. श्री बी० गोपाल रेड्डी—अर्थ-विभाग

५. श्री गुरुपदम्—मद्य-निषेध और क्रिस्का-विकास-विभाग।
६. श्री सीताराम रेड्डी—उद्योग और श्रम-विभाग।
७. श्री चन्द्रमौलि—स्थानीय शासन और सहयोग-विभाग।
८. टी० एस० अविनाशलिंगम् चेट्टियार—शिक्षा-विभाग।
९. श्री के० माधव मेनन—कृषि, जंगल, पशु और जेल-विभाग।
१०. श्री काला वेंकटराव—राजस्व-विभाग
११. श्री ए० बी० शेट्टी—सार्वजनिक स्वास्थ्य और मेडिकल-विभाग।
१२. श्री वी० कूर्मय्या—हरिजन-सुधार, मत्स्य और ग्राम-सुधार-विभाग।

उड़ीसा

उड़ीसा पहले बिहार-प्रान्त का ही एक भाग था; पर अँग्रेज सरकार ने इसे १९३६ ई० में अलग प्रान्त बना दिया था। यह भारत के पूर्वीय समुद्र-तट पर स्थित है और बंगाल की खाड़ी से मिला है। इस का क्षेत्रफल केवल ३२,१९८ वर्ग मील है और जन-संख्या ८७ लाख। यह प्रान्त भी गवर्नर-द्वारा शासित होने लगा है और इसमें एक व्यवस्थापिका सभा है, जिसके सदस्यों की संख्या ६० है। इसके १९४८-४९ के बजट में ६ करोड़ ८१ लाख ५५ हज़ार की आमदनी और ९,५८,५५००० हज़ार का खर्च दिखाया गया है, जिससे २ करोड़ ७७ लाखका घाटा स्पष्ट है। यहाँ भी युद्धोत्तर पुनर्निर्माण कार्य ज़ोरों पर चल रहा है। इसके अतिरिक्त इस बजट में भुवनेश्वर में नई राजधानी बनवाने का वार्षिक खर्च ३० लाख रुपये भी सम्मिलित है।

उड़ीसा की खाद्य-स्थिति ठीक है। यहाँ खाद्य-पदार्थों पर कंट्रोल और विभाजन काफी सफल हुआ है, जिससे उड़ीसा की सरकार अपनी चावल की उपज में से एक अंश भारत-सरकार को दे सकी है। भारत-सरकार इस प्रान्त में धान की उपज अधिक बढ़ाने के लिए खोज और परीक्षण का कार्य करा रही है।

स्वास्थ्य के सम्बन्ध में उड़ीसा की स्थानीय संस्थाएँ, अर्थाभाव के कारण कुछ विशेष प्रयत्न नहीं कर रही थीं; इसलिए उड़ीसा की सरकार

ने म्युनिसिपल और ज़िला बोर्ड के मेडिकल स्टाफ को सरकारी बना लिया है और खुद खर्च देकर उनसे सार्वजनिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी काम ले रही है। प्रान्त में मलेरिया पर नियंत्रण रखने वाले दो यूनिट कटक और कोरापूत में खुल गये हैं। मोटर-द्वारा जिले के शहर से ग्राम्य क्षेत्रों तक औपचारिक सहायता पहुँचाने की भी व्यवस्था कर ली गई है। अस्पतालों की संख्या और उनकी व्यवस्था भी अच्छी होगई है और शिशु-कल्याण-केन्द्र भी खुल गये हैं।

शिक्षा में यह प्रान्त पिछड़ा हुआ था। अब इस दिशा में भी काफी उन्नति कर ली गई है। बुनियादी शिक्षा का श्रीगणेश यहाँ भी हो चुका है और हिन्दुस्तानी की पढाई अनिवार्य कर दी गई है।

उद्योग-धन्धों में भी यह प्रान्त पिछड़ा हुआ ही है; इसलिए औद्योगिक योजना, गृह-उद्योग भारी धन्धों का विकास, और मत्स्य-सम्बन्धी कारोबार का विस्तार भी सरकार कर रही है।

उड़ीसा में ग्राम-पंचायतों का श्रीगणेश करने के लिए एक बिल असेम्बली में पेश होकर निर्वाचन भी समिति के सुपुर्द हो चुका है। सहयोगी-संस्थाएँ यहाँ चल पड़ी हैं। साधनों के विकास के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है। यातायात, पशु-चिकित्सा, किसानों की स्थिति में सुधार, आदिम निवासियों की प्रगति, मद्य-निषेध आदि सभी क्षेत्रों में उड़ीसा की सरकार आगे बढ़ी है।

इस प्रान्त के मंत्रि-मण्डल में निम्न-लिखित सदस्य हैं--

उड़ीसा-प्रान्त का मंत्रि-मण्डल

१--श्री हरेकृष्ण मेहताब, प्रधान मन्त्री--गृह, अर्थ, योजना, पुनर्निर्माण और प्रकाशन-विभाग।

२--श्री नित्यानन्द कानूनगो--कानून, विकास, व्यापार और श्रम-विभाग।

३--पं० लिंगराज मिश्र--शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय स्वायत्त-शासन-विभाग।

४--श्री लाल रणजीतसिंह बारिंदा--पब्लिक वर्क्स-विभाग

५--श्री सदाशिव त्रिपाठी--राजस्व, सप्लाई और यातायात-विभाग

६--श्री राजकृष्ण बोस--पिछड़ी जातियों का कल्याण करने वाला विभाग।

संयुक्त-प्रान्त

संयुक्त प्रान्त आगरा और अवध के उत्तर में नेपाल, पश्चिम में पूर्वीय पंजाब और राजपूताना, दक्षिण में मध्य-भारत और पूर्व में बिहार-प्रान्त है। इस प्रान्त का क्षेत्रफल १०,६२,४७ और जन-संख्या ५,५०००००० है। इस दृष्टि से यह प्रान्त भारत के सभी प्रान्तों से विशाल है।

संयुक्त प्रान्त में भी गवर्नर शासन करता है और यह इसी प्रान्त का सौभाग्य है कि इसमें सर्वप्रथम एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की हिन्दुस्तानी महिला श्रीमती सरोजिनी नायडू गवर्नर के पद पर आसीन हैं।

संयुक्त-प्रान्त में द्विकक्षीय व्यवस्थापिक-सभा हैं--एक व्यवस्थापिका कौन्सिल, जिसकी सदस्य-संख्या ५६ है और दूसरी व्यवस्थापिका असेम्बली, जिसकी सदस्य-संख्या २२८ है।

इस प्रान्त की आमदनी १६४८-४६ के बजट के अनुसार ४५ करोड़ ८७ लाख और खर्च ५० करोड़ ५७ लाख रुपये हैं। यह घाटा कानपुर और उन्नाव ज़िले में भी मद्य-निषेधाज्ञा जारी करने, प्रान्त में ४४०० नये प्राइमरी स्कूल खोलने, स्कूलों और कालेजों में सैनिक शिक्षा जारी करने और नगरों में अनिवार्य शिक्षा लागू करने के कारण हुआ है। बिक्री-कर और कृषि की आमदनी पर कर लगाकर इस घाटे की पूर्ति हो जायगी, और ३० लाख रुपये बच भी रहेंगे, क्योंकि इन दोनों मदों में ५ करोड़ की आमदनी होगी। खर्च की रक़मों में से २ करोड़ ४० लाख राष्ट्र-निर्माण के कार्यों में खर्च होंगे, २ करोड़ १६ लाख शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास-योजना में

और १ करोड़ ४ लाख इमारतों, सिंचाई और जलीय-विद्युत् के निर्माण-कार्य में।

खेती इस प्रान्त की मुख्य आजीविका है। भारत-सरकार की नई नीति के कारण इस प्रान्त के जिन ५१ नगरों में अनाज का राशन जारी था, उनसे वह हटा लिया गया है। सरकार ने इस वर्ष गोंडा ज़िले की व्यर्थ पड़ी हुई भूमि—खादर और तराई—में भी मशीन के हल (ट्रैक्टर) चलवा दिये हैं और इस प्रकार लगभग २०,००० एकड़ भूमि का खेती के लिए नये सिरे से उपयोग होगा। इस भूमि में २ लाख मन अनाज पैदा होने का अनुमान है, इसी प्रकार झाँसी के डिवीजन के कांस क्षेत्र में भी मशीन का हल चला दिया गया है। इस क्षेत्र से भी १० हज़ार मन अनाज की पैदावार सालाना हो जाया करेगी।

प्रान्त में उत्तम बीज सप्लाई करने के लिए सरकार फार्म खोलने जा रही है, जिसके लिए ६० लाख मन मिश्रित खाद तैयार करली गई है और २५ करोड़ मन खाद तैयार करने की योजना बन चुकी है, जिसके कार्यान्वित होजाने पर प्रान्त में २० करोड़ मन गल्ला अधिक पैदा होने लगेगा।

बाग-बगीचों के विकास के लिए भी प्रयत्न हो रहे हैं। तीन हज़ार एकड़ में नये बगीचे लगाये गये हैं और २३०० एकड़ पुराने बगीचों को सुधारा गया है। युक्तप्रान्त का एक फल-विकास-संघ भी बना लिया गया है। पौदों में कीड़े आदि न लगने का उपाय करने के लिए भी एक संस्था बना दी गई है। खीरी, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर और देवरिया ज़िलों में जूट पैदा करने के प्रयत्न भी हो रहे हैं; क्योंकि पूर्वीय बंगाल में पाकिस्तान बन जाने के कारण हिन्दुस्तान जूट की पैदावार से वंचित हो गया है। मिर्ज़ापुर ज़िले में लाख की पैदावार बढ़ाने के लिए पचास गाँव चुने गये हैं।

सिंचाई के लिए एक पंचवर्षीय योजना भी युक्त-प्रान्तीय सरकार ने बना ली है। जिसके कार्यान्वित होने पर १६ लाख ६ हज़ार एकड़ की

सिंचाई हो सकेगी। इसके लिए एक बाँध सपरार में बनेगा, जो लाखेरी-धसान दोआब की ज़मीन को सींचेगा और सिआवरी की सिंचाई-प्रणाली झाँसी डिवीज़न में विस्तृत रूप से सिंचाई करेगी। इसके अतिरिक्त नारायणी नदी में पिपराई बाँध से भी सिंचाई का काम होगा। इसके अतिरिक्त शारदा नहर का विस्तार १०६२ मील और हो जायगा। प्रान्त में ट्यूबवेल या पातालतोड़ कुएँ अभी ४५० की ही संख्या में हैं। ऐसे ६०० कुएँ और बन जाने पर सिंचाई की सुविधा उन क्षेत्रों में बढ़ जायगी, जहाँ नहर की सुविधा नहीं है।

प्रान्त में बिजली को अधिक विस्तृत बनाने के लिए सरकार ने कानपुर और आज़मगढ़ की बिजली सप्लाई कम्पनियाँ अपने हाथ में ले ली हैं और उनको अधिक साज़ोसामान से संयुक्त करके प्रान्त-भर में बिजली फैलाई जायगी। पानी से बिजली पैदा करने की योजना रुड़की के निकट मुहम्मदपुर झरने से कार्यान्वित होगी। हरदुआगंज (अलीगढ़) के बिजलीघर को और बढ़ाया जायगा और सोहावल (फैजाबाद) का बिजलीघर भी अधिक विस्तृत कर दिया जायगा। इनके अतिरिक्त गङ्गा नहर, शारदा नहर, पिपरी बाँध (ज़ि० मिर्ज़ापुर) से भी बिजली पैदा करने की विशाल योजना बन चुकी है। जहाँ से दो सौ मील के घेरे तक देहातों में भी बिजली पहुँचाई जा सकेगी। इन सबके अतिरिक्त यमुना नदी से भी बिजली पैदा करने की योजना कार्यान्वित होगी। बुन्देलखण्ड में बेतवा नदी से भी बिजली पैदा करने चुकी व्यवस्था हो की है और शीघ्र अमल में आयेगी। पथारी जलीय विद्युत-योजना का काम शुरू होगया है और गोरखपुर जिले के देहातों में बिजली लगाने का काम भी शुरू होने वाला है।

प्रान्त में बीमारी और महामारी रोकने के लिए भी सरकार योजना बना चुकी है। दवाइयाँ देहाती क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए 'जीप' गाड़ियों का इन्तजाम हो गया है। देहात के अस्पतालों में से अधिकांश को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। हैज़ा और ताऊन

(प्लेग) रोकने के लिए भी कुछ अस्थायी अस्पताल देहातों में बन गये हैं। मलेरिया की रोक-थाम के लिए भी सरकार छः लाख रुपये खर्च कर चुकी है। २० सफरी अस्पताल (मोटरों में) घूमने के लिए बना दिये गये हैं, जिनमें डाक्टर और कम्पाउण्डर आदि औषधियों सहित देहातों को जा सकते हैं। इस प्रान्त में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा-पद्धति को भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। बनारस, अलीगढ़ और लखनऊ में आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा सिखाने के लिए जो महाविद्यालय हैं, उन्हें सरकार मदद दे रही है।

संयुक्त-प्रान्त में शिक्षा-विकास के लिए दसवर्षीय योजना बन चुकी है, जिसके अनुसार २३४० नये प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं, जिनमें लगभग ४००० गाँवों के ६६००० बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। इन स्कूलों का सारा खर्च सरकार देगी। सरकार ने प्रत्येक प्राइमरी स्कूल की इमारत के लिए १०००, रुपये की मदद देने का निश्चय किया है। इस वर्ष सरकार ने ४००० नये प्राइमरी स्कूल खोलकर दस वर्षीय योजना को पाँच वर्ष में ही पूरी कर देने का निश्चय कर लिया है। पाँच वर्ष तक प्रति वर्ष १०० स्कूलों की इमारतें बनाने में डेढ़ लाख रुपये खर्च करने का निश्चय सरकार कर चुकी है। १ लाख रुपया सरकार ने ज़िला बोर्डों को इसलिए दिया है कि वे अपने यहाँ के प्रत्येक प्राइवेट हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल को १५००) रु० की मदद दें। जिन चार शहरों की म्यूनिसिपैलिटियों ने अपने यहाँ प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य कर दी है, उनके नाम हैं—कानपुर, इलाहाबाद, आगरा और बनारस। शीघ्र ही यह अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रान्त की ६५ म्युनिसिपैलिटियों में लागू हो जायगी। गाँवों के शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए भी सुविधाएँ बढ़ा दी गई हैं। सरकार सभी जिला और म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूलों को बेसिक या बुनियादी शिक्षा के स्कूल बना देने का भी निश्चय कर चुकी है।

ऊँची शिक्षा की ओर भी युक्त-प्रान्तीय सरकार ध्यान दे रही है।

इस वर्ष चार मिडिल स्कूलों को हाईस्कूल बना दिया गया है और अगले चार वर्षों तक यही क्रम जारी रहेगा। अनेक एंग्लो-हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल और हाई स्कूल अब इण्टर कालेज बनते जा रहे हैं। स्त्रियों की शिक्षा में घरेलू विज्ञान की ओर अधिक ध्यान देने की दृष्टि से एक पृथक् कालेज खोला जा रहा है। जिसमें घर के काम-काज, स्वास्थ्य, सफाई के अतिरिक्त बच्चों के पालन-पोषण आदि की बातें मनोवैज्ञानिक ढंग से सिखाई जायेंगी।

परिगणित (अन्त्यज) जाति के स्कूलों के लिए गत वर्ष १३०००) की मदद दी गई है। इन जाति वालों से कहीं भी पढ़ाई की फ़ीस नहीं ली जाती।

युक्त-प्रान्त उद्योग-धन्धों की दृष्टि से अब भी बहुत आगे नहीं है, इसलिए सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। इस प्रान्त में अब सीमेण्ट, नकली रेशम और सूती मिलों आदि की वृद्धि की ओर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। सरकार ने गृह-शिल्प के लिए एक अलग विभाग खोल दिया है, जो छोटे-मोटे उद्योग-धन्धों के विकास में मदद देगा। यातायात की कठिनाइयों और कच्चे माल की कमी के कारण अनेक योजनाएँ अभी तक कार्यान्वित नहीं हो सकी हैं। प्रान्त में २४ सरकारी और ४६ सरकारी सहायता-प्राप्त ऐसी संस्थाएँ हैं, जो रासायनिक, शीशे के, सूती, रँगाई और छपाई, चमड़े और बढ़ईगीरी के कामों की शिक्षा दे रही हैं। सरकार ने इस काम पर कुल २० लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था कर ली है। इनके अतिरिक्त १२०० आदमी इस प्रकार की दस्तकारी के काम अपने घरों पर ही सीखते हैं। सरकार ने ऐसे छोटे-मोटे धन्धों के लिए १७,४०० रुपये की मदद दी है और २,१९,००० रुपये का कर्ज दिया है। सरकार इस सिलसिले में खादी, गाढ़ा, ऊन के वस्त्र, तेल, कागज, रेशे, बर्तन, गुड़ आदि के उत्पादन और निर्माण की ओर खास ध्यान दे रही है; पर अनेक योजनाएँ कच्चे माल की कमी और आमदरफ्त की असुविधा के कारण

अभी कार्यरूप में परिणत नहीं होसकी हैं।

प्रान्त-भर में पंचायती राज स्थापित करने की व्यवस्था करने के लिए बिल पास किया जाचुका है। सहयोगी समितियों (को-आपरेटिव सोसाइटीज़) की ट्रेनिंग में सरकार एक लाख रुपया खर्च करने का निश्चय कर चुकी है, जिससे ३००० सेक्रेटरी और ४००० पंच इस काम के लिए तैयार हो जायँगे। कुछ लोगों को इस विषय की ऊँची शिक्षा दिलाने के लिए सरकार ने विदेशों में भी भेजा है। इस प्रणाली-द्वारा उधार देने और इस प्रकार खेती और डेरीफ़ार्म को लाभान्वित करने का निश्चय सरकार कर चुकी है।

खेती के सिलसिले में सरकार गन्ने की उपज और उसकी किस्म के सुधार की ओर विशेष ध्यान दे रही है और इसके लिए उसने एक स्थायी विभाग भी खोल दिया है। इसके अन्तर्गत ६५ ऐसी संस्थाएँ (कौंसिलें) बन चुकी हैं जो गन्ने में सुधार करने के कार्य करेंगी।

इनके अतिरिक्त प्रान्त के आर्थिक-विकास के लिए सरकार ने एक अलग विकास विभाग कायम कर दिया है, जो विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए अपना सक्रिय सहयोग दिया करेगा। वृक्ष लगाने और तालाब खोदने को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गत वर्ष गांधी जयन्ती सप्ताह में इस प्रान्त में १२ लाख वृक्षों के पौधे लगाये गये हैं। जंगलों को सुरक्षित रखने और अनाज की उपज बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न हो रहे हैं।

पौधों और कलम रखने वाली कृषि और उद्यान-शालाओं को सरकार २०,००० रुपये पुरस्कार या सहायता के रूप में देने की मंजूरी दे चुकी है।

हरिजनों की सहायता के लिए सरकार ने एक हरिजन-सहायक विभाग खोल दिया है।

सरकार ने ज़मींदारी-प्रथा समाप्त करने की पूरी तैयारी करली है।

प्रान्त में मद्य-निषेध-योजना एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बदायूँ,

प्रतापगढ़, सुलतानपुर और जौनपुर ज़िलों में चालू हो गई है। कानपुर और उन्नाव ज़िलों में भी अब यह निषेधाज्ञा लागू र दी गई है।

प्रान्तीय रक्षक-दल यहाँ के शहरों और गाँवों में स्थापित हो गया है, जो प्रान्त में शान्ति कायम रखने में बहुत हद तक सहायक होगा। इस दल में १८ से ४५ वर्ष तक का कोई भी पुरुष भर्ती हो सकता है, जिसके बाद उसे ट्रेनिंग लेनी होती है। कम-से-कम १२ व्यक्तियों से यह दल बन जाता है, जिससे हर गाँव या नगर के मुहल्ले में यह आसानी से कायम होजाता है। इसमें पढ़ाई और अमली दोनों तरह की ट्रेनिंग दी जाती है।

संयुक्त प्रान्तीय मंत्रि-मण्डल के सदस्यों की नामावली इस प्रकार है—

युक्त-प्रान्त का मंत्रि-मण्डल

१—पं० गोविन्दवल्लभ पन्त, प्रधान मन्त्री—शासन, न्याय, अर्थ और सूचना-विभाग।

२—श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—सम्पर्क और पब्लिक वर्क्स-विभाग।

३—श्री सम्पूर्णानन्द—शिक्षा और श्रम-विभाग।

४—श्री हुकुमसिंह—राजस्व और जंगलात-विभाग।

५—श्री निसारअहमद शेरवानी—खेती और ग्राम-सुधार-विभाग।

६—श्री गिरधारीलाल—आबकारी और रजिस्ट्रेशन-विभाग।

७—श्री आत्माराम गोविन्द खेर—स्थानीय स्वायत्त शासन-विभाग।

८—श्री चन्द्रभान गुप्त—मेडिकल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य और सिविल सप्लाईज़-विभाग।

९—श्री लालबहादुर शास्त्री—गृह और यातायात-विभाग।

१०—श्री केशवदेव मालवीय—विकास, उद्योग और को-आपरेटिव सोसायटीज़-विभाग।

पश्चिमीय बंगाल

पूर्वी पाकिस्तान बन जाने से बंगाल प्रान्त का विभाजन हो गया और अब हिन्दुस्तान में बंगालका पश्चिमी हिस्सा ही रह गया जिसमें

बर्दवान डिवीजन, कलकत्ता नगर और उपनगर, और चौबीस परगना और मुर्शिदाबाद के ज़िले और नदिया तथा जैसोर ज़िले के कुछ हिस्से शामिल हैं। इनके अतिरिक्त मालदा, दार्जिलिंग के ज़िले और जलपाई-गुड़ी ज़िले का एक अंश तथा दीनाजपुर ज़िले का थोड़ा-सा भाग भी पश्चिमीय बंगाल में मिला है। इस नव-निर्मित प्रान्त का क्षेत्रफल २७७४८ वर्ग मील और आबादी २ करोड़ १२ लाख है। पश्चिमीय बंगाल पर गवर्नर का शासन है। विभाजन-काल में तथा उसके पहले और पीछे कलकत्ता प्रायः साम्प्रदायिक दंगों का केन्द्र बना रहता था। महात्मा गांधी के अंतिम प्रयत्न से ही वहाँ उन दिनों शान्ति स्थापित हो सकी थी।

१९४८-४९ के बजट में पश्चिमी बंगाल की सरकार की आमदनी ३१ करोड़ १९ लाख और खर्च ३१ करोड़ ९६ लाख है। ५० लाख रुपये से कलकत्ता नगर का यातायात सुधारने और २० लाख गन्दी बस्तियों के रहने वालों के लिए घर बनाने में खर्च होगा। कांचरापाड़ा-क्षेत्र के विकास के लिए भी ५० लाख रुपये खर्च करने का निश्चय किया गया है।

इस प्रान्त में १९४२ ई० के आन्दोलन के उन कार्यकर्त्ताओं को मदद दी गई है, जो आर्थिक कष्ट में थे या जिनकी मृत्यु के कारण उनके परिवार वाले निस्सहाय होगये थे। पश्चिमीय बंगाल की सरकार खेती की उन्नति, और स्वास्थ्य-सुधार में भी काफी रुपया खर्च कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने केन्द्रीय सरकार की नई नीति का अनुसरण करते हुए हिन्दुस्तानी तालीमी-संघ की योजना के अनुसार बेसिक या बुनियादी शिक्षा के ट्रेनिंग स्कूल खोल लिये हैं और इस वर्ष १२,००,००० रुपये स्थायी खर्च करने जा रही है और ५, ३५००० रुपये चालू वार्षिक खर्च है। यहाँ १६ प्रतिशत लोग साक्षर हैं। शिक्षा-प्रसार के लिए सभी उपाय काम में लाये जा रहे हैं।

उद्योग-धन्धों की ओर यह सरकार काफी सचेष्ट है और बड़े पैमाने

पर कल-कारखाने खोलने के अतिरिक्त यह बीच के दर्जे के गृह-उद्योगों को भी प्रोत्साहन दे रही है। प्रान्त में बिजली का प्रसार भी हो रहा है। युक्त-प्रान्त के रक्षा-दल की तरह यहाँ "जातीय रक्षावाहिनी" के नाम से स्वयं-सेवक-दल कायम हुआ है, जो पाकिस्तानी सीमा के ३३० गाँवों में रक्षा का काम करेगा। १०० शिक्षक इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे आशा की जाती है, कि एक साल में ६२,००० ग्रामवासी रक्षा-कार्य में दीक्षित हो जायँगे।

पूर्वीय बंगाल से भागकर आये हुए शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास के लिए भी यहाँ की सरकार काम कर रही है। शरणार्थी किसानों को २००० रुपये का ऋण उनके परिवार के पालने और खेती करने के बैल आदि के लिए सरकार देने लगी है।

मद्य-निषेधाज्ञा यहाँ भी आंशिक-रूप में लागू करदी गई है। यहाँ भी ज़मींदारी-प्रथा का नाश होने जा रहा है।

पश्चिमीय बंगाल की सरकार के मंत्रि-मण्डल के सदस्योंकी नामावली इस प्रकार है—

पश्चिमीय बंगाल—मंत्रि-मण्डल

१—डा० विधानचन्द्र राय, प्रधान मन्त्री—शासन, यातायात, विकास, स्वास्थ्य तथा स्वायत्त-शासन-विभाग।
२—श्री नलिनीरंजन सरकार—अर्थ, व्यापार और उद्योग-विभाग।
३—श्री किरणशङ्कर राय—गृह-विभाग।
४—श्री हरेन्द्रनाथ चौधरी—शिक्षा-विभाग।
५—श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन—सिविल सप्लाईज़-विभाग।
६—श्री यादवेन्द्रनाथ पंजा—कृषि-पशु-विभाग।
७—श्री विमलचन्द्र सिन्हा—कारखाना-इमारत और राजस्व-विभाग।
८—श्री निकुंजबिहारी मैती—सहयोग, सहायता और पुनर्वास विभाग
९—श्री निहारेन्दुदत्त मजुमदार—न्याय और व्यवस्था-विभाग।
१०—श्री कालीपद मुकर्जी—श्रम-विभाग।

११–श्री भूपति मजुमदार—सिंचाई और जल-मार्ग-विभाग ।

१२–श्री हेमचन्द्र नास्कर—जंगल और मत्स्य-विभाग ।

१३–.... .... — आबकारी-विभाग ।

कांग्रेस का नव-विधान और भविष्य

तेरह

अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी ने अप्रैल १९४८ के बम्बई-अधिवेशन में अपने विधान में जो परिवर्तन कर लिये हैं, उनसे उसकी भावी गति-विधि का पता लग सकता है। हम यहाँ इस नये विधान की प्रत्येक धारा का संक्षेप में वर्णन करेंगे।

उद्देश्य

धारा १. भारत की राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) का उद्देश्य जनता की भलाई और उसकी प्रगति है, और यह देश में शान्तिपूर्ण और वैध उपायों-द्वारा एक ऐसे सहयोगी राष्ट्र की स्थापना करना चाहती है, जो सबको समान अवसर और राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार देने पर आधारित हो और जो विश्व-शान्ति और विश्व-बन्धुत्व का ध्येय रखता हो।

अंग

धारा २. भारत की राष्ट्रीय महासभा के निम्न-लिखित अंग होंगे:—

(क) धारा ४ के अनुसार प्रारम्भिक सदस्य।

(ख) गाँव, गाँवों के समूह तथा शहर के मुहल्लों में प्रारम्भिक कांग्रेस-पंचायतें।

(ग) ज़िला कांग्रेस-कमेटियाँ या ऐसी मध्यवर्ती-कमेटियाँ होंगी, जिनके संगठन का निर्णय प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी करे।

(घ) प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटियाँ।

(ङ) अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी।

(च) कार्य-कारिणी (वर्किङ्ग) कमेटी।

(छ) कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन।

(ज) १. अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी या कार्य-कारिणी कमेटी-द्वारा संगठित या निर्मित अथवा सम्बद्ध कमेटियाँ या संस्थाएँ, और

२. किसी भी प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा संगठित या निर्मित ऐसी कमेटियाँ जो वर्किंग कमेटी-द्वारा स्वीकृत होकर उसके अपने नियमों के अनुसार बनी हों।

क्षेत्रीय अधिकार

धारा ३. (क) कांग्रेस के नीचे लिखे प्रान्त होंगे, जिनके मुख्य केन्द्रों के नाम उनके सामने लिखे जाते हैं:—

प्रान्त	मुख्य केन्द्र
१—अजमेर मेरवाड़ा	अजमेर।
२—आन्ध्र	बेजवाड़ा।
३—आसाम	गौहाटी।
४—बिहार	पटना।
५—पश्चिमीय बंगाल	कलकत्ता।
६—बम्बई (नगर)	बम्बई।
७—दिल्ली	दिल्ली।
८—गुजरात	अहमदाबाद।
९—कर्नाटक	हुबली।
१०—केरल	कालीकट।
११—महाकोशल	जबलपुर।
१२—महाराष्ट्र	पूना।
१३—नागपुर	नागपुर।
१४—पूर्वीय पंजाब	अमृतसर।
१५—तामिलनाड	मद्रास।

१६—संयुक्त प्रान्त लखनऊ।
१७—उत्कल कटक।
१८—विदर्भ (बरार) आकोला।

(ख) प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी को कांग्रेस कार्य-समिति से स्वीकृति लेकर अपना केन्द्र-स्थान बदलने का अधिकार होगा।

(ग) प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी या सम्बन्धित कमेटियों की इच्छा मालूम कर लेने के बाद कांग्रेस-कार्य-समिति किसी प्रान्त का कोई जिला या जिले का एक या अनेक अंश लेकर नया प्रान्त संगठित कर सकती है तथा भारतीय संघ में शामिल होनेवाली किसी एक या अनेक देशी रियासतों या उनके हिस्से या हिस्सों को किसी प्रान्त में जोड़ सकती है अथवा यदि आवश्यकता हो, तो ऐसी देशी रियासत या रियासतों का एक अलग प्रांत बना सकती है।

(घ) कांग्रेस कार्य-समिति को अधिकार होगा कि भारत के या उसके बाहर के किसी ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को, जो कि किसी प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी के कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हैं, प्रतिनिधित्व प्रदान करे अथवा यह आदेश दे कि ऐसे एक या अनेक क्षेत्र पड़ोस के प्रान्त में सम्मिलित कर लिये जायँ।

सदस्यता

धारा ४. प्रारम्भिक सदस्यता (क) २१ वर्ष या इससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति, जो धारा १ पर विश्वास रखता है, फार्म 'क' पर लिखी बात की लिखित-घोषणा करने के बाद कांग्रेस का प्रारम्भिक सदस्य समझा जायगा। उसे अधिकार होगा कि वह अपना नाम प्रारम्भिक सदस्यों की सूची पर चढ़वावे, जो उस प्रारम्भिक कांग्रेस-पंचायत के दफ़्तर में रखी जायगी, जिसके कार्य-क्षेत्र में वह व्यक्ति साधारणतः रहता हो या व्यापार करता हो। शर्त यह रहेगी कि कोई

भी व्यक्ति एक-साथ दो निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रारम्भिक सदस्य न बन सकेगा।

(ख) फार्म 'क' पर घोषणा करने के बाद उस व्यक्ति को रसीद मिलेगी, जो उसके कांग्रेस का प्रारम्भिक सदस्य बन जाने का निश्चित प्रमाण मानी जायगी।

(ग) नीचे लिखी शर्तें पूरी करने पर प्रारम्भिक सदस्य को प्राइमरी कांग्रेस-पंचायतों के चुनाव के लिए योग्य समझा जायगा।

"वह आदतन हाथ-कते सूत से बनी प्रमाणित खादी को पहनने वाला, मादक द्रव्यों का सेवन न करने वाला, हर सूरत में हर तरह की अस्पृश्यता का त्याग करने वाला तथा विभिन्न सम्प्रदायों की एकता में विश्वास और सब धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखने वाला हो और जाति, धर्म, एवं लिंग के भेद-भाव के बगैर सब को समान अवसर और पद देने के सिद्धांत में भी उसका विश्वास हो।"

बशर्ते कि वह किसी ऐसे दूसरे राजनैतिक या साम्प्रदायिक दल का सदस्य न हो, जिसकी पृथक् सदस्यता, विधान एवं कार्य-क्रम हो और यदि वह लगातार कम-से-कम दो वर्ष तक कांग्रेस का प्रारम्भिक सदस्य रहा हो, तो इस बात के प्रमाण के तौर पर कार्य-समिति-द्वारा तय की गई एक नियत तारीख तक जिला कांग्रेस-कमेटी के पास एक रुपये के शुल्क के साथ लिखित आवेदन-पत्र भेजकर अपना नाम फार्म 'ख' में दर्ज करादे।

(घ) जिला कांग्रेस-कमेटी नियमानुसार प्रार्थी का नाम योग्य सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज कर लेने के बाद प्रार्थी को फार्म 'ग' के अनुसार प्रमाण-पत्र देगी।

(ङ) प्रत्येक 'योग्य' सदस्य अपनी जिला कांग्रेस-कमेटी को

प्रतिवर्ष एक रुपया शुल्क, देगा। आवेदन-पत्र के साथ भेजा गया शुल्क, उसका प्रथम वर्ष का शुल्क समझा जायगा।

'कर्मठ' सदस्य

(च) कोई 'योग्य' सदस्य तभी 'कर्मठ' सदस्य समझा जायगा, जब वह समय-समय पर कांग्रेस-द्वारा निर्धारित किसी राष्ट्रीय या रचनात्मक काम में नियमित रूप से अपना कुछ समय लगावे और इस बात के लिए फार्म 'घ' के अनुसार एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करे, कार्य-समिति-द्वारा निर्धारित तारीख के अन्दर इसे अपनी जिला कांग्रेस कमेटी में दाखिल करे और कम-से-कम एक वर्ष तक उसका नाम 'योग्य' सदस्यों की सूची में रह चुका हो।

(छ) 'कर्मठ' सदस्यों की सूची में नाम लिखाने के लिए 'योग्य' सदस्य का आवेदन-पत्र मिलने पर जिला कांग्रेस-कमेटी उसे प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी के पास भेज देगी और प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी प्रार्थी का नाम 'कर्मठ' सदस्यों की सूची में लिख कर फार्म 'ङ' के अनुसार प्रार्थी को प्रमाण-पत्र देगी।

(ज) कार्य-समिति उन पूर्व-निर्धारित फार्मों को देगी, जिनका विधान में हवाला दिया गया है।

कांग्रेस कमेटी का कार्य-काल

धारा ५. सामान्यतया प्रत्येक प्राइमरी कांग्रेस-पंचायत और कांग्रेस-कमेटी के कार्य-काल की अवधि तीन वर्ष होगी।

सदस्यों की सूची

धारा ६. (क) प्रत्येक प्रारम्भिक कांग्रेस-पंचायत अपने प्रारम्भिक-सदस्यों की सूची रक्खेगी।

(ख) प्रत्येक जिला कांग्रेस-कमेटी 'योग्य' सदस्यों और अपने

कार्य-क्षेत्र की पंचायतों के सदस्यों की सूची रक्खेगी और इनकी प्रमाणित सूची अपनी प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी को भेजेगी।

(ग) प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी अपने कार्य-क्षेत्र के 'कर्मठ' सदस्यों की सूची रक्खेगी और इनकी प्रमाणित सूची सम्बन्धित जिला कांग्रेस-कमेटियों के पास भेजेगी।

(घ) उपधारा 'ख' और 'ग' में बताई गई सूचियों में प्रत्येक सदस्य का पूरा नाम, पता, उम्र, पेशा, वासस्थान और भरती की तारीख का उल्लेख रहेगा।

मत-दाताओं और उम्मीदवारों की योग्यताएँ:—

धारा ७. (क) मत-दाता—

(अ) कांग्रेस का प्रत्येक प्रारम्भिक सदस्य, जो निश्चित समय के अन्दर भरती हो गया हो और जिसका नाम प्रारम्भिक सदस्यों की सूची में हो, अपने निर्वाचन-क्षेत्र की प्रारम्भिक कांग्रेस-पंचायत के चुनाव में मत देने का अधिकारी होगा।

(आ) पंचायतों के सब सदस्य और 'कर्मठ' सदस्य डेलीगेटों और यदि वे इस सम्बन्ध में अपने प्रांत की कांग्रेस-कमेटी द्वारा बनाये गये नियमों का पालन करेंगे तो, प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी की अन्य सब मातहत कमेटियों के चुनाव में वोट देने के अधिकारी होंगे।

(ख) उम्मेदवार—

(अ) कोई 'योग्य' सदस्य प्रारम्भिक कांग्रेस-पंचायत के चुनाव के लिए खड़ा हो सकेगा।

(आ) कोई 'कर्मठ' सदस्य किसी भी कांग्रेस-कमेटी के चुनाव के लिए खड़ा हो सकेगा।

प्रारम्भिक कांग्रेस-पंचायत

धारा ८. (क) प्रारम्भिक कांग्रेस-पंचायत का संगठन उन 'योग्य'

सदस्यों से होगा, जो प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा निश्चित तारीख की इस काम के लिए बुलाई गई बैठक में किसी ग्राम, ग्राम-समूह, म्युनिसिपल वार्ड, वार्ड के भाग, कस्बा या कस्बे के हिस्से के प्रारम्भिक सदस्यों-द्वारा चुने जायँगे।

(ख) किसी प्रारम्भिक कांग्रेस-पंचायत का कार्य-क्षेत्र साधारणतः सरकारी निर्वाचक सूची के २५०० बालिग मत-दाताओं के हल्के से बड़ा न होगा।

(ग) किसी प्रारम्भिक कांग्रेस-पंचायत में तीन से कम या दस से अधिक सदस्य न होंगे, बशर्ते कि प्रति २५० बालिग मत-दाताओं पर एक से अधिक सदस्य न हो।

(घ) किसी हल्के में तब तक प्रारम्भिक कांग्रेस-पंचायत नहीं बन सकेगी, जब तक सरकारी निर्वाचक-सूची के बालिग मत-दाताओं में से ८ फीसदी कांग्रेस के प्रारम्भिक सदस्य न बन गये हों।

डेलीगेटों का चुनाव

धारा ६. (क) प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी प्रान्त के 'कर्मठ' तथा पंचायतों के सदस्यों की सूचियाँ तैयार करेगी और इन सूचियों के साथ अपना एक विवरण कांग्रेस-कार्य-समिति-द्वारा निश्चित की गई तारीख को या उससे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के दफ्तर में भेजेगी। यह विवरण अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के दफ्तर-द्वारा बनाये गये एक निश्चित रूप में होगा।

(ख) यदि कोई प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी समय पर यह विवरण न भेज सके, तो कांग्रेस-कार्य-समिति को यथोचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

(ग) कांग्रेस-कार्य-समिति वह तारीख निश्चित करेगी, जिस तक डेलीगेटों का चुनाव हो जाना चाहिए।

(घ) प्रांतीय कांग्रेस-कमेटियाँ अपने-अपने प्रान्त को ऐसे

प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में बाँट देगी, जिनमें से प्रत्येक में एक सदस्य चुना जाय। ये प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी या कार्य-समिति की पूर्व-स्वीकृति के बिना न बदले जा सकेंगे।

(ङ) प्रत्येक प्रान्त किसी संलग्न प्रदेश की प्रति एक लाख जनता के पीछे डेलीगेट के हिसाब से कांग्रेस में डेलीगेट भेज सकेगा, बशर्ते कि उस प्रदेश में पंचायतों की संख्या पाँच से कम न हो।

(च) सम्बद्ध संस्थाओं से अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी में सम्मिलित किये गये सदस्य, प्रत्येक प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी के उसी प्रान्त में रहने वाले वे भूतपूर्व अध्यक्ष, जो पूरे एक वर्ष की अवधि तक अपना कार्य करते रहे हों, डेलीगेट घोषित किये जायेंगे, बशर्ते कि विधान में बताई गई अन्य योग्यताएँ भी उनमें हों।

(छ) बम्बई और दिल्ली शहर के क्रमशः अधिक-से-अधिक ४० और ३० डेलीगेट होंगे।

(ज) प्रत्येक डेलीगेट को अपनी प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी में दस-दस रुपये शुल्क जमा करवा देने पर एक प्रमाण-पत्र मिलेगा, जिस पर उस प्रांत की कांग्रेस-कमेटी के किसी एक मन्त्री के हस्ताक्षर होंगे। कोई ऐसा डेलीगेट, जिसने अपना शुल्क न दिया हो, अपने किसी अधिकार का उपयोग न कर सकेगा।

(झ) जिस प्रान्त ने कांग्रेस-कार्य-समिति-द्वारा निश्चित की गई तारीख को या उसके पहले अपने डेलीगेटों का चुनाव समाप्त न कर दिया हो, यदि कार्य-समिति चाहे तो उसे कांग्रेस-अधिवेशन में प्रतिनिधित्व पाने के अधिकार से वंचित किया जा सकेगा।

(ज) प्रान्तीय-कांग्रेस कमेटी को कार्य-समिति-द्वारा इसी कार्य के लिए निश्चित की गई एक नियत तारीख तक अपने डेलीगेटों की प्रमाणित सूची अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के पास भेजनी होगी।

अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी का चुनाव

धारा १०. (क) प्रत्येक प्रान्त के डेलीगेट इकट्ठे बैठकर अपने में से एक अष्टमांश को अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के प्रतिनिधि के तौर पर चुनेंगे; पर किसी प्रान्त के इन प्रतिनिधियों की संख्या ९ से कम न होगी।

(ख) उपधारा 'क' में बताया गया चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व-द्वारा सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट से होगा।

(ग) प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी के मन्त्री अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के लिए चुने गये लोगों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्यता के प्रमाण-पत्र देंगे।

प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी

धारा ११. (क) प्रत्येक प्रान्त की प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी प्रान्त के डेलीगेट और इस धारा की उपधारा 'ख' में बताये गये व्यक्तियों से बनेगी, बशर्ते कि वे अपनी प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटियों को पाँच रुपया वार्षिक दें।

(ख) कांग्रेस के अध्यक्ष तथा भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी के कार्य क्षेत्र के कोई एक व अनेक व्यक्ति, जो किसी वजह से अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा उसमें शामिल किये गये हैं, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और कांग्रेस के डेलीगेट भी होंगे, बशर्ते कि वे धारा ४ में बताई गई योग्यता रखते हों।

(ग) १. प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी साधारणतः व्यवस्था के लिए विभिन्न हल्कों में बँटी हुई, जिला, तालुका या तहसील कांग्रेस-कमेटियों की मार्फत अपना काम चलायेगी, बशर्ते कि इन कमेटियों में वे सदस्य भी शामिल हों, जो उस हल्के से प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी के सदस्य चुने जाने के कारण इनके 'पदेन' सदस्य होजाते हैं।

२. प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी पर उसके अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के सामान्य निरीक्षण तथा नियंत्रण में रहते हुए अपने प्रान्त की सब कांग्रेस-कमेटियों के कार्य का भार रहेगा और इस कारण वह अपना प्रांतीय विधान बनायेगी, जो इस विधान से असंगत न होगा और तभी लागू होगा, जब कांग्रेस-कार्य समिति उसके लिए मंजूरी दे देगी।

३. प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी कांग्रेस-कार्य-समिति के पास प्रान्तीय संगठन-द्वारा प्रान्त में किये गये कार्य की वार्षिक रिपोर्ट तथा जाँचा हुआ आय-व्यय का लेखा भेजेगी।

४. प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी नई अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी की बैठक से पूर्व कांग्रेस-कार्य-समिति को अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क और चन्दा देगी। ऐसा न करने वाले प्रान्तों के डेलीगेटों और अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के सदस्यों को कांग्रेस अथवा उसकी किसी कमेटी की किसी कार्यवाही में शामिल होने की इजाजत न दी जायगी।

(घ) १. कांग्रेस-कार्य-समिति किसी भी प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी को तब तक मान्यता न देगी, जब तक वह कार्य-समिति-द्वारा

निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर देती।

२. यदि कोई प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी विधान के अनुसार कार्य न करेगी, तो कांग्रेस-कार्य-समिति को अधिकार होगा कि वह तत्कालीन प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी को मुअत्तिल करदे और प्रान्त में कांग्रेस-कार्य को जारी रखने के लिए उसकी जगह दूसरी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी बनादे।

अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी

धारा १२. (क) कांग्रेस-अधिवेशन के अध्यक्ष, धारा १० के अनुसार निर्वाचित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, बशर्ते कि वे धारा ४ में बताई गई योग्यता रखते हों, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और यदि कोई सम्बद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधि हों, तो वे अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के सदस्य होंगे, बशर्ते कि ऐसे प्रतिनिधि निर्वाचित सदस्यों के दशमांश से अधिक न हों।

(ख) अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी कांग्रेस-अधिवेशनों में निर्धारित कार्य-क्रम को चलायेगी और अपने कार्य-काल में उपस्थित होने वाले विषयों पर उचित कार्रवाई करने का उसे अधिकार होगा।

(ग) अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी को ऐसे नियम बनाने का अधिकार होगा, जो इस विधान से असंगत न हों, जिनके द्वारा वह कांग्रेस से सम्बन्धित सब विषयों को नियमित कर सके। ये नियम सभी मातहत कांग्रेस-कमेटियों के लिए बाध्यकर होंगे।

(घ) कांग्रेस-अधिवेशन के अध्यक्ष, या धारा १६ (छ) के अनुसार

चुने गये अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के प्रधान होंगे।

(ङ) अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी की बैठक, जब कभी कांग्रेस-कार्य-समिति आवश्यक समझेगी तब, या जब अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के कम-से-कम ४० सदस्य कार्य-समिति के पास सम्मिलित आवेदन-पत्र भेजेंगे तब होगी। ऐसी किसी बैठक में अन्य विषय भी विचारार्थ उपस्थित किया जा सकता है, बशर्ते कि उसके बारे में सदस्यों को उचित सूचना दे दी गई हो। ऐसे प्रस्तावों पर, जिनके सम्बन्ध में अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के सदस्यों ने तत्सम्बन्धी नियमों के अनुसार उचित सूचना दे दी हो, विचार करने के लिए कम-से-कम पूरा एक दिन दिया जायगा।

(च) अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी की बैठक के लिए ६० सदस्यों या कुल सदस्यों के पंचमांश का, दोनों में से जो कम हो, कोरम माना जायगा।

(छ) अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी तब तक काम करती रहेगी, जब तक नव-निर्वाचित अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी की बैठक न हो।

(ज) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी समय-समय पर आवश्यकता-नुसार, कुछ संस्थाओं को कांग्रेस से सम्बद्ध कर सकती और उन्हें प्रतिनिधित्व दे सकती है।

(झ) अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के प्रत्येक सदस्य को दस रुपया वार्षिक शुल्क देना होगा, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उस वर्ष की पहली बैठक में या उसके पहले दिया जायगा। शुल्क न देनेवाले सदस्यों को अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी या विषय-समिति और कांग्रेस-अधि-

वेशन की किसी बैठक में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं मिलेगी।

विषय-समिति

धारा १३. (क) कांग्रेस-अधिवेशन के कम-से-कम दो दिन पहले अधिवेशन के मनोनीत अध्यक्ष की प्रधानता में अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी की बैठक विषय-समिति के रूप में होगी। पिछली कार्य-समिति कांग्रेस-अधिवेशन के कार्य-क्रम का मसविदा, जिसमें वे प्रस्ताव भी शामिल होंगे जिनके लिए प्रान्तीय-कांग्रेस कमेटियों ने सिफारिश की हो, विषय-समिति के सामने उपस्थित करेगी। पर शर्त यह रहेगी कि यह अधिवेशन नव-निर्वाचित-अध्यक्ष की अध्यक्षता में हो।

(ख) विषय-समिति कार्य-क्रम पर विचार करेगी और खुले अधिवेशन में उपस्थित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी। प्रांतीय कांग्रेस-कमेटियों ने या अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के सदस्यों ने जिन प्रस्तावों की उचित सूचना देदी होगी, उन पर विचार करने के लिए विषय-समिति कम-से-कम एक दिन का समय देगी।

कांग्रेस-अधिवेशन

धारा १४. (क) कांग्रेस-अधिवेशन साधारणतः प्रतिवर्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा निश्चित किये गये समय और स्थान पर होगा।

(ख) कांग्रेस-अधिवेशन के अंग निम्न होंगे:—

१. कांग्रेस के अध्यक्ष।

२. कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, बशर्ते कि उनमें धारा ४ में बताई गई योग्यताएँ हों।

३. धारा ६ के अनुसार चुने गये डेलीगेट और उपधारा 'ज' तथा १२ के अनुसार चुने गये प्रतिनिधि।

(ग) १. कांग्रेस-अधिवेशन पहले उन प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें स्वीकृति देगा, जिन्हें स्वीकार करने की सिफारिश विषय-समिति ने की होगी।

२. बाद में अधिवेशन ऐसे सारगर्भित प्रस्ताव पर विचार करेगा, जो धारा १४ की उपधारा 'ग' (१) में शामिल न हो; पर जिसे कांग्रेस के सामने उपस्थित करने की अनुमति ४० डेलीगेटों ने उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व अध्यक्ष से पत्र लिखकर माँगी हो, पर इसमें यह शर्त रहेगी कि ऐसे किसी प्रस्ताव के लिए अनुमति नहीं दी जायगी, जिस पर विषय-समिति की बैठक में पहले बहस न हो चुकी हो और जिसे विषय-समिति में उस समय उपस्थित सदस्यों में से कम-से-कम एक तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त न हुआ हो।

(घ) जिस प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी के कार्य-क्षेत्र में कांग्रेस-अधिवेशन होगा, वह कांग्रेस-अधिवेशन कराने के लिए ऐसी व्यवस्था करेगी, जो आवश्यक जान पड़े और इस काम के लिए वह एक स्वागत-समिति संगठित करेगी, जो इसके साधारण पथ-प्रदर्शन में काम करेगी और जिसमें ऐसे व्यक्ति भी रह सकेंगे, जो इसकी प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी के सदस्य न हों।

(ङ) स्वागत-समिति अपने सदस्यों में से अपना अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी चुनेगी।

(च) स्वागत-समिति अधिवेशन के खर्च के लिए धन-संग्रह करेगी और डेलीगेटों के स्वागत तथा उनके रहने का सब आवश्यक प्रबन्ध करेगी। साथ ही वह दर्शकों के लिए भी ज़रूरी

व्यवस्था कर सकेगी।

(छ) स्वागत-समिति का आय-व्यय का लेखा सम्बन्धित प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा नियुक्त एक या अनेक आडिटरों-द्वारा जाँचा जायगा और प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी कांग्रेस-अधिवेशन समाप्त होने के बाद तीन महीने के अन्दर आडिटर की रिपोर्ट के साथ आय-व्यय का लेखा कांग्रेस-कार्य-समिति के पास भेजेगी। स्वागत-समिति के पास बचा हुआ धन अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी और उस प्रांत की कांग्रेस कमेटी में बराबर-बराबर बाँट दिया जायगा।

विशेष अधिवेशन

धारा १५. (क) कांग्रेस का विशेष अधिवेशन तब होगा, जब अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी ऐसा निश्चय करे, या प्रांतीय कांग्रेस-कमेटियाँ बहुमत से विशेष प्रस्ताव पास कर कांग्रेस-अध्यक्ष से ऐसा अधिवेशन करने का अनुरोध करें।

(ख) ऐसे विशेष अधिवेशन की व्यवस्था उस प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा, जिसे कांग्रेस कार्य-समिति वैसा आदेश दे, उसी प्रकार की जायगी, जिस प्रकार कांग्रेस-अधिवेशन की की जाती है।

(ग) विशेष अधिवेशन के ठीक पहले हुए कांग्रेस-अधिवेशन के अध्यक्ष तथा डेलीगेट विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष और डेलीगेट होंगे।

अध्यक्ष का निर्वाचन

धारा १६. (क) कोई दस डेलीगेट अगले कांग्रेस-अधिवेशन के अध्यक्ष के चुनाव के लिए किसी डेलीगेट या कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष के, जिसमें धारा ११ में बताई गई योग्यताएँ हों, नाम का प्रस्ताव संयुक्तरूप से कर सकते हैं। वह प्रस्ताव कांग्रेस-कार्य-समिति-द्वारा निश्चित की गई तारीख पर या

उससे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के प्रधान-मन्त्री के पास पहुँच जाना चाहिए।

(ख) प्रधान मंत्री इस प्रकार प्रस्तावित सब व्यक्तियों के नाम प्रकाशित कर देंगे और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके नाम का प्रस्ताव इस प्रकार किया गया हो, प्रस्तावित नामों के प्रकाशन के बाद दस दिन के अन्दर प्रधान मन्त्री को इस बारे में लिखते हुए, उम्मेदवारी से अपना नाम वापिस ले सकने की स्वतन्त्रता होगी।

(ग) इसके बाद तुरन्त ही प्रधान मन्त्री उम्मेदवारी से हटे हुए व्यक्तियों के नाम निकाल कर शेष व्यक्तियों के नाम प्रकाशित करा देंगे तथा उसकी प्रति प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटियों के पास भेज देंगे। यदि नाम निकालने के बाद सिर्फ एक ही उम्मेदवार शेष रह जाय, तो उसी व्यक्ति को आगामी कांग्रेस-अधिवेशन का उचित-रूपेण निर्वाचित अध्यक्ष घोषित कर दिया जायगा।

(घ) अध्यक्ष के चुनाव के लिए कांग्रेस-कार्य-समिति-द्वारा निश्चित की गई तारीख पर, जो साधारणतः प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारों के नामों के अन्तिम प्रकाशन के कम-से-कम सात दिन बाद की होगी, प्रत्येक डेलीगेट, यदि उम्मेदवारों की संख्या दो से अधिक न हो तो, बैलेट-प्रथा-द्वारा, अन्यथा नीचे लिखे तरीके के अनुसार वोट देने का अधिकारी होगा:——

यदि उम्मेदवारों की संख्या तीन या इससे अधिक हो, तो प्रत्येक डेलीगेट वोट के पर्चे पर, जिसमें सब उम्मेद-वारों के नाम होंगे, उन उम्मेदवारों के नाम के सामने जिन्हें वह वोट दे रहा हो १,२,३, आदि अंक लिखकर कम-से-कम तीन तरजीह दिखायेगा। डेलीगेट चाहें तो तीन से

ज्यादह तरजीहें भी दे सकते हैं; लेकिन वोट के जिन पर्चों पर तीन से कम तरजीहें होंगी, उन्हें बेज़ाब्ता समझा जायगा।

(ङ) प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी तुरन्त इसकी सूचना अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी को देगी कि हरएक उम्मेदवार को कितने और किस दर्जे की तरजीह के वोट मिले हैं।

(च) ऐसी सूचनाएँ मिलने के बाद प्रधान मन्त्री यथासम्भव शीघ्र ही सबसे कम वोट पाने वाले उम्मेदवारों के नाम एक-एक करके निकाल कर उस उम्मेदवार को मनोनीत-अध्यक्ष घोषित करेंगे, जिसे कुल पड़े हुए वोटों की संख्या के ५० प्रतिशत से ज्यादह वोट मिले हों।

(छ) यदि प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारों की संख्या सिर्फ दो ही हो, तो प्रधान मन्त्री जिस उम्मेदवार को अधिक वोट मिले होंगे उसी का नाम मनोनीत-अध्यक्ष के तौर पर घोषित करेंगे।

(ज) किसी कारण, उदाहरणार्थ उपर्युक्त रीति से निर्वाचित-अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने या पद-त्याग करने के कारण विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाने पर प्रधान मन्त्री उपर्युक्त रीति से डेलीगेटों-द्वारा नया निर्वाचन कराने के लिए तुरन्त तारीख निश्चित करेंगे। यह कार्य-प्रणाली सम्भव न जान पड़ने पर अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी अध्यक्ष का चुनाव करेगी।

कांग्रेस-कार्य-समिति

धारा १७. (क) कांग्रेस-कार्य-समिति में कांग्रेस-अधिवेशन के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और एक अथवा एक से ज्यादह मन्त्रियों समेत १८ सदस्य होंगे। कार्य-समिति के सभी सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष-द्वारा सामान्यतः अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी

के सदस्यों में से ही की जायगी ; पर यदि कोई सदस्य इस प्रकार नियुक्त किया भी जाय, तो वह अगले छह महीनों के अन्दर अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी का सदस्य न चुने जाने की दशा में कार्य-समिति का सदस्य न रह जायगा। कार्य-समिति में मन्त्रित्व का पद सम्भालने वाले सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक न होगा।

(ख) कार्य-समिति कांग्रेस की सबसे बड़ी कार्य-कारिणी-समिति (संस्था) होगी और इस नाते उसे कांग्रेस तथा अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा निर्धारित नीति व कार्य-क्रम को कार्यान्वित करने का अधिकार होगा और वह अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के प्रति उत्तरदायी होगी।

(ग) कार्य-समिति अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी की प्रत्येक बैठक में उसकी पिछली बैठक की कार्रवाइयों का विवरण और इस बैठक की विषय-सूची (एजेंडा) रखेगी और सदस्यों के ऐसे प्रस्तावों के विचार के लिए समय निर्धारित करेगी, जिनकी उचित सूचना अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के सदस्यों ने इस सम्बन्ध में बने नियमों के अनुसार दे दी हो।

(घ) कार्य-समिति सब कांग्रेस-कमेटियों और संगठनों के रिकार्ड, कागज़ात और बहीखातों की जाँच करने के लिए एक या एक से अधिक आडिटरों और इंसपेक्टरों की नियुक्ति करेगी और ये कांग्रेस-कमेटियाँ तथा संगठन उन आडिटरों एवं इंसपेक्टरों की सब तरह की जानकारी और उन्हें अपने सब दफ्तरों, हिसाब और रिकार्डों के निरीक्षण करने की सुविधा देंगे।

(ङ) कार्य-समिति को निम्न अधिकार होंगे :—

(१) होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के सामने

अन्तिम स्वीकृति के लिए पेश किये जाने वाले प्रस्तावों का बनाना और आवश्यकतानुसार ऐसे आदेश जारी करना, जो कि विधान और विधान को सुचारु रूप से चलाने के लिए बनाये गये नियमों से असंगत न हों तथा ऐसे सब मामलों में आदेश देना, जिनके लिए किसी और तरह से अधिकार नहीं दिया गया हो।

(२) अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के अतिरिक्त सब कांग्रेस कमेटियों का निरीक्षण करना, आदेश देना तथा उनका नियंत्रण करना।

(३) किसी कमेटी अथवा व्यक्ति के खिलाफ़ आचार-भ्रष्टता, जान-बूझ कर कर्तव्य-पालन की उपेक्षा या कर्तव्य-पालन का उल्लंघन करने पर अनुशासन-सम्बन्धी कार्रवाई करना।

(च) जो प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी कांग्रेस-अधिवेशन का आयोजन करेगी, कार्य-समिति उसे अधिवेशन की समाप्ति के एक पक्ष तक डेलीगेटों के शुल्क से प्राप्त हुई रक़म का १/५ वाँ हिस्सा देगी।

(छ) कार्य-समिति अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा नियुक्त किये हुए आडिटर से अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के हिसाब को प्रतिवर्ष आडिट करवाने की व्यावस्था करेगी।

कोष

धारा १८. कोषाध्यक्ष कांग्रेस के कोष का व्यवस्थापक होगा और वह रकमों के लगाये जाने, आमदनी तथा खर्चे का ठीक-ठीक हिसाब रक्खेगा।

प्रधान मन्त्री

धारा १९. (क) प्रधान मंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के व्यस्थापक होंगे।

(ख) कांग्रेस-अधिवेशन की कार्रवाइयों की रिपोर्ट के साथ

अधिवेशन के आडिट किये हुए हिसाब की रिपोर्ट तैयार करवाने की भी जिम्मेवारी प्रधान मंत्रियों की होगी और यह रिपोर्ट यथासम्भव शीघ्र ही प्रकाशित की जायगी।

(ग) प्रधान मन्त्री अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी और कार्य-समिति के कार्य की रिपोर्ट तैयार करेंगे और व्यवस्थित किये जाने वाले फंड के आडिट किये हुए हिसाब के विवरण के साथ उसे अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के सामने रखेंगे।

प्रमाण-समिति

धारा २०. (क) प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी की प्रथम साधारण बैठक अपने उपस्थित होकर वोट देने वाले सदस्यों के कम-से-कम तीन चौथाई बहुमत से एक प्रमाण-समिति बनायेगी। इस समिति के सदस्यों की संख्या कम-से-कम तीन और अधिक-से-अधिक पाँच होगी और समिति के ये सदस्य अपनी सदस्यता की अवधि में किसी भी कांग्रेस-चुनाव के लिए उम्मेदवार न खड़े हो सकेंगे।

(ख) प्रत्येक प्रमाण-समिति तब तक अपना कार्य-भार सँभाले रहेगी, जब तक नई प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा उसकी जगह उसी ढङ्ग की दूसरी समिति नहीं नियुक्त करदी जाती।

(ग) यदि कोई प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी कार्य-समिति-द्वारा निश्चित की गई एक नियत तारीख तक ऐसी समिति न बना सके, तो समिति की नियुक्ति कार्य-समिति करेगी।

(घ) प्रमाण-समिति अपनी पहली बैठक में प्रधान का निर्वाचन करेगी और अपने कार्य को चलाने के तरीके के नियम बनायेगी तथा उनकी एक प्रति प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी के पास भेजेगी, बशर्ते कि तरीके के वे नियम विधान और

इस विषयक कार्य-समिति-द्वारा बनाये गये नियमों से असंगत न हों।

(ङ) प्रत्येक जिला-कांग्रेस-कमेटी अपनी साधारण बैठक में उपस्थित होकर वोट देने वाले सदस्यों के कम-से-कम तीन चौथाई बहुमत से तीन सदस्यों की एक सूची बनायेगी और उसे प्रान्तीय प्रमाण-समिति के पास भेज देगी, जो कि प्रत्येक जिले के लिए अधिक-से-अधिक तीन व्यक्तियों की एक प्रमाण-समिति नियुक्त करेगी। जिले की इन प्रमाण-समितियों का कोई सदस्य अपनी प्रमाण-समिति की सदस्यता की अवधि में किसी भी ऐसी समिति के चुनाव के लिए उम्मेदवार न खड़ा हो सकेगा।

(च) प्रान्तीय और जिला-प्रमाण-समितियाँ कांग्रेस की 'योग्य' और 'कर्मठ', सदस्यता के लिए आये हुए प्रार्थना-पत्रों की जाँच और यदि उस पर कोई एतराज हो, तो विचार और निर्णय कर सकेगी।

अदालतें

धारा २१. (क) प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी अपनी पहली साधारण बैठक में उपस्थित होकर वोट देने वाले सदस्यों के कम-से-कम चौथाई बहुमत से एक चुनाव-अदालत की नियुक्ति करेगी। इस चुनाव में अदालत के सदस्यों की संख्या कम-से-कम तीन और अधिक-से-अधिक पाँच होगी और कोई भी सदस्य अपने कार्य-काल की अवधि में किसी भी कांग्रेस-चुनाव के लिए उम्मेदवार न खड़ा हो सकेगा। प्रत्येक जिला-कांग्रेस-कमेटी अपनी साधारण बैठक में उपस्थित होकर वोट देने वाले सदस्यों के कम-से-कम तीन चौथाई बहुमत से तीन सदस्यों की एक सूची बनायेगी और उसे प्रान्तीय अदालत विभिन्न जिला-कांग्रेस-कमेटियों-द्वारा भेजी गई इन सूचियों

के नामों में से प्रत्येक ज़िले की जिला-चुनाव-अदालत के लिए एक अथवा अनेक ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगी, जिनका कार्य जिले के पदाधिकारियों के चुनाव और निर्वाचित कमेटियों के सदस्यों के झगड़े सुनना तथा उन्हें निपटाना होगा, बशर्ते कि इस प्रकार नियुक्त हुआ कोई भी व्यक्ति अपने कार्य-काल की अवधि में किसी भी कांग्रेस-चुनाव के लिए उम्मेदवार न खड़ा हो। यदि कोई जिला-कांग्रेस-कमेटी प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उपरोक्त सूची नहीं भेज पायेगी, तो ऐसे जिले के लिए प्रान्तीय चुनाव-अदालत-जिला-चुनाव अदालत की नियुक्ति करेगी, जिसकी सदस्य-संख्या प्रत्येक जिले के लिए तीन से अधिक न होगी।

(ख) साधारणतः प्रत्येक प्रान्तीय और जिला-चुनाव-अदालत तीन वर्ष तक अथवा जब तक नई प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा किसी दूसरी अदालत की नियुक्ति नहीं करदी जाती, अपना कार्य करती रहेगी।

(ग) यदि कोई प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी कार्य-समिति-द्वारा निर्धारित नियत तारीख तक अपने प्रान्त में चुनाव-अदालत की नियुक्ति नहीं करती, तो उस प्रान्त में कार्य-समिति उसकी नियुक्ति करेगी।

(घ) प्रान्तीय चुनाव-अदालत अपनी पहली बैठक में प्रधान का चुनाव करेगी और अपने कार्य को चलाने के तरीके के नियमों के साथ-साथ जिला-चुनाव-अदालतों के नियम भी बनायेगी एवं उनकी एक प्रति प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी को भेजेगी, बशर्ते कि तरीके के ये नियम कार्य-समिति-द्वारा बनाये गये नियमों से असंगत न हों।

(ङ) प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी एक ही व्यक्ति को प्रमाण-समिति

या चुनाव-अदालत के सदस्य के रूप में पूरे तौर से या कुछ समय के लिए चुनने में स्वतन्त्र होगी। प्रमाण-समिति या चुनाव-अदालत के किसी रिक्त स्थान की पूर्ति उसी संस्था के बाकी सदस्यों-द्वारा की जायगी।

एतराज

धारा २२. (क) कोई व्यक्ति, जिसका नाम छूट गया हो या गलती से 'योग्य' व 'कर्मठ' सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया हो अथवा जिसे उसमें किसी नाम के दर्ज करने पर आपत्ति हो, किसी नाम के दर्ज करने या छूट जाने के लिए युक्तियाँ देते हुए उन व्यक्ति या व्यक्तियों के पास, जिन्हें जिला-प्रमाण-समिति-द्वारा इस विषय का अधिकार सौंप दिया गया है, प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी की कार्य-कारिणी-द्वारा तय की गई तारीख पर या उससे पहले अपना लिखित एतराज भेज सकेगा।

(ख) एतराज उठाने वाले और किसी दूसरी सम्बन्धित पार्टी की सुनवाई कर लेने के पश्चात् जिला-प्रमाण-समिति किसी व्यक्ति के नाम को मत-दाताओं की सूची में दर्ज करने, बदलने या छोड़ देने की हिदायत कर सकती है।

(ग) ऐसा करने से पूर्व जिला-प्रमाण-समिति सारी कार्रवाई का संक्षिप्त रिकार्ड तैयार करेगी और यदि कोई संशोधन हो, तो उसके लिए उचित हिदायत देते हुए अपने आर्डर की एक प्रति सम्बन्धित कांग्रेस-कमेटी के पास भेजेगी, जोकि इस पर उचित कार्रवाई करेगी। कोई व्यक्ति जिसे जिला-प्रमाण-समिति के आर्डर से नाराज़गी हो, आर्डर के पास होने के १५ दिन के अन्दर प्रान्तीय प्रमाण-समिति के पास अपील कर सकेगा।

चुनाव-विषयक झगड़े

धारा २३. (क) प्रत्येक मत-दाता को यह अधिकार होगा कि वह चुनाव के सम्बन्ध में बने नियमों के अनुसार अपने निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले चुनाव के विषय में उस चुनाव के परिणाम की घोषणा हो जाने के सात दिन के अन्दर जिला-चुनाव-अदालत के सामने शिकायत कर सके। जिला-चुनाव-अदालत शिकायत की जाँच करेगी और शीघ्र ही सम्बन्धित पक्षों के पास अपना निर्णय भेज देगी।

(ख) जब तक जिला-अदालत-द्वारा किसी चुनाव के बारे में निर्णय नहीं दे दिया जाता, तब तक जो व्यक्ति चुना जा चुका है, वही उचितरूपेण निर्वाचित व्यक्ति समझा जायगा।

(ग) कोई भी पक्ष जिला-अदालत के आर्डर देने के १५ दिन के अन्दर प्रान्तीय चुनाव-अदालत में अपील कर सकता है। प्रान्तीय चुनाव-अदालत का निर्णय अन्तिम निर्णय समझा जायगा।

(घ) चुनाव लड़ने और उस बारे में एतराज उठाने, उन्हें रद्द करने एवं शिकायतों और अपीलों के विषय में नियम बनाने का कांग्रेस-कार्य-समिति को अधिकार होगा।

(ङ) प्रान्तीय चुनाव-अदालत को यह अधिकार होगा कि वह अपनी तरफ से, जिला-अदालत की रिपोर्ट पर या प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी की तरफ से अथवा किसी सम्बन्धित पक्ष की तरफ से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसने किन्हीं चुनावों के लड़ने, सदस्यों के रजिस्टर रखने या उन्हें भरती करने में अनुचित ढंग से काम लिया हो, अथवा उसने जान बूझकर झूठी शिकायत व एतराज किया हो, किसी भी चुनाव के लिए उम्मेदवार खड़ा होने के अयोग्य करार दे सके या जितने समय के लिए वह न्याय्य व उचित समझे,

कांग्रेस से पृथक् भी कर सके। इस धारा के अनुसार प्रान्तीय चुनाव अदालत के आर्डर पर कांग्रेस-कार्य-समिति के पास अपील की जा सकेगी।

रिक्त स्थान

धारा २४. अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी अथवा प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी के किसी डेलीगेट या सदस्य का पद, त्याग-पत्र देने, मृत्यु हो जाने या सम्बन्धित कांग्रेस-कमेटी की विशेष आज्ञा के बग़ैर भारत से लगातार छः मास तक अनुपस्थित रहने अथवा जिस कमेटी का वह सदस्य है उसकी तीन बैठकों से लगातार स्वयं को अनुपस्थित रखने पर, खाली समझा जायगा और इस प्रकार खाली हुई जगहें उसी ढंग से भरी जायेंगी, जिस ढंग से अपने स्थान को खाली करने वाले सदस्य चुने गये थे। कार्य-समिति के रिक्त स्थान की पूर्ति अध्यक्ष द्वारा की जायगी।

जन-गणना और भिन्नांक

धारा २५. (क) विगत जन-संख्या तथा बालिग मत-दाताओं की नवीनतम सूची कांग्रेस की सभी गति-विधियों का आधार होगी।

(ख) जहाँ पर भिन्नांकों के मूल्यांकन का प्रश्न उठे, वहाँ 1/2 तथा उससे अधिक को एक और आधे से कम को शून्य माना जायगा।

झण्डा

धारा २६. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झण्डा तिरंगा (केसरिया, सफेद और हरा) होगा और उसके मध्य में चर्खा होगा तथा इसे हाथ-कते, हाथ-बुने कपड़े से बनाया जायगा।

पार्लामेन्ट्री बोर्ड

धारा २७. (क) कार्य-समिति कांग्रेस की धारा-सभाओं के दलों की पार्लामेंट्री गति-विधियों को नियमित तथा परस्पर सम्बद्ध

करने की दृष्टि से एक पार्लामेंट्री बोर्ड बनायेगी, जिसमें कांग्रेस-अध्यक्ष के अतिरिक्त पाँच सदस्य और होंगे और कांग्रेस-अध्यक्ष इसके सभापति होंगे। यह बोर्ड पार्लामेंट्री गति-विधियों के बारे में नियम बनायेगा।

(ख) एक केन्द्रीय चुनाव-समिति का निर्माण किया जायगा, जिसमें पार्लामेन्ट्री बोर्ड के सदस्यों के अलावा (१) चुनाव लड़ने और (२) प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारा-सभाओं के उम्मेदवारों का अन्तिम चुनाव करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी-द्वारा चुने गये पाँच और सदस्य शामिल होंगे।

(ग) प्रान्तीय चुनाव-समितियाँ अपनी प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटियों के साधारण इजलास-द्वारा चुनी जायेंगी। वे प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारा-सभाओं के उम्मेदवारों के नामों की सिफारिश करेंगी और एतराजों तथा अपीलों की सुनवाई के पश्चात् केन्द्रीय चुनाव-समिति उनका अन्तिम चुनाव करेगी।

विधान में परिवर्तन

धारा २८. लागू होने वाले इस विधान में तभी कोई संशोधन, परिवर्तन व परिवर्द्धन हो सकेगा, जब कि कांग्रेस चाहे अथवा कांग्रेस की तरफ से अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी को ऐसा करने का अधिकार दे दिया जाय, बशर्ते कि उसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी की उस बैठक में उपस्थित होकर वोट देने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत प्राप्त हो और प्रस्तावित परिवर्तन की सूचना प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम-से-कम एक महीना पहले दी जा चुकी हो।

जिन्होंने कांग्रेस के पहले विधान को पढ़ा है, उन्हें इस नये विधान के पढ़ने से मालूम हो जायगा कि कांग्रेस के इस नये ढाँचे के द्वारा

उसके गणतंत्रात्मक स्वरूप को अधिक विस्तृत कर दिया गया है और इसे गांधीजी के आदर्शवाद के अधिकतर निकट ला देने का प्रयत्न किया गया है।

इस विधान को देखते हुए हम आशा कर सकते हैं कि कांग्रेस भारत के भावी विकास में अब भी अपनी पूरी शक्ति लगाती रहेगी और प्रत्येक अवस्था में वह देश की सब से बड़ी राजनीतिक पार्टी रहेगी ही। कांग्रेस के इस विधान में प्रगतिवाद के सभी बीज मौजूद हैं और वह संसार के राष्ट्रों की दौड़ में भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपना समुचित प्रदर्शन करने में कोई कसर न उठा रखेगी।

कांग्रेस के पदाधिकारी

चौदह

जब तक कांग्रेस के सम-सामयिक पदाधिकारियों के नाम और पते न दिये जायें, तब तक कांग्रेस का यह इतिहास अधूरा ही रह जायगा। भूतकाल में जिन सज्जनों ने कांग्रेस का झण्डा ऊँचा रखा है, वे इतिहास के पन्नों में अमर रहेंगे। इस महान् संस्था की नींव जमाने में कितने ही ऐसे अज्ञात व्यक्तियों का हाथ रहा है, जिनका आज कोई नाम भी नहीं जानता; किन्तु उनके अपने समय के कार्य को कोई तुच्छ और सामान्य नहीं कह सकता। इसी प्रकार आज के कांग्रेस-जन भावी भारत का निर्माण कर रहे हैं; इसलिए न तो उनके कार्य-कलाप को तुच्छ समझा जा सकता है और न उनका नाम भुलाया जा सकता है। इन कांग्रेस-जनों में प्रारम्भिक सदस्य से लेकर राष्ट्रपति तक सभी परिगणनीय और नामोल्लेख-योग्य हैं; किन्तु स्थानाभाव के कारण यहाँ राष्ट्रपति और उनकी कार्य-कारिणी कमेटी के सदस्यों, अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के सदस्यों और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के प्रमुख अधिकारियों के नाम और पते (१९४८ की सूची के अनुसार) क्रमशः नीचे दिये जाते हैं—

अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी के सदस्यों के नाम और पते

अजमेर—सदस्य-संख्या ५

१ श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा, कैसरगंज, अजमेर

२ श्री बालकृष्ण कौल, श्रीनगर रोड, अजमेर

३ श्री जौहरीलाल झांझरिया, २१, महात्मा गांधी रोड, इन्दौर

४ श्री कन्हैयालाल खादीवाला, खजूरी बाजार, इन्दौर

५ श्री रतनलाल उपाध्याय, मगारची बाखल, इन्दौर

आन्ध्र—सदस्य-संख्या २४

१ श्री गौतू लतचन्ना, बरूवा, जिला उत्तरीय विजगापट्टम्
२ ,, जे० कृष्णमूर्ति, आन्ध्र-कांग्रेस-कमेटी, बरहामपुर, जिला गंजाम
३ ,, एम० जगन्नाथन्, महारानीपेट, विजगापट्टम्
४ ,, के० सुब्बाराजू, अनाकापल्ली जिला विजगापट्टम्
५ ,, पी० माधववर्म्मा जोन्नावलासा, वाया विजगापट्टम्,
जिला विजगापट्टम्
६ श्री एम० पल्लामाराजू, एम० एल० ए०, सूर्यरावपेट, कोकोनाडा
७ ,, काला बैंकटराव, रेवेन्यू मिनिस्टर, गवर्नमेंट हाउस, मद्रास
८ ,, चल्ला आप्पाराव, पेड्डापुरम्, जिला ईस्ट गोदावरी
९ ,, टी० सत्यनारायण मूर्ति, पिप्पारा, वाया टाडापल्लीगुडेम,
पश्चिम गोदावरी
१० श्री बलराम कृष्णय्या, संयुक्त मंत्री, आन्ध्र-प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी,
सूर्यरावपेट, बेजवाड़ा
११ श्री बी० पट्टाभि सीतारामय्या, १९, केनिंग लेन, नई दिल्ली
१२ ,, ए० कालेश्वरराव, एम० एल० ए०, बेजवाड़ा
१३ ,, एन० जी० रंगा, निदुब्रोलू, जिला गन्टूर
१४ ,, कोडान्दरमा रेड्डी, ठोटापल्लिगुडुरू, डाकखाना नेल्लोर
१५ ,, टी० प्रकाशम्, एम० एल० ए०, गवर्नमेंट हाउस, मद्रास
१६ ,, एन० वी० रामा नायडू, पाकला, जिला चित्तूर
१७ ,, सी० एल० नरसिंह रेड्डी, कुदप्पा
१८ ,, के० ब्रह्मानन्द रेड्डी, एम० एल० ए०, नारसरावपेट, जिला गन्टूर
१९ ,, के० कोटी रेड्डी, एम० एल० ए०, बैरिस्टर, कुदप्पा
२० ,, पी० रंगा रेड्डी, अनुमालमाडु, वाया गिद्दलूर, जिला कुरनूल
२१ ,, एन० शङ्कर रेड्डी, एम० एल० ए०, कुरनूल
२२ ,, एन० संजीवी रेड्डी, एम० एल० ए० इल्लूर, डाकखाना पामिदी
जिला अनन्तपुर

२३ श्री ए० सत्यनारायण राजू, एम० एल० ए०, जुन्नूर, जिला पश्चिम गोदावरी

२४ श्री ए० सी० सुब्बा रेड्डी, कापू स्ट्रीट, नेल्लोर

आसाम—स० सं० ६

१ श्री गोपीनाथ बारदोलाई, एम० एल० ए०, शिलांग

२ ,, कामाख्याप्रसाद त्रिपाठी, प्रिंसिपल दारां कालेज, तेजपुर (आसाम)

३ ,, देवेश्वर शर्मा, प्रधान, आसाम प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी, गोहाटी

४ ,, रोबिन काकाटी, कांग्रेस-दफ़्तर, शिबसागर (आसाम)

५ ,, अक्षयकुमार दास, बी० एल०, बारपेटा (आसाम)

६ ,, महेन्द्रनाथ हजारिका, राहा (नौगौंग)

७ ,, रोहिनीकुमार चौधरी, सदस्य, भारतीय विधान-परिषद्, गोहाटी

८ ,, मौलाना तैयबुल्लाह एम० एल० ए०, शिलांग

९ ,, श्रीमन् प्रफुल्ल गोस्वामी, डाकखाना नलबारी

बंगाल—स० सं० ४७

१ श्री सुधीरचन्द्र राय चौधरी, ५१, बद्रीदास टैम्पल स्ट्रीट, कलकत्ता

२ श्री कालीपाद मुखर्जी, १६, गोकुल बोरल स्ट्रीट, कलकत्ता

३ ,, किरणशङ्कर राय, ८ थियेटर रोड, कलकत्ता

४ ,, तारकदास बनर्जी, कृष्णनगर, नदिया

५ ,, पन्नालाल मित्रा, ९ सी, हलधर वर्द्धन लेन, कलकत्ता

६ ,, डा० प्रतापचन्द्र गुहा राय, ५१ कालीघाट रोड, कलकत्ता

७ ,, डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष, ६ सुरेन टैगोर रोड, बालीगंज कलकत्ता

८ श्री सुरेन्द्रमोहन घोष, १०, सबर्बन स्कूल रोड, कलकत्ता

९ डाक्टर सुरेशचन्द्र बनर्जी, ६ ए, महेन्द्र सरकार स्ट्रीट, कलकत्ता

१० श्री सुशीलकुमार बनर्जी, १६, हेमचन्द्र बनर्जी लेन, शिवपुर, हावड़ा (कलकत्ता)

११ श्री अजयकुमार मुखर्जी, डाकखाना तामलुक, मिदनापुर

१२ ,, अतुल्य घोष, ५१, कर्बला टैंक लेन, कलकत्ता

१३ ,, अनिलचन्द्र बनर्जी, ४४, मानिकतल्ला मुख्य सड़क, कलकत्ता
१४ ,, अन्नदाप्रसाद चौधरी, सी २८, कालेज स्ट्रीट मार्केट, कलकत्ता
१५ ,, अरुणचन्द्र गुहा, ३२, अपर सरक्यूलर रोड, कलकत्ता
१६ ,, केदारनाथ भट्टाचार्य, ८१, मनोहरपुकर रोड, कलकत्ता
१७ ,, चारुचन्द्र भंडारी, डायमंड हारबर, २४, परगना, कलकत्ता
१८ ,, चारुचन्द्र महन्ती, डाकखाना दातन, मिदनापुर
१९ ,, दाशरथी चौधरी, १०—बालीगंज गार्डन, कलकत्ता
२० ,, दाशरथी ता, कांग्रेस-कार्यालय, बर्दवान
२१ ,, दुर्गापाद सिन्हा, डाकखाना जयगंज, मुर्शिदाबाद
२२ ,, नरेन्द्रनाथ सेन, ५२।१ बी. हिदाराम बनर्जी लेन, कलकत्ता
२३ ,, विजयसिंह नाहर, ४८, इण्डियन मिरर स्ट्रीट, कलकत्ता
२४ ,, विद्युत्बोस, पी–३८७, लेक टैम्पल रोड, कलकत्ता—२९
२५ ,, विपिनबिहारी गांगुली, ५५, सरपैन्टाइन लेन, कलकत्ता
२६ ,, शचीन्द्रलाल कारगुप्त, १०—बी, जनक रोड, कलकत्ता
२७ ,, सुबोधकुमार मिश्रा, कांग्रेस-कार्यालय, मालदा
२८ ,, प्रफुल्लनाथ बनर्जी, डाकखाना नईहाती, २४—परगना
२९ ,, प्रफुल्लचन्द्र सेन, ५१, कर्बला टैंक लेन, कलकत्ता
३० ,, सीताराम सेकसरिया, १३२।१ हरीसन रोड, कलकत्ता
३१ ,, अब्दुस्सत्तार, कांग्रेस-कार्यालय, बर्दवान
३२ ,, अमरकृष्ण घोष, ११६, विवेकानन्द रोड, कलकत्ता
३३ ,, उमेशलालसिन्हा, अगरतला, त्रिपुरा इस्टेट,
३४ ,, कुमारचन्द्र जाना, गांधी-आश्रम, वासुदेवपुर, डा० शिवरामनगर, मिदनापुर
३५ श्री ज्ञानेन्द्रनाथ सेन गुप्ता, कांग्रेस-कार्यालय, डाकखाना खागरा, मुर्शिदाबाद
३६ श्री निकुञ्जबिहारी मैत्र, पी–१४, दुर्गाचरण मित्रा स्ट्रीट, कलकत्ता
३७ ,, फकीरचन्द्र राय, खन्ना हाउस, बर्दवान

३८ ,, भूपति मजूमदार, १।१ हेरम्बादास लेन, कलकत्ता
३९ ,, रामसुन्दरसिंह, गर्बेटा, मिदनापुर
४० ,, लालबिहारीसिंह, डाकखाना जाजिगराम, वीरभूम
४१ ,, लावण्यप्रभा दत्त, १०, सबर्बन स्कूल रोड, कलकत्ता
४२ ,, श्यामानन्द सेन, ६–ए, बलराम घोष स्ट्रीट, कलकत्ता
४३ ,, सत्यनारायण मिश्रा, १२, काटन स्ट्रीट, कलकत्ता
४४ ,, सुधीरकुमार घोष, १७ बोसपाड़ा लेन, कलकत्ता
४५ श्री सुरेशचन्द्र दास, २४ । ४ रसा रोड, कलकत्ता
४६ ,, हरिपाद चटर्जी, साहबनगर, नदिया
४७ ,, तेजपाल चटर्जी, बांकुरा (स्कूल डांगा)

बिहार—स० सं० ४५

१ श्री कृष्णवल्लभसहाय, रेवेन्यू मिनिस्टर, बिहार-सरकार (पटना)
२ ,, पं० प्रजापति मिश्र, प्रधान-प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी, सदाकत आश्रम, पटना
३ ,, स्वामी सहजानन्द सरस्वती, सीताराम आश्रम, डाकखाना बिहटा, जिला पटना
४ ,, विपिनबिहारी वर्म्मा, व्यवस्थापक, बेतिया-राज्य, डाकखाना बेतिया जिला चम्पारन
५ ,, महामायाप्रसादसिन्हा, जमाल रोड, जी० पी० ओ०, पटना
,, योगेश्वरप्रसाद खालिस, राजेन्द्र-आश्रम, गया।
७ ,, गौरीशंकर ओझा, जिला कांग्रेस-कमेटी, डाकखाना डालटनगंज जिला पलामू
८ ,, प्रभुनाथसिन्हा, मार्फत श्री भुवनेश्वरसिन्हा, वकील, छपरा, जिला सारन
९ ,, श्रीकृष्णसिन्हा, प्रधान मन्त्री, बिहार-सरकार, पटना
१० ,, शिवधारी पाण्डेय, गाँव बरिआरिया, डाकखाना संग्रामपुर, जिला चम्पारन

११ ,, नन्दकुमारसिन्हा, मन्त्री, बिहार प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी, पटना।
१२ ,, अनुग्रहनारायणसिन्हा, अर्थ-मन्त्री बिहार-सरकार, पटना।
१३ ,, रामनारायणसिन्हा, गांव रामनगर, डाकखाना हजारीबाग, जिला हजारीबाग।
१४ ,, आनन्दचन्द्र मिश्रा, गांव ढाकजारी, डाकखाना बेनीपट्टी, जिला दरभङ्गा।
१५ ,, शिवनन्दनप्रसाद मण्डल, पार्लामैण्ट्री सेक्रेटरी, बिहार-सरकार, पटना।
१६ ,, वैद्यनाथप्रसाद चौधरी, मन्त्री बिहार प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी, पटना।
१७ ,, ब्रजबिहारीप्रसाद, बिहार-खादी-समिति, मुजफ्फरपुर।
१८ ,, कृतिनारायणसिन्हा, थाना-कांग्रेस-कमेटी, डाकखाना बांका, जिला भागलपुर।
१९ ,, विनोदानन्द झा, मन्त्री, बिहार-सरकार, पटना।
२० ,, श्रीराम भगत गांव हिरहा, डाकखाना लोहारडग्गा, जिला रांची।
२१ ,, बुद्धिनाथ झा, कैराव कांग्रेस कमेटी दफ्तर, डाकखाना गोड्डा, जिला सन्थाल परगना।
२२ ,, जगजीवनराम, श्रम-मन्त्री, केन्द्रीय सरकार, ३, क्वीन विक्टोरिया रोड, नई दिल्ली।
२३ ,, हरगोविन्द मिश्रा, एम०एल०ए०, डा०आरा, जिला शाहाबाद।
२४ मौ० मंजूरअहसान अज़ाज़ी, गाँव तिनकोठिया, मुजफ्फरपुर।
२५ ,, अहदअहमद नूर, पार्लामैण्ट्री सेक्रेटरी, बिहार-सरकार, पटना।
२६ श्री सत्यनारायणसिन्हा, गाँव व डाकखाना शम्भुपट्टी, जिला दरभंगा।
२७ मौ० नूरुल्लाह साहब, खनकाऊ, मुंगेर।
२८ श्री माइकेल जोहन, लेबर यूनियन, १७, के रोड, जमशेदपुर, जिला सिंहभूम।
२९ ,, रामनिरीक्षणसिन्हा, ग्राम समस्या, डा० कल्याणपुर, जिला दरभंगा

३० ,, अनथकांत वसु, कांग्रेस-दफ्तर, किशनगंज, जिला पूरनिया।
३१ ,, जागेश्वर मंडल, मन्त्री, जिला कांग्रेस-कमेटी, भागलपुर।
३२ ,, जगतनारायणलाल, कदमकुआं, पटना।
३३ ,, बुद्धनराय वर्मा, डिहारी, डा० चिलबिला, जिला शाहाबाद।
३४ ,, शत्रुघ्नशरणसिन्हा, चैयरमैन, जिला कांग्रेस-बोर्ड, गया।
३५ ,, रामचरित्रसिन्हा, मन्त्री, बिहार-सरकार, पटना।
३६ ,, श्री रामविनोदसिन्हा, गांव मलखाचक, डा० डिघवाड़ा, जिला सारन।
३७ श्रीमती रामदुलारीसिन्हा, गांव दुमड़ी, डा० सीतामढ़ी, जिला मुजफ्फरपुर।
३८ श्री नंदकिशोरनारायण डा० सिवान, जिला सारन।
३९ ,, अवधेश्वरप्रसादसिन्हा, गांव दहीला, डा० हसना, जिला मुजफ्फरपुर।
४० श्री श्रीनारायणदास, पंचायत प्रेस, डा० लहेरियासराय, जि० दरभंगा।
४१ ,, शास्त्री भोला पसवान, पार्लामेंट्री सेक्रेटरी, बिहार-सरकार, पटना।
४२ श्री देवशरणसिन्हा, डा० बाढ, जिला पटना।
४३ मौलाना शाह मोहम्मद उमर, पार्लामेंट्री सेक्रेटरी, बिहार-सरकार, पटना।
४४ श्री दासुसिन्हा, एडवोकेट, कदमकुआं, पटना।
४५ श्री सत्यदेवनारायणसिन्हा, गांव भवदेवपुर, डा० सीतामढ़ी, ज़िला मुज़फ्फरपुर।

बम्बई—स० सं० ६

१ श्री एस०के० पाटिल, कांग्रेस-भवन, विट्ठल भाई पटेल रोड, बम्बई ४
२ ,, के० एम० मुन्शी, २६, रिज रोड, बम्बई ६
३ ,, नगीनदास टी० मास्टर, ताहेर महल, २० वाकेश्वर रोड, बम्बई ६
४ ,, जी० एन० देसाई, ४३१, कालबादेवी रोड, फर्स्ट फ़्लोर, बम्बई २

५ ,, डा० टी० आर० नारायणे, सर्जिकल एंड मेटरनिटी होम, १८५, शिवाजी पार्क, लेडी जमशेदजी रोड, बम्बई २८

६ सरदार प्रतापसिंह, २६५, फ्रेरी रोड, फोर्ट, बम्बई १

दिल्ली—स० सं० ४

१ चौ० ब्रह्मप्रकाश, २८, पूसा रोड, करौल बाग़, दिल्ली।

२ श्री प्रेमजसराय, तिलक गली, काश्मीरी गेट, दिल्ली।

३ स्वामी स्वरूपानन्द, मारफत गांधी-सेवा-आश्रम, नरेला, दिल्ली।

४ श्री ला० ओंकारनाथ, "एम" ब्लाक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली।

गुजरात—सं० स० १७

१ श्री अर्जुनलाल, मालीज़ पोल, कालूपुर, (अहमदाबाद)

२ श्री कन्हैयालाल नानभाई देसाई, गोरीपुरा (सूरत)

३ ,, खांडूभाई कासनजी देसाई, मजूर-महाजन आफ़िस, लालदरवाज़ा, अहमदाबाद

४ ,, चन्द्रशंकर भट्ट, सेवाश्रम, भरूच।

५ ,, बाबूभाई जशभाई पटेल, नारंगकुई, नड़ियाद।

६ ,, मोरारजी रणछोड़जी देसाई, रिज हाउस, रिज रोड, मलाबार हिल, बम्बई।

७ ,, माधवलाल भाईलाल शाह, मातर (जिला खेड़ा)

८ ,, रामप्रसाद ठेकेदार, १४७, दोशीवाडा स्ट्रीट, कालुपुर (अहमदाबाद)

९ ,, लक्ष्मीदास श्रीकांत, भील-सेवा-मंडल, दोहाद (पंचमहाल)।

१० ,, मगनभाई शंकरभाई पटेल, सयाजीगंज, बड़ौदा।

११ ,, शिवाभाई आशाभाई पटेल, सत्याग्रह छावनी, बोरसद (जिला खेड़ा)

१२ ,, के० टी० देसाई, लाखिया स्ट्रीट, खादिया (अहमदाबाद)।

१३ ,, नरोत्तमभाई डाह्याभाई पटेल, पटीदार आश्रम, सूरत।

१४ ,, पुरुषोत्तमदास भोगीलाल पटेल, तिलक मैदान, गौमतीपुर (अहमदाबाद)

१५ ,, बलवन्तराय गोपालजी मेहता, कुमकुम, तख्तेश्वर प्लाट, भावनगर।

१६ ,, भक्तिलक्ष्मीबेन देसाई, जानी बिल्डिङ्ग नं० २, राजकोट (सौराष्ट्र)

१७ ,, नटवरलाल एम० पंडित, ग्राम विद्यामन्दिर, नरदीपुर (उत्तरी गुजरात)

केरल—स० सं० ८

१ श्री के० केलप्पन, केरल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, चेलापुरम्, कालीकट।

२ ,, के० ए० दामोदर मेनन, मातृभूमि आफ़िस, कालीकट।

३ ,, के० माधव मेनन, मन्त्री मद्रास सरकार, फोर्ट सेंट जार्ज, मद्रास।

४ ,, सी० के० गोविन्दन् नय्यर, एम० एल० ए, किलेन्डी (उत्तरी मलाबार)

५ ,, एन० सुन्दर अय्यर, एडवोकेट, ओत्तापलम् (दक्षिणी मलाबार)

६ ,, पोन्नार जी० श्रीधर, थायकाड, त्रिवेन्द्रम्।

७ ,, के० पी० माधवन् नायर, एरनाकुलम् मिल्स, एरनाकुलम्।

८ ,, जनाब ई० मोयदू मौलवी, अल-अमीन लाज, कालीकट।

कर्नाटक--स० सं० १०

१ श्री एम० पी० पाटिल, सेक्रेटेरियट, बम्बई।

२ ,, सी० जे० आम्बली, एम० एल० ए०, बीजापुर।

३ ,, एस० निजलिंगप्पा, प्रधान, कर्नाटक प्रांतीय कांग्रेस-समिति, हुबली।

४ ,, ए० ए० मन्डागी, एडवोकेट, ५५ गिरगाँव रोड, बम्बई-४

५ ,, एम० एल० ननजराज डरा, कृष्णराजनगर, मैसूर।

६ ,, दामोदर बालिगा, कार स्ट्रीट, मंगलोर।

७ ,, यू० श्रीनिवास मल्लियाह, मंगलोर।

,, आर० जी० दुबे, कवाली गेट, बीजापुर।

९ ,, टी० सुब्राह्मन्यम्, प्रधान, जिला कांग्रेस-समिति, बेलारी।
१० ,, आर० आर० दिवाकर, संयुक्त कर्नाटक, हुबली।

महाकौशल--स० सं० १२

१ सेठ गोविंददास, एम०सी० ए०, राजा गोकुलदास पैलेस, जबलपुर।
२ पं० आर०एस० शुक्ल, प्रधान मन्त्री, सी० पी० और बरार, नागपुर।
३ पं० डी० पी० मिश्र, गृह मन्त्री, सी० पी० और बरार, नागपुर।
४ पं० गिरिजाशंकर अग्निहोत्री, पार्लामेन्टरी सेक्रेटरी गृह-मन्त्री, नागपुर।
५ श्री बाबूलाल तिवारी, जवाहरगंज, खंडवा।
६ ,, महन्त लक्ष्मीनारायणदास एम० एल० ए०, पुरानी बस्ती, रायपुर
७ श्री बिहारीलाल पटेल, एम० एल० ए०, प्रभातपट्टन, डा० मुलताई, (ज़िला बेतूल)
८ ठाकुर छेदीलाल, एम० एल० ए०, बार-एट-ला०, बिलासपुर (सी० पी०)
९ श्री विश्वनाथराव तामस्कर, प्लीडर, द्रुग (सी० पी०)
१० ,, काशीप्रसाद पांडे, एम० एल० ए०, सिहोरा रोड, जिला जबलपुर।
११ ,, श्री महेशदत्त मिश्रा, हरदा (सी० पी०)
१२ ,, श्री निरंजनसिन्हा, यादेसुर, डा० करेली

महाराष्ट्र--स० सं० १५

१ श्री ए० जी आवते, ३६४।२ शिवाजीनगर, पूना--५
२ ,, अब्दुलकरीम लुंजे, १८८, शनिवार पेठ, शोलापुर।
३ ,, ए० वी० तिलक, पाँचवी लेन, धूलिया (प० खानदेश)
४ ,, जी० ए० देशपांडे, ७४, नारायण पेठ, पूना शहर।
५ ,, चपासी पुरुषोत्तम उर्फ शम्भू सेठ, डा० व मु० पनवेल जिला कोलाबा।
६ ,, देवकीनन्दन नारायण डा० व मु० जलगाँव, जिला पू० खानदेश।
७ ,, एन० वी० गाडगिल, २६, फीरोज़शाह रोड, नई दिल्ली।
८ ,, बी० पी० पवार, एम० एल० ए०, डा० कराड, जि० सतारा।

९ ,, बी० जी० खेर, प्रधान मन्त्री, फोर्ट, बम्बई ।
१० ,, बी० एस० हिरे, आगरा रोड, नासिक शहर ।
११ ,, रामानन्द स्वामी, मारफत सतारा ज़िला कांग्रेस कमेटी, सतारा शहर ।
१२ ,, शंकरराव देव, ३, इलेक्ट्रिक लेन, नई देहली ।
१३ ,, सीताराम एच० बिरला, डा० व मु० इरन्डोल, पू० खानदेश ।
१४ ,, एस० एस० महाजन, एम० एल० ए०, डा० व मु० मालवन, ज़िला रत्नागिरी ।
१५ ,, एल० एम० पाटिल, मिनिस्टर इंचार्ज, एक्साइज़ एंड रिकन्स्ट्रक्शन, सैक्रिटेरियट, फोर्ट, बम्बई ।

नागपुर--स० सं० ५

१ श्री एम० एस० कन्नमवर, प्रधान, नागपुर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, रंक भुवन, महल, (नागपुर) सी० पी०
२ ,, पूरनचंदजी रांका, सर्किल नं० २, शिरसपेठ, रंक कालोनी, नागपुर, सी० पी०
३ ,, चतुर्भुजभाई जासानी, एम० एल० ए०, गोंदिया तहसील, ज़िला गोंदिया, भंडारा, सी० पी०
४ ,, गोपालराव काले, एम० एल० ए०, बजाजवाड़ी, वर्धा तहसील, ज़िला वर्धा, सी० पी०
५ ,, दीनदयालजी गुप्ता, ग्राम-उद्योग लाज, तिलक रोड, नागपुर ।

पूर्वीय पञ्जाब--स० सं० १६

१ सरदार मोहनसिंह साहनी, मार्फत डेली वन्दे मातरम्, दर्यागंज, दिल्ली ।
२ सरदार प्रतापसिंह, रिलीफ एंड रिहैबिलीटेशन मिनिस्टर, पूर्वीय पंजाब, शिमला ।
३ डा० लहनासिंह सेठी, प्रधान मंत्री, पूर्वी पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, जलन्धर ।
४ ज्ञानी गुरमुखसिंह मुसाफिर, २१ फीरोज शाह रोड, नई दिल्ली ।

५ लाला देवराज सेठी, एम० एल० ए०, विक्टोरिया प्लेस, शिमला ।
६ मास्टर नन्दलाल, सदस्य, विधान-परिषद्, पानीपत (करनाल)
७ एम० अब्दुलग़नी, फाटक धोबियान, फराशख़ाना दिल्ली ।
८ श्रीमती पुष्पावती मार्फत लाला अवतारनारायण गुजराल,
ब्राण्डरुथ रोड, जलन्धर ।
९ श्री बलवन्तराय तायल, हिसार ।
१० श्री रोशनलाल यास, मकान नं० ५०-ए, सदर बाज़ार, करनाल ।
११ पं० श्रीराम शर्मा, एम० एल० ए०, रोहतक ।
१२ श्री यशपाल, डेली मिलाप, नई दिल्ली ।
१३ ,, चिन्तराम थापड़, मार्फत कुन्दन वुड फैक्टरी, सिविल लाइन्स,
लुधियाना ।
१४ सरदार अमरसिंह झाबल, डा० झाबल (जिला अमृतसर)
१५ श्री रूपलाल मेहता, होडल (जिला गुड़गाँव)
१६ ,, लाला चण्डीराम वर्मा, अबोहर (जिला फिरोजपुर)

तामिलनाड—स० सं० ३२

१ डा० पी० सुब्बरायन, 'चिपाक हाउस', गवर्नमेन्ट हाउस, माउण्ट रोड,
मद्रास ।
२ श्री ओ० पी० रामास्वामी रेड्डियर, 'कूश्रम हाउस',
गवर्नमेन्ट हाउस, माउण्ट रोड, मद्रास ।
३ ,, आर० पी० रामनाथ रेड्डियर, कांग्रेस, कट्टुकनूर विलेज,
कन्नामङ्गलम, आरनी तालुक, (जिला उत्तरी-अर्काट)
४ ,, के० कामराज, प्रधान, तामिलनाड कांग्रेस-कमेटी, ८ नरसिंहपुरम्
स्ट्रीट, माउण्ट रोड, मद्रास ।
५ ,, एस० एन० सोमायाजुलु, कमरा नं० १०, डा० त्रिकुत्रलम्,
तेंकासी तालुक, जिला तिन्नेवेली ।
६ ,, एस० पी० सिवासुब्रमन्य नादर, वकील, पेरुमल नार्थ कार स्ट्रीट,
तिन्नेवेली जंकशन ।

७ ,, पी० एस० के० लक्ष्मीपति राजू, कांग्रेस, पलनी, जिला मदुरा।

८ ,, टी० एस० अरुणाचलम्, वालयलकर स्ट्रीट, त्रिचनापल्ली।

९ ,, ए० मारियप्पन, अम्मापेट, सेलम।

१० ,, एम० कन्नियाप्यन, एम० एल० ए०, ७७ कलाथियप्पा मुदाली स्ट्रीट, डा० चुलाई, मद्रास।

११ ,, वी० नदिमुत्थू पिलई, 'चन्द्र विलास', पत्तुकोत्ताई (जिला तंजौर)

१२ श्री के० सी० दुराई स्वामी मुदालियर, कांग्रेसमैन, डा० कम्बयानाल्लुर, जिला सेलम।

१३ ” सी० पेरुमाल स्वामी रेड्डियर, एम० एल० सी०, १७ साउथ टैंक स्कायर, नुंगमबक्कम, मद्रास।

१४ ” ओ० वी० अलगेसन, सदस्य, विधान परिषद्, चिंगलपट।

१५ ” एन० अन्नामलाई पिल्लई, एम० एल० ए०, तिरूवन्नामलाई, जिला उत्तरी-अर्काट।

१६ ” एम० भक्तवत्सलम्, मिनिस्टर फार पब्लिकवर्क्स, 'मोहना' अदयार, मद्रास।

१७ ” वी० एम० ओबेदुल्ला, अन्जुमन स्ट्रीट, वेल्लौर, जिला उत्तरी-अर्काट।

१८ ,, के० ए० एम० शेरिफ़, मेडिसिन शॉप, नेल्लिकुप्पम्, जिला उत्तरी-अर्काट।

१९ ” पी० एस० कुमार स्वामी राजा, एम० एल० ए०, राजापलायम्। जिला रामनद।

२० ” आर० चिदम्बरा भारती, करुवेपिल्लईकर स्ट्रीट, मदुरा।

२१ ” के० वेंकटास्वामी नायडू, 'अप्पा गार्डन' १५ टेलेर्स रोड, किलपॉक मद्रास।

२२ ” डा० आर० अरुणाचलम्, पेरिया मिनार हाउस, देवकोटा, जिला रामनद।

२३ " आर० एस० वेंकटारामा अय्यर, कांग्रेस, मत्तापराई, नीलाकुत्ताई तालुक, जिला मदुरा।

२४ " के० एस० साम्बसिव अय्यर, 'कुन्नियुर हाउस' डा० कुन्नियुर, मन्नरगुडी तालुक, जिला तंजोर।

२५ " के० एस० मुत्थु स्वामी, रेलवे फेडर्स रोड, विरुधुनगर, जिला रामनद।

२६ " एल० सभापति पिल्लई, विल्लाला स्ट्रीट, अरियालुर, जिला त्रिची।

२७ " एस० वेंकटारमन, १६-ए, मोहनदास रोड, माउण्ट रोड, मद्रास।

२८ " श्री पी० एस० रंगा स्वामी, डा० वेल्लाकोयल, वाया इरोड, आर० एम० एस०।

२९ ए० के० अब्दुल रहीम, कांग्रेस, तिरुमाल स्ट्रीट, कोयम्बटूर।

३० ,, आर० स्वामीनाथ मेरकोंडार, कांग्रेस, डा० सैंगिपट्टी, तंजौर तालुक, जिला तंजौर।

३१ ,, टी० एस० अविनासलिंगम, मिनिस्टर फॉर एडुकेशन, १४५, सन्तहोम माइलापुर, मद्रास।

३२ ,, पी० एम० आदिकेसवालु नायकर, 'कृष्णा निलियम्' डा० कोरुक्कुपेट, मद्रास।

युक्त-प्रान्त—स० सं० ६९

१ श्री शिवकुमार त्रिपाठी, गांव जानी, डा० भरावन, जिला हरदोई।

२ ,, रामेश्वरप्रसाद शर्मा, सीपरी रोड, झाँसी।

३ ,, बेनीसिंह अवस्थी, बीरसिंहपुर साध, जिला कानपुर।

४ ,, हीरावल्लभ त्रिपाठी, चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड, हरिद्वार।

५ ,, सुदामाप्रसाद, एम० एल० ए०, घुघली, गोरखपुर।

६ " अजितप्रसाद जैन, अम्बाला रोड, सहारनपुर।

७ ,, मुनीश्वरदत्त उपाध्याय, एडवोकेट, प्रधान, जिला कांग्रेस-कमेटी, परतावगढ़।

८ ,, बालकृष्ण शर्मा, एम० सी० ए०, प्रताप प्रेस, कानपुर।

९ ,, मौलाना हिफजुर्रहमान, आल इण्डिया जमियत-उल-उलेमा हिन्द, नई दिल्ली।

१० ,, श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, प्रधान मंत्री, यू० पी० गवर्नमेन्ट, लखनऊ।

११ ,, लालबहादुर शास्त्री, गृह-मंत्री, यू० पी० सरकार, लखनऊ।

१२ चौ० बदनसिंह, एम० एल० ए०, बदायूं, (यू० पी०)

१३ श्री विशवम्भरदयाल त्रिपाठी, एम० एल० ए०, पराव-उन्नाव।

१४ श्री माताप्रसाद मिश्र, डा० व मु० कैपरगंज, रायबरेली।

१५ ,, रामखोटन, बाज़ार बलरामपुर, जिला गोंडा।

१६ ,, रफ़ीअहमद किदवई, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, भारत-सरकार, नई दिल्ली।

१७ ,, हुसेनअहमद मदनी, दारुल-उलूम, देवबन्द, सहारनपुर।

१८ ,, प्रो० रामसरन, एम०एल०ए०, गंज मोहल्ला, मुरादाबाद।

१९ ,; गनपतिसहाय, एडवोकेट, सिविल लाइन्स, सुलतानपुर।

२० ,, बंशीधर मिश्र, एम० एल० ए०, लखीमपुर खीरी।

२१ ,, हाजी अमीरअहमद, वंखाना, बरेली।

२२ ,, दाऊदयाल खन्ना, डा० व मु० अत्ताई, मुरादाबाद।

२३ ,, बल्देवसिंह, राजभवन, मनकापुर, जिला गोंडा।

२४ ,, त्रिलोकीसिंह, एम० एल० ए०, घसियारीमंडी लखनऊ।

२५ ,, अलगूराय शास्त्री, एम० एल० ए०, प्रधान कांग्रेस-कमेटी, आजमगढ़।

२६ श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, प्रधान, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, लखनऊ

२७ ,, जमील-उल-रहमान किदवई, डा० व मु०, बड़ागांव, बाराबंकी।

२८ ,, चन्द्रभान गुप्ता, मिनिस्टर फ़ार सप्लाई, युक्त प्रान्तीय सरकार, लखनऊ।

२९ ,, श्री कृष्णदत्त पालीवाल, विजयनगर कोलोनी, आगरा।

३० ,, बलभद्रसिंह, एम०एल०ए०, दालमंडी, बुलन्दशहर।

३१ ,, केशवदेव मालवीय, उद्योग मंत्री, युक्तप्रान्तीय सरकार, लखनऊ।

३२ ,, गोविन्दसहाय, पार्लामेंटरी सेक्रेटरी, युक्त प्रान्तीय सरकार, लखनऊ।

३३ ,, जयराम वर्मा, रामबली नेशनल स्कूल, गोसाईंगजं, फैजाबाद।

३४ ,, चरनसिंह, पार्लामेंटरी सेक्रेटरी, युक्तप्रान्तीय सरकार, लखनऊ।

३५ ,, अन्सार हरवानी, अमृत बाजार पत्रिका, सुन्दर बाग, लखनऊ।

३६ ,, बिन्दवासनीप्रसाद, मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी, आजमगढ़।

३७ ,, सरदार योगेन्द्र सिंह, एम० एल० ए०, स्टील गंज, बहराइच शहर।

३८ श्री शिब्बनलाल सक्सेना, प्रधान, जिला कांग्रेस-कमेटी, गोरखपुर।

३९ ,, देवेन्द्रप्रतापसिंह, मार्फत, जिला कांग्रेस कमेटी, गोंडा।

४० ,, गोपालनरायन सक्सेना, स्वदेशी स्टोर्स, अमीनाबाद पार्क, लखनऊ।

४१ ,, मुज़फ़्फ़रहुसैन, एम० एल० ए०, मंत्री, प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी, लखनऊ।

४२ ,, महावीरसिंह, कटरा, बांदा शहर।

४३ ,, छैलबिहारी दीक्षित, कटक, नवाबगंज, कानपुर।

४४ ,, मंगलाप्रसाद, एम० एल० ए०, प्रधान, जिला कांग्रेस-कमेटी, इलाहाबाद।

४५ ,, मोहनलाल गौतम, राजेन्द्र मैन्शन्स, पानदरीबा, लखनऊ।

४६ श्रीमती सुचेता कृपलानी, ६, जंत्र मंत्र रोड, नई देहली।

४७ श्री बाबा राघवदास, एम० एल० ए०, बरहज आश्रम, बरहज, देवरिया।

४८ ,, परशुराम राय, गांधी रोड, गाज़ीपुर।

४९ ,, मोहनलाल सक्सेना, मिनिस्टर फ़ार रिलीफ एन्ड रिहैबिलिटेशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।

५० आचार्य जुगलकिशोर, ७ जंत्र मंत्र रोड, नई दिल्ली।

५१ श्री विश्वनाथसिंह गौतम, पहाड़खां पोखरी, डा० पीरनगर, जिला गाजीपुर।

५२ ,, रामशंकर, मेहरीखनवां, बस्ती।
५३ ,, अब्दुलहकीम, वकील बस्ती।
५४ बालकृष्ण विनायक केस्कर, १८ क्वीन्सवे, नई दिल्ली।
५५ सरदार नर्मदाप्रसादसिंह, २२ लूकरगंज, इलाहाबाद।
५६ श्री सुमतिप्रसाद जैन, वकील, आभूपुर डाकखाना, मुज़फ्फरनगर।
५७ श्री रघुनाथसिंह, दशाश्वमेध, बनारस।
५८ ,, महाराजसिंह चौहान, मार्फत जिला कांग्रेस-कमेटी, एटा।
५९ ,, कमलापति त्रिपाठी, एम० एल० ए०, औरंगाबाद, बनारस।
६० ,, सम्पूर्णानन्द, शिक्षा मन्त्री, युक्त प्रान्तीय सरकार, लखनऊ।
६१ ,, जे० एन० विलसन, मुजफ्फरगंज, मिर्जापुर।
६२ अनन्तराम वर्मा, मामू भानजा, अलीगढ़।
६३ ,, जगनप्रसाद रावत, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी, युक्त प्रान्तीय सरकार, लखनऊ।
६४ ,, यशकरनसिंह, डा० घोसियां कलां, पीलीभीत।
६५ ,, डा० जे० के० जेटली, एम० एल० ए०, अकबरपुर, फैजाबाद।
६६ विष्णुदयाल पालीवाल, सुलतानपुर (रजनीपुर), फर्रुखाबाद।
६७ ,, अब्दुलवाजिद, ११४, सिविल लाइन्स, बरेली।
६८ ,, रऊफ जाफरी, चेयरमैन, जिला बोर्ड, जौनपुर।
६९ ,, बद्रीप्रसाद पालीवाल, डा० व मुकाम हरचन्द्रपुर, जि० एटा।

उत्कल—१४

१ श्री सुरेन्द्रनाथ पटनायक, वाईस चेयरमैन, कटक जिला बोर्ड, स्वराज्य आश्रम, डा० चान्दनी चौक, कटक।
२ ,, मदनमोहन पटनायक, एम० एल० ए०, खादी एडवाइजर, उड़ीसा सरकार, स्वराज्य आश्रम, डाकखाना चांदनी चौक, कटक।
३ ,, नित्यानन्द कानूनगो, मिनिस्टर, ला कामर्स एन्ड डेवलपमेन्ट, बाखराबाद, डा० चान्दनी चौक, कटक

४ ,, कपिलेश्वरप्रसाद नन्दा, एक्जीक्यूटिव काउन्सलर फार स्टेट्स, उड़ीसा सरकार, डा० कटक।

५ ,, पवित्रमोहन प्रधान, एक्जीक्यूटिव काउन्सलर फार स्टेट्स, उड़ीसा सरकार, डा० कटक।

६ ,, हरिकृष्ण मेहताब, प्रधान मंत्री, उड़ीसा, डा० कटक।

७ ,, बनमाली पटनायक, एम०एल०ए०, गांव व डाकखाना मेन्धासल, जिला पुरी, उड़ीसा।

८ पं० प्राणकृष्ण पढ़ारी, प्रधान, कटक जिला कांग्रेस-कमेटी, स्वराज्य-आश्रम, डा० चान्दनी चौक, कटक।

९ श्री बीरेन मित्रा, प्रजातंत्र कार्यालय, बिहारी बाग, डा० चान्दनी चौक, कटक

१० ,, नन्दकिशोर दास, सदस्य विधान-परिषद्, गाँव सोरो, डा० सोरो, ज़िला बलासोर (उड़ीसा)

११ ,, विश्वनाथ राठ, प्रतिनिधि, हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड, ओल्ड कालेज लेन, डा० चान्दनी चौक, कटक।

१२ ,, विश्वनाथ दास, सदस्य, विधान-परिषद्, हॉसपिटल रोड, बरहामपुर जिला गंजाम।

१३ ,, विपिनबिहारी मोहन्ती, चेयरमैन, जैयपुर लोकल बोर्ड, डा० जैयपुर, कटक।

१४ ,, दुर्गाप्रसाद नन्दा, साम्बलपुर, डा० व जिला साम्बलपुर, उड़ीसा।

विदर्भ (बरार)—स० सं० ५

१ श्री ब्रजलाल बियानी, अकोला।

२ ,, सहदेव अर्जुन भारती, घतन्जी, (जिला यवतमाल)।

३ ,, जनराव हरबाजी जावड़े, चाहन्द, (जिला यवतमाल)।

४ ,, गोविन्द बोंदराजी ठाकरे, पथरौट, (जिला अमरावती)

५ ,, पंजाबराव सादतपुर, मोरसी, (जिला अमरावती)।

कांग्रेस–केबिनेट

राष्ट्रपति

१ डा० पट्टाभि सीतारामय्या १६, कैनिंग लेन, नई दिल्ली।

प्रधान मंत्री

२ श्री शंकरराव देव।

३ श्री काला वेंकटराव।

अन्य सदस्य

४ डा० राजेन्द्रप्रसाद।

५ पं० जवाहरलाल नेहरू।

६ श्री वल्लभभाई पटेल।

७ श्री एस० के० पाटिल।

८ श्री रफीअहमद किदवई।

९ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद।

१० डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष।

११ पं० गोविन्दवल्लभ पन्त।

१२ श्रीमती सुचेता कृपलानी।

१३ श्री जगजीवनराम।

१४ श्री देवेश्वर शर्मा।

१५ श्री रामसहाय।

१६ श्री निजलिंगप्पा।

१७ सरदार प्रतापसिंह कैरों।

१८ प्रो० एन० जी० रंगा।

१९ श्री कामराज नादर।

२० श्री गोकुलभाई भट्ट।

हिमाचल प्रदेश—स० सं० १

श्री भास्करानन्द शर्मा c/o ठाकुर हीरासिंह पाल, होटल–डी–पैलेस, लोअर बाज़ार, शिमला।

राजपूताना—स० सं० १७

१ श्री यादवेन्द्र, भरतपुर ।
२ श्री गोकुलभाई भट्ट, सिरोही ।
३ श्री गोकुललाल असावा, मिनिस्टर, पी० डब्ल्यू० डी०, उदयपुर ।
४ श्री जयनारायण व्यास, प्रधान मन्त्री, जोधपुर ।
५ श्री विक्रम पालीवाल, रेवेन्यू मिनिस्टर, जयपुर ।
६ श्री नाथूलाल जैन 'वीर' रामपुरा बाज़ार, कोटा ।
७ श्री बंसीलाल लुहाड़िया वकील, फुलेरा ।
८ श्री मथुरादास माथुर, शिक्षा विभाग के मिनिस्टर, जोधपुर ।
९ श्री माणिक्यलाल वर्मा, प्रधान मन्त्री, राजस्थान यूनियन उदयपुर ।
१० ,, मीठालाल त्रिवेदी, श्रीमाली ब्रदर्स, सोजत रोड (राजपूताना)
११ ,, रघुवरदयाल गोयल, वकील चोटिनेका कुवा, बीकानेर ।
१२ ,, रमेशचन्द्र व्यास, C/O कांग्रेस कमेटी, भीलवाड़ा ।
१३ ,, शोभाराम, प्रधान मन्त्री, मत्स्य प्रदेश यूनियन, अलवर ।
१४ ,, सिद्धराज ढड्ढा, 'लोकवाणी' कार्यालय, चौरस्ता, जयपुर ।
१५ सरदार हरलालसिंह, विद्यार्थी भवन झुंझनू (जयपुर)।
१६ श्री हरिदेव जोशी, C/O कांग्रेस कमेटी डूंगरपुर ।
१७ श्री हीरालाल शास्त्री, मुख्य सचिव, जयपुर राज्य, जयपुर ।

मध्य-भारत—स० सं० ११

१ श्री वैदेहीचरण पाराशर शिवपुरी (ग्वालियर)
२ ,, रामसहाय, रामकुटी, भेलसा (ग्वालियर राज्य)
३ ,, गोपीकृष्ण विजयवर्गीय, सभापति, मध्य भारत प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, यशवन्त रोड, इन्दौर ।
४ ,, मिश्रीलाल गंगवाल, तुकोजीराव क्लाथ मार्केट, इन्दौर ।
५ ,, गोविन्दप्रसाद श्रीवास्तव, C/O भोपाल-राज्य-प्रजा-परिषद्, भोपाल ।

६ ,, मुरलीधर विश्वनाथ धुले, जयेन्द्रगंज, लश्कर (ग्वालियर)
७ ,, लहरसिंह भाटी, c/o रतलाम कांग्रेस कमेटी, रतलाम ।
८ ,, कन्हैयालाल खादीवाला, सभापति, इन्दौर कांग्रेस-कमेटी, इन्दौर।
९ ,, जौहरीलाल झांझरिया, तोपखाना रोड, इन्दौर ।
१० ,, रतनलाल उपाध्याय, c/o इन्दौर कांग्रेस कमेटी, इन्दौर ।
११ स्थान खाली है

विन्ध्य प्रदेश--स० सं० ४

१ कप्तान अवधेश प्रतापसिंह, रामपुर हाउस, रीवा ।
२ श्री मोहनसिंह करचुली, वैकुण्ठपुर हाउस, रीवा ।
२ पं० सत्यदेव उपाराहवी, मिनिस्टर पी० डब्ल्यू० डी०, रीवा ।
४ श्री बाबूराम चतुर्वेदी, मालेहरा छतरपुर विन्ध्य प्रदेश ।

पटियाला और ईस्ट पंजाब यूनियन कांग्रेस--स० सं० ४

१ सरदार ज़ैलसिंह, सभापति, फरीदकोट तहसील-कांग्रेस-कमेटी, फरीदकोट (ईस्ट पंजाब)
२ सरदार रणजीतसिंह, सभापति, तहसील-कांग्रेस-कमेटी बरनाला (ईस्ट पंजाब)
३ श्री सुन्दरलाल, वकील c/o यूनियन कांग्रेस-कमेटी, पटियाला
४ चौधरी हीरासिंह चौकारिया, मु० पो० कल्याना, डालमिया–दादरी

केरल—स० सं० ६

१ श्री ई० इक्काण्डा वारियर, प्रधान मन्त्री, एरनाकुलम्
२ श्री पट्टम ए० थानू पिल्ले, त्रिवेन्द्रम्
३ श्री ए० एम० वारघीज़, त्रिवेन्द्रम्
४ श्री परूर टी० के० नारायण पिल्ले, प्रधान मन्त्री, त्रिवेन्द्रम्
५ श्री पी० टी० चाको, एडवोकेट, कोट्टायम् (त्रावणकोर)
श्री एस० सिवन पिल्ले, बी० ए०, एल-एल० बी०, नागरकोइल (त्रावणकोर)

प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटियों के पूरे पते तथा सदस्यों और पदाधिकारियों की सूची

१ अजमेर प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी, नया बाजार, अजमेर

२ आसाम प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी, कांग्रेस हाउस, डाकखाना गोहाटी (आसाम)

३ आन्ध्र प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी, आंध्र-रत्न भवनम्, बेजवाड़ा (मद्रास प्रेसीडेंसी)

४ बंगाल प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, ११५ ई धर्मतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता

५ बिहार प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, सदाकत-आश्रम, डाकखाना दीघाघाट जिला पटना (बिहार)

६ बम्बई प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, कांग्रेस हाउस विट्ठल भाई पटेल रोड, बम्बई ४

७ दिल्ली प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, अजमेरी दरवाजा, दिल्ली

८ पंजाब प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, मेहदी मंजिल, पक्का बाग जालन्धर शहर

९ गुजरात प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, कांग्रेस हाउस, भद्रा, अहमदाबाद (बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे)

१० हिमाचल प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, किचनरविला, शिमला

११ कर्नाटक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, हुबली, (बम्बई प्रेसिडेंसी)

१२ केरल प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, चालापुरम्, कालीकट (मद्रास प्रेसिडेंसी)

१३ मध्य-भारत प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, इन्दौर

१४ महाकोशल प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, तुलाराम चौक, जबलपुर (सी० पी०)

१५ महाराष्ट्र प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, कांग्रेस-हाउस, शिवाजीनगर, पूना ५

१६ नागपुर प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, महाल, नागपुर (सी० पी०)

१७ पटियाला और पूर्वी-पंजाब रियासत संघ प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, पटियाला

१८ राजपूताना प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, जयपुर
१९ संयुक्तप्रांत प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, वालाकादर रोड, लखनऊ (यू० पी०)
२० तामिलनाड कांग्रेस-कमेटी, ८, नरसिंहपुरम् स्ट्रीट, माउण्ट रोड, मद्रास
२१ विदर्भ प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, राजस्थान बिल्डिंग, अकोला
२२ उत्कल प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, स्वराज्य-आश्रम, डाकखाना चांदनी चौक, कटक (उड़ीसा)
२३ विन्ध्य प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस-कमेटी, रीवा

सदस्यों तथा पदाधिकारियों की सूची

अजमेर—

पदाधिकारियों के नाम

प्रधान—श्रीमुकुटबिहारीलाल भार्गव।
उप-प्रधान—श्री बालकृष्ण गर्ग।
मन्त्री—श्रीविश्वंभरनाथ भार्गव, श्री कृष्णगोपाल गर्ग, श्री ब्रजमोहनलाल शर्मा

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम

१ श्री गंगाबिशन जोशी, ब्यावर।
२ ठा० मदनसिंह।
३ डा० अम्बालाल शर्मा।

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम

१ श्री सुखसम्पत्तिराय भंडारी।
२ श्री भंवरलाल रंक, ब्यावर।
३ श्री ज्योतिस्वरूप, गुप्ता।

प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल बोर्ड के सदस्य

१ श्री विश्वंभरनाथ भार्गव ।
२ " दौलतराम शर्मा ।
३ " दुर्गाप्रसाद चौधरी ।
४ " महेशलाल भार्गव ।
५ " चन्द्रगोपाल ।
६ " बालकृष्ण काओल ।

आंध्र—

पदाधिकारियों के नाम

प्रधान—श्री एन० जी० रंगा ।
उप-प्रधान—श्री पी० थिम्मा रेड्डी ।
प्र० मन्त्री—श्री के० ओबुला रेड्डी ।
सहायक मन्त्री—
श्री जी० लतचन्ना ।
श्री डी० बलरामकृष्णैया ।

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम

१ श्री पी० राजगोपाला नायडू, बी० ए०
२ " सी० वीरैया एम० ए०, बी० एल०
३ " टी० के० टी० एन० आर० ताताचारी, एम० एल० ए०

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम

१ श्री टी० श्री कांतम एम० ए०, बी० एल०
२ " एस० सत्यनरायण
३ " डी० लक्ष्मी रेड्डी, बी० ए०, बी० एल०

प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल बोर्ड के सदस्य

१ श्री जे० लतचन्ना
२ " टी० सत्यनारायण मूर्ति

३ '' पी० राजगोपाला नायडू
४ श्रीमती एस० अन्नपूर्णमा
५ '' राव अच्चैया राव
६ '' एल० अप्पाराव

आसाम—

पदाधिकारियों के नाम

प्रधान—श्री देवेश्वर शर्मा
प्रधान मन्त्री—श्री सिद्धनाथ शर्मा
मन्त्री—श्री जोगेन सैकिया
कोषाध्यक्ष—श्री विष्णुराम मेधी

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम

१—डा० हरिकृष्ण दास,
२—श्री नबीनचन्द्र कलित, कांग्रेस दफ़्तर, गोहाटी
३—श्री बी० के० भंडारी बरामा

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम

१—डा० हरिकृष्ण दास,
२—श्री मोहिनी बोरकाकती, बी० एल०
३—श्री सुशीलकुमार मजूमदार, बी० एल०

प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल बोर्ड के सदस्य

१—श्री प्रफुलचन्द्र बरुआ
२— '' हलधर भूयान
३— '' खगेन्द्रनारायण नाथ
४— '' प्रफुल्ल गोस्वामी
५— '' राजेन्द्र बरुआ
६—श्रीमती बुद्धेश्वरीदास

बंगाल—

पदाधिकारियों के नाम

प्रधान—डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी

उप-प्रधान—श्री कालीपद मुकर्जी

" श्री सतधर कार

" चारुचन्द्र भंडारी

" श्री विजयकृष्ण भट्टाचार्य

" सुधीरचन्द्र राय चौधरी

मन्त्री—श्री अतुल्य घोष

सहायक मन्त्री—डा० नृपेन्द्रनाथ वसु

" श्री नरेन्द्रनाथ सेन

" देवेन सेन

" ईश्वरचन्द्र माल

" दुर्गापद चटर्जी

कोषाध्यक्ष—श्री विजयसिंह नाहर

बिहार—

पदाधिकारियों के नाम

प्रधान—पं० प्रजापति मिश्र

मन्त्री—१ श्री वैद्यनाथप्रसाद चौधरी

२ " नन्दकुमारसिंह

प्रांतीय क्रिडेंशियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम

१ आचार्य बदरीनाथ वर्मा

२ श्री जगलाल चौधरी

३ " ध्वजाप्रसाद साहू

४ " मथुरादास पुरुषोत्तम

५ " रामनवमीप्रसाद

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम

१ श्री व्रजनन्दनप्रसाद
२ " श्यामसुन्दरप्रसाद
३ " ध्वजाप्रसाद साहु

प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल-बोर्ड के सदस्य

१ श्री अवधेश्वरप्रसादसिंह
२ " महेन्द्रनाथसिंह
३ " सीपूचरण राय
४ " रामेश्वरी सरोज दास
५ " रामरक्ष ब्रह्मचारी
६ " मदनमोहनसिंह (जी० ओ० सी०)
७ " श्यामाप्रसादसिंह

बम्बई—

पदाधिकारियों के नाम

प्रधान—श्री एस० के० पाटिल
उपप्रधान—श्री एम० वाई० नूरी
प्रधान मन्त्री—१ श्री एस० एल० सिलेम
२ श्री पुरुषोत्तम एस० ठक्कर
कोषाध्यक्ष—श्री भावनजी ए० खीमजी

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम

१ श्री रतिलाल एम० गांधी
२ श्रीमती लीलावती के० मुंशी
३ " हिमजी मदन भोजपुरा
४ " गोपालराव कुलकर्णी
५ " के० एन० गैटोंडे

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम

१ श्री नगीनदास टी० मास्टर
२ " वसन्तराम जमीयतराम
३ डा० बी० बी० गांधी
४ श्री चम्पकलाल जी० मोदी
५ जनाब मोहम्मद ताहिर

प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल-बोर्ड के सदस्य

१ श्री एम० वाई नूरी
२ " पी० के० सावंत
३ श्रीमती सोफ़िया खाँ
४ डा० बी० जी० गोखले
५ श्री पी० एस० ठक्कर

दिल्ली—

पदाधिकारियों के नाम

प्रधान—श्री राधारमन
उप-प्रधान—१ हकीम हबीब-उल-रहमान
२ श्री सी० के० नायर
प्रधान मन्त्री—श्री ब्रह्मप्रकाश
मन्त्री—१ श्री बी० रामलाल वर्म्मा
२ श्री शिवचरन गुप्त
३ " गनपतलाल गुप्त
४ " हरिकृष्ण गुप्त
कोषाध्यक्ष—श्री ज्योति प्रकाश

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम

१ श्री शफ़ीकुर्रहमान
२ " कालिकाप्रसाद शर्मा
३ " मास्टर बिहारीलाल

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम

१ मौलाना हफीजुर्रहमान

२ श्री गोपीनाथ अमन

३ ” मास्टर बिहारीलाल

प्रांतीय कांग्रेस सेवादल बोर्ड के सदस्य

१ श्री चन्दूलाल

२ ” ब्रह्मप्रकाश

३ ” विश्वनाथ शाह

४ ” रामचन्द्र शैदा

५ ” वेद किशनलाल

६ ” विश्वबन्धु गुप्त

७ श्रीमती सविता बहन

गुजरात—

पदाधिकारियों के नाम

प्रधान—श्री कनाईलाल नानाभाई देसाई

उप-प्रधान—श्री खंडुभाई कासनजी देसाई

मन्त्री—१ श्री भोगीलाल धीरजराम लला

२ श्री रावजीभाई मनिभाई पटेल

३ ” उच्छरंगराय एन० धेबर

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम

१ श्री मगनभाई प्रभुदास देसाई

२ ” मगनभाई रंछोड़ भाई पटेल

३ ” सोमनाथ दवे

४ ” ठाकुरभाई मनीभाई देसाई

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम

१ श्री नवीनचन्द्र मुकुन्दराय देसाई

२ " परिक्षितलाल मजुमदार

३ " चन्द्रकांत छोटेलाल गांधी

प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल-बोर्ड के सदस्य

१ श्री आर० एम० पटेल, सेक्रेटरी

२ " चुनीलाल शाह

३ " मनुभाई बक्सी

४ " कान्तीलाल एफ० विया

५ " ज्योत्स्ना बेन शुक्ला

६ " मनुभाई पटेल (जी० ओ० सी०)

हिमाचल प्रदेश—

पदाधिकारियों के नाम

१ डा० यशवन्तसिंह परमार, सभापति

२ श्री पदमदेव, उपसभापति

३ ,, सन्तराम मन्त्री

४ श्री सन्दाराम चन्देल, कोषाध्यक्ष

कर्नाटक—

पदाधिकारियों के नाम

प्रधान—एस० निजलिंगप्पा बी० ए०, एल-एल० बी०

उप-प्रधान—टी० आर० नेसवी, बी० ऐग०, एम० एल० ए०

श्री यू० श्रीनिवास मल्लियाह

कोषाध्यक्ष—श्री बी० बी० पाटिल, बी० ए०, एम० एल० ए०

प्रधान मन्त्री—श्री वी० टी० मागदी

सहायक मन्त्री—श्री जी० वी० हल्लीकेरी

प्रांतीय इलेक्शनट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम

१ श्री एस० कुल कोटी बी० ए०, एल-एल० बी०, प्लीडर,
गैडग कन्वीनर

२ ,, ए० दामोदर पाई बी० ए०, एलए-ल० बी०, मंगलोर

३ ,, जी० वी० हीरामथ, बी० ए०, एल-एल० बी०, बीजापुर

प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल-बोर्ड के सदस्य

१ श्री के० ए० वेंकटारमैया

२ श्रीमती शंकुतला रौधार बाई

३ श्री शाम वातवे

४ ,, वी० टी० मागदी

केरल—

पदाधिकारियों के नाम

प्रधान—श्री के० केलप्पम

मन्त्री—श्री एम० नारायण कुरुप

कोषाध्यक्ष—श्री ए० बालगोपाल

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम

१ श्री पी० कुट्टीसंकरन् नायर

२ ,, के० बी० रमन मेनन

३ ,, मेरी जार्ज

४ ,, के० माधव नायर

५ ,, आर० श्रीनिवासन

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम

१ श्री के० पी० कृष्णन् नायर

२ डा० वी० आई० रमन

३ श्री के० एन० कुरुप

४ ,, वी० वी० सुब्रमन्य अय्यर

५ ,, टी० वी० सुन्दर अय्यर

प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल-बोर्ड के सदस्य

१ श्री एम० नारायण कुरुप, सेक्रेटरी

२ ,, सी० केशवन,

३ ,, एस० वरदाराजन नायर

४ ,, के० सी० मैथ्यू

५ ,, के० एम० राउन्नी मेनन,

६ ,, सी० एस० धारासिंह

७ ,, सी० के० सुकुमारन्

महाकोशल--

पदाधिकारियों के नाम

प्रधान—सेठ गोविन्ददास

उप-प्रधान—

१ श्री बिहारीलाल पटेल, एम० एल० ए०

२ ठाकुर छेदीलाल, एम० एल० ए०

३ पं० गिरिजाशंकर अग्निहोत्री

प्रधान मन्त्री—

१ पं० बाबूलाल तिवाड़ी

२ पं० श्यामसुन्दर नारायण मुशरान

कोषाध्यक्ष—श्री महन्त लक्ष्मीनारायणदास

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम

१ श्री अम्बिकाचरण दुबे

२ ,, रूपनारायण चतुर्वेदी

३ ,, के० पी० उर्मिल

४ ,, व्रजभूषणलाल तिवारी

५ ,, डा० इन्द्रजीतसिंह, एम० ए०, एल-एल० बी०

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम

१ श्री नित्येन्द्रनाथ सिल

२ ,, रामचन्द्र संघी

३ ,, मोतीशंकर झा, एडवोकेट

४ ,, सी० डी० मेघश्याम, प्लीडर

५ ,, ब्रजभूषणलाल श्रीवास्तव, प्लीडर

प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल-बोर्ड के सदस्य

१ श्री महन्त लक्ष्मीनारायणदास, एम० एल० ए०

२ स्वामी कृष्णानन्द, एम० एल० ए०, प्लीडर

३ श्री बिहारीलाल पटेल, एम० एल० ए०

४ ठाकुर छेदीलाल, एम० एल० ए०, बार-एट-ला

५ श्री सूरजप्रसाद शर्मा

मध्य-भारत—

पदाधिकारियों के नाम

प्रधान—श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय, सभापति

उप-प्रधान—श्री रामेश्वरदयाल तोतला उपसभापति

,, श्री सीताराम जाजू

,, ऋषभ चन्द ताँतिया

प्रधान मंत्री—श्री रामनिवास शर्मा

कोषाध्यक्ष—श्री मिश्रीलाल गांगवाल

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम

१ श्री शिवशंकर रावल

२ ,, जे० डी० पुस्तके

३ ,, के० बी० दाते

४ ,, बैजनाथ महोदय

५ ,, मन्नालाल पंचोली

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम

१ श्री जौहरीलाल मीतल

२ ,, वोहियास वकील

३ ,, चाँदवाल मेहता

प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल-बोर्ड के सदस्य

१ श्री ऋषभचन्द तांतिया सेक्रेटरी
२ श्री रामेश्वरदयाल तोतला
३ ,, गौतमजी शर्मा
४ ,, रामनिवास शर्मा
५ ,, लक्ष्मणसिंह चौहान

महाराष्ट्र—

पदाधिकारियों के नाम

प्रधान—श्री बी० बी० हिरे, बी० ए०, एल-एल० बी०

प्रधान मन्त्री—

१ श्री जी० ए० देशपांडे
२ ,, बी० पी० गायकवाड़ बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०
३ ,, वाई० बी ध्वान बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०

कोषाध्यक्ष—श्री जी० ए० देशपांडे

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम

१ श्री आर० बी० घोरपडे, एम० एल० ए०
२ ,, टी० आर० देवगिरिकर
३ ,, पी० के० सावन्त, एम० एल० ए०

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम

१ श्री आर० बी० घोरपाड़े एम० एल० ए०
२ ,, टी० आर० देवगिरिकर
३ ,, पी० के० सावन्त एम० एल० ए०

प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल-बोर्ड के सदस्य

१ श्री सीताराम एच० बिरला, एम० एल० ए०
२ ,, डी० एस० पोटनिया
३ ,, बावनराव पी० बाडवे

४ ,, जी० ए० देशपांडे

५ ,, ए० टी० दंडवते

६ ,, यशवन्तराव पाटिल

नागपुर--

पदाधिकारियों के नाम

प्रधान--श्री एम० एस० कन्ननवर

मन्त्री--श्री एम० डी० तम्मेपैलीवार

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम

१ श्री जी० आर० प्रधान

२ ,, फजुल-उल-रहीम

३ ,, तात्याजी वजलवार

४ ,, आर० डब्ल्यू० कथाडे

५ ,, सोहनलाल मिश्र

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम

१ श्री जी० आर० प्रधान

२ ,, फजुल-उल-रहीम

३ ,, तात्याजी वजलवार

४ ,, आर० डब्ल्यू० कथाडे

५ ,, सोहनलाल मिश्र

प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल-बोर्ड के सदस्य

१ श्री मदनगोपाल अग्रवाल, सेक्रेटरी

२ ,, एम० एस० कन्ननवार

३ ,, अप्पाजी गांधी

४ ,, केशवराव इंगले

५ श्रीमती डाही बाई मनोहर भाई पटेल

६ श्री सुलेमानखाँ पठान (जी० ओ० सी०)

पूर्वीय पंजाब—

पदाधिकारियों के नाम

प्रधान—ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिर

प्रधान मन्त्री—डा० लहनासिंह सेठी

कोषाध्यक्ष— श्री ला० बनारसीदास गुप्त

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम

१ श्री बलवन्तराय एडवोकेट

२ ,, ला० केदारनाथ सहगल

३ ,, एस० प्रेमसिंह प्रेम

४ ,, तिलकराज सूरी

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम

१ श्री ला० भीमसेन सच्चर

२ श्रीमती शन्नोदेवी

३ मा० दौलतसिंह

४ पं० मंगलदास

प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल-बोर्ड के सदस्य

१ पं० विशनदास

२ श्री कुलवीरसिंह

३ ,, विश्वनाथ

४ ,, एस० गुरुदयालसिंह

५ चौ० कालीसिंह

६ श्री बा० हरिहरलाल

७ ,, विद्यारत्न

राजपूताना—

पदाधिकारियों के नाम

प्रधान—श्री गोकुल भाई भट्ट

मन्त्री—देशराज ढड्ढा

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम

१ श्री लादूराम जोशी

२ ,, प्रेमनारायण माथुर

३ ,, द्वारकादास पुरोहित

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम

१ श्री लादूराम जोशी

२ ,, प्रेमनारायण माथुर

३ ,, द्वारकादास पुरोहित

तामिलनाड—

पदाधिकारियों के नाम

प्रधान—श्री के० कामराज

उपप्रधान—श्री वी० एम० ओबेनुल्ला

मंत्री—श्री टी० एस० अरुणाचलम्, एम० एल० ए०

२ श्री एस० वैंकटारमन

कोषाध्यक्ष—श्री ए० कृष्णास्वामी वन्दायर, एम० एल० ए०

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम

१ श्री वी० बश्यम् आयंगर

२ ,, आर० वैंकटरमन

३ ,, एन० के० विनायकम्

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम

१ श्री वी० बश्यम्

२ श्रीमती मंजुभाषिणी अम्मल

३ ,, पी० एस० कैलाशम्

प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल-बोर्ड के सदस्य

१ श्री टी० एस० अरुणाचलम्, सेक्रेटरी

२ ,, कामराज नादर

३ ,, बी० एम० ओबेदुल्ला
४ ,, बी० गणपति
५ श्रीमती मंजुभाषिणी

उत्कल—

पदाधिकारियों के नाम

प्रधान—श्री विश्वनाथदास
उप-प्रधान—पं० रामप्रताप
प्रधान मन्त्री—श्री रामचन्द्र
सहायक-मन्त्री—श्री के० पी० शंकरा
मंत्री—श्री गदाधर दत्त

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम

१ श्री लालमोहन पटनायक
२ ,, नबकृष्ण चौधरी, एम० एल० ए०
३ ,, दीनबन्धु साह, एम० एल० ए०
४ ,, सुधाकर राठ
५ ,, दिवाकर बाहिदार

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम

१ श्री सत्यनारायण सेन गुप्त, एम० ए०, बी० एल०
२ ,, आर्तबंधु दास
३ ,, संकेरशन पाणिग्रही

युक्त-प्रदेश—

पदाधिकारियों के नाम

प्रधान—श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन
प्रधान मन्त्री—श्री मोहनलाल गौतम
मन्त्री—मुजफ्फर हुसेन

,, फूलसिंह

,, अजितप्रसाद जैन

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम

१ श्रीमती उमा नेहरू

२ श्री रामेश्वरसहायसिन्हा

३ ,, यू० एस० असरानी

४ ,, तुलसीराम

५ ,, मुज़फ्फरहुसेन

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम

१ श्री मदनमोहन सेठ

२ ,, महावीरप्रसाद

३ ,, विजयकृष्ण धवन

४ ,, मुरारीलाल

५ ,, रामउग्रहसिंह

प्रांतीय कांग्रेस-सेवा-दल-बोर्ड के सदस्य

१ श्री मोहनलाल गौतम, सेक्रेटरी

२ ,, गंगासहाय चौबे, एम० एल० ए०

३ ,, रामदुलारे त्रिवेदी

४ ,, श्रीमती तारावती अग्रवाल

५ श्री विश्वम्भरदयाल त्रिपाठी

६ ,, मोहनलाल वर्मा

७ नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, (जी० ओ० सी०)

विदर्भ (बरार)—

पदाधिकारियों के नाम

सभापति—डा० गोपालराव खडकर

मन्त्री—श्री जी० आर० कुलकर्णी

विन्ध्य-प्रदेश—

पदाधिकारियों के नाम

सभापति—श्री वनस्पतिसिंह

,, मोहनसिंह

उप-सभापति—सेठ जाविर भाई,

,, श्री प्रकाशनारायण

मंत्री—गंगाप्रसाद पाण्डे

,, दीनदयाल

,, रामप्रसादसिंह

प्रांतीय क्रिडेन्शियल्स कमेटी के सदस्यों के नाम

१ श्री शंकरवंशसिंह

२ ,, श्यामलाल पाण्डे

३ ,, मोहनचन्द भाटिया

प्रांतीय इलेक्शन ट्रिब्युनल के सदस्यों के नाम

१ श्री गुरुप्रसादसिंह

२ ,, जानकीप्रसाद

३ गोपालकृष्ण पिपलानी